राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 10| चौदहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का तेईसवां दिवस |संख्या: 16

मंगलवार,

27 फरवरी 2018

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। राम-राम सा। प्रश्नकाल। श्री हीरा लाल दरांगी।

तारांकित प्रश्नोत्तर

झाड़ोल की क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलियाओं की मरम्मत

275. श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल की विभिन्न क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलियाओं की मरम्मत पर वर्ष 2014 से 31 दिसम्बर, 2017 तक कितनी राशि व्यय की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की आवागमन व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलियाओं की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014 से 31 दिसम्बर, 2017 तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कौन-कौनसी सड़कें स्वीकृत हुईं? इन सड़कों के निर्माण हेतु कितनी निविदाएं आयीं, कितनी सड़कों का निर्माण किया गया व कितनी सड़कों का निर्माण किन कारणों से शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) वित्तीय वर्ष 2014 से 31 दिसम्बर, 2017 तक विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल (फ.) की विभिन्न क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलियाओं की मरम्मत हेतु विभिन्न योजनाओं में राशि रुपये 1,455.77 लाख व्यय की गयी है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) क्षतिग्रस्त पुलियाओं एवं सड़कों की मरम्मत का कार्य स्वीकृत बजट एवं आवश्यकतानुसार करवाया जा रहा है। 34 क्षतिग्रस्त पुलियाओं में से चार पुलियाओं के कार्य प्रगति पर हैं, दो पुलियाओं की स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं निविदा प्रक्रियाधीन है, जिनका अप्रैल, 2018 तक पूर्ण होना संभावित है। शेष 28 पुलियाओं एवं 63.60 किलोमीटर लम्बाई की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर है। सूची परिशिष्ट-2 एवं 3 पर प्रस्तुत है।

(3) वर्ष 2014 से 31 दिसम्बर, 2017 तक कुल 70 सड़क स्वीकृत हुई हैं। इन सभी 70 सड़कों की निविदा जारी की गयी, जिनमें 26 पैकेजों में कुल 68 निविदाएं प्राप्त हुईं। 70 सड़कों में से 66 सड़कों का निर्माण किया जा चुका है, दो सड़कों का निर्माण वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से शेष है एवं दो सड़कों का कार्य प्रगति पर है, जिनकी सूची परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जो सड़क से वंचित हैं जैसे बेड़ादर, आम्बा, सुरा खांचण, भीमतलाई, करवामोड़ा, आम्बादेह, लोहारी, आड़ीवाड़ा तोराणा, झाड़ोल में सरवाण, माल, छालीबोकड़ा, आड़ाहलदू, निचली बोराण, ये गांव आज तक सड़क से नहीं जुड़े हैं। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ये गांव सड़क से कब तक जुड़ जाएंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन गांवों की माननीय दरांगी साहब ने चर्चा की है, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अभी 15 किलोमीटर मिसिंग लिंक की सड़कें हम दे रहे हैं। उसमें आप लिस्ट बनाकर दे दो, उन गांवों को जोड़ देंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके

(श्री हीरा लाल दरांगी)

माध्यम से मैं पुन: मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि दो वर्ष पूर्व अतिवृष्टि में जो 34 पुलियाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनमें से चार पुलियाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि दो वर्ष में भी उनके लिए बजट आबंटित नहीं हुआ है तो अब बरसात से पहले इनके लिए बजट आबंटित होगा या नहीं? इन पुलियाओं की वजह से भाड़ेल ऐसा क्षेत्र है जो बरसात के टाइम में एक टापू बनकर रह जाता है और आने जाने के रास्ते सारे बंद हो जाते हैं, इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इनका बजट कब तक आबंटित हो जाएगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने सवाल के जवाब में निवेदन किया कि इनके यहां 34 पुलियाएं 2016 में अधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गयीं, उनमें से लगभग छह तो हमने स्वीकृत कर दीं और बाकी जो 28 पुलियाएं हैं, उनकी मरम्मत के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपये के करीब खर्चा होगा, जिनका तखमीना हमने बना लिया है। अभी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में 100 करोड़ रुपये इस तरीके की चाहे वह उदयपुर का झाड़ोल हो या पाली, सिरोही, जालौर और बाड़मेर हो, उनके लिए विशेष रूप से क्षतिग्रस्त पुलियाओं का बजटीय प्रावधान किया है। उदयपुर जिले की अन्य पुलियाएं जो इस तरीके से क्षतिग्रस्त हैं, वह भी लगभग 106 या 107 पुलिया ऐसी हैं जो अतिवृष्टि की वजह से नुकसान हो गया था, निश्चित रूप से हम शीघ्र ही इनकी स्वीकृतियां जारी करेंगे और जो ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर ठीक करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री प्रताप लाल भील। यह झाड़ोल से संबंधित है।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा): हां, झाड़ोल का ही है।

श्री अध्यक्ष: हां, बोलिये। सही है।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, झाड़ोल विधान सभा क्षेत्र में ओगना से झाड़ोल तक का रोड है, वह गत वर्ष अतिवृष्टि होने से पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था तो मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ये कब तक ठीक हो जाएगा?

श्री अध्यक्ष: आप आराम से पूछिये, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी इन पुलियाओं का भी जिक्र किया और जिस सड़क का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, पानरवा से ओगना सड़क जो 22.500 से 36.500 तक टूटी हुई है, इसको हमने प्रधान मंत्री सड़क योजना पार्ट-2 के फेज-2 में ले लिया है। इसकी लगभग 14 किलोमीटर लम्बाई है और 7.58 करोड़ रुपये इस पर खर्च होंगे तो इसकी शीघ्र ही स्वीकृति जारी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, श्री अमृतलाल।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): मुझे प्रश्न नहीं करना है।

श्री अध्यक्ष: नहीं करना? आपने बटन तो दबाया है। तीसरा, हां, श्री सुरेश धाकड़। यह है झाड़ोल से संबंधित।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): हां, माननीय अध्यक्ष महोदय, झाड़ोल से ही है।

श्री अध्यक्ष: हां।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि जैसे झाड़ोल में अतिवृष्टि हुई और वहां पर जितनी भी पुलियाएं टूट गयीं, उनको ठीक करने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया, उसमें बताया कि उदयपुर संभाग में भी जितनी भी पुलियाएं टूट गयीं तो मेरे बेगूं क्षेत्र में 11 फीट पानी शहर में भर गया और एक चेची पुलिया है जो बेगूं नगर में है।

श्री अध्यक्ष: बेगूं का जवाब कैसे आएगा? माननीय सदस्य, जवाब कैसे आएगा?

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): नहीं, मैं जवाब के लिए नहीं कह रहा। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उसमें मंत्री महोदय, आप केवल...

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं नहीं। बिलकुल नहीं। यह संबंधित नहीं है। आप विराजिये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): ...उस पुलिया को भी ठीक करा देंगे तो... अध्यक्ष महोदय, 11 फीट पानी बेगूं शहर में भर गया है, थोड़ा-सा जवाब दिला देंगे तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष: नो नो नो। बिलकुल नहीं।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): दे रहे हैं, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। थोड़ी-सी मेहरबानी कर दें साहब।

श्री अध्यक्ष: नो नो नो, बेगूं का जवाब नहीं आएगा। बैठिये आप। झाड़ोल से संबंधित है। अगला प्रश्न। श्री रामपाल।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): झाड़ोल का दिला दीजिये। झाड़ोल की पुलिया ठीक करेंगे क्या? झाड़ोल के लिए तो बोल सकते हैं ना। झाड़ोल की सब पुलियाएं ठीक करा देंगे क्या? झाड़ोल के लिए जवाब दिला दें साहब।

श्री अध्यक्ष: बैठो, आप बैठो। नो नो। आप बैठिये। हो गयी बात। बैठिये बैठिये।

बारां जिले में संचालित गौशालाओं को अनुदान

276. श्री रामपाल (बारां-अटरू): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बारां जिले में वर्तमान में कितनी गौशालाएं कहां-कहां संचालित हैं? तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त गौशालाओं को अनुदान दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो अनुदान दिये जाने के क्या-क्या नियम/मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में उक्त गौशालाओं को कुल कितना अनुदान दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि समुचित देखरेख एवं चिकित्सा के अभाव में उक्त गौशालाओं में गायें मर रही हैं? यदि हां, तो इस हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गोपालन मंत्री (श्री अजय सिंह): (1) वर्तमान में बारां जिले में कुल 16 पंजीकृत गौशालाओं में से 14 गौशालाएं ही संचालित हैं। तहसीलवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। अनुदान दिये जाने हेतु निर्धारित नियम/मानदण्ड का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में बारां जिले की गौशालाओं को

(गोपालन मंत्री)

कुल 2.08 करोड रुपये का अनुदान दिया गया है। इसका विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। निकटतम पशु चिकित्सा संस्था व चल पशु चिकित्सा इकाई द्वारा चिकित्सा सुविधा पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गौवंश के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही पशुधन आरोग्य नि:शुल्क योजनान्तर्गत नियमित दवा वितरण की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री रामपाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, मेरे बारां जिले के अन्तर्गत संचालित गौशाला श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान, शाखा जालेड़ा को 2013-14 में 37,63,616 रुपये का अनुदान दिया, 2015-16 में 1,59,705 रुपये का अनुदान दिया और 2016-17 में 13,13,280 रुपये का अनुदान दिया है और इस सत्र में भी आप अनुदान देने वाले हैं परन्तु इस राशि की कब-कब आडिट की गयी और इस आडिट में यदि उसका सही उपयोग नहीं हुआ तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही आपने की? क्या आप इसकी जांच करवाने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बारां जिले में कुल 16 गौशाला हैं, जिनमें से दो गौशालाएं क्रियाशील नहीं हैं और शेष में से तीन गौशालाएं ऐसी हैं जिनमें पशुओं की संख्या कम होने से उनको अनुदान नहीं दिया जा रहा है। अभी 11 गौशालाओं को अनुदान दे रहे हैं। माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि गौशाला समिति अपने आप कोई सी.ए. से आडिट कराती है। अगर माननीय सदस्य के पास में इस तरह की कोई शिकायत है या कोई जानकारी है कि फलां-फलां गौशालाओं के अन्दर राशि का दुरुपयोग हो रहा है तो मुझे अवगत करा दें। इसकी नियमित सीमा के अन्दर अलग से जांच कराकर आपको सूचित कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री रामपाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अटरू उपखण्ड मुख्यालय पर नंदी गौशाला 2013-14 से रजिस्टर्ड है

(श्री रामपाल)

और उसमें गायों के लिए टीनशेड की अभी आवश्यकता है। तो, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूं, उस गौशाला के लिए, टीनशेड के लिए राशि, अनुदान देने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में गौवंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए अलग से नीति-नियम बने हुए हैं और उसमें एक शर्त यह है कि उन गौशालाओं का दो वर्ष पुराना पंजीयन होना चाहिए।

अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में यह घोषणा भी की है कि पंजीकृत गौशालाओं में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु गौ-संरक्षण एवं गौ-संवर्द्धन निधि से आगामी वर्ष में 50 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। इनसे गौ-आवास शेड, पानी का टांका, चारा भण्डार गृह आदि का निर्माण किया जा सकेगा।

मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि यदि उनकी गौशाला पंजीकृत है और संवर्द्धन नियमों के तहत आती है, तो निश्चित रूप से आपको चारा शेड के लिए राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर 1, श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सी.एम. साहिबा को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अनुदान तीन महीने की जगह छह महीने किया है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से क्या सरकार, सरकारी अनुदान के अलावा स्थानीय निकायों, पंचायतों से भी अनुदान देने की इच्छा रखती है? क्या सरकार निजी स्तर पर जो भी गौशालाएं हैं, उनकी भी जमीन अलाटमेंट करने की ऐसी कोई प्रक्रिया अपना रही है? क्योंकि निजी जो भी गौशालाएं हैं, उनकी चरागाह में है, उनको जमीन अलाटमेंन्ट में काफी दिक्कत आ रही है। उसके लिए भी सरकार कुछ सोचकर आगे क्या करना चाह रही है? उसके बारे में मंत्री महोदय बतायें।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो भी पंजीकृत गौशालाएं हैं और अभी लगभग जो पूरा फीगर है, 1553 गौशालाओं को सरकार की ओर से उनके चारा-पानी और पशु आहार के लिए सहायता दी जाती है। मैं आपको बताना

(श्री अजय सिंह)

चाहूंगा कि जो भी जिले अभावग्रस्त घोषित किये जाते हैं, वर्तमान में 2017-18 के लिए 13 जिले हैं, उनमें किसी तरह का राइडर नहीं है। उसके अन्दर राजस्थान के करीब 13 जिले आ रहे हैं और उसमें सभी तरह की गौशालाओं को अनुदान देने का प्रावधान है।

आपने अभी पूछा आबंटन के बारे में, मुझे जो जानकारी है माननीय अध्यक्ष महोदय, चरागाह भूमि को आबंटित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अलग से राजस्व में आबंटन के नियम बने हुये हैं। ये चाहें तो उसके अन्दर जाकर के अपना आवेदन तहसीलदार को, उपखण्ड अधिकारी को या जिला कलक्टर महोदय के यहां पर कर सकते हैं, उस पर जो भी उचित निर्णय होगा....

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): उसमें मंत्री महोदय, हो नहीं रहा है, शिथिलता देनी पड़ेगी, काफी दिक्कतें आ रही हैं। शिथिलता के लिए थोड़ा बता दें।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल नहीं ...(व्यवधान) श्री विवेक धाकड़, दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): परम सम्माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं जानकारी चाहूंगा कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा रजिस्ट्री पर गौ-संवर्द्धन एवं संरक्षण के नाम से राज्य सरकार से राशि वसूली जा रही है, वह राशि कितनी इकट्ठी हो गयी है और उसके लिए क्या किया जा रहा है? वह राशि गोपालन और गौ-संरक्षण के नाम से ली जा रही है, कितनी राशि किस-किस मद में कब-कब खर्च की गयी है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न था, पर्टिकुलर बारां जिले के लिए था..

श्री अध्यक्ष: बारां का है। हां, सही है। जानकारी हो तो दे दीजिए, नहीं है तो....

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 10 प्रतिशत इसके लिए सैस लगाया गया है और पहली बार फण्ड की व्यवस्था गयी है। आपके समय में किसी तरह के फण्ड की व्यवस्था नहीं होने से गौशालाओं को पूरे पांचों वर्ष में आपकी ओर से केवल 84 करोड़ का अनुदान

(श्री अजय सिंह)

दिया जा सका, जबकि अभी वर्तमान सरकार के पूरे कार्यकाल को देखें तो 7 सौ करोड़ से ज्यादा का अनुदान पहली बार राजस्थान में गौशालाओं को मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्री राजेन्द्र गुर्जर। नहीं, बैठिए आप... नहीं। नो, यह तीसरा पूरक प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बता रहे हैं चरागाह के अन्दर तो जमीन आबंटन नहीं होती, पर जहां सिवाय चक जमीनें पड़ी हुई हैं। कई बार आवेदन भी किया और उसके बावजूद भी आबंटित नहीं हो रही, लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, आम आदमी उस पर कब्जा कर रहा है, क्यों ना उनको गौशाला के नाम आबंटित कर दी जाए? यह मैं पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आबंटन की जो प्रक्रिया निर्धारित है, वह राजस्व विभाग के द्वारा अमल में लाई जाती है। गोपालन विभाग की ओर से तो अनुदान दिया जाता है और वर्तमान में मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोचर भूमि पर अगर कोई गौशाला संचालित है, 2 वर्ष पुरानी है और दौ सौ या दौ सौ से अधिक के गौवंश उसमें हैं, उसको भी हम अनुदान दे रहे हैं। अनुदान हम देते हैं। लेकिन, यह प्रक्रिया राजस्व विभाग से संबंधित है। आप एप्लाई कर दें और आपके सुझाव को ध्यान में रखते हुए मैं भी राजस्व मंत्रीजी से अलग से बैठकर चर्चा करूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल श्री भंवरसिंह।

बीकानेर जिले के गांवों को इन्दिरा गांधी नहर से पेयजल की आपूर्ति

277 **श्री भंवरसिंह** (कोलायत): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 में सरकार द्वारा बीकानेर जिले की सम्पूर्ण नोखा व बीकानेर तहसील के गांवों तक इंदिरा गांधी नहर का पानी पेयजल हेतु उपलब्ध करवाने के लिये 450 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी थी? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना के तहत उक्त गांवों तक नहरी

(श्री भंवरसिंह)

पानी पहुंचाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बीकानेर तहसील के 43 गांव व ढाणियों तक पेयजल हेतु नहरी पानी पहुंचाने हेतु वर्ष 2012-13 में स्वीकृत योजना में प्रथम चरण के 14 गांव व ढाणियों तक पानी पहुंचा दिया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बीकानेर तहसील के उक्त योजना के तहत द्वितीय चरण में प्रस्तावित 29 गांव-ढाणियों तक उक्त परियोजना का पानी पेयजल हेतु उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल): (1) जी हां। बीकानेर जिले की तहसील बीकानेर एवं नोखा के 2 शहर क्रमश: नोखा एवं देशनोक तथा 146 ग्रामों को इंदिरा गांधी नहर-नागौर लिफ्ट परियोजना से लाभान्वित करने हेतु बनायी गयी योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 190वीं बैठक दिनांक 30.05.2013 द्वारा राशि रुपये 399.07 करोड़ की जारी हुई थी।

उक्त स्वीकृत योजना के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राप्त निविदाओं में दरें अधिक आने के कारण विभागीय वित्त समिति की 655वीं बैठक दिनांक 11.09.2013 द्वारा निविदा पत्रित करने का निर्णय लिया गया। गत सरकार के कार्यकाल के अंतिम छह महीनों में लिए निर्णयों की समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा उक्त परियोजना सहित 26 परियोजनाओं की स्वीकृति को निरस्त करने का निर्णय दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 को लिया गया। इस निर्णय की अनुपालना में विभागीय नीति निर्धारण समिति की 194वीं बैठक दिनांक 09.12.2014 द्वारा अन्य योजनाओं सहित उक्त योजना की स्वीकृति को निरस्त किया गया।

नागौर लिफ्ट वृहद् पेयजल परियोजना की स्वीकृति में बीकानेर जिले के उक्त कस्बों एवं ग्रामों हेतु वर्ष 2045 की जल मांग के अनुसार नहरी जल देशनोक हैडवर्क्स पर उपलब्ध कराया जाना प्रावधित है।

बीकानेर जिले के उक्त कस्बों एवं ग्रामों में क्लस्टर वितरण प्रणाली द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने की योजना पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार स्वीकृति एवं क्रियान्वयन बाबत अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) जी हां। बीकानेर तहसील के 43 ग्रामों को नहरी जल स्रोत से लाभान्वित करने हेतु इन ग्रामों की वर्ष 2045 तक की अभिकल्पित आबादी की पेयजल मांग सम्मिलित करते हुए प्रथम चरण में आधारभूत संरचनाओं के कार्य एवं 14 ग्रामों में क्लस्टर वितरण प्रणाली से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बनाई गयी योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय एस.एल.एस.एस.सी. की 10वीं बैठक दिनांक 17.04.2013 द्वारा राशि रुपये 2342.00 लाख की जारी हुई थी।

प्रथम चरण की उक्त योजना से बीकानेर तहसील के 14 ग्रामों को माह सितम्बर, 2015 में पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है।

(3) जी हां। बीकानेर तहसील के उक्तानुसार शेष रहे 29 ग्रामों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित करने के लिये सर्वेक्षण एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने हेतु राज्य स्तरीय स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी (एस.एल.एस.एस.सी.) की 17वीं बैठक दिनांक 17.05.2017 द्वारा राशि रुपये 9.96 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी।

उक्त कार्य कराये जाने हेतु सलाहकार फर्म मैसर्स पीडीकोर, जयपुर द्वारा दिनांक 19.02.2018 को विभाग में प्रस्तुत वित्तीय प्रस्तावों का परीक्षण कार्य वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। परीक्षण उपरांत सर्वेक्षण कार्य व डी.पी.आर. तैयार करने हेतु कार्यादेश जारी करने संबंधी कार्यवाही संपादित की जाएगी।

डी.पी.आर. प्राप्त होने पर तकनीकी परीक्षण उपरान्त परियोजना की तकनीकी क्लीयरेंस एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर-1, श्री भंवरसिंह जी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जैसा जवाब में स्वीकार भी किया है कि नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना में बीकानेर जिले की नोखा तहसील को सम्पूर्ण और बीकानेर तहसील के कुछ गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 2013 में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी और उसके साथ-साथ जो देशनोक हैडवर्क्स है, वहां पर नोखा और बीकानेर तहसील के गांवों के लिए पानी भी आरक्षित किया गया है, टैण्डर भी कर दिये गये और नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना का काम पूर्ण होने जा रहा है, जिसमें ये गांव भी शामिल थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री भंवरसिंह)

बीकानेर जिले का पानी कोलायत क्षेत्र से नागौर लिफ्ट के लिए जा रहा है। कोलायत क्षेत्र और नोखा क्षेत्र को पार करते हुए नागौर जा रहा है, लेकिन हमारे नोखा और बीकानेर जिले के लोगों को पेयजल के लिए पानी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, पानी का प्रावधान होने के बावजूद नहीं करवाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय, यह हमारे साथ घोर अन्याय है...

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए, सवाल कीजिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न यही करना चाहूंगा कि क्रम संख्या 2 और 3 पर मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसमें एक साल पहले भी मैंने यही प्रश्न उठाया था मार्च, 2017 में, तो मंत्री महोदय ने सदन में डीपीआर बनाने की घोषणा की थी और 17.05.2017 द्वारा 9 लाख 96 हजार रुपये की डीपीआर बनाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गयी थी। एक साल पूरा हो गया माननीय अध्यक्ष महोदय, और अभी तक डीपीआर नहीं बनी है। मैं मंत्री महोदय से यही पूछना चाहूंगा कि बिन्दु संख्या-2 और 3 पर जिन 29 गांवों के बारे में मैंने मांग की है, क्या आप डीपीआर बनाने की अवधि या कोई समय सीमा निर्धारित करना चाहते हैं और यदि करना चाहते हैं तो कब तक? इसकी अवधि घोषित करें और इन गांवों को कब तक पानी की स्वीकृति प्रदान की जाएगी?

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा बीकानेर और बीकानेर जिले के देशनोक हैडवर्क्स से पानी देने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की थी। मैं माननीय सदस्य को अवगत करा दूं कि आपकी सरकार के टाइम में...

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच साल हो गये पिछली सरकार की गणना करते रहेंगे। (व्यवधान) यह सरकार भी जाने वाली है।

श्री अध्यक्ष: जवाब सुनिये आप। ऐसी क्या बात है। दूसरा पूरक प्रश्न और कर लेना।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मेरी बात सुनिये आप। 298 करोड़ की यह निविदा न्यूनतम प्राप्त दर 391.3 करोड़ अंतर था

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

92.86 लाख का जो 31.14 परसेंट अधिक थी और नेगोसिएशन दरें भी 362 करोड़ आयीं, जो 21.40 परसेंट अधिक थी। काउंटर आफर भी दिया तो जो काउंटर आफर था उससे भी 9 परसेंट अधिक थी 2.55, इस कारण आपकी सरकार में सितम्बर महीने में ये निविदा निरस्त की थी और बाद में आचार संहिता लग गयी। हमने तो इसके ऊपर कार्य नहीं हो रहा था, वर्क आर्डर नहीं दिया था। निविदा निरस्त हो गयी थी और निविदा निरस्त होने के बाद में जो एल-2 और एल-3 थे उन निविदाओं को भी आमंत्रित किया था परन्तु वो भी स्वीकार नहीं किया गया। इस कारण स्वीकृतियां निरस्त हुई थीं और मैं आपको निवेदन करूं कि अभी जो 14 गांव और 29 गांवों का आपने जिक्र किया है, 14 गांव का तो पानी 2015 में ही दे दिया गया है। 29 गांवों के लिए डीपीआर बनाने का निर्देश दे दिया है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि विदिन 6 मंथ्स डीपीआर आ जाएगी, उसके बाद में तकनीकी परीक्षण करवा करके वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार इसकी स्वीकृतियां जारी की जाएंगी?

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे आप?

श्री भंवरसिंह (कोलायत): जी।

श्री अध्यक्ष: कीजिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साल में डीपीआर नहीं बनी, 6 महीने और मांग लिये मंत्रीजी ने। फिर चुनाव आ जाएंगे, फिर आचार संहिता लग जाएगी।

श्री अध्यक्ष: मांग लिये तो मांग लिये। अब देना पड़ेगा आपको।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यही कहना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष: जल्दी कहें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): कि हमारी सरकार ने नोखा बीकानेर के अलावा बहुत सारी योजनाएं स्वीकृत की थीं, उनको भी समीक्षा समिति में लिया था, फिर उनको आपने स्वीकृति प्रदान कर दी। चार साल से अधिक का समय वर्तमान सरकार का हो गया, हमारी सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मंत्री महोदय से मैं यह कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप सीधा सवाल पूछिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): मेरा निवेदन यही रहेगा कि एक तो डीपीआर एक महीने में बनायें और इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाएं ऐसी हैं कि पूर्णरूप से आज की स्थिति में उन गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा है। एक तो क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बांगड़सर-बीटनोक-राणासर, जिसमें बांगड़सर, बीटनोक, माधोगढ़, गोविन्दसर, गरणपुरा, बाबूसर, लाखासर, लूम्बासर करीब 15 गांव आते हैं और दूसरी क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना नगरासर सेवड़ा इसमें नगरासर, देवड़ासर, सोलंकियों की ढाणी, जेतूंगों की ढाणी, बेरा देदावतान, सेवड़ा सहित करीब 27 गांव और ढाणियां आते हैं। ये दोनों ही नहरी पानी से जुड़ी हुई योजनाएं हैं लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत पुरानी होने की वजह से और पाइप लाइनें लंबी और प्लास्टिक की होने की वजह से इन 27 गांवों और 10 गांव और ढाणियों को पानी नहीं पहुंच रहा है। हमारे द्वारा बार-बार मंत्री महोदय को और विभागीय अधिकारियों को अवगत भी कराया गया है। विभाग के द्वारा इन दोनों स्कीमों की योजनाएं भी बनायी गयी हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बांगड़सर बीटनोक और क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना नगरासर सेवड़ा के लिए अतिरिक्त राशि स्वीकृत कर इन योजनाओं के तहत आने वाले गांवों तक पेयजल की नियमित और लगातार आपूर्ति हेतु बनायी गयी योजना को आप स्वीकृति देने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बांगड़सर और बीटनोक के बारे में बताया, यह बिलकुल सही बात है नौ गांव और सात ढाणियां इस स्कीम से लाभान्वित हैं। इस योजना की स्वीकृति 2005-06 में की गयी थी और समय पर काम भी पूरा हो गया था। इन लाभान्वित गांव और ढाणियों में दूरी अधिक होने के कारण बार-बार पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है और इस योजना से जुड़े गांव और ढाणियों में पेयजल आपूर्ति बाधित होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हालांकि जो भी टूट-फूट होती है उसको तुरन्त ठीक कर दिया जाता है, परन्तु दस साल में जो पूरी नयी पाइप लाइन डाली हुई थी वह बार-बार क्षतिग्रस्त हो जाती है। मैं यहां के चीफ इंजीनियर रैंक के अधिकारी को भेजकर इसकी जांच कराऊंगा। मैटेरियल हल्का लगा है, कोई

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

नेग्लीजेंसी बरती है या तकनीकी रूप से उसको सही नहीं किया गया है, किस कारण से बार-बार फूटती है, उसकी मैं जांच कराऊंगा और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा, एक तो यह बात।

दूसरा, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार इस स्कीम का टैक्नीकल परीक्षण करवा करके कार्यादेश किस प्रकार से दिया जा सकता है, रिपोर्ट आने के बाद इसके ऊपर कार्यवाही करूंगा।

आपने नगरासर सेवड़ा के जीर्णोद्धार की बात कही तो इसका भी उत्तर यही है कि इसके अन्दर भी 6 गांव और 21 ढाणियां हैं, बिलकुल सही है इसमें भी बार-बार टूट जाती है पाइप लाइन और ये 2004-05 में स्वीकृत हुई थी। 10-11 साल में आज करोड़ों रुपये लगे हैं और बार-बार टूट जाती है, बार-बार उसमें लीकेज आ जाता है तो किस कारण से आता है, हालांकि जो लीकेज आता है उसको ठीक कर दिया जाता है, परन्तु किस कारण से हो रहा है इसकी भी उसी अधिकारी से जिसको बांगड़सर भेजेंगे वही इस गांव की भी इंक्वायरी करके आएगा। इसमें भी अगर कोई फैल्योरनेस है, किसी अधिकारी की लापरवाही है, क्वालिटी के साथ समझौता हुआ है और कोई गड़बड़ पाइप लाइन डाली हुई है, इसकी भी जांच कराऊंगा और रिपोर्ट आने पर अगर गलत काम हुआ है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। इसके ऊपर तकनीकी परीक्षण करवा करके समय पर वित्तीय संसाधन उपलब्धतानुसार इसके ऊपर अग्रिम कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, प्रतिपक्ष के नेता। आपने दबाया है न?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है।

श्री अध्यक्ष: हां, इसलिए मैंने आपको पुकारा है और आपका नाम भी है इधर।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी कई बार रख चुका हूं। चार सौ करोड़ की स्कीम मंत्री महोदय खुद बता रहे हैं उसमें टैण्डर हो गये।

श्री अध्यक्ष: सवाल करो सवाल।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपके माध्यम से ही तो कर रहा हूं। उधर देखूं या इधर देखूं?

श्री अध्यक्ष: दोनों तरफ देख सकते हो आप।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आप उधर देखोगे तो भी मैं देख लूंगा। आपकी बात सुन लूंगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): चार सौ करोड़ की स्कीम के टैण्डर हो गये। टैण्डर रेट ज्यादा आने की वजह से निरस्त हो गये। वापस चार सौ करोड़ के टैण्डर, उसमें टाइम भी लगता है, आपकी सरकार आ गयी। आपने पहले ही उस पर बोटा लगा दिया। उसको कैंसिल कर दिया रिव्यु के नाम से, तो मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि कैंसिल करने के क्या कारण हैं? मेरा विधान सभा क्षेत्र है, इनके बीजेपी का जो उम्मीदवार था उसके सिर्फ 3900 वोट आये थे।

श्री अध्यक्ष: कारण पूछो न।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा विधान सभा क्षेत्र है इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है? आपने द्वेषतापूर्ण तरीके से इसको कैंसिल किया है या मेरा विधान सभा क्षेत्र है इस वजह से कैंसिल किया है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई राजनीतिक भेदभाव से निरस्त नहीं किया गया है। मैं आपको बता दूं कि विभाग की कुल 46 योजनाओं की समीक्षा की गयी थी, जिनकी अनुमानित लागत 4036.59 करोड़ थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो योजना निरस्त की गयी, कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं किया गया था। निरस्त की गयी इन 46 में से 26 योजनाएं जिनकी लागत 1949.21 करोड़ थी, में 11 योजनाएं अनुमानित लागत 1522 करोड़ रुपये भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के क्षेत्रों की निरस्त की गयी हैं, 1949 में 1522 करोड़ की। मैं आपको बता दूं कि ये चार योजनाएं जो स्वीकृत हैं उसमें तीन तो बीजेपी की हैं और एक कांग्रेस की है। जिसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ था उनको निरस्त किया गया था और मैं आपको माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूं कि इन्होंने जाते-जाते 11,664 करोड़ की योजनाएं आनन-फानन में बिना कोई वित्तीय प्रावधान किये स्वीकृत कर दीं। उसका परिणाम यह रहा कि जो काम शुरू हो गये थे उनमें तो मननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करता हूं कि काम शुरू करवा दिया और आप जैसा कह रहे हैं कि राजनीतिक भेदभाव से,

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

मैं जीत गया इसलिए निरस्त कर दी, यह कोई कारण नहीं है। निरस्त तो आपकी सरकार ने की थी और वापस उसके ऊपर पुनर्विचार नहीं किया। क्योंकि इसमें कार्य शुरू नहीं हुआ था इसलिए इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक भेदभाव नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर-2, श्री हबीबुर्रहमान।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट माननीय अध्यक्ष महोदय, डीपीआर की बात कर रहे हैं मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता हैं, करने दो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): डीपीआर की बात कर रहे हैं? अपने टाइम में उसको पूरा करवा दोगे आप? चार साल निकल गये अब आप कह रहे हो कि 6 महीने के बाद में हम डीपीआर बनाएंगे। आप सीधा ही यह कह दो कि हमें इस योजना में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम करेंगे नहीं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): दो साल निकाल दिये आपने, चार साल निकाल दिये ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय विपक्ष के नेता महोदय, विराजिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बीकानेर के उन 29 गांवों की डीपीआर की बात कर रहा हूं। अभी जो 399 करोड़ का बता रहे हैं, आज की तारीख में इस पैकेज पर 520 करोड़ का खर्चा आता है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी, आप निश्चिंत रहें।

श्री अध्यक्ष: हबीबुर्रहमान, पूरक प्रश्न नंबर दो।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): अध्यक्ष महोदय, यह नागौर लिफ्ट योजना का मामला है। कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि नागौर ने हमारा पानी ले लिया, नागौर का पानी तो पहले फिक्स करके हमने यह योजना बनायी थी। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि मेरे मूंडवा, खींवसर का आपने कहा था कि दिसम्बर में पानी चालू हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: वह इसमें नहीं है, इस सवाल से संबंधित नहीं है।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): यह तो बता दो कि हमारा कितना पानी रिजर्व है।

श्री अध्यक्ष: आप बात कर लेना, इस सवाल से संबंधित नहीं है। मानिक जी, आपका पूरक प्रश्न इस सवाल से संबंधित है?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): बिलकुल।

श्री अध्यक्ष: हां पूछिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): कांग्रेस राज में चाहे सम्पूर्ण नोखा और बीकानेर तहसील के गांवों की योजना निरस्त कर दी गयी, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जब पानी नागौर जा रहा है और बीच में बीकानेर तहसील के प्रमुख गांव और सम्पूर्ण नोखा तहसील है तो क्या राज्य सरकार इस योजना की आवश्यकता को दुबारा एग्जामिन कराकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने का काम आने वाले दो-तीन महीने में करेगी?

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, वित्तीय संसाधनों की उपलब्ध अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री भजन लाल जाटव।

वैर के गांवों को पाइप लाइन से जोड़ने की योजना

278. श्री भजन लाल (वैर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र वैर व ग्राम पंचायत-बल्लभगढ़ व निठार को पाइप लाइन स्कीम से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों का जल स्तर करीब 900 फीट तक नीचे चले जाने के कारण आमजन को पेयजल की बहुत परेशानी हो रही है तथा टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रामों को पाइप लाइन से जोड़ने हेतु विभाग द्वारा करीब तीन वर्ष पूर्व प्रस्ताव भी सरकार को भिजवा दिये गये हैं? यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)(जल संसाधन मंत्री के स्थान पर) : (1) विधान सभा क्षेत्र वैर के पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित ग्राम बल्लभगढ़ एवं निठार में वर्तमान में क्रमश: 20 एवं 17 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त ग्राम बल्लभगढ़ एवं निठार में क्रमश: क्रमश: 3 एवं 5 सिंगल फेज नलकूपों से भी पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

(2) जी नहीं। पंचायत समिति, वैर के ग्राम बल्लभगढ़ एवं निठार में स्थित भू-जल विभाग के निर्धारित पीजोमीटर/डग वैल का वर्ष 2017 के मानसून पूर्व एवं मानसून पश्चात् का भू-जल स्तर निम्नानुसार है:-

ग्राम बल्लभगढ़

मानसून पूर्व 2017 जल स्तर - 114.00 मीटर एवं मानसून पश्चात् 2017 जल स्तर - 115.50 मीटर

ग्राम निठार

मानसून पूर्व 2017 जल स्तर - 32.10 मीटर एवं मानसून पश्चात् 2017 जल स्तर - 31.90 मीटर

ग्राम बल्लभगढ़ एवं निठार में वर्तमान में क्रमश: 20 एवं 17 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

उक्त दोनों ग्रामों में ग्रीष्म ऋतु में टैंकरों द्वारा पेयजल परिवहन का कार्य विगत वर्षों में नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं। ग्राम बल्लभगढ़ एवं निठार पूर्व से ही विभागीय पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित हैं। इन ग्रामों की योजनाओं के संवर्धन हेतु सक्षम स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों के तकनीकी परीक्षण उपरान्त इनके संशोधित प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।

इन संशोधित प्रस्तावों के सक्षम स्तर पर पुन: प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार इनकी स्वीकृति जारी करने पर विचार सम्भव हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री भजन लाल (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि बिन्दु संख्या एक में आपने जो जवाब दिया है, उसमें लिखा है कि वर्तमान में क्रमश: 20 एवं 17 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दर से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि

(श्री भजन लाल)

आपके अधिकारियों ने यह वर्तमान के हिसाब से बनाया है, जनसंख्या 2011 के आधार पर यह बनाया है? आज चल रहा है 2018, सात साल पहले का ब्यौरा हम लोग यहां दे रहे हैं। उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी बड़ी हो गयी, उसके आधार पर आपको यहां पर गलत जवाब दिया गया है। बिन्दु संख्या दो में जो भू जल विभाग का ब्यौरा आपके अधिकारियों ने दिया है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो आपने पीजोमीटर लिखा है, आप जल स्तर नापते कैसे हैं, जल स्तर नापने का तरीका क्या है? बल्लभगढ़ में लिख दिया कि 114 मीटर का भू जल स्तर है। आपके जो चीफ इंजीनियर हैं, वह वहां पर अधिकारी रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए, सवाल कीजिए।

श्री भजन लाल (वैर): 32 मीटर इसमें दिया हुआ है तो यह हैंड पम्प विलेज क्यों नहीं है? मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा आप लोगों ने पिछले वर्ष वहां ट्यूबवैल सैंक्शन किये। निठार, बल्लभगढ़ और सरहनपुरकला, वहां 700 फीट पर भी पानी नहीं निकला, तो 32 मीटर जल स्तर कहां चला गया? 700 फीट के ट्यूबवैल आपके तीनों जगह फेल हो गये तो आपका यह जल स्तर कहां चला गया?

नंबर तीन में आपने जवाब दिया है कि बल्लभगढ़ और निठार पाइप लाइन योजना लाभान्वित है, वहां उच्च जलाशय है ही नहीं। पाइप लाइन स्कीम है, उच्च जलाशय नहीं है। जब उच्च जलाशय नहीं होगा तो पानी की सप्लाई कैसे होगी? आप लोग कह रहे हैं कि उसमें हमने तकनीकी प्रस्ताव भिजवा दिये हैं। साढ़े तीन साल से तो मैं देख रहा हूं पूर्व में जो आपकी पीएचईडी मंत्री थीं, उन्होंने भी यही जवाब दिया, आप भी यही जवाब दे रहे हैं। कहीं यह भोलाराम जीव की फाइल तो नहीं बन गयी?

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, सवाल कीजिए, भाषण नहीं, सवाल कीजिए।

श्री भजन लाल (वैर): जी, अध्यक्ष जी, आप जवाब दें।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि जो नापने का तरीका आपने पूछा है, वह पीजोमीटर कुओं में डालकर नापते हैं कि पहले जल स्तर कितना था और आज की तारीख में जल स्तर कितना है।

श्री भजन लाल (वैर): अध्यक्ष महोदय, वहां कुओं में तो पानी ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: जवाब सुन लीजिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): पीजोमीटर डालकर नापने का तरीका पहले का और बाद का, मैंने आपसे निवेदन कर दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आक्या जी। इस तरह बात नहीं करते हैं, मिस्टर आक्या।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इतना नोन सीरियसली ले रहे हैं, जवाब नहीं आने दे रहे हैं यह। अध्यक्ष महोदय, यह कोई अच्छी बात नहीं है। माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, पीछे से बैठकर मंत्रीजी कमेंट्स कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं, मैंने टोक दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जोर से टोकिये इनको।

श्री अध्यक्ष: आपने भी टोक दिया, अच्छा किया। मैंने भी टोक दिया। आपकी भावना को समझते हुए पहले ही टोक दिया।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि जो भू जल विभाग का नापने का तरीका है, उसके आधार पर जो रिपोर्ट आयी उस रिपोर्ट के आधार पर आपको सदन में जवाब दिया है। इसका मतलब आपको गलत जवाब मैं नहीं दे सकता। निठार और बल्लभगढ़ के पेयजल की जो बात आपने बतायी कि वहां 20 एवं 17 लीटर 2011 का है और आज 2018 है। आज की तारीख में जो पानी दिया जा रहा है, वह 20 लीटर और 17 लीटर है। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि निठार के बारे में वाकई प्रोब्लम है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि आप निश्चिंत रहें, इसकी तकनीकी रिपोर्ट आयी थी, उसमें कोई क्वेरी रह गयी, उस क्वेरी को मंगाकर निठार की योजना को मैं जल्दी से जल्दी स्वीकृत करने की कार्यवाही करुंगा।

श्री भजन लाल (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का आभारी हूं कि कम से कम एक स्कीम के बारे में तो आपने सोचा। मैं आपको सच कह रहा हूं कि वहां पर 700 फीट पर भी पानी नहीं था और बल्लभगढ़ में भी 700-800 फीट पर पानी नहीं है, उन अधिकारियों को आप जरूर दंडित करें जिन्होंने आपको 32 मीटर बता दिया, 100 फीट बता दिया, क्योंकि पूरे प्रदेश में आज पानी की समस्या है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री भजन लाल (वैर): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा-सा प्रश्न है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैंड पम्प विलेज से परिवर्तित योजना में जो आपकी टैंक योजना होती है, उसमें 20 गांवों में योजना के प्रस्ताव बनाकर भिजवा दिये हैं। मूंडिया साद, सुआस, नरहपुर, आमोली, खेडली गुर्जर, म्यामदपुर, गोठरा, कमालपुरा, खोरा, मजाजपुर, हफीजर, पाली, मोलोनी, नेवाडी, घरसोनी, हिसामडा, नावर, भोडागांव, गढीसाव और भेसीना, यह 20 गांव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आपकी हैंड पम्प विलेज से परिवर्तित जो टैंक योजना होती है, इसको आप करेंगे तो निश्चित तौर पर वहां की जनता आपके गुण गायेगी। अब 6 महीने रह गये हैं, ऐसी समस्या हो गयी निठार के बगल के गांव में इतनी हालत हो गयी कि लोग बिलकुल आपके विरोध में हो गये। अभी पंचायत समिति का उप चुनाव हुआ, वहां आपको उम्मीदवार तक नहीं मिला। वहां कांग्रेस पार्टी का निर्विरोध हो गया। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता को, पहाड़ी क्षेत्र है, आप वहां पर शीघ्र ही पानी पिलाने का काम करें, धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि जो हमारी हैंड पम्प की 20 योजनाएं हैं, जो पी एंड टी की स्वीकृत करके भेजी हुई हैं, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि अगर 1500 से ज्यादा की पापुलेशन के गांव हैं, तो उनका तकनीकी परीक्षण करवा लूंगा और बाद में जो भी फिजिबल होगा और पीपीसी में रखवाकर उसकी अग्रिम कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री भवानी सिंह।

प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान हेतु नियमित बजट का आबंटन

279. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कितने लोगों को वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन दी जा रही है? भिन्न-भिन्न पेंशनवार लाभार्थियों की जिलेवार संख्या व पेंशन राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा समय-समय पर जिला कोष

(श्री भवानी सिंह राजावत)

कार्यालय को उपरोक्त पेंशन हेतु बजट आबंटित किया जाता है? यदि हां, तो कितने माह में बजट आबंटित किया जाता है तथा गत 4 वर्षों में जिलेवार सरकार द्वारा आबंटित बजट की तिथि व राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अक्टूबर, 2017 से सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बजट आबंटित नहीं करने से प्रदेश के वृद्ध, विधवा और विकलांग गत 3 माह से पेंशन से वंचित हैं? यदि हां, तो बजट आबंटित नहीं करने के क्या कारण रहे? क्या सरकार बजट के नियमित आबंटन हेतु व्यवस्था में सुधार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अरुण चतुर्वेदी) : (1) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश में 48,92,226 वृद्धों, 4,14,721 विशेष योग्यजनों एवं 10,29,842 विधवाओं को पेंशन दी जा रही है।

इन योजनाओं में पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत पेंशन की विभिन्न श्रेणियों में सभी पात्र पेंशनरों को निम्नानुसार पेंशन देय है:

1. वृद्धावस्था पेंशन की दरें:-

   75 वर्ष से कम आयु के पेंशनरों को प्रति माह रुपये 500/-

   75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनरों को प्रति माह रुपये 750/-

2. विधवा पेंशन की दरें:-

   60 वर्ष से कम आयु की विधवा पेंशनर को रुपये 500/- प्रति माह

   60 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु की विधवा पेंशनर को

   रुपये 1000/- प्रतिमाह

   75 वर्ष व अधिक आयु की विधवा पेंशनर को रुपये 1500/- प्रतिमाह।

3. विशेष योग्यजन पेंशन की दरें:-

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

किसी भी आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर को रुपये 750/- प्रतिमाह।

(2) जी हां। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा जिला कोषाधिकारियों को पेंशनरों की संख्या एवं उनकी मांग के आधार पर जिला कलक्टर के माध्यम से बजट आबंटित किया जाता है। वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में सरकार द्वारा आबंटित बजट का जिलेवार एवं मदवार राशि सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। सरकार द्वारा मुख्य मंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना एवं मुख्य मंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना में देय पेंशन दरों में दिनांक 01.07.2017 से वृद्धि की गयी है। पेंशन दरों में वृद्धि के कारण अतिरिक्त बजट प्रावधान एवं पुनर्विनियोजन स्वीकृत कराया गया है। जिला कोषाधिकारियों को पेंशनरों की संख्या एवं उनकी मांग के आधार पर बजट प्रावधान कराया जाकर जिला कलक्टर के माध्यम से नियमित बजट आबंटन किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड-1 में 'सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश में 48,92,226 वृद्धों, 4,14,721 विशेष योग्यजनों एवं 10,29,842 विधवाओं को पेंशन दी जा रही है' मैं यह जानना चाहूंगा कि यह कब का सर्वे है? आपने ये जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, आज प्रदेश की जनसंख्या 7 करोड़ के ऊपर हो गयी है। जो आंकड़े दिये गये हैं, इसके अनुपात में अभी भी बहुत सारे वृद्धों को पेंशन नहीं मिल रही है, विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही है और इस तरह की श्रेणी के बहुत सारे लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, वे वंचित हैं।

दूसरा मैं पूरक प्रश्न करना चाहूंगा कि फिजिकल वैरिफिकेशन, भौतिक सत्यापन के कारण वृद्ध लोगों की पेंशन बंद हो गयी है। एक नहीं, लाखों लोगों की बंद हो गयी है। वह गरीब आदमी आज सरकार को गालियां दे रहा है कि सरकार ने हमारी पेंशन बंद कर दी। हम मानवीय संवेदनाओं को तिलांजलि देकर उनकी पेंशन के ऊपर विचार नहीं कर रहे हैं। कैसे भी वृद्धों की, विधवाओं की, विकलांगों की पेंशन शुरू की जाए। मुझे लगता है कि जिस तरह से

(श्री भवानी सिंह राजावत)

माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, यह रटा-रटाया जवाब है, यथार्थ के धरातल पर राजस्थान की धरती पर वृद्धों को, विकलांगों को और विधवाओं को अभी भारी संख्या में पेंशन नहीं मिल रही है। मंत्री महोदय, बतायें कि क्या कारण हैं? दूसरा, मैंने कहा था कि यह जो आंकड़ा है, यह आंकड़ा बहुत कम है। क्या आप दुबारा सर्वे कराना चाहते हैं, तो दुबारा सर्वे कब कराएंगे? जो पात्र लोग हैं, उनको पेंशन कब देंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह आत्मा बोली है।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक के दो प्रश्न थे। अब तक हम कुल 63 लाख 36 हजार 789 से अधिक लोगों को अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से पेंशन दे रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में, तो पेंशन की एक प्रक्रिया है कि सबको, जो भी व्यक्ति इस कैटेगरी में आता है या नियमों की परिधि में आता है, वह वृद्ध है, दिव्यांग है या फिर विधवा की कैटेगरी में जो महिलाएं हैं, वे सब अपना आवेदन दें। पहले तो आफलाइन की प्रक्रिया थी, कोई भी अपना आवेदन देता था, आवेदन देने के बाद, उसकी जांच के बाद स्वीकृति की कार्यवाही होती थी इसमें विलम्ब होता था और पता भी नहीं चलता था कि यह कहां पर रुका हुआ है? इस कारण से हमने इस पूरी प्रक्रिया को आनलाइन किया और अब आनलाइन होने के बाद जहां त्वरित गति से सैंक्शन की कार्यवाही बढ़ी है, वहां किस स्टेज के ऊपर इसकी एप्लीकेशन पैंडिंग है, इसकी भी हमें पूरी की पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाती है।

आपने दूसरी बात भौतिक सत्यापन की कही। भौतिक सत्यापन के कारण से किसी की पेंशन नहीं रुकी है। 2013 में सरकार आने के बाद हम अलग-अलग समय पर जुलाई, 2017 तक रिलेक्सेशन देते रहे कि कोई भी व्यक्ति जिसका सत्यापन नहीं हो, उसको रोकने के लिये सैक्शन-12 में प्रावधान है कि जब व्यक्ति के जिंदा होने या भौतिक सत्यापन का प्रमाण-पत्र नहीं हो, उसकी पेंशन नहीं देने का है लेकिन हम लगातार रिलेक्शेसन करते रहे। क्योंकि मंशा एक ही थी कि हर पात्र व्यक्ति को उसकी पेंशन पूरी दी

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

जाए और यह सारा हमने भामाशाह के साथ जोड़ा। भामाशाह में बैंक अकाउंट जोड़ा, बैंक अकाउंट जोड़ने के बाद ई-मित्र पर आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड, इसमें पूरी सूचना। 2017 तक 99 परसेंट लोगों का वैरिफिकेशन हो चुका है। फीडिंग हो चुकी है। उनको पूरी पेंशन देने की कार्यवाही चल रही है। जैसा आपने कहा कि अगर बायोमेट्रिक पर अंगुली के निशान नहीं आ रहे हैं और किसी कारण से अगर पेंशन में दिक्कत आती है तो उसका भी कर दिया है कि वह प्रयास करेगा ई-मित्र या अटल सेवा केन्द्र का व्यक्ति करेगा। इसके बाद दो बार प्रयास किया और उसकी अंगुली का निशान आया तो उसके बाद सैंक्शनिंग अथोरिटी उसके फोटो के साथ जो कुछ चीजें लिखी हैं, यदि ये चीजें पूरी हो जाती हैं तो उसको अपलोड कर देगा और उसके बाद बायोमेट्रिक या अंगूठे के निशान नहीं आ रहे, इस कारण से पेंशन नहीं रुकेगी और उसको मिलती रहेगी।

तीसरी बात, यह आपका प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिये बता रहा हूं। इस पूरी व्यवस्था में कई बार यह दिक्कत भी आती है कि पहले पेंशन मनीआर्डर से जाती थी। जब हम सरकार में आये और नीचे तक गये तो लोग कहते थे कि तीन-तीन महीने में पेंशन मिलती है और वह भी आधी मिलती है। भामाशाह और बैंक अकाउंट से खोलने के बाद पूरी पेंशन का भुगतान हो रहा है। निश्चित समय पर हो रहा है और पूरा का पूरा भुगतान हो रहा है। आपने कहा कि इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, अधिक वृद्ध हो गये, चलने-फिरने में असमर्थ हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है, जो कहीं ई-मित्र तक नहीं पहुंच सकता, बैंक तक नहीं आ सकता, वह व्यक्ति अगर लिखकर देता है, अपनी असमर्थता जाहिर करता है तो उसको फिर मनीआर्डर के माध्यम से भी पेंशन वहां तक पहुंचे, इसकी भी व्यवस्था की है, ऐसा सरकार ने नहीं किया है कि केवल बैंक अकाउंट के माध्यम से देंगे। किसी की वहां तक पहुंचने की असमर्थता है तो उसके आग्रह के ऊपर उसको मनीआर्डर के माध्यम से भी देने की व्यवस्था हम लोगों ने की है।

जहां तक आबंटन की बात है और कुछ लोगों की बंद होने की बात की है। किसी की बंद नहीं की, बल्कि स्थिति यह है कि 2013-14 में इनीशियली जो बजट का प्रावधान था, वह केवल 710 करोड़ का था, इसको बढ़ाकर 2861 करोड़ रुपये, जब सरकार बनी और वोट आन अकाउंट किये, इसको बढ़ाकर 2861 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। आज सरकार पूरा का

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

पूरा बजट इसके ऊपर खर्च कर रही है। 2016-17 में 3943 करोड़ रुपये, 2017-18 में 4099 करोड़ रुपये का प्रावधान और 63 लाख लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं। 2013 में केवल 700 करोड़ का प्रोविजन किया था और हमने आने के बाद जब वोट आन अकाउंट किया तो 2861 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। मंशा यही है कि सबको पेंशन पहुंचे और समय पर पहुंचे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि भौतिक सत्यापन के लिए जो वृद्ध हैं और अस्वस्थ हैं, वे ई-मित्र पर नहीं जा सकते। 500 रुपये की पेंशन में उनके पास रिक्शे के पैसे भी नहीं होते कि वे ई-मित्र पर जाकर भौतिक सत्यापन करा लें, तो क्या आप भविष्य में घर पर भौतिक सत्यापन कराने की व्यवस्था करना चाहते हैं?

दूसरा मेरा सवाल है कि 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनरों की प्रतिमाह 500 रुपये, जो 17 रुपये प्रतिदिन होती है, 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों की प्रतिमाह 750 रुपये जो 25 रुपये प्रतिदिन होती है, यह जो पेंशन है, बहुत कम है और इसलिए क्या आप इनकी पेंशन बढ़ाने पर विचार करते हैं?

तीसरा मेरा सवाल है कि पिछले तीन महीने से वृद्धों की, विकलांगों, की, विधवाओं की भारी तादाद में पेंशन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, पेंशन नहीं मिल रही राज्य में, क्या आप इनको तत्काल पेंशन दिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं? यदि हां, तो आप बताएं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक आपने कहा कि कुछ लोगों की पेंशन पिछले तीन महीने से रुकी हैं, किसी की पेंशन नहीं रुकी है। लगातार हम बैंक अकाउंट के माध्यम से पूरी पेंशन सबको प्रतिमाह बांटने का काम कर रहे हैं। कोई स्पेसिफिक केस है तो मुझे माननीय विधायक महोदय बताएंगे, उसका हम परीक्षण कराएंगे कि किन कारणों से रुकी है। इसमें हमने एक और प्रोविजन किया है कि पूरी पेंशन में अगर किसी प्रक्रिया के माध्यम से, कुछ कारणों में अगर पेंशन रुकती है तो उसमें पहले 11 महीने तक की व्यवस्था थी। 11 महीने की चालू करके 11 महीने की पूरी देने का। उस पीरियड को भी क्योंकि

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

सरकार की मंशा है कि किसी भी व्यक्ति को पेंशन मिलने में अवरोध न हो और उसकी रुके नहीं, इसलिए उस पीरियड को भी बढ़ाकर दो साल किया। किन-किन कारणों से, वह भी मैं बता देता हूं। एक तो टैम्पेरेरी विथ हैल्ड पेंशन, मान लीजिए किसी व्यक्ति का वैरिफिकेशन नहीं हुआ और वैरिफिकेशन नहीं होने के कारण पेंशन बंद नहीं की जाती। अगर आज नहीं कराया और एक महीने बाद अपना वैरिफिकेशन करा लिया तो पिछले महीने की भी पेंशन मिलेगी और तीन महीने बाद कराया तो तीन महीने की मिलेगी। यह स्थिति दो साल तक अगर किसी व्यक्ति की रुकती है, विथ हैल्ड होती है तो उसको दो साल तक की पुरानी पेंशन के साथ पेंशन चालू करने की बात रहती है। एक लैप्स पेमेंट है, नाट फारवर्डेड टू ट्रेजरी, ट्रेजरी को फोरवर्ड नहीं हुई। एक रिवर्ट पेंशन है, पेंशन अंडर शिफ्टिंग, अगर पेंशनर एक जगह से दूसरे स्थान पर चला गया, वहां उसने अपना आवेदन किया इस कारण से दिक्कत आयी है। एक रिटर्न होकर किसी भी कारण से, उसने क्लेम नहीं किया कोई और बात हुई तो उसको भी हम रोक कर रखते हैं। जब भी वह आएगा, उसको पूरी पेंशन उसी तारीख से जब से उसकी रुकी है, देने का रहेगा। फिजिकली वैरिफिकेशन का मैंने एक प्ले लिया। इस तरह टोटल पेमेंट कोई भी विथ हैल्ड हुआ है, इन कारणों से कोई रुकता है, पहले 11 महीने था इस पीरियड को बढ़ाकर हमने दो साल कर दिया और वैरिफिकेशन को भी रिलेक्स करके, ई-मित्र नहीं, वह पास में आधार कार्ड के माध्यम से भी जाकर अगर कहीं देता है तो उसका वैरिफिकेशन पूरा होगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से पूछना चाहूंगी कि कोटा जिले में विगत दो वर्षों में कितने आवेदन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुए? उनमें से कितने वृद्ध, विधवा और विकलांगों की पेंशन चालू की गयी और कितने आवेदन लम्बित हैं? दूसरा मेरा निवेदन है अभी सम्माननीय भवानी सिंह जी राजावत साहब ने भी फर्माया कि भौतिक सत्यापन के अभाव में अनेकों विधवा महिलाएं, विकलांग महिलाएं बार-बार ई-मित्र पर चक्कर काटती रहती हैं। वैसे आपके विभाग का यह मामला नहीं है, फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगी कि क्या पंचायतों के जो हमारे सैक्रेटरी है, जो सरपंच है, जब भी इस तरह की भौतिक सत्यापन की बात आती है, हम उनको पाबंद

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

करें। जो विकलांग है, जो गांव से बाहर नहीं निकल सकते, उनका भौतिक सत्यापन सैक्रेटरियों द्वारा करवाया जाए, उसे वैध माना जाए और उनकी पेंशन चालू की जाए। क्योंकि रामगंजमण्डी मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में बहुत सारे ऐसे लम्बित मामले हैं। दो वर्ष होने के बावजूद भी हमारी विधवा बहिनों की पेंशन चालू नहीं हो पा रही क्योंकि पीपीओ नंबर लेने के लिए, पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए वह लगातार चक्कर काटती रहती हैं। तो मेरा निवेदन है कि जितने भी लम्बित मामले हैं पेंशन के, उन फार्मों को, उन आवेदनों को हम लोग क्लीयर करें ताकि उनको लाभ मिल सके। इसमें मंत्रीजी का क्या कहना है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): एक तो पहले आपने प्रश्न किया, इसमें केवल ई-मित्र नहीं है, अटल सेवा केन्द्र पर भी जा सकता है और पोर्टल के ऊपर भी कोई व्यक्ति खुद अपने कम्प्यूटर पर भी अपना आधार और सब देकर के वैरिफिकेशन करने का प्रावधान इसमें है। अटल सेवा केन्द्र पर भी जा सकता है। केवल ई-मित्र नहीं है, कई तरह के आप्शन्स हैं, जहां अपना वैरिफिकेशन करा सकता है। बैंक में जा सकता है, ई-मित्र पर जा सकता है, अटल सेवा केन्द्र पर जा सकता है और कई मल्टीपल आप्शन्स दिए हुए हैं जिसमें अपना वैरिफिकेशन कर सकता है।

जहां तक आपने बात की कि कुछ लोगों को रोकने का विषय है, आज भी किसी का रोकने का नहीं है। हर व्यक्ति को पेंशन पहुंचाने की बात है। मैंने पहले भी कहा है कि कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं असमर्थ हूं, वहां तक पहुंचाने के लिए मनीआर्डर के माध्यम से भी देने का प्रावधान हमने इसमें किया हुआ है। पहले इस पूरी प्रक्रिया में एक दिक्कत जरूर आती थी कि जब आफलाइन था तो पैन्डेंसी का पता नहीं चलता था कि किस स्टेज पर पैन्डेंसी है। लेकिन जब से आनलाइन हुई तो किस स्टेज पर और कौनसी, किसकी एप्लीकेशन पैन्डिंग है, इसकी जानकारी हमको हो जाती है और उसको भी हम परश्यू करते हैं। जांच प्रक्रिया ऐसी है कि ग्रामीण क्षेत्र में पूरा जांच का काम बीडीओ लेवल से जाता है और वहां से निकलने के बाद होता है। शहरी क्षेत्र में नगर निकाय का ईओ, सीईओ इनके माध्यम से निकलने के बाद हमारे पास आता है। जब उनकी जांच, वैरिफिकेशन पूरी हो जाती है, उसके बाद इसकी स्वीकृति का आदेश निकालने का काम रहता है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न देवेन्द्र कटारा।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन जो 500 रुपये मिलती थी, 300 रुपये हो गयी। हमने अधिकारियों से सम्पर्क किया तो बताया कि केन्द्र सरकार का कुछ शेयर होता है, कुछ राज्य सरकार का शेयर होता है। अलग-अलग जाने की वजह से ऐसी डिफिकल्टीज हो रही हैं। माननीय मंत्री महोदय, केन्द्र सरकार का और राज्य सरकार का शेयर कितना है? क्या वह एक साथ डालने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात पेंशन में केन्द्र और राज्य का अंशदान रहता है। लेकिन पेंशन दी जाती है, पूरी की पूरी पेंशन होल्डर को दी जाती है। राज्य और केन्द्र के अंश का कोई इसमें हिस्सा नहीं है। अभी भी स्थिति है कि 2017-18 में इसमें केवल 307.64 करोड़ रुपये केन्द्र का अंश है और 3791 करोड़ रुपये राज्य का अंश है। जितना केन्द्र का रहता है, उसको मिलाकर पेंशन दी जाती है। ऐसा नहीं है केन्द्र का अलग जाएगा और राज्य का अलग जाएगा। कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं होती है कि आधी पेंशन जाएगी और आधी नहीं। पिछले साल जितनी हमारी विधवा बहनें हैं, उनकी पेंशन में, बजट में बढ़ोतरी करने की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी। इस बार भी दिव्यांगों के लिए किसी भी एज का दिव्यांग हो, केन्द्र सरकार 18 साल से अधिक का जो दिव्यांग होता है, उसके लिए भी पेंशन की बात करती है। लेकिन राजस्थान में हमने किसी भी एज का दिव्यांग हो, उन सबको, हर एज के लिए 750 रुपये पेंशन देने की बात की। जो विधवा एकल महिला है, 60 साल से अधिक और 75 साल से कम है, उसमें 1000 रुपये और 75 साल से अधिक की कोई बहनें हैं, उनके लिए 1500 रुपये देने की इस बार बजट घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने की है। इसको पूरी देने की व्यवस्था है। इसमें केन्द्र और राज्य अलग-अलग नहीं होता।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 500 की 300 हो गयी है। इस बारे में निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: कृपया बैठिए। बात कर लेना। श्रीमती सोनादेवी, तीसरा पूरक प्रश्न।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सम्माननीय अध्यक्ष जी, मैं आसन से अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में मैंने जून-जुलाई-अगस्त, 2017 में कलक्टर साहब के आशीर्वाद से और सहयोग से स्पेशल कैम्प लगाये थे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन के लिए जो पात्र व्यक्ति है, उनको जोड़ा जाए। उस कैम्प में बहुत से फार्म भरे गये। जो मेरी रायसिंहनगर की पंचायत समिति और विजयनगर की पंचायत समिति...

श्री अध्यक्ष: सवाल पूछो।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि रायसिंहनगर पंचायत समिति और विजयनगर पंचायत समिति में जो फार्म लोगों के जमा करवाये गये थे, उनका क्या हुआ? क्या उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन है, आप देने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जो कहा है, सरकार की मंशा इतनी है कि हमने पिछले दिनों दीनदयाल उपाध्याय के जो शिविर लगाये उसमें और फिर शहरी जन कल्याण शिविर, इन दोनों शिविरों में इसका भी प्रावधान किया कि कोई भी व्यक्ति अगर पेंशन के लिए पात्र हो गया है तो अपना आवेदन करे और उसके आवेदन की तुरन्त जांच करके, उसकी स्वीकृति करने की भी व्यवस्था की थी। मंशा केवल इतनी है कि आपके भी क्षेत्र का केवल रायसिंहनगर का, इसकी जांच की प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से निकलने के बाद आता है, तब स्वीकृति निकलती है। आप अगर कहेंगे तो उसको भी हम मालूम करा लेंगे कि किस स्टेज पर कहां पैन्डिंग है और उसकी जानकारी माननीय सदस्य को मैं उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री मानिक चंद सुराना।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सम्माननीय अध्यक्ष जी, पात्र लोगों के फार्म भर गये थे।

श्री अध्यक्ष: हो गया। हो गया।

जयपुर शहर की द्रव्यवती नदी परियोजना में चैक डैम का निर्माण

280. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(1) क्या जयपुर शहर की द्रव्यवती नदी के लिए विस्तृत कार्य योजना स्वीकृत की गयी है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नदी में निरन्तर जल प्रवाह कराये जाने हेतु कितनी राशि का प्रोजेक्ट का कार्य किस कंपनी को दिया गया है एवं जनवरी, 2018 तक उक्त प्रोजेक्ट पर कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त परियोजना का कार्य कब तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है एवं जनवरी, 2018 तक कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त परियोजना के लिए शहर के नालों और सीवर लाइनों के पानी को ट्रीट करने के लिए कितने एस.टी.पी. किस-किस स्थान पर बनाये जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त परियोजना में कितने चैक डैम किस-किस स्थान पर बनाये जाने प्रस्तावित हैं एवं जनवरी, 2018 तक कितने चैक डैम का निर्माण हो चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त परियोजना के तहत प्रतिदिन कितने लाख लीटर पानी का बहाव द्रव्यवती नदी में होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री (श्री श्रीचन्द कृपलानी): (1) जी हां। द्रव्यवती नदी के लिए विस्तृत कार्य योजना स्वीकृत की गयी है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) निरन्तर जल प्रवाह कराये जाने हेतु रु. 1676.93 करोड़ राशि का प्रोजेक्ट मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लि. एसयूसीजी कन्सोंटियम को दिया गया है एवं जनवरी, 2018 तक इस प्रोजेक्ट पर राशि रु. 670.00 करोड़ व्यय की गयी है। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) उक्त परियोजना कांट्रेक्ट अनुसार दिनांक 10.10.2018 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है, जिसका विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है एवं जनवरी, 2018 तक 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

(4) उक्त परियोजना के लिए शहर के नालों और सीवर लाइनों के पानी को ट्रीट करने के लिए पांच (5) एस.टी.पी. बनाये जा रहे हैं, विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री)

(5) इस परियोजना में कुल 103 चैक डैम है एवं जनवरी, 2018 तक 33 चैक डैम (बांधों का निर्माण कार्य प्रगति पर है) विवरण परिशिष्ट "य" पर संलग्न है।

(6) उक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रतिदिन लगभग 170 मिलियन लीटर पानी का बहाव द्रव्यवती नदी में किया जाना प्रस्तावित है, विवरण परिशिष्ट "र" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: बस हो गया जवाब। प्रश्न काल समाप्त।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

भानुकुमार शास्त्री, श्री, पूर्व सांसद

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर मैं इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री भानुकुमार शास्त्री एवं श्री रामजीलाल महामना के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व सांसद एवं पूर्व सदस्य श्री भानुकुमार शास्त्री का जन्म वर्ष 1927 में सिंध प्रान्त के हैदराबाद में हुआ। आपने एम ए तथा साहित्य शास्त्री की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री भानुकुमार शास्त्री पाचवीं राजस्थान विधान सभा में उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता मोर्चा के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री शास्त्री छठी लोक सभा के उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए तथा इस दौरान आप लोक सभा की लोक उपक्रम समिति के सदस्य रहे। आप सितम्बर,1995 से सितम्बर 1999 तक राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चैयरमैन भी रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री शास्त्री नगर परिषद् उदयपुर के सदस्य एवं उपाध्यक्ष रहे। आप उदयपुर नगर विकास न्यास के सदस्य भी रहे। विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले श्री शास्त्री ने अनेक बार जेल यात्राएं भी कीं। जनसंघ से सम्बद्ध रहे श्री शास्त्री संघ की राजस्थान प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष रहे। आप अकाल राहत समिति तथा गौ रक्षा समिति के सदस्य रहे। आप भारतीय शिक्षा प्रसार समिति उदयपुर के संयोजक भी रहे।

(श्री अध्यक्ष)

सामाजिक कार्यों में रूचि रखने वाले श्री शास्त्री ने भारत पाकिस्तान विभाजन के समय शरणार्थियों के लिए राहत शिविरों का आयोजन किया। पत्रकारिता में रूचि रखने वाले श्री शास्त्री के आलेख संस्कृत पत्रिका कौमुदी में भी प्रकाशित हुए।

श्री भानुकुमार शास्त्री का दिनांक 24 फरवरी, 2018 को निधन हो गया।

रामजीलाल महामना, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य श्री रामजीलाल महामना का जन्म 15 अक्टूबर, 1946 को भरतपुर ज़िले के बागरेन ग्राम में हुआ। आपने बी ए, एलएलबी की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री रामजीलाल महामना छठी राजस्थान विधान सभा में वैर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे।

लोहियावादी विचारधारा के प्रचारक एवं श्री जयप्रकाश नारायण के अनुयायी रहे श्री महामना तीन वर्ष तक सोशलिस्ट पार्टी, भरतपुर के जिला मंत्री रहे।

श्री रामजीलाल महामना का दिनांक 25 जनवरी, 2018 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तत्पश्चात् सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(श्री अध्यक्ष)

(1) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से जिला सवाईमाधोपुर के बौंली थाना के अन्तर्गत बजरी खनन माफियाओं द्वारा एक सरपंच की हत्या करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रोली एवं व्यावसायिक वाहन ट्रोले के रजिस्ट्रेशन के लिए 01 अप्रैल, 2018 से नियम AIS 113 को लागू किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए। अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री दर्शन सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र करौली की कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम, हिण्डौन, सवाईमाधोपुर, खण्डार, टोंक तथा दौसा ज़िले के विकास हेतु मांड विकास बोर्ड का गठन किये जाने के संबंध में।

(5) श्री रामनारायण, सदस्य की ओर से अजमेर शहर के पैरीफेरी गांवों के राजकीय विद्यालयों व कार्यालयों में कार्यरत सभी कार्मिकों को अजमेर शहर में कार्यरत कार्मिकों की भांति मकान किराया भत्ता दिलवाये जाने के संबंध में।

(6) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से जयपुर व जोधपुर आयुक्तालय सहित प्रदेश के बड़े शहरों में अवैध रूप से हुक्का बार का संचालन होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री दर्शन सिंह, श्री घनश्याम, श्री रामनारायण एवं श्री हनुमान बेनीवाल को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल से आमजन को हो रही परेशानियों के संबंध में।

36] नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त-27 फरवरी 2018-विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से बाड़मेर शहर की नगर परिषद् सीमा का विस्तार किये जाने के संबंध में।

(3) श्री किशनाराम, सदस्य की ओर से प्रदेश में मंदिर माफी की कृषि भूमि के खातेदार पुजारियों को अन्य किसानों के समान अधिकार दिये जाने के संबंध में।

(4) श्री गिर्राज सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय को क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

(5) श्री छोटू सिंह, सदस्य की ओर से जैसलमेर जिले में मंदिरों के आस-पास की भूमि को ओरण भूमि के रूप में विकसित किये जाने के संबंध में।

(6) श्री रतनलाल जलधारी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सीकर में नगर परिषद् के नये भवन का निर्माण किए जाने के संबंध में।

(7) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से जयपुर जिले के दुग्ध उत्पादकों की समस्या का निराकरण करने एवं बोनस के भुगतान के संबंध में।

(8) श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंजमंडी में RSRDC द्वारा किये गये निर्माण कार्यों की जांच करवाने के संबंध में।

(9) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन नियम नहीं बनाये जाने से ग्रामीणों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(10) श्री हीरालाल दरांगी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाडौल के वन क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे जारी किये जाने के संबंध में।

(11) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से राजर्षि महाविद्यालय अलवर में एन सी सी यूनिट को पुन: संचालित किये जाने के संबंध में।

(12) श्री कैलाश भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर के वार्ड न. 48 स्थित बाबा रामदेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

पर्ची

आज दिनांक 27 फरवरी, 2018 को शून्यकाल में बोलने हेतु 61 पर्चियां प्राप्त हुयीं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नांकित हैं:-

(1) श्री नारायण सिंह देवल	विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के सुरावा में पीएचसी खोले जाने एवं क्षतिग्रस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किये जाने के संबंध में।
(2) श्री नानालाल अहारी	विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के राजकीय विद्यालयों में पोषाहार सामग्री वितरण करने, खाद्य सामग्री का भुगतान करने एवं हैल्परों को मानदेय दिये जाने के संबंध में।
(3) श्री राजेन्द्र सिंह भादू	पंचायत समिति सूरतगढ़ के गांव हिन्दो 2जी. बी. को केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाकर ग्रामीणों को राहत प्रदान करने के संबंध में।
(4) श्री सुखराम विश्नोई	विधान सभा क्षेत्र सांचौर में वर्ष 2013 में 12 संस्थाओं एवं विभिन्न समाजों को आबंटित जमीन का कब्जा दिलवाये जाने के संबंध में।

श्री दर्शन सिंह।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

करौली की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री दर्शन सिंह (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचना।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्राम मासलपुर से ताली व ताली से पीपलखेड़ला, मासलपुर से केसपुरा, केसपुरा से पिपरानी, मासलपुर से श्रीया का पुरा, गुड़ला से आडी तक, हिण्डौन रोड से रोडकलां, हिण्डौन रोड से रूधोड़, हिण्डौन रोड से बसेडी की सड़कें बहुत ही क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं तथा जहां आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं जिससे अनेकों जानें जा चुकी हैं।

अध्यक्ष महोदय, अत: मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त सड़कों का अविलम्ब डामरीकरण/नवीनीकरण करवाया जाए ताकि आमजन को इसका लाभ मिल सके।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने करौली विधान सभा क्षेत्र में जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, अभी जिन गांवों की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, उसके बारे में चर्चा की है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 2014, 2015, 2016 और 2017, इन सब में जैसे-जैसे ज्यादा क्षतिग्रस्त सड़कें थीं, हमने उनका वापस नवीनीकरण किया है। जैसा कि अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी अपने बजट भाषण में भी कहा, और मैंने जब हमारे विभाग की डिमाण्ड थी, उसके उत्तर में भी कहा कि राजस्थान भर की 14100 किलोमीटर सड़कें, जो क्षतिग्रस्त हैं, लगभग 2290 करोड़ रुपये खर्च करके हम उन सभी सड़कों का नवीनीकरण करेंगे। उसी हिस्से में करौली विधान सभा क्षेत्र में जिन सड़कों की माननीय सदस्य ने चर्चा की है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी स्टेट रोड फण्ड कमेटी है, कल उसकी बैठक है। उस बैठक में हमने इनके क्षेत्र की लगभग 66 किलोमीटर की सड़कें जो टूटी हुई हैं, क्षतिग्रस्त हैं, उनको ले रखा है। उस पर 12 करोड़ 74 लाख 80 हजार रुपये खर्च करेंगे। जिन सड़कों की आपने चर्चा की है, उन सड़कों को भी हमने ले रखा है। कल की बैठक में उनका भी अनुमोदन करके तुरन्त प्रभाव से हम टैण्डर निकाल देंगे।

श्री दर्शन सिंह (करौली): धन्यवाद, साहब, मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम।

मांड विकास बोर्ड का गठन

श्री घनश्याम (टोड़ाभीम): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। टोड़ाभीम के साथ-साथ इस एरिये को मांड क्षेत्र कहते हैं, जिसमें बामनवास, बौंली, सवाईमाधोपुर, दौसा, कुछ भरतपुर का हिस्सा, इसमें चार-पांचों जिले ऐसे हैं, जिनमें सतही जल नहीं है, न के बराबर है। दो-दो, तीन-तीन हजार फीट के बोर करने के बाद भी वहां एक बूंद पानी नहीं निकलता है। वहां के किसान सिर्फ बरसात से होने वाले पानी के ऊपर ही जीवन यापन करते हैं। वहां फार्म पोण्ड की एक योजना हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने चलायी थी। वह भी इस बार बंद हो गयी है। उससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मांड विकास बोर्ड का वहां

(श्री घनश्याम)

गठन किया जाए। जैसे अपन ने डांग विकास बोर्ड का कर रखा है, मेवात विकास बोर्ड का कर रखा है, रेगिस्तान के लिये भी एक अलग से बोर्ड बना रखा है। सरकार ने ऐसे, बहुत सारे अभावग्रस्त एरिये हैं, जहां किसी तरह की और कोई सम्भावना नहीं है। हमारे एरिये में न कोई पत्थर का बिजनस है, न पशुपालन का बिजनस है। वहां बिना पानी के खेती होती नहीं है। बरसात जब कम होती है तो वहां किसान पूरी तरह से अकाल की चपेट में आकर बाहर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस बजट में जब आप घोषणा योजनाओं की घोषणा करें तो इसमें मांड विकास बोर्ड का गठन सरकार को करना चाहिए। ऐसे चार-पांचों जिलों के, बांदीकुई, बसवा तक भी यह एरिया है। इधर दौसा में भी कुछ आधे से ज्यादा जिले का एरिया आता है।

(12.13 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि इस मामले में सरकार, दौसा जिला, करौली जिला, सवाईमाधोपुर जिला, कुछ भरतपुर का, कुछ टोंक का, टोंक में निवाई और इधर, जहां भी डेजर्ट एरिया है, जहां पानी की बिलकुल कोई सम्भावना नहीं है, इन सारे एरियाज का एक सर्वे करवाकर, इसमें 13 विधान सभा क्षेत्र तो ऐसे आते हैं, जिनकी मेरे पास रिपोर्ट भी है। पिछले 50 सालों से यह मांग उठती आ रही है। 3-4 बार तो मैंने भी इस मामले को सदन में उठाया है। कई बार उसके सही उत्तर आये, कई बार नेगेटिव उत्तर आये। मेरा आपके माध्यम से सरकार से और मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस मामले को आप गम्भीरता से लेंगे और मांड विकास बोर्ड का अगर आप गठन कराना चाहेंगे तो निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान के किसानों को इसका बहुत भारी लाभ मिलेगा और आने वाले समय में, आपने पिछले बजट सेशन में भी इस बात का आश्वासन दिया था कि हम इस मामले को गम्भीरतापूर्वक लेंगे। लेकिन इस मामले में अभी तक सरकार की कोई भी इस तरह की कार्यवाही नहीं हुई। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि संवेदनशील रहते हुए इस मांड विकास बोर्ड का गठन कराएं। इससे पूर्वी राजस्थान का किसान पूरी तरह लाभान्वित होगा और जनता आपको धन्यवाद देगी। सभापति महोदय के माध्यम से मेरा निवेदन है कि आप इस मामले को गम्भीरता से लें।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, टोड़ाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने करौली जिले के विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम, हिण्डौन, सवाईमाधोपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र बामनवास, गंगापुर, सवाईमाधोपुर, खण्डार, टोंक व दौसा जिले को मिलाकर एक नया मांड विकास बोर्ड बनाने की मांग की है।

सभापति महोदय, 2014-15 के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तीन विकास बोर्ड, डांग क्षेत्र के लिये डांग विकास बोर्ड, मगरा क्षेत्र के लिये मगरा विकास बोर्ड और मेवात बहुल क्षेत्र के लिये मेवात विकास बोर्ड की घोषणा की थी। पांचों वर्षों में इनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप रह गया, निश्चित तौर पर ये पिछड़े इलाके हैं, इनके लिये बजट का 300 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया था। अब जो नया प्रस्ताव है, इनका परीक्षण अब तक करवाया नहीं है। परन्तु यह बात सही है कि मांड क्षेत्र, जो ये बता रहे हैं, उसमें पिछड़ापन भी है और काली चिकनी मिट्टी लगभग-लगभग इन सब क्षेत्रों में है, तो इसका अध्ययन करवाएंगे। अध्ययन करवाने के बाद ही कोई बात कही जा सकती है।

श्री सभापति: श्री रामनारायण।

श्री घनश्याम (टोड़ाभीम): सभापति महोदय, कितने समय में परीक्षण करवा देंगे?

श्री सभापति: नहीं। वे परीक्षण करवाएंगे। आप बैठ जाएं। इसमें प्रश्नोत्तर नहीं होता है। सरकार ने रेस्पांड कर दिया।

श्री रामनारायण। (अनुपस्थित)

श्री हनुमान बेनीवाल।

शहरों में संचालित अवैध हुक्का-बार

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मैं आज नियम 50 के अन्तर्गत गृह मंत्रीजी का और सरकार का ध्यान आपके माध्यम से प्रदेश के ज्वलंत, जो जवानों के अन्दर, तेजी से नशे की प्रवृत्ति पनप रही है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, राज्य में जयपुर, जोधपुर कमिश्नरेट, अजमेर सहित प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर व तहसील मुख्यालयों पर अवैध रूप से हुक्का-बार चल रहे हैं। केवल जयपुर शहर के अन्दर 200 से अधिक हुक्का-बार चल रहे हैं। नियमों के विपरीत हुक्का-बारों का संचालन पुलिस की मिलीभगत

(श्री हनुमान बेनीवाल)

से चल रहा है। क्योंकि पुलिस की इच्छा के बिना तो इलाके के अन्दर कोई भी अवैध रूप से काम नहीं चल सकता है। लेकिन पिछले दो-तीन सालों के अन्दर हुक्का-बारों के खिलाफ जो कार्यवाही हुई, उसमें दूसरे छोटे, पान बेचने वाला, कोई बीड़ी बेचने वाला, उसको तो जरूर पुलिस ने जयपुर के अन्दर पकड़ा है। लेकिन बड़े हुक्का-बारों के जो मालिक हैं, जहां बड़े-बड़े लोग जाते हैं, वहां पुलिस ने कोई बड़ी कार्यवाही नहीं की। सबसे ज्यादा युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। हुक्के के अन्दर फ्लेवर, वैसे मैंने टेस्ट नहीं किया, कोई उधर से अभी पूछ लेगा कि आपको क्या पता, लेकिन कहते हैं कि हुक्के के अन्दर 40 रुपये का, सभापति महोदय, पूरा ही खर्चा आता होगा, उसमें एक हजार रुपये का चार्ज वे बच्चों से लेते हैं। नशीला फ्लेवर मिलाते हैं, निकोटिन सहित कई नशीले पदार्थ उस हुक्के में मिलाते हैं।

श्री सभापति: आपको इसका अनुभव नहीं है। गृह मंत्रीजी कह रहे हैं, मुझे भी पता नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं तो गृह मंत्रीजी की तरह हूं, साहब, नशा-पत्ता तो कुछ करता नहीं हूं, बिलकुल। फिर भी युवा इसका आदी हो जाता है।

श्री सभापति: युवा आदी होता है न तो गृह मंत्रीजी तो सीमा के बाहर हो गये हैं। अब आपको ही खतरा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, हुक्का-बारी से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की जागरुकता के लिये भी सरकार को विशेष रूप से दिशा-निर्देश और जन जागरण चलाना चाहिये। कई कार्यक्रम, जो जागरुकता कार्यक्रम होते हैं, सरकार को प्रसारित करने चाहिए।

सभापति महोदय, अवैध हुक्का-बारों की आड़ में बहुत अवैध काम भी होते हैं। लेकिन जिम्मेदारों ने आंखें मूंद रखी हैं। एक तरफ सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश होने में भारत गर्व महसूस करता है कि सबसे ज्यादा युवा इस इण्डिया के अन्दर है। लेकिन दूसरी ओर युवाओं को नशे की राह पर धकेल रहे हैं। सभापति महोदय, हुक्का पीने वालों पर कोट्पा एक्ट के तहत चालान कर दिया जाता है। लेकिन जो हुक्का-बार चलाता है, जो हुक्का-बार का मालिक है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही का प्रावधान नहीं है। इसलिये मैं गृह मंत्रीजी से यह भी मांग करुंगा कोई ऐसा विधेयक लेकर आए कि जो हुक्का पी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

रहा है, उसको तो आप दण्ड दे रहे हैं, लेकिन जो हुक्का पिला रहा है, वहां बैठाकर पैसा वसूल कर रहा है, उसके दण्ड का कोई प्रावधान आपके यहां नहीं है। इस मामले में भी सरकार को नये दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए। सभापति महोदय, जयपुर व जोधपुर कमिश्नरेट की नाक के नीचे सैकड़ों हुकका -बार चल रहे हैं। जिस तरह मुम्बई के अन्दर एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, रूफ टाप रस्टोरेंट में हादसा हुआ। उसके अन्दर कई लोगों की जानें चली गयीं। जयपुर के अन्दर भी जो टाप फ्लोर हैं, उसमें हुक्का-बार चलते हैं। गृह मंत्रीजी अगर चाहेंगे तो मैं एक लिस्ट अलग से आपको चिन्हित करके दे दूंगा। आप कार्यवाही करा देना।

आप तो कार्यवाही करना चाहते हो, गृह मंत्री महोदय, लेकिन नीचे सिस्टम पूरा सड़ गया है और उस सिस्टम को ठीक करने के अन्दर मुझे लगता नहीं कि मामला बैठेगा।

माननीय सभापति महोदय, आज प्रदेश के अन्दर अफीम, डोडापोस्त, स्मैक, यह सारी घटनाएं हो रही हैं और रोजगार के अभाव के अन्दर एक बार जिसको लत लग जाती है, वह इस लत का आदी हो जाता है और यह छोटी-मोटी कार्यवाहियां होती हैं। हम देखते हैं कि जैसे गांव के अन्दर कोई पान-बीड़ी बेच रहा है तो पुलिस जाएगी और उसकी पान-बीड़ी जब्त करके ले आएगी गरीब आदमी की, कोई शहर के अन्दर कोई चौराहे पर पान की दुकान चलाता है तो उसका रोजगार आप छीन लोगे लेकिन बड़े लोगों पर हाथ डालने से पहले आप हजार बार सोचते हो। यह मिलीभगत का खेल है। यह मिलीभगत का खेल जोधपुर, जयपुर कमिश्नरेट के अन्दर पिछले तीन साल से चल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, लेकिन सरकार को कमिश्नर साहब और कमिश्नरेट इतनी प्यारी है कि आंख बंद करके बैठी है। मैं गृह मंत्रीजी से मांग करूंगा कि इस मामले के अन्दर आप एक कमेटी बनाकर त्वरित कार्यवाही करें। सदन चल रहा है, युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से हमें दूर रखना है, राजस्थान के जवानों को नशे से बचाना है क्योंकि जवान ही राजस्थान की असली ताकत है, इस देश की असली ताकत है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ऐसे अवैध हुक्का-बारों को चलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करे व उच्चतम न्यायालय ने जो दिशा-निर्देश जारी कर रखे हैं उनके हिसाब से काम करे और मैं गृह मंत्रीजी से यह आश्वासन चाहूंगा कि अवैध हुक्का-बार इस प्रदेश के अन्दर बंद हो। आज गृह की डिमांड

(श्री हनुमान बेनीवाल)

भी है और हमारी यह मांग है कि राजस्थान का युवा आपकी ओर देख रहा है। गृह मंत्रीजी, अपराध के अन्दर वैसे भी बहुत बड़ी बदनामी अपने स्टेट की हुई है तो जवानों को आज आप यह तोहफा दें। अवैध रूप से चल रहे हुक्का-बार आपके एक आदेश से ही राजस्थान के अन्दर बंद हो जाए। आज ही त्वरित कार्यवाही हो और हुक्का-बार संचालकों के खिलाफ भी कार्यवाही हो, बच्चों को तो पकड़कर आप जुर्माना कर लेते हो लेकिन उन मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। आपके पुलिस के अधिकारी बंधियां लेते हैं, कमिश्नरेट के लोग बंधी लेते हैं इसलिए अवैध हुक्का-बार चल रहे हैं तो आप इसके अन्दर दिशा-निर्देश फर्माएं। धन्यवाद।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक ....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय गृह मंत्रीजी, यह स्थगन प्रस्ताव पर, एक मिनट।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। बेनीवालजी ने जो मामला उठाया है, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। लड़के और लड़कियां, दोनों ही इसमें इन्डल्ज हो रहे हैं, इसको रोका जाना चाहिए।

श्री सभापति: इसी गम्भीरता को देखते हुए ही तो माननीय गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह रेस्पांस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। I am grateful कि वह रेस्पांस कर रहे हैं, वह भी इस चीज को समझ रहे हैं।

श्री सभापति: गृह मंत्रीजी गम्भीर हैं इस विषय पर।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं खुद कह रहा हूं गम्भीर है लेकिन इस पर इफैक्टिव कार्यवाही कराएं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा लेकिन लड़के और लड़कियां, मैं लड़कियों की भी बात कर रहा हूं, It is in my knowledge. कुछ न कुछ इस पर आप कार्यवाही करें। चाहे नया कानून भी लाने की आवश्यकता हो तो आप इसके ऊपर नया कानून ले आएं। इसके ऊपर प्लीज आप कुछ कार्यवाही करें, यही मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, एक बहुत ही ज्वलंत समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित हुआ। वैसे सरकार ने 2003 में ही इस पर एक कानून बनाकर रोक लगाने का प्रयत्न किया। "THE CIGARETTES AND OTHER TOBACCO PRODUCTS (PROHIBITION OF ADVERTISEMENT AND REGULATION OF TRADE AND COMMERCE, PRODUCTION," यह कानून बनाया है हमने, उस कानून की धारा-4 में- "Prohibition of smoking in a public place", यह उन्होंने धारा-4 में डाला है- "Provided that in a hotel having thirty rooms or a restaurant having seating capacity of thirty persons or more and in the airports, a separate provision for smoking area or space." इसके लिए छूट दी है कानून में कि जिसकी कैपेसिटी होटल की 30 कमरों की है या जिस रेस्टोरेंट में 30 से अधिक लोगों के बैठने की गुंजाइश है वहां पर वह एक अलग से स्मोकिंग रूम की तरह से उसमें काम लेते हैं। लेकिन केवल और केवल उसमें स्मोकिंग हो सकता है, बाकी किसी प्रकार की कोई एक्टिविटीज उसमें प्रोहिबिटेड है, निश्चित रूप से है प्रोविजन में।

यह बात सही है कि वास्तव में यह केवल सिगरेट और बीड़ी पीने की जगह ही नहीं है तो कई जगह पर इसका दुरुपयोग हो रहा है और विशेषकर उन स्थानों पर जिनको इस प्रकार की परमिशन नहीं है या जिनको इस प्रोविजन के तहत जो अधिकार है, वह अधिकार प्राप्त नहीं है। फिर भी कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में इसका प्रचलन है और जैसा राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, हम सब लोग भी अनुभव करते हैं कि ऐसे कई स्थान हैं जहां इस प्रकार की एक्टिविटीज होती है, यह बात सच है। पुलिस ने कार्यवाही तो की है, लेकिन वह कार्यवाही मैं पर्याप्त नहीं मानता हूं।

इन दो वर्षों में जो कार्यवाही हुई है जयपुर में 14 प्रकरण दर्ज हुए और अभी 2017 में 62 प्रकरण दर्ज हुए। जोधपुर में 3 हुए 2016 में और 2017 में भी 2 ही हुए, इतने ही प्रकरण हुए। अजमेर में 3 प्रकरण 2016 में दर्ज हुए और 31 अभी 2017 में दर्ज हुए हैं। भीलवाड़ा में इसी साल 7 प्रकरण दर्ज हुए हैं। तो वास्तव में जो प्रकरण दर्ज हुए हैं, पर कानून में इस प्रकार का है कि यह सब बेलेबल आफेंस है। बेलेबल आफेंस होने के कारण से निश्चित रूप से जिसे पकड़ते हैं, उसे भी छोड़ना पड़ता है। 144 और 188 के तहत हमको यह अधिकार तो है, लेकिन हमारी राजस्थान हाई कोर्ट ने 7.10.2015 को एक निर्णय दिया- "In view of the above, it is held that the competent au-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

thority has no right to prohibit the facility of Hookah and Hookah Bars u/s 144 Cr.P.C if such facility.." 144 के तहत इस फैसले के बाद कार्यवाही करने पर भी एक तरह से रोक लग गयी। अब केवल 188 का प्रोविजन जरूर है, जिससे हम यह केस तो बनाते हैं लेकिन बेलेबल आर्फेस है।

समस्या वास्तव में केवल बीड़ी और सिगरेट पीने की नहीं है। इसके साथ नशे का उपयोग करते हुए जिस प्रकार से बच्चे इसका उपयोग कर रहे हैं इसलिए निश्चित रूप से आपकी भावना का ध्यान रखकर हमारे द्वारा अगर कोई कानून में परिवर्तन करना सम्भव होगा तो हम निश्चित लाएंगे। विशेषकर जो ड्रग्स का आदी बनता जा रहा है, जिस ढंग से बालक तंबाकू की बनी हुई सिगरेट और बीड़ी से हटकर, कोई न कोई प्रोविजन डालने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि कानून केन्द्र का है, हम वहां से उनकी राय से, पर आपकी भावना का निश्चित रूप से केवल यहीं पर नहीं यानी, कोटा और बाकी जगह पर तो बहुत जबर्दस्त एक तरह से छोटी-छोटी इंडस्ट्री के रूप में खड़ी हो गयी। जिस प्रकार के हालात बनते जा रहे हैं और विशेषकर यूथ में इसका जो प्रचलन बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए निश्चित रूप से जो भी कानून में प्रावधान किये जा सकते हैं, वह लाने का प्रयत्न करेंगे।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री सभापति: 295 के अन्तर्गत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, चूंकि, आज गृह, कानून व्यवस्था पर डिमांड है, कई माननीय सदस्य बोलेंगे। अगर आसन स्वीकार करे तो नियम 295 की सारी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली जाएं।

श्री सभापति: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली जाएं?

(स्वीकृत)

नियम 295 की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयी विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

पर्ची, श्री नारायण सिंह देवल।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुदे

सुरावा (रानीवाड़ा) में पी.एच.सी. की स्वीकृति

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में सुरावा उप स्वास्थ्य केन्द्र है, जो सांचौर तहसील और हमारी पंचायत समिति से 46 किलोमीटर दूर है। हमारा जो उपखण्ड कार्यालय रानीवाड़ा है वहां से सुरावा 44 किलोमीटर दूरी पर है। सुरावा के पांच-छह किलोमीटर के दायरे में पांच उप स्वास्थ्य केन्द्र अपने सुरावा के अलावा टीटोप, लाछीवाड़, लाछीवाड़ गोलिया, दुगावा उप स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं। साथ में ही 25 ढाणियां और 10 गांव सुरावा के आस-पास में हैं। सुरावा पंचायत की जनसंख्या 6 हजार है और गुजरात से सटा हुआ है और यह पूरा मरुस्थलीय एरिया है। ऐसी स्थिति में मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि सुरावा को आप पी.एच.सी. स्वीकृत कराएं।

अगर यह पी.एच.सी. स्वीकृत हो जाती है तो दानदाता भवन बनाने के लिए और इस पी.एच.सी. को गोद लेने के लिए भी तैयार हैं।

दूसरा, मैं आपसे यह निवेदन करना चहूंगा कि जालौर जिला गुजरात से सटा हुआ है और वहां पर चिकित्सा की काफी कुछ कमी है।

हमारे पूरे जालौर जिले के हर गांव से कोई न कोई जीप या बड़ी गाड़ी से हमेशा चिकित्सा के लिये गुजरात जाना पड़ता है। इस कारण से मेरी मांग है कि बैकवर्ड एरिया है और गुजरात से सटा हुआ है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जालौर जिले में चिकित्सा के लिये बेहतरीन काम करेंगे।

इसके अलावा, रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में एक सी.एच.सी. चल रही है, जिसका आउटडोर 450 है, इनडोर 50 है और जिला मुख्यालय वहां से 100 किलोमीटर पड़ता है। किसी भी प्रकार की अगर दुर्घटना हो जाए तो जालौर की वनिस्पत रोज 20 से 25 लोग गुजरात जाते हैं और वहां पर काफी इलाज में खर्चा भी लगता है। हमारी जितनी भी सरकारी योजनाएं गुजरात जाने के कारण, जैसे 'राजश्री' योजना है, उसका वह लाभ नहीं ले पाते हैं। तो मैं आपके

(श्री नारायण सिंह देवल)

माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि रानीवाड़ा को रैफरल अस्पताल बनाया जाए।

इसके अलावा, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि 2015 की जो अतिवृष्टि हुई, उसमें सांचौर ब्लाक के अन्दर कूड़ा (पांचला) ब्लाक सांचौर उप स्वास्थ्य केन्द्र का भवन पानी में बहकर चला गया है और आज भी उसका मलबा उसी गांव में ऐसे का ऐसे पड़ा है। हम लोग उस गांव में जाते हैं तो लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं। पिछले बजट में भी मैंने मंत्री महोदय से यह निवेदन किया था कि जो कूड़ा (पांचला) पी.एच.सी. ढह गयी है, आप उसके लिये एक नवीन भवन स्वीकृत कराएं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह भवन भी बनाएं।

सभापति महोदय, जुलाई, 2017 में हमारे जालौर में अतिवृष्टि हुई, 1280-1300 एम.एम. बारिश हुई तो इस बारिश में हमारे जो उप स्वास्थ्य केन्द्र गोलाणा, जालेरा खुर्द, पहाड़पुरा, दईपुर, सांवलावास, दांतवाड़ा, रतनपुर, रानीवाड़ा खुर्द और डीगांव, यह भी उस अतिवृष्टि की चपेट में आ गये हैं और आज वह मानव उपयोग के लिये असुरक्षित हैं। यह कभी भी गिर सकते हैं। अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नये भवनों को आप स्वीकृत कराएं।

इसके अलावा, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सेवाड़ा, वणधर और कोड़का में पी.एच.सी. स्वीकृत हैं, मगर वहां भवन नहीं होने के कारण डाक्टर नहीं बैठ पाते हैं, तो उसके लिये भी मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन तीनों में पी.एच.सी. भवन भी स्वीकृत कराएं।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारा जसवंतपुरा, उप खण्ड कार्यालय है, पंचायत समिति है और वहां पर सी.एच.सी. चल रही है। वहां पर एक बी.सी.एम.ओ. लगे हुए थे, जिनको 18 सितम्बर, 2018 को ए.पी.ओ. कर दिया और जब वह बी.सी.एम.ओ. थे, वह साथ में हास्पिटल भी देख रहे थे, उस समय रोज की 150 से 175 ओ.पी.डी. होती थी, उनके नहीं होने के कारण आज 6 महीने हो गये हैं, उस हास्पिटल की स्थिति दयनीय हो गयी है।

(श्री नारायण सिंह देवल)

अब ओ.पी.डी. घटकर 50 रह गयी है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उस डाक्टर को भी आप वापस जसवंतपुरा लगाएं।

इसके अलावा, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि रानीवाड़ा व जसवंतपुरा ब्लाक में ई.सी.जी., एक्स-रे टैक्नीशियन, चिकित्सा अधिकारी सहित करीब 20 से 25 पोस्टें खाली हैं, वह पोस्टें भी जल्दी भरें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजें। माननीय मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आदरणीय देवल साहब ने पर्ची तो दी थी रानीवाड़ा के सुरावा में पी.एच.सी. खोले जाने और क्षतिग्रस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किये जाने के संबंध में और इन्होंने सारी बातें कह दीं। पर, मैं जवाब जो है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आपकी योग्यता को देखते हुए।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, वह सही है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी योग्यता नहीं, आपके विवेक को इस्तेमाल करते हुए। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हो गया विवेक, आप बैठ जाओ। यह शेखचिल्ली टाइप बातें करते रहते हो सारे दिन। +++ हर बात एक ही एक चीज, क्या है यह मतलब? (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): यह तरीका ठीक नहीं है सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, यह कोई तरीका नहीं है, इसको आप निकलवाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप मेरी तरफ देखें। यह उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, साहब, आप इसको निकलवाइये। यह क्या बात हुई? रोज खड़े होकर +++ ...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): सभापति महोदय, कालीचरण जी जब भी खड़े होते हैं, बार-बार एक ही चीज

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

को, पिछले एक महीने से आप देख रहे हो। यह अच्छी बात नहीं है डोटासरा जी। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह मेरे जिले के हैं। इनका जन्म स्थान सीकर जिला है, इसलिये मेरे बड़े भाई हैं, विशेष प्रेम करता हूं। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): इस तरह आप व्यंग्य कसते हो, यह अच्छी बात नहीं है। (व्यवधान) आप सीनियर आदमी हो। (व्यवधान) यह अच्छी बात नहीं है।

श्री सभापति: आप विराजें। (व्यवधान) आप विराजें, आप भी विराजें। जब बोलने वाले माननीय मंत्री या सदस्य अगर आपका बोलना स्वीकार नहीं करते हैं, आपका हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। अगर वह यह मान लेते कि नहीं, इनको करने दो। आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कोई तरीका ही नहीं है।

श्री सभापति: आप बोलिये मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इनको डिलीट करवाओ साहब, क्या है यह? ग्राम सुरावा विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में पंचायत ...(व्यवधान)

श्री सभापति: इनको डिलीट कराएं या इन्होंने जो कहा है, उसको डिलीट कराएं। (व्यवधान) इनको डिलीट कराएं या इन्होंने जो कहा है उसको?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इनका आचरण तो ऐसा है, माननीय सभापति महोदय, कि इनको खुद को डिलीट करवाना चाहिये और इस बार लक्ष्मणगढ़ की जनता डिलीट कर देगी। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इस बार जनता कर देगी। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो राठौड़ साहब, पिछली दफा भी अपने मित्र के प्रचार में गये थे। अब की बार और आ जाना।

श्री सभापति: आप विराज जाएं। बिना मेरी अनुमति के नहीं बोलें आप। (व्यवधान) विराजिये। आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में इनके सुपुत्र और यह क्या-क्या जमीनों के काम करते हैं, सबको पता है। (व्यवधान) सबको पता है इसलिये ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरा सुपुत्र कोई जमीन का काम नहीं करता, मैं भी नहीं करता और लक्ष्मणगढ़ में एक इंच जमीन का काम बता दो। एक भी इंच जमीन का काम बता दो लक्ष्मणगढ़ में। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने सरकारी जमीन पर, जो फैसेलिटी की जमीन थी, उस पर कांग्रेस का कार्यालय खोलने का कुकर्म किया है। आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो कहोगे, वह करूंगा और नहीं तो आपके कारनामे कल खोलूंगा मैं।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां खोलिये।

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं होगा। आप विराजें गोविन्द जी। विराजें। मंत्रीजी, आप अपना वक्तव्य दीजिये।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री सभापति: कोई जांच नहीं, आप तो बोलिये। यह अंकित नहीं होगा सारा वार्तालाप, आप बोलिये।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ग्राम सुरावा विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में पंचायत समिति सांचौर जिला जालौर के अन्तर्गत आता है। ग्राम सुरावा में वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। भारत सरकार द्वारा जनसंख्या आधारित मापदण्ड के अनुसार सामान्य क्षेत्रों में 30 हजार एवं जनजातीय रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्डानुसार आगामी वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता गुणावगुण के आधार पर सुरावा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जाएगा। माह जुलाई, 2017 में हुई अतिवृष्टि में विधान

(श्री कालीचरण सराफ)

सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में क्षतिग्रस्त हुए उप स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची निम्नानुसार है- धनोद, घामसी, रूपावटी खुर्द, आलड़ी, चाटवाड़ा, दईपुर, दांतवाड़ा, सांवलवास, जालेराखुर्द। आगामी वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उक्त क्षतिग्रस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों की मरम्मत, निर्माण करवाये जाने के प्रयास किये जाएंगे।

श्री सभापति: इसमें प्रश्नोत्तर तो नहीं होते, आप एक पूछ लें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): हमारा जिला गुजरात से सटा हुआ है, मरुस्थलीय है और सुरावा के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूरा गांव अतिवृष्टि के अन्दर तबाह हो गया है। लोगों को दूर जाने में बहुत तकलीफ होती है, वहां पर ट्रैक्टर से ही जा सकते हैं। मरुस्थलीय और गुजरात से सटा होने के कारण मेरा निवेदन है।

दूसरा, आपने बताया कि सब-सेंटर वित्तीय संसाधन होने पर करेंगे। मेरा निवेदन है कि इस बिल्डिंग में कभी भी, कोई भी दुर्घटना हो सकती है तो उसको दृष्टि में रखते हुए आप स्वीकृति दिलाएं।

श्री सभापति: मंत्रीजी, कुछ कहेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैंने जो जवाब था, वह दे दिया। इसके अलावा अलग से कुछ नहीं है।

श्री सभापति: श्री नाना लाल जी अहारी। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन और बोलने वाले सदस्य के बीच में से नहीं जाना चाहिए नियमों के अन्तर्गत।

श्री अर्जुन लाल (बिलाडा): बीच में से नहीं आया।

श्री सभापति: हां, यह बीच में ही है।

खैरवाड़ा के राजकीय विद्यालयों में पोषाहार सामग्री का वितरण

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): सभापति महोदय, उदयपुर जिले का मेरे विधान सभा क्षेत्र के पोषाहार का मामला है। पोषाहार का वितरण/आबंटन जो जिले से होता है, वह काफी कम मात्रा में होता है। जनवरी, फरवरी का पोषाहार 13.02.18 को वितरण किया गया जबकि जनवरी का पूरा महीना निकल गया। इसी प्रकार अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर का पोषाहार 1080 क्विन्टल आबंटन होना था। हमारे जिले का जो एजेंट है, उसने 1080 क्विन्टल

(श्री नाना लाल अहारी)

पोषाहार ही वितरण किया। ऐसी स्थिति में अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर में कई विद्यालयों में पोषाहार नहीं बंटा। क्या कारण रहा कि यह पोषाहार कम आबंटित हुआ और समय पर आबंटन नहीं होता है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जनवरी का पोषाहार अभी 14 तारीख को वितरित किया गया और अगले तीन माह का पोषाहार 220 क्विन्टल कम दिया गया। जिस किसी अधिकारी ने इसमें लापरवाही बरती है या उस दलाल ने कम दिया है, क्या मंत्रीजी, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे? मुझे बताने की कृपा करें।

श्री सभापति: विराजें। मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, इस समय राजस्थान में 68685 राजकीय विद्यालय, अनुदानित विद्यालय, स्पेशल ट्रैनिंग सेन्टर तथा मदरसों में हम लोग पोषाहार दे रहे हैं। उनमें लगभग 62.7 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को सौ ग्राम और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को डेढ़ सौ ग्राम हम खाद्यान्न प्रतिदिन दे रहे हैं। इस पर जो भी लागत है, वह पिछले दिनों बढ़ायी है। खाद्यान्न 4.13 प्राइमरी के लिए और मिडिल के लिए 6.18 रुपये की दर से प्रति छात्र हम लोग दे रहे हैं। इन्होंने कुक-कम-हैल्पर का जो मुद्दा उठाया है, उसमें भी हम 1200 रुपये प्रतिमाह इनको दे रहे हैं। एक लाख ग्यारह हजार कुक हैं जिनको हम दे रहे हैं। इसकी राशि केन्द्र व राज्य मद में 60 is to 40 के अनुपात में सरकार वहन कर रही है।

जहां तक माननीय सदस्य के खैरवाड़ा का प्रश्न है, खैरवाड़ा में भी कक्षा 1 से 5 तक 381 विद्यालय हैं और कक्षा 6 से 8 के 187 विद्ययालय हैं। उनके लाभान्वित विद्यार्थी 59544 हैं। कुक-कम-हैल्पर 992 हैं। उनको 1200 रुपया प्रतिमाह, जैसाकि मैंने बताया, है। इनका सितम्बर माह तक का भुगतान सरकार ने कर दिया है और जनवरी, 2018 तक का भुगतान प्रथम सप्ताह में कर दिया जाएगा। खाद्य आबंटन भी तीन-तीन माह का करते हैं तो अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर तक का खाद्यान्न वितरण किया जा चुका है और चौथे त्रिमास का आबंटन भी 15.01.18 को जारी कर दिया है और कुकिंग कन्वर्जन की राशि भी जनवरी, 2018 तक का भुगतान कर दिया गया है। जहां तक इन्होंने बताया कि कम हुआ है, तो मैं जांच करवाऊंगा और जहां भी

(श्री वासुदेव देवनानी)

कहीं गड़बड़ होगी, निश्चित रूप से संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

सूरतगढ़ के गांव हिन्दो-2 जी.बी. को केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि 1958 में घग्घर नदी के बहाव से अनूपगढ़ तहसील का एक छोटा-सा गांव हिन्दो उस वक्त घग्घर नदी में बह गया और थोड़ी दूर पर जाकर गांव की बसावट हो गयी, जहां थोड़ी ऊंची जगह थी। लगातार इतने समय के अन्तराल के बाद विशेष रूप से देश के माननीय प्रधान मंत्रीजी ने अनेकानेक घोषणाएं ग्रामीण विकास के लिए कीं। राज्य सरकार द्वारा भी अनेक घोषणाएं कीं और सुचारु रूप से गांवों का विकास किया। तो जो गांव 1958 में डूबा था घग्घर के बहाव में, वह गांव दूसरी जगह जा बसा था, वह ऊंची जगह पर बसा हुआ गांव सूरतगढ़ तहसील का 15 एसएचपीडी गांव था। पहले तो किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लगातार इस पर चर्चाएं होती रहीं। बाद में अनूपगढ़ तहसील की विजयनगर पंचायत समिति बनी। श्री विजयनगर के अन्दर तहसील भी बनी लेकिन उस गांव को 2 जीबी ग्राम पंचायत से और न ही पंचायत समिति से किसी तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। उसको किसी भी लाभकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जब पंचायत समिति से किसी तरह की चर्चा की जाती है तो सूरतगढ़ पंचायत समिति के अन्दर या सूरतगढ़ रेवेन्यू तहसील का वह चक होने की वजह से उनको वहां से कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

पिछले तीन साल से इस ओर ध्यान दिया गया और जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा तीन दफा इसके प्रस्ताव बनाकर राजस्व विभाग को भेजे गये। अभी पिछले दिनों से लगातार सम्पर्क में हूं। अभी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय से भी सम्पर्क किया। मैं इस मामले में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे 2 जीबी हिन्दो गांव को सारी लाभकारी योजनाएं, जिनकी उनको आवश्यकता है, उनका अधिकार है उस पर, उनको नहीं मिल रही हैं। जिस तरह से केन्द्र और राज्य की सरकार ग्रामीण विकास के लिए इतने काम

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

कर रही है, सभी योजनाएं, चाहे वह प्रधान मंत्री आवास योजना हो, चाहे खरंजा निर्माण हो या अन्य कोई भी योजना का लाभ उनको नहीं मिल रहा है। आज भी मैंने आदरणीय मंत्री महोदय को एक लिस्ट दी है जिसमें प्रधान मंत्री आवास के उस गांव के अन्दर 73 आवास की योजना स्वीकृत हो चुकी है। पूरी तरह से अनुसूचित जाति और विशेष रूप से अल्पसंख्यक का गांव है, उसमें आज तक कोई विकास के कार्य नहीं हुए हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि पंचायत समिति स्तर पर जो भी सुविधाएं हम उस गांव को दिलवा सकते हैं, उनके लिए इस तरह के आज निर्देश जारी करें और उस गांव को पुन: श्री विजयनगर का पार्ट घोषित कराएं। श्री विजयनगर पंचायत समिति, 2 जीबी का पार्ट घोषित कराएं। इस तरह की मैं उम्मीद माननीय मंत्री महोदय से रखता हूं। माननीय मंत्री महोदय, इस सम्बन्ध में आदेश जारी करें। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, यह सही बात है कि जिस गांव का जिक्र सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे हैं, यह गांव 2 जीबी हिन्दो, ग्राम पंचायत 2 जीबीए, पंचायत समिति विजयनगर का हिस्सा है। यह भी सही है कि जब 1958 के अन्दर बाढ़ आयी तो यह गांव पूरा जलमग्न हो गया। गांव के लोगों ने जहां शरण ली, वह थोड़ी ऊंचाई पर थी और वहीं उन्होंने अस्थायी रूप से गांव बसा लिया। उस गांव की राजस्व भूमि सूरतगढ़ के अन्दर है। सभापति महोदय, यह सही है कि जहां ये लोग बसे हुए हैं, वह 15 एसएचपीडी जगह है, वहां तीन मुरब्बों में वे बस गये। आज भी इनके राशन कार्ड, पहचान कार्ड, जाब कार्ड बने हुए हैं, वह मूल रूप से जो गांव था 2 जीबी हिन्दो, उसी से बने हुए हैं। इसके कारण से, नरेगा एक्ट में प्रावधान है कि जिस ग्राम पंचायत का जाब कार्ड बना हो, उसी ग्राम पंचायत की राजस्व भूमि में अलग-अलग व्यक्तिगत योजना का उसको लाभकारी योजना का लाभ मिल सकता है।

सभापति महोदय, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 9, 10 और 101 में पंचायतों की सीमाओं में परिवर्तन करने का, ग्राम पंचायत की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है और इसके लिए विधिवत् रूप से एक महीने का नोटिस देकर जिला कलक्टर आपत्तियां आमंत्रित करता है। जन सुनवाई करता है, उसके बाद अपनी अभिशंसा सरकार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के पास भेजता है। आज ही मेरे संज्ञान में यह बात आयी है, मैं जिला कलक्टर से बात करूंगा। एक माह का नोटिस पंचायती राज अधिनियम, 1994 के सैक्शन 101 में दिलवाएंगे और सारी प्रक्रिया पूरी करके कोशिश करेंगे कि मूल रूप से जहां का है, वह वहीं सम्मिलित हो जाए। इसके लिए जो प्रक्रिया करनी है, प्रक्रिया पूरी करेंगे।

श्री सभापति: विराजें। धन्यवाद। श्री सुखरामजी विश्नोई।

सांचौर में विभिन्न संस्थाओं व समाजों को आबंटित भूमि का कब्जा

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार ने 2013 में चित्तौड़गढ़ में जीनगर समाज नवयुवक मण्डल, राजस्थान भील समाज समिति, कृष्णा अहीर यादव छात्रावास विकास समिति, साल्वी नवयुवक मण्डल इस तरह से कुल 12 समाजों को या छात्रावासों को पट्टे जारी किये। इसके साथ ही अखिल राजस्थान जाटव महासभा को सिरोली, जयपुर में पट्टा जारी किया, चारदीवारी बनी हुई है, उद्घाटन हो गया। माननीय सभापति महोदय, इन 12 संस्थाओं को पुन: पट्टे जारी कर दिये, जो रोके थे उन्हें जारी कर दिये और इस जाटव महासभा का पट्टा जारी है, उस पर बैन लगा हुआ है।

(12.51 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

सत्ता में आने के बाद में जो कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार ने जाते-जाते रेवड़िया बांट दी, पट्टे जारी कर दिये, माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार ने जो पट्टे जारी किये थे ये कोई व्यक्तिगत पट्टे नहीं थे, समाज जिन्होंने जमीन ले रखी थी या जिन्होंने मांग कर रखी थी उनके ही पट्टे जारी किये गये थे। यह चुनावी वर्ष है, यह आज क्या कर रहे हैं? ये ही रेवड़िया बांट रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर में जाट, विश्नोई, पुरोहित, चौधरी, सुथार, माली, वैष्णव, भील, कोली, नाई, मेघवाल इन सभी के छात्रावास और धर्मशालाएं बनी हुई हैं। 50 साल हो गये और नगरपालिका में उन्होंने पत्रावली लगा रखी है, पत्रावलियां कई बार जयपुर आती हैं वापस जाती हैं, जयपुर आती हैं वापस जाती हैं। माननीय मंत्रीजी, यह बताने का प्रयास

(श्री सुखराम विश्नोई)

करेंगे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर में इन समाज और छात्रावास की जो पत्रावलियां पैंड़िंग पड़ी हैं और जो मौके पर काबिज हैं, बिल्डिंगें बना रखी हैं उन पट्टों का नियमन कब-कब करोगे? यह जो 12 पट्टे आपने जारी कर दिये, पहले कांग्रेस सरकार ने बनाये थे। जाटव महासभा सिरोली, जयपुर में बाकायदा कब्जा कर रखा है और अन्दर पूरी व्यवस्थाएं चल रही हैं, उनका पट्टा क्यों रोका है? कृपया स्पष्ट करें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया के मार्गदर्शन व प्रेरणा से मेरे विभाग नगरीय विकास द्वारा 40 सामाजिक संस्थाओं व स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 12 सामाजिक संस्थाओं के आबंटन को हाल ही में मंत्रिमण्डल द्वारा बहाल किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नवीन भूमि आबंटन नीति 2015 जारी की गयी और नीति के तहत स्थानीय निकाय को आरक्षित दर पर प्रशासनिक शुल्क वसूल कर सामाजिक संस्थाओं को भूमि आबंटन करने के अधिकार प्रदान किये गये हैं।

भू-खण्ड की कीमत में रियायत के नियमों में शिथिलता देने के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर सकारात्मक निर्णय किया जाता है।

नगरपालिका, सांचौर से प्राप्त सूचना के अनुसार 2013 में 12 सामाजिक संस्थाओं को भूमि आबंटन नहीं किया गया है। नगरपालिका सांचौर में 13 सामाजिक संस्थाओं द्वारा भूमि आबंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। नगरपालिका सांचौर को सभी लम्बित आवेदन पत्रों का भूमि आबंटन नीति 2015 के अन्तर्गत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं माननीय सुखराम जी को कहूंगा कि आपको चित्तौड़ की और दूसरी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमने लगातार पिछले चार वर्षों में, मेरी बात सुनो। मेरी बात तो सुनो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): जो पैंडिंग थीं उनमें से 12 की, बाकी क्यों नहीं की? यह बताओ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): जितने भी प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं उनको लगातार कर रहे हैं। हम,

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये वसुन्धरा जी की सरकार है। आपने कांग्रेस की सरकार में लास्ट के छह महीने में जिस तरह किया न ... (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज आप जवाब सुनें। मंत्री महोदय के जवाब के बीच में नहीं बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपके छह महीने ही बचे हैं, आपके कौनसे दो साल बचे हैं? आप भी रेवड़ी बांट रहे हो।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। पहले आप वक्तव्य सुन लीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): सुखराम जी, हम लगातार कर रहे हैं, हमारा प्रोसेस चल रहा है, पिछले साल भी किये हैं हमने, उसके पहले भी किये हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): जारी कर दिये थे। पट्टे तो आपने रोक दिये, कर क्या रहे हो आप। पट्टे जारी हो गये। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सांचौर से आने वाले सदस्य, विराजें। अंकित नहीं हो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आपने सिर्फ छह महीने में ही किये हैं। जो किये हैं फोटो के खातिर और आपकी क्या स्थिति हुई, आप वहां पर 21 बनकर बैठे हो। हम तो पिछले चार सालों से लगातार कर रहे हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 000

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास जो भी प्रोसेस से फाइल आती जा रही है, हम करते जा रहे हैं और मैं हमारी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों को कि कांग्रेस के राज के भी जो आबंटन हालांकि सही थे, गलत थे, वो अलग चीज है लेकिन सबको हम कर कर रहे हैं, कर दिये हमने। कोटा के हैं, चित्तौड़ के हैं, बारां के हैं, जहां के मैटर थे, जितना हम सुविधा दे सकते हैं, देने का प्रयास किया। जहां तक आपके सांचौर का सवाल है तो आपको विश्वास दिलाता हूं नियमानुसार मेरे पास फाइल आएगी, निश्चित रूप से सबको मैं कर दूंगा।

श्री भजन लाल (वैर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अखिल भारतीय राजस्थान जाटव महासभा का जो पट्टा जारी हो गया, उसकी राशि जमा हो गयी, उसकी बाउण्ड्रीवाल हो गयी, उसका कब्जा ले लिया गया, बिल्डिंग चालू हो गयी उसके बाद भी कैंसिल हो गया, इन 12 में उसकी सूची है या नहीं है? कृपया यह बता दें। पूरी राजस्थान जाटव महासभा आपकी तरफ देख रही है, माननीय मंत्री महोदय। यह पूरे दलितों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, माननीय मंत्री महोदय, कृपया इस पर ध्यान दें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): मैं इसकी जानकारी ले लूंगा और जानकारी लेकर जितनी भी मदद हो सकेगी, करने का प्रयास करूंगा।

श्री सभापति: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। माननीय सदस्य, श्री कैलाश जी भंसाली, ध्यानाकर्षण करेंगे माननीय मंत्री महोदय का।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): सभापति महोदय, वार्ड नम्बर 48 जालोरियों का मोहल्ले में अधरशिला पर दो चट्टानों के बीच में बाबा रामदेव विराजमान हैं। लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शन करने के लिए रामदेवरा जाने वाले सभी यात्री पहले अधरशिला पर दर्शन करते हैं, फिर आगे कूच करते हैं।

जन भावनाएं इतनी प्रबल हैं कि भादवा में दशम से लेकर पूनम तक भारी संख्या में लाखों लोग आते हैं, अंदाज है कि करीब ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप केवल ध्यान आकर्षित कर दें।

श्री सभापति: आप विराजें, माननीय सरकारी उप मुख्य सचेतक महोदय।

माननीय सदस्य, आप सिर्फ माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षण करें, वह आपको जवाब देंगे, फिर आपको कोई प्रश्न करना है, कोई जांच करनी हो तो जरूर करें।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, देवस्थान): सम्माननीय, जो सदस्य बता रहे हैं वह मंदिर देवस्थान विभाग का मंदिर नहीं है, अराजकीय मंदिर है और उसके लिए जो भी बजट या व्यवस्था हमारे पास में इसमें कोई मांग आएगी तो हम देखेंगे करेंगे, किस निधि से हम उसमें कर सकते हैं। यह अराजकीय मंदिर है। यह आत्मनिर्भर श्रेणी का मंदिर नहीं है।

श्री सभापति: हां, बताएं।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय मंत्रीजी, मेरा निवेदन है कि दो आधारशिलाओं के बीच में बाबा रामदेव विराजमान हैं। लाखों यात्री, करीब 20 लाख यात्री हर वर्ष भादवा में दशम से लेकर पूनम तक आते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपने ध्यानआकर्षण कौनसा रखा है?

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): वार्ड नम्बर 48 में जालोरियों के बास में...

श्री सभापति: यह ध्यानाकर्षण आपने नहीं रखा है। आपका ध्यानाकर्षण है, आप देखें, आपके पास विधान सभा की लिस्ट आयी है। आपका तो रोडवेज बस स्टैण्ड को अन्तरराष्ट्रीय स्तर का बनाने जाने का ध्यानाकर्षण है, आप उसका ध्यानाकर्षण रखें।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): रोड़वेज बस स्टैण्ड अन्तरराष्ट्रीय ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, रख भी दिया और मंत्रीजी ने जवाब भी दे दिया।

श्री राजकुमार रिणवां (राज्य मंत्री, देवस्थान): माननीय, मेरे पास में 295 लगा हुआ था, वो पढ़ा हुआ मान लिया गया। फिर भी जब इन्होंने पढ़ा है तो मैंने जवाब दे दिया कि ये देवस्थान का मंदिर नहीं है।

श्री सभापति: 295 अलग होता है, माननीय मंत्री महोदय, यह ध्यानाकर्षण है। आपके पास वो लिस्ट आयी भी नहीं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जोधपुर के रोडवेज बस स्टैण्ड को अन्तरराष्ट्रीय बस स्टैण्ड का दर्जा

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री सभापति: आप विराजें। हां, हो गया, आपका ध्यानाकर्षण हो गया। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज 295 में तो आपका मंदिर का लगा हुआ था और ध्यानाकर्षण बस स्टैण्ड का लगा हुआ था। मैंने कहा कि ये माननीय मंत्रीजी कैसे खड़े हो गये मंदिर? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): डिपार्टमेंट बदल सकता है, भैया। हो सकता है डिपार्टमेंट बदल गया हो।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, अच्छी बात है, सर।

माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सरकार का ध्यानाकर्षण किया है पावटा बस स्टैण्ड, जोधपुर के मुख्य स्थान पर स्थित है और अभी आवागमन की दृष्टि से भी यह बहुत छोटा पड़ता है। कांग्रेस सरकार के शासन में उसके विस्तार का निर्णय लिया गया। उसके बिलकुल अपोजिट साइड में कृषि उपज मण्डी समिति की लगभग 17 बीघा 5 बिस्वा जमीन, 19 जून, 2012 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई और निर्णय लिया गया कि ये भूमि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को दे दी जाए और जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वर्कशाप है।

(13.00 बजे)

उस भूमि को मंडी के लिए कुछ जमीन कम पड़ रही थी, माननीय सभापति महोदय, आगरणवा गांव में फल-सब्जी मंडी स्थानांतरित करने का...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): भदवासिया में और 12 बीघा दोनों करैक्ट कर दो।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दोनों जगह लिया। भदवासिया और आगरणवा की जमीनों का एक्सचेंज हुआ। भदवासिया में जिस जमीन का एक्सचेंज हुआ नई मंडी बनाने के लिए, उसमें व्यापारियों को अलाटमेंट भी कर दिया गया, निर्माण कार्य भी वहां पर प्रगतिरत है और उसको वहां शिफ्ट होना था। चूंकि वर्तमान कृषि मंडी जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को स्थानांतरित होनी थी, उसका कब्जा नहीं मिला, इस वजह से निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। माननीय सदस्य ने पहले भी मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस विषय को उठाया है और हमने भी फैसला किया है कि जब भी हमें इस भूमि का कब्जा मिल जाएगा तो उस निर्माण कार्य को शुरू करेंगे। In between, माननीय सभापति महोदय, आप तो जानते हैं, जोधपुर में एक D.B. Civil writ petition फाइल हुई और उसका निर्णय भी आ गया। माननीय उच्च न्यायालय ने जो रिट पिटीशन हुई है, उसमें एक डिसीजन दिया है- "Members of the petitioner association would not be prevented for carrying on their work as the existing Paota Sub Market yard."

मतलब माननीय सभापति महोदय, उन्होंने कह दिया कि जब तक माननीय उच्च न्यायालय आपको परमिट नहीं कर दे, तब तक वहां पर मंडी ट्रांसफर नहीं होगी। यह जो पिटिशन फाइल हुई थी तो उसमें हमने फिर बाद

(श्री युनुस खान)

में पता किया कि वहां कौन-कौन सी सुविधाएं ऐसी हैं जो भदवासिया में निर्मित नहीं हुयीं तो कृषि विपणन बोर्ड जो है, उनसे पता चला कि जून, 2018 तक ये सारी सुविधाएं हम दे देंगे और जब वे सुविधाएं हो जाएंगी, उनका फिजीकल वैरिफिकेशन करने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय में वापस जाकर के रिपोर्टिंग करनी होगी कि फल-सब्जी मंडी, व्यापारियों की दुकानें, प्लस उनको दी जाने वाली सुविधाएं, चाहे वो सड़क है, पानी है, बिजली है या टायलैट्स हैं, उन सबका निर्माण हो गया, उसके बाद में शिफ्ट होगी। शिफ्ट होने के बाद में कोर्ट परमिट करेगा, तब ही हमें इसका पजेशन मिलेगा, तो मैं सोचता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद थोड़ी-सी स्थिति और पेचीदा हो गयी।

मैंने माननीय मंत्रीजी से मिलकर व्यक्तिगत रूप से भी बात की, विभाग के अधिकारियों से भी बात की, उन्होंने आश्वस्त किया कि जून, 2018 तक हमें उसका कब्जा वे निश्चित रूप से दे देंगे। In between, जो जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उनके और माननीय मंत्रीजी के साथ हम बैठक करके प्रयास करेंगे कि ये कार्य शीघ्र हो। जोधपुर में actual में बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ भरे एरिये में हमारा बस टर्मिनल है। सामने यह जमीन मिल जाती है तो सिटी के बीच में एक बहुत अच्छा विश्वस्तरीय, जिसकी परिकल्पना की गयी है, उस बस टर्मिनल का हम निर्माण कर सकते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): जोधपुर के हार्ट में है राइकाबाग सब्जी मंडी। उसको शिफ्ट करने के लिए जमीन के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने जो बात कही है, मैं समझता हूं उनका निर्णय यही है, जून, 2018 तक यह खाली हो जाएगी और अन्तरराष्ट्रीय बस स्टैंड बन जाएगा। 210 जगह बसें यहां से जाती हैं। सारे कृषकों को बड़ी असुविधा होती है। आज डीलक्स के जो स्टैंड हैं, उसमें जब एक बस लगती है, वह निकलती ही नहीं जब तक आगे की दूसरी 4-5 बसें न निकल जाएं। इसी तरह से इतनी भीड़-भाड़ रहती है, तो मेरा निवेदन है कि इस काम को आप जितना शीघ्र कर सकें 2018 तक और स्वायत्त शासन मंत्रीजी इसमें रूचि लेकर इस काम को करवाएं। धन्यवाद।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, अच्छा आप जवाब देंगे... आप जवाब दे दें भले ही।

श्री सभापति: आप बता दें माननीय सदस्य। आप पहले बता दें, मंत्री साहब जवाब दे देंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानकारी चाहूंगी, जब इसका फैसला हो गया, मंडी भदवासिया में शिफ्ट हो गयी, फिर भी ये मंडी की जमीन...कहां गये मंत्री जी, प्रभुलाल जी सैनी बैठे थे, अभी बताते सारी बात। यह तो तब ही फैसला हो गया था। आज तक तो यह बस स्टैंड बन जाना चाहिए था। आप क्या कोर्ट का हवाला देकर के जोधपुर वालों के साथ अन्याय कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? वहां देखो जाकर के क्या स्थिति है। आप भले ही सही कह रहे होंगे, मगर मैं कह रही हूं कि मंडी शिफ्ट का जहां तक मामला है, मैं खुद वहां डायरेक्टर थी, यह मंडी वहां पर शिफ्ट हो गयी थी और यहां तक कि वहां के एमपी साहब ने उसका उद्घाटन भी कर दिया था, लोग भी वहां शिफ्ट हो गये। सिर्फ सब्जी मंडी पूरी तौर से नहीं गयी है। हम चाहते हैं कि उसको पूरी तौर से कर दिया जाए और बस स्टैंड शुरू कर दिया जाए। कोई लंबी-चौड़ी बात ही नहीं है। जोधपुर के लोगों को कितनी भारी तकलीफ हो रही है। बहुत अच्छी बात है हमारे शहर के विधान सभा सदस्य ने इस बात का यहां पर ध्यानाकर्षण किया है।

(13.05 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं चाहूंगी कि मंत्रीजी, इस बात को बहुत सीरियसली आप लें। यह अत्यावश्यक मामला है। मंडी तो वहां शिफ्ट हो गयी, वहां तो दुकानें भी अलाट हो गयी हैं लोगों को।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूरसागर से आने वाली माननीय सदस्या ने और जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है, यह बात सही है कि अभी जो वर्तमान में हमारा पावटा बस टर्मिनल है, वह जगह छोटी है और उसी कारण से यह जो 19 बीघा और 15 बिस्वा भूमि कृषि उपज मंडी समिति, जिसमें फल-सब्जी मंडी चल रही थी, उसका आबंटन हुआ था। चूंकि वहां अभी फिजिकल पजेशन नहीं मिला और उच्च न्यायालय में भी प्रकरण विचाराधीन है, आप दोनों माननीय सदस्यों की भावना और जोधपुर की जनता की भी भावना यह है कि इस जमीन का कब्जा जल्दी मिले, उसके लिए अभी एक

(श्री युनुस खान)

सप्ताह पहले माननीय मंत्रीजी के स्तर पर मैंने बात की है। अधिकारियों को बैठाकर के वहां क्या-क्या सुविधाएं और बनानी बाकी हैं, उनका निर्माण करके, हालांकि विभाग ने जून की बात कही है, हमारा प्रयास रहेगा कि हम मार्च और अप्रैल में ही उसका पजेशन ले लें और माननीय उच्च न्यायालय में इस बात की undertaking देकर के उस काम को जल्दी ही शुरू करेंगे, यह विश्वास सूरसागर से आने वाली माननीय सदस्या और जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य, दोनों को मैं देना चाहता हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से दूसरा नंबर जोधपुर है, मगर जोधपुर के अन्दर जब सारी व्यवस्था हो गयी है, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही कहना चाहूंगी कि आप आज समय बिलकुल निर्धारित कर दें, आप और कृषि मंत्रीजी दोनों, क्योंकि दोनों का संयुक्त फैसला होगा। यह तब ही होगा जब सब्जी मंडी जैसे ही खाली हुई और बस स्टैंड बनना शुरू हुआ। ये सब्जी मंडी खाली करने का आर्डर है। आप तो जमीन लेकर के तय करो कि 15 दिन में करें, 20 दिन में करें, कैसे करें। किसी तरीके से बस स्टैंड शुरू होना चाहिए, शुरू होते ही तो यह बहुत अच्छा बन जाएगा। जोधपुर जैसे शहर के अन्दर इतनी congested जगह, आप जाकर देखो गंदगी, बात छोड़ दो आप। ऐसी स्थिति के अन्दर, यह क्या बस स्टैंड है? जोधपुर के अन्दर एक international बस स्टैंड बने और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे लोगों की सौगंध लिये बगैर बाहर ही नहीं निकलती हूं, मैं समझती हूं कि माननीय मंत्री महोदय बहुत प्रभावशाली हैं तो ये इस काम को तुरन्त शुरू करवाएं। यह एक बहुत अच्छी बात होगी सरकार की।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: आप पहले फर्मा चुके होंगे न इस मुद्दे पर तो or is there something else?

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): सूरसागर की विधायक नेता हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं, परन्तु पुरजोर शब्दों में मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं इस कार्य को द्रुत गति प्रदान करें और मार्च, 2018 तक करवा दें, जून का नहीं रखें। हो सकता है काम। जगह खूब है और जगह जब मिल जाएगी तो बहुत अच्छा अन्तरराष्ट्रीय बस स्टैंड बनेगा। 210 जगह पर बसें यहां से जाती हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मंत्री महोदय से जवाब दिलवाओ।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक सैकण्ड, मेरा भी साथ ही हो जाए जवाब। मंत्री महोदय, जवाब आप साथ ही दे दें।

श्री उपाध्यक्ष: Ok Ok,

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो मंत्रीजी का उत्तर factual गलत हो गया, 17 बीघा जमीन थी, उसमें से टोटल एमओयू जो सन् 2012 में हुआ, वह टोटली जमीन ट्रांसफर का नहीं हुआ है, उसमें से मात्र 12 बीघा जमीन ट्रांसफर हुई है। दूसरा, जितने भी रजिस्टर्ड व्यापारी हैं उनको वहां शिफ्ट कर दिया है। उनको प्लाट अलाट किये हैं, कंस्ट्रक्शन उन्हें खुद को करवाना है। इसमें कंस्ट्रक्शन मंडी को नहीं करवाना है। कंस्ट्रक्शन व्यापारियों को खुद को ही करना है। सबको प्लाट अलाट हो गया साल भर पहले और मैक्सिमम लोगों ने अपनी दुकानें वहां पर बना ली हैं। अब जो परेशानी हो रही है, वह क्या है? व्यापारी ने अपने यहां जो दुकानें रजिस्टर्ड हैं, यहां भी दुकानें रख दीं और वहां भी अलाटमेंट कराके दुकान बना दी। डबल बैनिफिट ले रहे हैं और जो पजेशन मिलना था रोडवेज को, वह नहीं मिल रहा है। सन् 2012 में रोडवेज ने अपनी जमीन जो भदवासिया में है, मंडी को ट्रांसफर कर दी और मंडी को उसी टाइम वापस इनकी जमीन ट्रांसफर करनी, तो आप देखें इतनी कीमती जमीन रोडवेज से ले ली और मण्डी ने आपको वापस जमीन नहीं दी है। सन् 2012 से 2017 आ गया, साल भर पहले उन्होंने अपनी सारी दुकानें अलाट करवा दीं, कंस्ट्रक्शन कर दिया, सारी सुविधाएं हो गयीं और अब सिर्फ राजनैतिक वैमनस्य से या किसी स्वार्थ के कारण कुछ लोग माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जजमेंट की आड़ ले रहे हैं जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की बहुत पहले ही पालना हो गयी और उसी के बाद मण्डी शिफ्ट हुई है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जैसे-तैसे करके इन दुकानों को खाली नहीं करने के लिए जिन व्यापारियों ने वहां दुकानें ले लीं, दुकानें बना लीं, खाली नहीं कर रहे हैं। किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। आप 12 बीघा जमीन का कब्जा लें और अन्तरराष्ट्रीय स्तर का रोडवेज बस स्टैण्ड बनाएं और जनता को सारी सुविधाएं दें, यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: आप करेंगे रिएक्ट? मण्डी का कब्जा आप लेंगे या मण्डी आपको देगी?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 19 जून, 2012 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। पावटा, अभी जो वर्तमान में बस टर्मिनल है उसके बिल्कुल अपोजिट कृषि उपज मण्डी समिति की फल-सब्जी मण्डी चल रही है। इधर भी बस स्टैण्ड है और सामने और बड़ा बस स्टैण्ड लगभग 19 बीघा 5 बिस्वा में निर्मित करने के लिए फैसला हुआ। भदवासिया गांव में रोडवेज का वर्कशॉप चल रहा था, लैण्ड कृषि उपज मण्डी समिति को देनी थी। हमारे आरएसआरटीसी ने तो जमीन हस्तांतरित कर दी, वहां निर्माण का कार्य भी हो गया। जैसा कि लूणी, सूरसागर और जोधपुर से आने वाले तीनों माननीय सदस्यों ने जोधपुर का इम्पोर्टेंट इश्यू उठाया तो वहां पर कृषि उपज मण्डी समिति में बैठे व्यापारियों ने रोडवेज को कब्जा नहीं दिया और उलटा वो कोर्ट में चले गये कि जो जमीन हमें आबंटित हुई है उस जमीन में अभी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी गयी हैं, न वहां रोड बनी है, न वहां पीने के पानी की व्यवस्था है, न वहां शौचालय बने हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने यह कह दिया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसको पूरा नहीं पढ़कर इसके दो हिस्से हैं उनमें से एक हिस्सा ही बता दूं "No penal action would be taken against any members of the petitioner association for not raising construction on a plot allotted Bhadvasia Principle Market Yard." and "After development work is completed in terms of the order dated 02.02.2017 the respondents shall seek prior permission from this Court by filling an application enclosing thereon proof that order dated 02.02.2017 has been fully complied for. Only after this Court grants permission to the respondents to shift the market, would the market be shifted." इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा और आपके आने से पहले ही मैंने बता दिया था हमारा प्रयास है कि माननीय कृषि मंत्रीजी के साथ उच्च स्तरीय बैठक करके, अब मैं हाउस में कह ही रहा हूं कि 5 तारीख को विधान सभा की कार्यवाही के दौरान ही हम दोनों के उच्च स्तरीय अधिकारियों को बुलाकर बैठक करेंगे। मैं आप तीनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक माननीय न्यायालय में इस सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे तब तक मैं मेरे विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दूंगा कि पैरेलल बस स्टैण्ड कैसा बने और किस तरीके से उसकी टर्म्स एण्ड कंडीशन हो, किस तरीके से उसका टैण्डर हो, वह कार्यवाही भी हम पैरेलल चालू कर देंगे। तो ये तीनों कार्यवाही हम पैरेलल कर देंगे। एक तरफ उस नये यार्ड में फैसेलिटी देने की, दूसरी तरफ माननीय कृषि

(श्री युनुस खान)

मंत्रीजी के साथ 5 तारीख को उच्च स्तरीय बैठक करना और तीसरी तरफ बस टर्मिनल कैसा बने उसका नक्शा बना लें। आप तीनों को भी 5 तारीख की बैठक में आमंत्रित कर लेंगे। आपके सामने ही और जब तक हमारे अधिकारी उसकी एक्सरसाइज कर लेंगे। होली के तुरन्त बाद बैठक करके इसका निर्णय लेंगे तथा शीघ्र ही इस काम को शुरू करने का प्रयास करेंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कोई भी न्यायालय की बात पढ़ी है, मैं न्यायालय की इज्जत करती हूं और करनी चाहिए मगर वहां पर सारी सुविधाएं हैं असुविधा नाम की चीज नहीं है, सब कुछ बने हुए हैं, बाथरूम बने हुए हैं, सड़क बनी हुई है, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं, इनको सिर्फ देखने की जरूरत है। अगर ये देखकर करें तो 24 घंटे भी नहीं लगेंगे और काम शुरू हो जाएगा, सिर्फ इनको देखने की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से चाहूंगी कि आप इस पर बहुत गौर फर्माइये, वहां कोई असुविधा नाम की चीज ही नहीं है, सब बनी हुई है, सिर्फ मण्डी खाली नहीं कर रहे।

श्री उपाध्यक्ष: 5 तारीख को आप बता दीजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह मैंने नहीं कहा है। यह तो पिटिशनर ने कहा है कि वहां सुविधाएं नहीं हैं और फिर माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है। मैं आपके माध्यम से सूरसागर से आने वाली माननीय सदस्या को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 5 तारीख की बैठक में आप स्वयं उपस्थित रहेंगी तब तक हमारे अधिकारी इसकी पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे। मैं माननीय मंत्रीजी से भी निवेदन कर दूंगा कि उनके अधिकारी भी वहां जो नयी मण्डी बनी है उसमें क्या-क्या सुविधाएं हो गयीं, क्या शेष रह गयीं उनका विवरण और फोटोग्राफ सहित 5 तारीख को उपस्थित हो जाएंगे। चूंकि आप स्वयं वहां देखते हैं इसलिए आपको काफी ज्ञान है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मैंने आपके माध्यम से कहा है कि तीनों चीजें पैरेलल चलाएंगे। नया बस टर्मिनल कैसा बने उसके नक्शे भी हम तैयार कर लेंगे और सुविधाएं कैसे जल्दी से जल्दी हों उसकी भी मंत्रीजी के साथ बैठक करके कार्यवाही कर देंगे। उसके साथ-साथ माननीय न्यायालय में भी हम अपना पक्ष प्रस्तुत करके कह देंगे कि आपके जो निर्देश थे उनकी पालना हो गयी इसलिए हमें अनुमति दी जाए और हमें कब्जा दिलाया

(श्री युनुस खान)

जाए। तो मैं सोचता हूं कि इसके बाद में कोई और बात शेष नहीं रहती है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

जयपुर के पृथ्वीराज नगर में पेयजल एवं सीवरेज सुविधाओं का अभाव

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत पृथ्वीराज नगर, जयपुर में पेयजल एवं सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पृथ्वीराज नगर, जयपुर में पेयजल एवं सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, पृथ्वीराज नगर योजना के नियमन के आदेश होने के बाद की मैं आपको पूरी बात बता देता हूं कि हमने 31473 पट्टे जारी किये थे और विकास शुल्क के रूप में हमारे पास 360 करोड़ रुपये आये। अभी तक जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क पर 298 करोड़, बिजली पर 64 करोड़, पीएचईडी को हमने 60 करोड़ रुपये जमा कराये, ड्रेनेज पर 20 करोड़ रुपये, कुल 442 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां हमने जारी कीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक सड़क पर 167 करोड़, पीएचईडी में 60 करोड़, बिजली पर 23 करोड़, करीब 250 करोड़ रुपये इसमें से व्यय हो चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारे विभाग द्वारा जो आपकी मूलभूत समस्याएं हैं, मैं मानता हूं कि वास्तव में पृथ्वीराज नगर में चूंकि नया डवलपमेंट हो रहा है तो निश्चित रूप से वहां की मूलभूत समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इसकी आप भी चिंता करते हैं, राजपाल जी भी चिंता करते रहते हैं और सभी माननीय सदस्य जिनका इलाका पड़ता है, चिंता करते रहते हैं। हमने, पीएचईडी द्वारा अभी 854 करोड़ की

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

डी.पी.आर. तैयार की है जिसमें से जे.डी.ए. द्वारा 60 करोड़ रुपये तो उनको दे दिये गये हैं। इसी तरह जे.डी.ए. द्वारा सड़कों पर करीब 298 करोड़ रुपये हमने स्वीकृत किये। विद्युत कार्य पर 64 करोड़ रुपये, सीवरेज व्यवस्था पर 500 करोड़ रुपये सम्भावित व्यय करने की हमने योजना बनायी है और आगामी वित्तीय वर्ष की स्वीकृति में ड्रेनेज पर 20 करोड़ रुपये किये हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि वित्तीय समस्याएं हैं लेकिन प्रतिवर्ष 50-50 करोड़ रुपये उस पर हम खर्च करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आपने जो पेयजल और सीवरेज के बारे में कहा, उसके बारे में कहना चाहूंगा कि पृथ्वीराज नगर में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जो 60 करोड़ रुपये हमने हस्तांतरित किये, हालांकि योजना बनकर तैयार हो गयी, काम उसका प्रारम्भ हो रहा है। बजट का है, उसमें हमने लोन लेने का भी प्रयास किया और लोन भी ले रहे हैं। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हमारी ओर से योजना हमने तैयार कर दी है, डी.पी.आर. हमारी तैयार हो गयी है, समय थोड़ा लग रहा है लेकिन निश्चित रूप से चाहे पेयजल का हो, चाहे ड्रेनेज का हो, चाहे सीवरेज का हो, चाहे लाइट का हो, हालांकि काफी काम हमने किया है लेकिन एक भी समस्या आने वाले समय में पृथ्वीराज नगर में नहीं रहेगी और शीघ्र से शीघ्र करने का प्रयास किया जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने नियमों में प्रावधान यह है कि माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य आने के बाद केवल स्पष्टीकारक प्रश्न ही पूछ सकते हैं तो मैं स्पष्टीकारक प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

माननीय मंत्री महोदय, क्या यह सही है कि दिनांक 24.9.2013 को स्थानीय निकाय के तत्कालीन निदेशक ताराचन्द मीणा ने मुझे पत्र द्वारा सूचित किया था कि पृथ्वीराज नगर में 421.34 करोड़ रुपये की सीवर योजना के प्रथम फेज की निविदा 23.9.2013 को खोली जा चुकी है और 25.9.2013 तक समस्त औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं। उक्त कार्य 15 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना है? नम्बर एक।

नम्बर दूसरा, यह भी सही है कि चौदहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र में मेरे तारांकित प्रश्न संख्या 1217 में यह बात स्वीकार की गयी थी कि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर के आउटर एरिया में परियोजना निर्धारित की गयी है एवं जून, 2014 में निविदा आमंत्रित की गयी थी। इस बात को आपने मेरे प्रश्न के जवाब में स्वीकार किया है।

चौदहवीं विधान सभा के षष्टम सत्र में मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 23 द्वारा आपने स्वीकार किया था कि सीवर से वंचित पृथ्वीराज नगर, गोविन्दपुरा, बक्शावाला, गोरधन नगर, मदरामपुरा आदि के लिए 1,445.40 करोड़ रुपये का प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा गया था। इसमें आपने सांगानेर की 274 कालोनीज की सूची को भी संलग्न किया था।

चौदहवीं विधान सभा के सप्तम सत्र में नियम 131 के अन्तर्गत ही मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब के द्वारा आपने सूचित किया गया था कि 1,445.14 करोड़ रुपये की सीवर योजना तैयार करके एनसीआरपीबी को भिजवायी गयी थी। साथ ही ड्रेनेज सिस्टम के लिए 1,775 करोड़ रुपये की योजना भी एनसीआरपीबी को भिजवायी गयी थी। दोनों योजनाओं को एनसीआरपीबी ने स्वीकार कर लिया था और जयपुर विकास प्राधिकरण को वापस भेज दिया। मेरे ध्यानाकर्षण का जवाब है। जयपुर विकास प्राधिकरण को एनसीआरपीबी ने कहा कि आप राज्य सरकार से वित्तीय गारंटी ले लो। आपकी गलती नहीं है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने राज्य सरकार को लिखकर भेज दिया कि इसकी वित्तीय गारंटी दी जाए और चूंकि राज्य सरकार ने उसके बाद में उसकी गारंटी देने से मना कर दिया और कहा कि जेडीए अन्य वैकल्पिक स्रोत खोजे। इस प्रकार से जयपुर शहर की, सांगानेर की, पृथ्वीराज नगर की, गोरधन नगर की, मदरामपुरा की, यह सारी जो योजना थीं, जिसका हमको 1,445 करोड़ रुपया मिलने वाला था, वह राज्य सरकार की गारंटी नहीं देने के कारण से नहीं मिला और इस कारण से यह सीवरेज का कार्यक्रम डूब गया।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ही बात कहना चाहता हूं। ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मेरी इनसे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन आप लोगों की कोई नाराजगी मेरे से है तो मेरे से रखो हुजूर, उसको सांगानेर की जनता पर क्यों निकाल रहे हो? जब इतनी बड़ी योजना का सारा का सारा पैसा द्रव्यवती में आपने शिफ्ट कर दिया। द्रव्यवती नदी की आपने गारंटी दे दी और यहां पर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तो आपको एक एकाउंट खोलना था पृथ्वीराज नगर में। वह एकाउंट भी आपने नहीं खोला। कैम्प लगाने के लिए भी पैसे मांगे जाते हैं और यहां तक कि सड़कों का अलाइनमेंट भी ठीक नहीं किया। कहीं 60 फुट है, आगे 80 फुट है तो यह सारा काम है, जिसको आपने इसको रोक रखा है। सारा काम करने के बाद में, एक छोटे से काम के लिए आपने रोक रखा है तो मैं समझता हूं कि आप गारंटी दें इसकी। राज्य सरकार गारंटी दे एनसीआरपीबी को जो हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ज्यादा समय नहीं लूंगा। यह पत्र रहा जो मुझे मिला। यह राज्य सरकार के डाइरेक्टर ने पत्र भेजा है कि आपका स्वीकार हो गया, टैण्डर जारी हो गया और ज्योंही सरकार आयी, औरों को तो आपने कंसीडरेशन में रखा, इसका टैण्डर ही कैंसिल कर दिया। चलो, हमने हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया। इसके बाद टैण्डर करने के बाद में एनसीआरपीबी को भेज दिया। उन्होंने भी योजना को स्वीकार कर दिया और उस पर 60 करोड़ रुपया आलरेडी खर्च हो चुका है जेडीए का। जेडीए ने 60 करोड़ रुपये खर्च करके उसकी डीपीआर बना दी, सारा काम हो गया। उसके बाद केवल राज्य सरकार की गारंटी नहीं होने के कारण से यह सारा काम रुका हुआ है। लोन तो आज भी आपका है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप मुख्य मंत्रीजी से बात कर लें। उनसे बात करके आप यहां बताएं कि क्या कारण हैं? यह उसका नक्शा भी सैंक्शन्ड है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई गलत बात कर रहा हूं। यह सारा नक्शा एनसीआरपीबी के द्वारा स्वीकृत है। पूरा का पूरा काम स्वीकृत है। सारा काम हुआ है और पांच बार मैंने विधान सभा में यह मामला उठा लिया तो मैं समझता हूं कि यह सहृदयता नहीं है अपन जब इतना सारा खर्च कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। कौनसा स्मार्ट सिटी बनेगा जिसमें सड़क ही नहीं हो, जिसमें सीवरेज ही नहीं हो, जिसमें पानी की व्यवस्था भी नहीं हो और आज आपने क्या कहा है कि हम 20-20 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। आपके आज के जवाब में है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि 500 करोड़ रुपया लगेगा एक फेज में और 20-20 करोड़ रुपये खर्च करेंगे प्रति वर्ष...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): 50 करोड़।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 50 करोड़ रुपये भी खर्च करेंगे तो भी 10 वर्ष होंगे। 20 वर्ष की योजना आज आपने बता दी। 26 साल तक यह पृथ्वीराज नगर और आस पास के लोग लड़ते रहें। मैं समझता हूं कि यह सब बातें आपके सामने हैं। आप तीन बातों का जवाव दे दें। नम्बर एक, यह स्वीकृत योजना है। एनसीआरपीबी ने भी स्वीकार कर दी। आप राज्य सरकार की गारंटी दिलाकर इस योजना को पूर्ण कराएंगे कि नहीं कराएंगे? सीधी-सीधी बात है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य की भावना है, वही भावना हमारी भी है और मुख्य मंत्रीजी की भावना भी यही है कि जयपुर शहर का विकास हो, पृथ्वीराज नगर का विकास हो और सांगानेर का भी विकास हो। ऐसा नहीं है कि सांगानेर के विकास में हमने कोई कमी रखी हो, कोई योजना हमने रोक दी हो। आप जिस टैण्डर की बात कर रहे हैं, यह जेएनएमयूआरएम में जो टैण्डर हुआ था उस समय 400 करोड़ रुपये का, वह योजना ही बंद हो गयी है एक्चुअली। इस वजह से, कार्यक्रम बंद होने की वजह से वह टैण्डर कैंसिल हुआ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सरकार ने आते ही इसलिए कर दिया था कि छह महीने में जो भी योजना हुई थी, उन सारी योजनाओं को किया तो इसको भी कर दिया था।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): घनश्यामजी भाई साहब, आप बात कर रहे हैं। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि हमारी जिस तरह की स्थिति पिछले तीन-चार वर्षों से है, मंदी का दौर चल रहा है और जेडीए की आर्थिक स्थिति को भी हम मजबूत करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको इस बात का पूरा विश्वास दिलाता हूं माननीया मुख्य मंत्रीजी ने हमको निर्देश दे रखे हैं कि सांगानेर का विशेष ध्यान रखना है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): विशेष नहीं, आप तो सामान्य ध्यान रखो। यह विशेष की तो समस्या है मेरे साथ में।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): विकास का ध्यान रखेंगे। (व्यवधान) अगर ये कहेंगे तो मैं अलग से चर्चा भी कर लूंगा। लेकिन भाई साहब, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, जिस एनसीआरपीबी की लोन की बात की, हम प्रयास कर रहे हैं कि स्टेट उसकी गारंटी दे दे ताकि यह सब योजनाएं पूरी हो जाएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। स्टेट गारंटी नहीं दे किसी कारण से मान लो, आपकी तो मेरे प्रति सहृदयता है और वित्त मंत्रालय नहीं दे गारंटी, तो आप दूसरा काम कर सकते हैं। इतनी पर्याप्त जमीन आपके पास है कि आप यहां की जमीन को गिरवी रखकर भी लोन ले सकते हैं। पृथ्वीराज नगर में आपके पास जमीन उपलब्ध है और जमीन को गिरवी रखकर भी आप लोन ले सकते हैं। लोन लेकर थोड़ा-सा पैसा आप इन गोयल साहब को दे दें तो ये पानी वाला काम कर लेंगे और आप सीवरेज वाला काम कर लें, दोनों काम पूरे हो जाएंगे।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैंने तो अभी 256 करोड़ रुपये की डिमांड भेजी है 22 जनवरी को।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): यह आपका कहना सही है कि हम जमीन गिरवी रखकर भी लोन ले सकते हैं लेकिन आपको ध्यान होगा कि राज्य सरकार के द्वारा अभी चाहे द्रव्यवती नदी का प्रोजेक्ट हो, उसमें 1,098 करोड़ रुपये की गारंटी राज्य सरकार ने दी है, चाहे वह एलीवेटेड रोड हो, उसमें 565 करोड़ रुपये की गारंटी राज्य सरकार ने दी है। हमारा पहला प्रयास तो यही है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर गारंटी देती है तो निश्चित रूप से यह कार्य अपने हो जाएंगे। लेकिन नहीं होंगे, तो जो आपने सुझाव दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं निश्चित रूप से इसमें प्रयास करेंगे। नहीं तो हमारा एन्युअल री-पेमेंट आता है, करीब वह 200 करोड़ रुपये प्रति वर्ष आएगा, तो प्रयास करेंगे कि इन समस्याओं का समाधान हम कर दें।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

गृह विभाग

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार गृह विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.7(32)गृह-12/कारा/2014, दिनांक 11.1.2018 जिसके द्वारा राजस्थान कारागार (दण्डादेशों का लघुकरण) नियम,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

2006 में संशोधन किया गया है; एवं

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.7(32)गृह-12/कारा/2014, दिनांक 11.1.2018 जिसके द्वारा राजस्थान कारागार नियम, 1951 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या: एफ.4(7)संशो/नियम/विधि/पंरा/2017/224, दिनांक 21.2.2018, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजपाल सिंह शेखावत।

उद्योग विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.15(1) डीएमआईसी/विविध/2016/एसआईआर-एक्ट/2016 दिनांक 22.2.2018, जिसके द्वारा अलवर जिले की बहरोड़, नीमराना, मुण्डावर, कोटकासिम एवं तिजारा तहसील के कतिपय गांवों के सम्पूर्ण क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए एक विशेष विनिधान रीजन घोषित किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आपके प्रतिवेदन स्वीकार किये जाएं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, कृपा तो यही रहेगी। आप जैसे सहृदय व्यक्ति आसन पर विराजे हों और उसके बाद प्रतिवेदन स्वीकार नहीं हो।

व्यवस्था

सरकार सुनिश्चित करे कि वार्षिक प्रतिवेदन बजट सत्र के पूर्व प्रस्तुत हों

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिवेदनों को स्वीकार करने के पहले आसन आपको कुछ निर्देश प्रदान कर रहा है और निर्देश बड़े ही स्पष्ट प्रदान कर रहा है।

(श्री उपाध्यक्ष)

इसमें कहीं कोई और गुंजाइश नहीं है। इसलिए इन निर्देशों को भली भांति आप भी और संबंधित मंत्री भी सुन लें, क्योंकि इसकी क्रियान्विति अगले Working day latest by 5th को सुनिश्चित करनी है। राजस्थान विधान सभा के बजट सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिवगणों को दिनांक 03.01.2018 को एक परिपत्र जारी कर ये सूचित किया गया था कि सभी विभाग अपने वार्षिक प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन 325 प्रतियों में बजट सत्र के पूर्व या बजट प्रस्तुत करने से एक सप्ताह पूर्व राजस्थान विधान सभा को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, परिपत्र में सुनिश्चित है।

ये प्रक्रिया हर बजट सत्र में अपनायी जाती है तथा सभी विभाग इससे परिचित हैं। ऐसे में अधिकांश विभाग द्वारा दिनांक 03.01.2018 के परिपत्र की पालना नहीं की गयी। जिसमें निम्नांकित 72 वार्षिक प्रतिवेदन, 72 वार्षिक प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन विधान सभा में निर्धारित तिथि 05.02.2018 तक प्रस्तुत नहीं किये गये। सूची विधान सभा सचिवालय में है। आप वहां से अपने-अपने, मंत्रीजी, वहां जाकर उस सूची का अवलोकन कर लें, सूची 72 की है। मैं 72 की सूची यहां इसलिए नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि उसमें समय लगेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बहुत बड़ी अवमानना है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप सुन लो। अब again and again की आगे कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। साथ ही निम्नांकित 4 कृषि विश्वविद्यालय, 2 सहकारिता विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन अनुदान की मांग पर सदन में चर्चा किये जाने से 3 दिवस पूर्व माननीय सदस्यों को वितरित होने चाहिए थे, लेकिन इन 4 विश्वविद्यालयों के वार्षिक प्रतिवेदन उस दिन सदन की मेज पर रखे गये, जिस दिन सदन की मांग 37 कृषि एवं मांग 36 सहकारिता पर सदन में विचार किया जा रहा है, यह अत्यन्त गम्भीर बात है। इनकी सारी सूची भी उपलब्ध है।

साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि निम्नांकित विभागों के प्रतिवेदन तो अभी तक विधान सभा को प्राप्त ही नहीं हुए हैं। उनकी सूची मैं जरूर आपको पढ़कर.... लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16, लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन-2016-17, निदेशक, राजस्थान शहरी विकास परियोजना जयपुर, निदेशालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान।

(श्री उपाध्यक्ष)

बजट सत्र समाप्ति की ओर है फिर भी, निम्न विभागों के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इस संबंध में आसन द्वारा पूर्व में भी समय-समय पर विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन देरी से प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित मंत्री महोदय को भविष्य में इन प्रतिवेदनों को बजट उपस्थापन से 7 दिवस पूर्व विधान सभा में माननीय सदस्यों के उपयोगार्थ भिजवाये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे।

अभी हाल ही में दिनांक 15.02.2018 को आसन की ओर से यह व्यवस्था दी गयी थी कि वार्षिक प्रतिवेदन रखने में विलम्ब के दोषी कार्मिक अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हो। आसन से मार्च, 2017 में स्पष्ट निर्देश हो गये थे, स्पष्ट निर्देशों के बाद भी यह बात स्पष्ट कर दी गयी थी कि तकरीबन 7 दिवस पूर्व ये प्रतिवेदन माननीय सदस्यों के पास आ जाने चाहिए। आसन आपसे निवेदन करता है और आसन आपको निर्देश भी देता है, ये 2017 में आसन द्वारा दिये गये।

ये वार्षिक प्रतिवेदन, जो अब तक नहीं आये। जो भी अधिकारी या कर्मचारी इसका दोषी है। उन पर कार्यवाही करके अगले सप्ताह, आप आसन को अवगत कराएं। यह व्यवस्था हमने 15 तारीख के उपरान्त दी थी।

इस व्यवस्था के बावजूद भी अभी तक उक्त विभागों से वार्षिक प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए। जिन विभागों के दिनांक 03.01.2018 के परिपत्र, मैं सारे वे विभाग ले रहा हूं, 72 जिनके बाद में आये और जिनके अब तक नहीं आये, के अनुसार अपने वार्षिक प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित समय पर विधान सभा में नहीं भिजवाए, उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर मुख्य सचिव इस सचिवालय को सूचित करें।

संबंधित मंत्रीगण, आपको समय बता दिया जाएगा स्पीकर साहब से विचार-विमर्श करके। सी.एस., ए.सी.एस. और संबंधित मंत्री, जब आपको बुलाया जाए तो आप स्पष्ट निर्देशों के साथ और आपने क्या कार्यवाही की है, आप स्पीकर के चैम्बर और यहां के सचिवालय के समक्ष प्रस्तुत होंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आसन ने जो व्यवस्था दी है, शिरोधार्य है। निश्चित तौर पर, यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है और कहीं न कहीं छोटी-मोटी चूक हुई है। पर, इतना कठोर निर्देश नहीं दें उपाध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): छोटी कहां से हो गयी, 72 प्रतिवेदन नहीं आए... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मेरे को अनुमति दी है न पहले। पहले, मेरे को बोलने दें आप।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया आप सब विराज जाएं। Let the Parliamentary Affairs Minister speak.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इतने कठोर निर्देश प्रदान नहीं करें। उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जब यह मेरे संज्ञान में आया। मैंने मुख्य सचिव को उसी समय चिट्ठी लिख दी कि वार्षिक प्रतिवेदन जब मांग पारित हो रही है, उसके बाद आया है कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का और आज 3 विश्वविद्यालयों के वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16, 2016-17, 2017-18 के।

उपाध्यक्ष महोदय, हम खुद कोशिश में हैं, पर आप इतने कठोर हो जाएंगे। इसमें 72 प्रतिवेदन हैं, जो निश्चित समयावधि के बाद आये हैं तो इसका मतलब राजस्थान सरकार का कोई विभाग बचेगा नहीं, जिसका ए.सी.एस., जिसका सैक्रेटरी और जिसका मंत्री +++, जिसको उपस्थित होना पड़ेगा। थोड़ी-सी मेरी प्रार्थना है, मैं प्रार्थना ही कर रहा हूं मैं अपने आपको डिफेंड नहीं कर रहा हूं। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में, मैं स्वीकार करता हूं कि हमसे चूक हुई है। मैं यह मुख्य मंत्रीजी के संज्ञान में लाऊंगा, मैं मुख्य सचिव जी, खुद को बुलाऊंगा। पर, आपसे निवेदन करूं उपाध्यक्ष महोदय, आप तो कई बार इस विधान सभा के पुराने सदस्य रहे हैं। इस प्रकार की चूक जब भी हुई है, सरकार और संसदीय कार्य मंत्री को एक बार मौका दिया गया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप उचित समझें, आपकी व्यवस्था आपने फर्मा दी। पर, थोड़ा-सा उपाध्यक्ष महोदय, इस गुस्से को कम करो और आपने प्रताड़ित कर दिया, प्रताड़ना को मैं स्वीकार करता हूं। सरकार की तरफ से भी प्रताड़ना स्वीकार करता हूं। पर, आप उपाध्यक्ष महोदय, इतने कठोर निर्देश नहीं दें। उपाध्यक्ष महोदय, हमें सुधरने का कुछ, इसको ठीक कर लेंगे आपकी आज्ञा की पालना करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, एक तो गलती और उस पर दुबारा गलती...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): साहब, 2017 में भी इस प्रकार के निर्देश जारी किये गये थे। उसके उपरान्त भी इस प्रकार की चूक, सरकार की तरफ से बराबर हो रही है। आप कह रहे हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, इतने कठोर न बनें, आपके तो कानों पर जूं ही नहीं रेंगती है। आप तो काली कामली चढ़े ना दूजो रंग ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य महोदय, मेरा डरा हुआ और उतरा हुआ चेहरा देख लो चाहे। मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं, ऐसी बात थोड़े ही है, हम गम्भीर नहीं हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपके चेहरे पर हवाइयां हैं, राम का नाम लें, यहां आपका कुछ और रूप है, बाहर आपका रूप कुछ और है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कठोरता का कोई सवाल नहीं है। मैंने जब यह प्रश्न उठाया था तो उसमें 1969 से लेकर, अब तक के जितने माननीय अध्यक्षों के आसन की व्यवस्था हुई है, उन सब बातों को आपके सामने रखा था। हर व्यवस्था में संसदीय कार्य मंत्री या मंत्री क्षमा मांग लेते हैं और आसन छोड़ता गया तो दो शब्दों का, एक तो आसन की व्यवस्था को चैलेंज करने का, किसी भी प्रकार से संसदीय कार्य मंत्रीजी, आपने उचित काम नहीं किया, एक।

दूसरा, आसन के यहां मीटिंग को +++ का रूप देना कि आपके +++ में हाजिर होना पड़ेगा, यह शब्द बिलकुल अनुचित है। मैं समझता हूं कि दरबार में हाजिर होना पड़ेगा, इस शब्द को आप वापस लीजिए और इसको मानने का प्रयत्न करें। मैं आसन के प्रति बहुत आभारी हूं कि संसदीय लोकतंत्र को बचाने के लिए, संसदीय लोकतंत्र की परम्पराओं को बचाने के लिए आपने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जो चौदहवीं विधान सभा का आसन से दिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा और माइल स्टोन के रूप में काम आएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय लोकतंत्र में सबका विश्वास है और मेरे मुख से ये +++ निकला, उसके अलावा मेरे मुख से निकलना चाहिए आपके कार्यालय में आपकी आज्ञा के अनुसार उपस्थित होना पड़ेगा, उसको इस तरह अंकित कर लें और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 'क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात', हम इसको ठीक करेंगे, मैं स्वीकार करता हूं न। मुझे मालूम है जब मैं बोल रहा हूं। मेरी यह बात राजस्थान के अवाम में जा रही है। पर थोड़ा-सा अगर आप अनुमति प्रदान कर दें तो उचित रहेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, यहां आने पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पता लगेगा कि सोवरनिटी किसके अन्दर है। मंत्रिमंडल में नहीं है, सदन में है, इसलिए सदन में आना ही चाहिए। सदन के महत्व का पता ही तब लगेगा कि सदन क्या है इसलिए कोई मंत्रिमंडल सर्वोच्च नहीं है। यह राजस्थान का सदन सर्वोच्च है और आसन सर्वोच्च है।

श्री उपाध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री महोदय, इस पूरे सदन का एक विशेषाधिकार है। सामान्य व्यक्ति को तो हमने राइट टू इन्फोर्मेशन के माध्यम से 2005 में वो अधिकार दिया है। आज सामान्य व्यक्ति को भी अपनी सूचना एकत्रित करने का विधिसम्मत एक अधिकार, नियम और एक कार्य प्रणाली है। लेकिन संविधान द्वारा सम्पूर्ण रूप से अपनी आवश्यकता के अनुरूप जानकारी प्राप्त करके आपने स्वयं ने और आसन ने कई बार यह कहा है कि पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से अगर आप कोई विचार प्रकट करते हैं तो वो मान्य नहीं है। तो फिर किस पत्र-पत्रिका के माध्यम से विचार प्रकट किये जाएं जो मान्य हों, इसलिए ये प्रतिवेदन आते हैं। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो पिछले एक वर्ष का सम्पूर्ण कार्य होता है सरकार का, उसका समावेश होकर हमारे सदन के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यह वार्षिक प्रतिवेदन उन-उन विभाग के उस एक वर्ष के कार्यकाल में हुए सम्पूर्ण कार्यों का समावेश है। अगर यह जानकारी सदन को नहीं है तो किस प्रकार के वाद-विवाद और डिबेट की क्वालिटी आप एक्सपैक्ट करते हैं और सबसे गम्भीर तो यह है कि ये प्रतिवेदन छप भी जाते हैं, लेकिन ये कार्यालय में पड़े रह जाते हैं। आखिर उस कार्यालय से यहां तक पहुंचने में और यहां के माननीय सदस्यों को हाथ में देने में किसे परेशानी होती है। जानकारी के अभाव में कई बार माननीय सदस्य पूरी तरीके से वाद-विवाद में अपना हिस्सा नहीं ले पाते हैं, इसलिए इस सदन के सर्वोच्च चरित्र को सुरक्षित रखते हुए इन सारे अधिकारियों को लिखित में क्षमा याचना करनी पड़ेगी आसन को, उसके बाद में आसन उदारतापूर्वक विचार करने को बाध्य होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ये तो और भी सख्त हो गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो और भी सख्त हो गये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजपाल सिंह जी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) (वर्ष 2016-17)

I- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम);

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2016-17)

II- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र); एवं

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

III- स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017.

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रभुलाल जी सैनी।

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

कोटा विश्वविद्यालय के प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2015 से 2018

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कोटा विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2003 की धारा-43 के अन्तर्गत कोटा विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016, 2016-2017 एवं 2017-2018 सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह जी।

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का पृथक् लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

(राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) (वर्ष 2015-16)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा-18 की उप धारा(6) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर पृथक् लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-19 द्वितीय अवस्था। अनुदान की मांग पर विचार व मतदान। श्री गुलाबचंद कटारिया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 - पुलिस की प्रस्तुति

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16-पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 61,39,95,54,000/- (इकसठ अरब उनतालीस करोड़ पचानवे लाख चौवन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 16 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

मांग संख्या 17 - कारागार की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17-कारागार के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,03,53,03,000/- (दो अरब तीन करोड़ तिरेपन लाख तीन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 17 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: मुझे सदन को यह सूचित करना है कि जो नाम और सूचियां आसन को अब तक प्राप्त हो गयी हैं उसके अलावा अब और कोई पर्चियां या कोई इस प्रकार का निवेदन स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आखिरी तक पर्चियां आती रहती हैं उससे समय व्यवस्थित नहीं रह पाता। इसलिए

(श्री उपाध्यक्ष)

जिन-जिन माननीय सदस्यों ने इस बात की जानकारी आसन को दे दी है वहीं तक सीमित रहते हुए हम शुरू कर रहे हैं। श्री जोगाराम जी पटेल।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। मैंने आपसे निवेदन किया था।

श्री उपाध्यक्ष: विराज जाएं। Let her complete on point of information.

सूचना

बस्सी की पंचायत कुथाड़ा के एक परिवार के सदस्यों के साथ पुलिस की मारपीट

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पर एक पंचायत है कुथाड़ा वहां से दो बस भर कर लोग बैठे हुए हैं सुबह से। कल रात को साढ़े सात बजे बस्सी तहसील के कानोता थाने से पूरा थाना एक घर पर चला गया कुथाड़ा के एक आम नागरिक के घर पर और उनके साथ मारपीट की। बिना किसी महिला कांस्टेबल को लिये हुए वो रात को गये और कोई आफिसर नहीं था उनके साथ। कोई जमीन विवाद किसी और का था। भूमाफिया के कुछ लोग उनके साथ थे और भूमाफिया के लोगों के साथ मिलकर पुलिस वाले जमीन उनकी खाली कराने गये थे तो न कोई आर्डर था, कोई अरेस्ट वारंट नहीं था। कोई आफिसर का आर्डर नहीं था। कोई कोर्ट का आर्डर नहीं था। उसके अलावा महिलाओं के साथ इतनी मारपीट की है उन्होंने कि सिक्स मंथ्स प्रेग्नेंट एक वूमन थी जो रात भर होस्पिटलाइज्ड रही है और उसका मिसकैरेज हो सकता था। उसका सबूत यह है कि यह नेम बैच है उस पुलिस वाले का मेरे हाथ में जो उस महिला की मुट्ठी में मिला होस्पिटल के अन्दर। इस हद तक मारपीट हुई और महिलाएं जो मेरे यहां बैठी हुई हैं उनकी हालत देखने लायक है। मैं यह मांग करना चाहती हूं कि जो आम नागरिकों को जाकर के पीट रहे हैं भूमाफियाओं के साथ मिलकर, ऐसे थाने वालों को, ऐसे पुलिस वालों को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करने का आश्वासन मंत्रीजी मुझे दें आपके माध्यम से।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि विषय एकदम ऐसा आया है इसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही मैं इस विषय पर कुछ बात कह सकता हूं।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बैच मेरे हाथ में है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। गृह मंत्रीजी आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर चुके हैं कि जानकारी प्राप्त करके और जो भी इसके संबंध में कार्यवाही हुई है या होगी या जो भी है वो आपको दे देंगे।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम जी पटेल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बहुत-बहुत आभार माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी कटौती प्रस्ताव विभिन्न विभागों के आये हैं सब अपने-आप में इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आज जिस मांग संख्या-16 और 17, पुलिस और कारागार पर विचार-विमर्श हो रहा है, वह राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान युग के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। कोई दिन नहीं गया होगा इस विधान सभा में जिस दिन किसी माननीय सदस्य ने इस विभाग से संबंधित कोई बात अपने श्रीमुख से यहां नहीं रखी होगी। चूंकि यह विभाग आम अवाम से सीधा जुड़ा हुआ है, रोजाना काम पड़ता है, इस विभाग की छवि सरकार की छवि बनकर उभरती है। ऐसी स्थिति में मांग संख्या-16 और 17 का आपस में इंटरलिंक भी है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी अपने सामाजिक प्राणी के अलावा कोई कृत्य करता है जो आफेंस की परिभाषा में आता है तब इस विभाग का कार्यक्रम शुरू हो जाता है।

चाहे वह प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में हो, चाहे वह आफेंस कमिट होने के बाद हो। अगर कोई व्यक्ति अपनी सामान्य प्रक्रिया से बाहर जाकर कोई कार्य करता है तब तुरन्त ही उसकी कोई कम्प्लेंट या एफआईआर दर्ज होती है। कम्प्लेंट और एफआईआर दर्ज होने या विभाग को ओरल इन्फार्मेशन मिलने पर, जैसे अभी माननीय सदस्या ने इन्फार्मेशन रखी, ऐसा रखते ही विभाग हरकत में आ जाता है। कोशिश करता है और सख्त कार्यवाही करने का भी प्रयास करता है कि भविष्य में ऐसा कोई ओफेंस कमिट नहीं हो, कम्प्लेंट या एफआईआर नहीं आये या किसी व्यक्ति की शिकायत नहीं आये।

मेरा निवेदन यह था कि ज्यों ही किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत की,

(श्री जोगाराम पटेल)

कोई प्राइवेट कम्प्लेंट दर्ज हुई, कोई इन्फार्मेशन दी, विभाग हरकत में आता है और उसका इन्वेस्टीगेशन शुरू होता है। इन्वेस्टीगेशन होने के बाद या तो यह मान लिया जाता है कि जो आरोप लगाया गया है, वह गलत है या वह आरोप सही माने जाते हैं तो जैसा भी आर्फेंस कमिट हुआ है, उसके अनुसार ही न्यायालय में उस संबंध में चालान प्रस्तुत हो जाता है। चालान प्रस्तुत होने के उपरांत फिर कार्यवाही शुरू होती है। विभाग चाहता है कि उसको सज़ा मिले, जिसने भी आर्फेंस कमिट किया है। जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, वह चाहता है कि मैं निर्दोष साबित होकर कोर्ट से निकलूं। इन दोनों के बीच में जो भी कार्यवाही होती है, अगर उसको सज़ा हो जाती है तो फिर विभाग का काम और शुरू हो जाता है। फिर वह बिहाइंड द बार हो जाता है और मांग संख्या 17 शुरू हो जाती है। मांग संख्या 17 शुरू होते ही कहेंगे कि उसको कस्टेडी में कैसे रखना है, उसको सुधरने का मौका कैसे देना है? मांग यह आएगी ऐसा प्रयास किया जाए कि वह वापस सामाजिक प्राणी बनकर समाज में जाए और ढंग से रहे। दोनों विभागों का इस तरह से इंटरलिंक चलता है। कम्प्लेंट जहां से शुरू होगी और वापस वह एक सामाजिक प्राणी बनकर या उस पर जो भी आरोप लगा है, उसकी जो भी सज़ा हुई है, उसे पूर्ण करने के बाद समाज में जाए। पहली स्टेज से लगाकर लास्ट स्टेज तक विभाग का काम रहता है। पुलिस की महत्ता इसलिए जानी जाती है कि करीब सवा लाख की नफरी वाला यह विभाग समाज के हर तबक़े को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। अनेक संतुष्ट होते हैं, कुछ असंतुष्ट रहते हैं और कुछ जानबूझ कर भी असंतुष्ट रहते हैं और यह मिक्स पिक्चर चलती है।

राज्य सरकार के गृह विभाग के मार्गदर्शन में पूरा महकमा काम कर रहा है, इसमें कांस्टेबल से लगाकर जितने भी बड़े अधिकारी बैठे हैं, सभी का उद्देश्य यही है कि हमारे विभाग की छवि साफ हो, जनता में हमारा विश्वास बढ़े, अपराधियों में खौफ हो, फरियादियों में विश्वास बढ़े, लेकिन प्रयास में कमी कभी रहना स्वाभाविक है। इतने बडे महकमें में सभी तरह के लोग इतने इफैक्टिव काम करेंगे, यह सम्भव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने जब निवेदन कर रहा हूं, चाहे वह कानून व्यवस्था से संबंधित हो, चाहे वह शांति व्यवस्था से संबंधित हो, चाहे वह नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे अपराधों का अनवेक्षण हो, चाहे अपराधों के अनवेक्षण के बाद ट्रायल का विषय हो, न्यायालय में जो ट्रायल होती है, जांच होती है, उसका विषय हो,

(श्री जोगाराम पटेल)

सभी तरह के मेलों, सभाओं का विषय हो, सभी तरह की धार्मिक या राजनीतिक सभाओं का विषय हो, कोई भी बलवा हो, आपातकाल हो, जैसे बाढ़ आ गयी, भूकम्प आ गया, आग लग गयी या अन्य कोई स्थिति आ गयी, उन सारी स्थितियों में यह विभाग सक्रिय हो जाता है। इसके अलावा वर्तमान युग के साइबर क्राइम के अपराध, ब्लैकमेलिंग के अपराध, जो नये-नये अपराध आ रहे हैं, उस मामले में भी यह विभाग तुरन्त ही सक्रिय होता है। इस विभाग का कार्य अंतिम रूप से उसे सज़ा दिलाने तक ही समाप्त नहीं हो जाता है, उसके बाद भी कार्य रहता है कि भविष्य में वह पुन: ऐसी पुनरावृत्ति नहीं कर दे। एक सामाजिक प्राणी बनकर वह रहे और समाज में उसकी वजह से पुन: कोई अपराध घटित नहीं हो।

(13.55 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, हमें यह मानना पड़ेगा कि हम सब लोग समाज में रहते हैं। हमारा मन होता है परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारी में शादी हो तो उसमें शरीक हों। होली हो, दीपावली हो, हम पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हों। हम यह भी चाहते हैं कि हमारी कोई धार्मिक या राजनीतिक सभा हो, वह बहुत ही अच्छी हो। हम यह भी चाहते हैं कि चाहे हमारा गणतंत्र दिवस है या स्वतंत्रता दिवस है, वह बहुत ही शांति से हो। हम यह भी चाहते हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो तुरन्त हमें सहायता मिले। अभी थोड़े दिन पहले सबसे नजदीक ब्यावर में दुखांतिका हुई, ऐसी दुखांतिका हो या बाढ़, भूकंप ऐसी कोई स्थिति हो, हम पुलिस से अपेक्षा करते हैं कि पुलिस का कांस्टेबल, पुलिस का सीआई या पुलिस का अफसर वहां खड़ा रहे, तुरन्त हमारी सहायता करे। उससे हम यह अपेक्षा कभी नहीं करते कि वह दीपावली पर अपने घर जाए, अपने परिवार के साथ रहे। उससे हम यह अपेक्षा कभी भी नहीं करते हैं कि वह होली के दिन थोड़ी-सी गुलाल अपने सिर पर भी लगा ले। हम उससे अपेक्षा नहीं करते हैं कि अगर उसके परिवार में कोई शादी है तो वह मायरा भरने के लिये जाए। हम अपेक्षा यह करते हैं कि ऐसी सारी परिस्थिति में वह हमारा साथ दे, हमारे साथ खड़ा रहे और रात-दिन लगा रहे।

माननीय सभापति महोदय, अभी जब मैंने ब्यावर की दुखांतिका के बारे में सुना तो जिस ढंग से इसको टैकल किया गया, बिलाड़ा से आने वाले

(श्री जोगाराम पटेल)

माननीय सदस्य यहां विराजमान हैं, कभी आप उसके बारे में उनसे सुनेंगे तो पता चलेगा कि तीन सतह एक साथ हो गयी, लेकिन इतने ढंग से जो विभाग के इस विषय के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस तरह से कार्यवाही की और उस कार्यवाही में जनता से जो अपेक्षाएं थीं, वह किस तरह से जनता करती है, अपनी बात पहले रखती है। हमारे राजस्थान में अनेक सेवाओं के लोग हैं, कोई एक सेवा के लोग नहीं है। सभी तरह की सेवाओं के लोग हैं, प्रशासनिक सेवाएं हैं, सिविल सेवाएं, सभी तरह के लोग हैं, लेकिन जब भी ऐसे आयोजन होंगे तब हम अपेक्षा करेंगे कि हमारी सुरक्षा के लिये वह कांस्टेबल, हमारा सीआई या हमारा एसआई खड़ा रहे और हमें सुरक्षा प्रदान करे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज आपके मार्फत माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि हम आंकड़ों में नहीं जाएंगे, अभी हमारे विपक्ष के साथी कहेंगे कि इतना प्रतिशत अपराध बढ़ गया, इतना प्रतिशत अपराध घट गया, बलवा हो गया, बच्चियों के साथ यह हो गया, झगड़े हो गये, लूट हो गयी, डकैती हो गयी, यह सारा महाभारत और रामायण काल से होता आ रहा है। प्रश्न यह है कि क्या उस पर प्रभावी कार्यवाही करने का प्रयास ईमानदारी से किया जा रहा है या नहीं? विभाग कहीं जान बूझकर लापरवाही बरत रहा है या विभाग के अधिकारी किसी दूसरे अनैतिक कार्यों में लिप्त हो रहे हैं, यह विषय गम्भीरता से विचार करने योग्य है।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया और राजस्थान के गृह मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि अनेक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी इस विभाग ने ऐसे अनेक कीर्तिमान कायम किये जिसका महत्व न केवल राजस्थान में बल्कि हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान के बाहर भी इस विभाग का महत्व बढ़ा है। अनेक लोग मुझे यह भी कहेंगे कि आप पुलिस की ज्यादा प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं पुलिस की प्रशंसा ही नहीं करता हूं, मैं पिछले 40-45 साल से इस विभाग से नजदीक से जुड़ा हुआ हूं, मुझे पता है कि इस विभाग का दर्द क्या होता है। कभी भी हमने इस बारे में विचार नहीं किया कि एक कांस्टेबल को कितने दिन की छुट्टी मिलती है, कितने दिन का उसको भत्ता मिलता है, किस दीपावली और होली पर उसको छुट्टी मिलती है। शादी होती है तब वह छुट्टी मांगने जाता है तो अफसर किस तरह से उसकी तरफ देखते हैं, हमें इस बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। हमें इस बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है

(श्री जोगाराम पटेल)

कि उसके ऊपर कितना सामाजिक, आर्थिक और अन्य परिस्थितियों का दबाव भी रहता है। जिस ढंग से वह बोलता है, जिस ढंग से वह व्यवहार करता है, जिस ढंग से वह थाने में बैठता है, जिस ढंग से वह अन्य स्थान पर बैठता है, जनता उससे क्या अपेक्षा करती है। मेरा निवेदन यह भी है कि हम उसी परिप्रेक्ष्य में बर्ताव करें तो हम अपेक्षा भी करेंगे कि वह वापस हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करें। मैं इसी दृष्टि से इस विभाग की जो अपनी प्राथमिकताएं तय हुई हैं, उन प्राथमिकताओं में गम्भीर संगठित अपराधों पर हार्डकोर केस आफिसर इत्यादि योजनाओं के अन्तर्गत प्रभावी नियंत्रण, महिलाओं, बच्चों व कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, पुलिस की कार्य प्रणाली, आधुनिक

(14.00 बजे)

तकनीक व आधुनीकरण का उपयोग, इस पर भी निवेदन करूंगा। सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में दस प्रतिशत की कमी लाना, क्योंकि आज की तारीख में अगर कोई जानलेवा चीज बढ़ी है तो सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। पुलिस प्रवर्तित सामुदायिक योजनाओं, वगैरह जो भी हैं, उसके संबंध में मेरा निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, आज मैं आंकड़ों में बिलकुल नहीं जाऊंगा कि कितने परसेंट अपराध की कमी हुई है और कितना परसेंट अपराध घटा है? लेकिन यह शाश्वत सत्य है कि अपराध बढ़ते भी हैं, अपराध घटते भी हैं। अपराध बढ़ने के अनेक कारण होते हैं। अपराध घटित होने के भी अपने कारण होते हैं और अपराध कम होने के भी अनेक कारण होते हैं, लेकिन हमारी अपेक्षाएं क्या हैं? शांति व्यवस्था हो, सुरक्षा हो, अपराधियों में भय हो, फरियादियों में शांति, अपेक्षा और विश्वास हो। इससे आगे हमने अभी तक थाने के बाहर कभी भी नहीं लिखा। मेरा आज विभाग से निवेदन है कि एक चीज और लिखें। इस विभाग के वैलफेयर के जो कार्यक्रम होने चाहिए। दूसरे विभागों में, दूसरी सर्विसेज में जो होने चाहिए, वह भी, कभी न कभी हम इस पर विचार करें।

वर्तमान युग में जो चेंज हो रहा है। आज वे केसेज नहीं रहे हैं, जब एक अपराध के लिये इन्वेस्टीगेशन जिस तरीके से होता था, लूट हो गयी, डकैती हो गयी, चोरी हो गयी, चाहे वाहन चोरी हो गया, चाहे कहीं घर में चोरी हो गयी, तो किस तरह से होता था? आज की तारीख से नये सोफिस्टीकेटेड

(श्री जोगाराम पटेल)

ढंग से होता है। अब भी तीन दिन से अखबारों में चल रहा है। आफेंस करने वाले दिल्ली में बैठे हैं और पैसे यहां से उठकर दिल्ली जा रहे हैं। ऐसे आफेंस अब होने लगे हैं। हमको इस लाइफ में जाना पड़ेगा और उसी तरह से हमें हमारी पुलिस को वर्तमान में बनाना पड़ेगा। उस तरह से बनाएंगे, तभी जाकर हम वर्तमान युग में, हमारे राजस्थान की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उस पर खरे उतर पायेंगे। माननीय मंत्री महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारी सीमा इधर पाकिस्तान से लगती है, इधर गुजरात से लगती है, इधर यू.पी. से लगती है और मध्य प्रदेश से लगती है। हमारे चारों तरफ अनेक प्रदेश हैं। आप अनुमान लगाएं कि यू.पी. और बिहार के जो अपराध के आंकड़ें हैं, वे धीरे-धीरे राजस्थान की तरफ आने लगे हैं। वहां के जो अपराधी थे, धीरे-धीरे भौगोलिक परिस्थिति के वजह से हो या पुलिस की वजह से हो या फिर वहां से आपस में गैंगवार हो, उसकी वजह से वे शिफ्ट होने लगे हैं। इतना ही नहीं, इन भौगोलिक परिस्थितियों में हमारा जैसलमेर, बाड़मेर का जो क्षेत्र है, पाकिस्तान से लगता हुआ हमारा बोर्डर है, वहां पर विदेशी पर्यटक भी आते हैं। हमारी अन्तरराष्ट्रीय पहचान भी हमारे राजस्थान की वजह से बनती है। वे आते भी हैं, जाते भी हैं। बंगाली हो या साउथ इंडियन हो, वे सारे भी.., चाहे होली हो दिवाली हो या दिसम्बर की छुट्टियां हों, वह मनाने के लिये हमारे यहां आते हैं, वे हमारे राजस्थान की पहचान लेकर जाते हैं।

हमारे यहां पर दो-तीन तरह के भू-माफिया हुआ करते थे। शराब के माफिया हुआ करते थे। एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अफीम माफिया हुआ करता था, लेकिन धीरे-धीरे उसमें परिवर्तन होने लग गया। अब बजरी माफिया, नकल माफिया, साइबर क्राइम के माफिया, अब नई तरह के माफियाओं की डेफिनेशन देने में भी कई तरह का विचार करना पड़ेगा कि इसको कौनसी डेफिनेशन देवें। इस तरह के जो अपराध घटित होने लगे हैं। इस साल तो नहीं, लेकिन पिछले वर्ष ब्लैकमेलिंग के जो हाई-प्रोफाइल केस हुए थे। विभाग को धन्यवाद है कि जो फरियादी आया था, वह फरियादी यह रिपोर्ट करने के लिये आया था कि मेरे साथ इस तरह से घटना हो गयी है, मेरे साथ बलात्कार हो गया है। जब अन्दर से खोदकर निकाला तो पता लगा कि यह तो पूरी बनावटी कहानी है और वास्तविकता इससे बिलकुल विपरीत है। राजस्थान में जब यह अपराध खुलकर सामने आया तो अनेक लोग डर के मारे बाहर आये कि साहब, हमारे साथ इस तरह से घटनाएं हो गयी हैं। अगर हमारा पुलिस का विभाग

(श्री जोगाराम पटेल)

खोदकर बाहर नहीं निकालता और यह विश्वास करता कि फरियादी कह रहा है, वह सही है और फरियादी के साथ ऐसी घटना हुई होगी। शायद आज वह परिप्रेक्ष्य भी दूसरा होता और वह परिप्रेक्ष्य दूसरा होता तो हम उसकी जांच भी नहीं करते। इसलिए हाई-प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग के जो केसेज हैं। अफीम-डोडा के माफिया के केसेज हैं। हथियार और तस्करी के केसेज हैं और यह दिनों दिन बढ़ रहा है। चाहे यू.पी. बोर्डर के आये, चाहे मध्य प्रदेश के बोर्डर से आये, राजस्थान में हथियार तस्करी के बहुत ज्यादा केसेज आ रहे हैं और विशेषकर वे पश्चिमी राजस्थान में आ रहे हैं। पूर्वी राजस्थान की मुझे इतनी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला दूं कि पश्चिमी राजस्थान विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में तो हथियार तस्करी के मैक्सिमम केसेज अन्दर ही अन्दर आ रहे हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।

इसके साथ-साथ मेरा निवेदन यह भी है कि जेल में बैठे-बैठे जो क्राइम कर रहे हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करुंगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसको कैसे अपराधी ठहराएंगे, वह तो जेल के अन्दर है। जेल में बैठा है। आप यह कहेंगे कि यह बाहर कैसे आया? लेकिन जेल में बैठे-बैठे, हिन्दुस्तान की बिना कोई सेवा लिये, वह अन्तरराष्ट्रीय टेलीफोन सेवाओं का उपयोग करके भी अपराध कमिट कर रहा है। इसको हम नजदीक से देखेंगे तो पता लगेगा। स्पेशली जोधपुर की जेल में बैठे-बैठे ऐसे अनेक अपराधी हैं, जिन्होंने अपने फोन के मार्फत, हिन्दुस्तान का फोन नहीं, उसने विदेश में फोन किया, विदेश से फोन आया और उसके बाद सारा प्लांनिंग के साथ कमिट हो रहा है। चाहे ग्रुप का केस हो, चाहे और कोई केस हो, वे ऐसे अपराध भी करने लगे हैं। तो हमें इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा कि हम उसको कैसे इन्वेस्टीगेट करें और कैसे इसकी परिधि में लाएं? साइबर क्राइम वाले केस तो आजकल ज्यादा ही होने लगे हैं। साइबर क्राइम में पहले तो यह होता था कि इस तरह से गये और निकाल दी। अब एक नया डवलपमेंट और हुआ है कि वह बाहर कहीं भी बैठा है, चाहे दिल्ली में बैठा, चाहे मुम्बई में बैठा है, चाहे और कहीं बैठा है, किस तरह से निकाल देता है। इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय हमको विचार करना पड़ेगा।

अभी अवैध वसूली की नयी चीज पैदा हुई है। जोधपुर में बड़ी-बड़ी घटनाएं हुईं। मर्डर भी हुए, धमकियां भी हुईं और उसकी वजह से साल भर

(श्री जोगाराम पटेल)

तक पुलिस के लिये बहुत चुनौती रही, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे जाकर उस गैंग को पकड़ा गया है। उसकी जांच से पता लगा कि अवैध वसूली का भी एक बहुत बड़ा धंधा राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर चला है। वह राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं है, राजस्थान में ही नहीं है, और जगह भी इस तरह से धंधा चल रहा है। उसमें भी जो नये तरह के जो आफेंस आ रहे हैं, मैं उसके संबंध में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारा बोर्डर 836 किलोमीटर का पाकिस्तान का गुजरात से लगाकर है, उस बोर्डर पर तीन तरह की गतिविधियां हो रही हैं, जिसकी ओर मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक गतिविधि यह कि कितनी भी सुरक्षा होने के बावजूद भी, बीएसएफ का कितना भी कंट्रोल होने के बावजूद भी, वहां का पाकिस्तान द्वारा भेजा हुआ कोई भी खुफिया तंत्र हमारे इधर प्रवेश कर जाता है। कभी एक पकड़ा जाता है, कभी दो पकड़े जाते हैं। पिछले साल 2017-18 में जो लोग पकड़े गये हैं, उन सबसे यह पता लगा है कि हमेशा पाकिस्तान की कहीं न कहीं एक्टिविटी रहती है कि कोई न कोई आ जाए। यहां आने के बाद वे हमारे किसी न किसी भारतवासी को, चाहे वह सरकारी अधिकारी है, चाहे अन्य कोई है, उसको आर्थिक प्रलोभन देकर या और कोई प्रलोभन देकर, या अन्य किसी वजह से उसको साथ जोड़कर, उस अपराध की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। हमारे ऐसे सरकारी कर्मचारी भी पकड़े गये हैं, जो उनके साथ लिप्त होकर, हमारी गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान को भेज रहे हैं। यह भी हमारे लिये एक चुनौती का कार्य हो रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए कि 1070 किलोमीटर की हमारी पाकिस्तान की सीमा, 836 किलोमीटर का हमारा रेतीला एरिया और इन सब के बावजूद भी अगर अपराध में नियंत्रण करना तो मेरा पहला निवेदन यह है कि हमें नये-नये क्राइमों में हमारे आफिसर्स को, हमारी इन्वेस्टीगेशन एजेंसी को एक्पर्ट करना पड़ेगा, उनको इस संबंध में कोई न कोई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, चाहे वह साइबर क्राइम की है, चाहे वह क्रिमिनोलोजी की है, चाहे वह फोरेंसिक साइंस की है, चाहे वह पोलिटिकल साइंस की है, चाहे वह साइकोलोजी की है, चाहे वह हाई-प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग की कि किस तरह से ग्रैब करना है, इस संबंध में भी है। माननीय सभापति महोदय, मुझे विश्वास है कि आदरणीय गृह मंत्रीजी इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे होंगे और उन्होंने किया भी होगा।

ये जो नये तरह के आफेंस कमिट हो रहे हैं, इस बारे में भी, चाहे

(श्री जोगाराम पटेल)

साइबर क्राइम हैं, चाहे क्रिमिनोलोजी है, चाहे फोरेंसिक साइंस है, चाहे पोलिटिकल मोटिवेटेड साइंस है, चाहे साइकोलोजी है, हाई-प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग के केसेज हैं, इन सब पर अंकुश लगाने के लिये हमें ऐसे आफिसर भी तैयार करने पड़ेंगे। मेरा आज जो पहला निवेदन है, वह यह है कि जो आई.पी.सी. के आफेंस हैं, एन.डी.पी.एस. के आफेंस हैं, ई.सी. एक्ट के आफेंस हैं, एक्साइज एक्ट के आफेंस हैं। उसके लिए हमारे आफिसर्स ट्रेंड हैं, अपने आप धीरे-धीरे सब ट्रेंड हो गये हैं।

लेकिन नये-नये जो ओफेंस वर्तमान में कमिट हो रहे हैं, उनके लिए हमारे आफिसर्स की ट्रेनिंग हो, कोर्स हो और उनको इस संबंध में एक्सपर्ट बनाया जाए तभी हम क्राइम रोक पाएंगे। माननीय मंत्रीजी जब प्रति-उत्तर देंगे तो बताएंगे कि हत्या के कितने केसेज हुए, लूट के कितने केसेज हुए, डकैती के कितने केसेज हुए। उन सबमें कहीं न कहीं साइकोलोजिकल इफैक्ट पड़ रहा है। अपराध क्यों कमिट हो रहा है? इस पर भी हमको जाना पड़ेगा। अपराध कमिट होने के कारणों पर हमको जाना पड़ेगा। उसके पीछे बैक-बोन क्या है? उसके पीछे बैक-ग्राउण्ड क्या है? इस पर भी हमको जाना पड़ेगा। अभी थोड़े दिन पहले जोधपुर में एक अपराध के लिए अपराधी पकड़े गये। सभी कालेज के स्टूडेंट थे। जब जांच की तो पता चला कि इनको खाने-पीने का शौक है और पैसे की कमी की वजह से यह अपराध कर देते हैं। अन्य कोई कारण नहीं निकला, उसमें से इतना ही कारण निकला कि खाने-पीने का शौक है, पैसे की कमी है तो कहीं न कहीं जाकर लूट लिया। ऐसे अनेक कारण हैं। उन कारणों का भी इन्वेस्टीगेशन करना पड़ेगा। कारणों का इन्वेस्टीगेशन करने के बाद हम जब इस स्टेज पर आएंगे तो पता लगेगा।

मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं। यह हमारे आरोप-प्रत्यारोप हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आपके जमाने में इतने अपराधों की कमी हुई, वृद्धि हुई। लेकिन राजस्थान में पहली बार चाहे एनडीपीएस के आफेंस हैं, चाहे आईपीसी के आफेंस हैं, चाहे एक्साइज के हैं, उन सारे अपराधों में कमी हुई है। 2013-2014 तक तो 5 परसेंट, 2 परसेंट, 3 परसेंट के आस पास कहीं वृद्धि हुई थी लेकिन अब किसी-किसी में तो 14 परसेंट, किसी में 5 परसेंट, किसी में 7 परसेंट की कमी हुई है। जो सजा दिलाने की प्रक्रिया है, चाहे न्यायालय में कोर्ट आफिसर की प्रक्रिया हो, न्यायालयों में हमारे जो पीपी और एपीपी है, उनकी किस तरह से प्रभावी रूप से कार्यवाही करने की बात हो, अपराधों में

(श्री जोगाराम पटेल)

गवाहों को लाना, गवाहों को विश्वास दिलाने का काम हो, इस संबंध में जो प्रभावी कार्यवाही की है उससे एक विश्वास बढ़ा है। सजा का प्रावधान और सज़ा का प्रतिशत बढ़ा है। सजा का प्रतिशत बढ़ेगा तो अपराधी में खौफ पैदा होगा कि मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा। इसीलिए धन्यवाद दूंगा राजस्थान की सरकार को और माननीय गृह मंत्रीजी को कि सज़ा का जो प्रतिशत बढ़ाया है, उसके आधार पर ही पता लगेगा कि अपराधों में कमी किस तरह से हो रही है क्योंकि जो अन्दर जाएगा, वह आफेंस कमिट नहीं कर पाएगा।

मेरा पहला निवेदन यह था कि हमें उसका बैक-ग्राउण्ड ढूंढना है, नये तरह के अपराध आ रहे हैं, उसके लिए इन्वेस्टीगेशन एजेंसी को तैयार करना है और सजा का प्रावधान बढ़ाना है। सजा का प्रतिशत बढ़ाना है। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि अभी-भी हमारे पास दो चीज की आवश्यकता है। हमारे थानों में जो सीनियर आफिसर्स हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है लेकिन हमारे कांस्टेबल से लगाकर हैड-कांस्टेबल, एएसआई तक के आफिसर्स हैं, उनके व्यवहार की वजह से हमारे डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी होती है। जब फरियादी अन्दर जाएगा तो उससे पहले बाहर गेट पर ही आपका एक कांस्टेबल मिलेगा, वह ऐसा व्यवहार करेगा जिससे फरियादी वहां आना पसंद नहीं करें। दूसरा, इन दोनों चीजों को आप गम्भीरता से लें। जितने भी हाई वे हैं, हाई वे पर हो सकता है कि अपराध रोकने के लिए जरूरी हो, जांच करने के लिए हो, लेकिन हाई वे पर जिस तरह से खड़े-खड़े हमारे सामने खुले रूप में वह नीचे हाथ से लेते हैं फिर रवाना करते हैं, उससे पुलिस की छवि बहुत खराब हो रही है। ओपन हो रहा है। सबके सामने हो रहा है। एक, आपके जो आरटीओ वाले अपनी गाड़ी बैक देकर के खड़े हो जाते हैं। बाहर शर्ट निकला हुआ, तोंद निकली हुई किसी आदमी को डंडा लेकर खड़ा कर देते हैं, ट्रक वाला आया, रुकाया, उधर खड़ा किया, सब बैठे-बैठे देखते रहते हैं कुछ अन्दर गया और वह वापस रवाना हो गया। इससे हमारी छवि खराब हो रही है। अगर हमको ट्रक को रोकना है और जांच करनी है तो सख्ती से करें, इसमें कोई एतराज नहीं है। अगर हमको गाड़ी रोकनी है और जांच करनी है तो सख्ती से करें, इसमें कोई एतराज नहीं है। पुलिस द्वारा रोकी और जांच की, फिर इधर पकड़ा कर के रवाना होना, यह आम जनता में एक बात है, इसको रोकने की आवश्यकता है। यह ऊपर के आफिसर्स में नहीं है। वह फरियादी आता है, उससे व्यवहार भी अच्छा करते हैं। बोलते भी हैं आपका क्या काम

(श्री जोगाराम पटेल)

है? कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे नीचे का कांस्टेबल और उसके आस पास का तबका है, वह पता नहीं कहां उलझ गया है और आप क्यों नहीं इस पर ध्यान रख रहे हैं? मेरा निवेदन है कि हाई वे पर आपके चैकिंग के नाम पर जो अवैध वसूली हो रही है या आरटीओ जो गाडी के चैक के नाम पर कर रहे हैं या थाने में फरियादी के साथ नीचे तबके के जो व्यवहार कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी पुलिस की बहुत बदनामी हो रही है। उसमें हम सुधार कर लें, उसके व्यवहार को ठीक कर लें और फरियादी के लिए थोड़ी व्यवस्थाएं कर लें तो इस विभाग की छवि और बढ़ेगी।

इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि राजस्थान में जो उपलब्धियां रही हैं, वह सारी उपलब्धियां अभी मेरे अन्य सभी साथी बताएंगे, आंकड़ों में बताएंगे, कम्पेरिजन भी करेंगे। विपक्ष के साथी कम्पेरिजन करके कहेंगे कुछ भी नहीं किया, मटियामेट कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ, अपराध बढ़ गया, गुंडाराज है, यह तो रहेगा। लेकिन कभी भी इस बात को नहीं कहेंगे कि अपराध को रोकने के प्रभावी उपाय जो वर्तमान सरकार ने किये हैं, ऐसा आज से पहले कभी नहीं किया। नयी तरह की थानों में विंग की गयी है। बहन -बेटी आती है तो उसके लिए महिला डेस्क बनायी गयी है। अपराधों की बराबर जांच हो रही है। इंफोर्मेशन रजिस्टर्ड हो रही है। एफआईआर के लिए फरियादी को मना नहीं किया जाएगा। केस डायरी की जांच हो रही है। कोर्ट में जाने के बाद हो रहा है। यह सारे उपाय जो माननीय मंत्रीजी ने किये हैं, ये अपराध को नियंत्रित करने के उपाय हैं। जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इतना टाइम हो गया पिछले चार-पांच वर्षों में ऐसा कोई भी भंयकर अपराध नहीं हुआ।

मैं किसी पर टीका-टिप्पणी नहीं करता। चाहे आनंदपाल सिंह का केस हो, जिसको आपने जब चाहे जब विधान सभा में पिछले चार सालों से, चाहे जोधपुर का लारेंस विश्नोई गैंग के सफाये का मामला हो। चाहे हमारे जो मेहता जी है, जोधपुर विश्वविद्यालय में, फर्जी डिग्रियों का मामला हो, चाहे जोधपुर जेडीए में अनेक तरह के अपराध कमिट करने का मामला हो, ऐसे अनेक आफेंस बाहर निकालकर समाज के सामने लाए हैं कि ये हाई-प्रोफाइल दिखने वाले व्यक्ति भी इस तरह से आफेंस कमिट कर रहे हैं। फर्जी डिग्रियों की वजह से कितने लोगों के साथ अन्याय हुआ? वह पहली बार खोला तो हमारी राजस्थान पुलिस ने खोला। कमल मेहता जी की यूनिवर्सिटी का मामला हो, जननी सुरक्षा योजना के साथ, बेरोजगारों के साथ जिस तरह से धोखाधड़ी

(श्री जोगाराम पटेल)

की गयी, वसूली की गयी, वह रोकने का मामला हो। नकल गिरोह, ऐसे-ऐसे छोटे अपने शर्ट के अन्दर, पैंट के अन्दर कहां-कहां सिल करके ले जाते हैं और नकल मार रहे थे, उसको खोद कर बाहर निकालने का मामला हो। जोधपुर में लूट, डकैती, धमकी, अवैध वसूली इसकी जो गैंग पनप रही है, उसका मामला हो। राजस्थान में अन्य जगह पर भी ऐसे जो मामले हैं और जयपुर में व उसके आस पास हाई-प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग के केस, ये ऐसे अचीवमेंट हैं मंत्री जी, आपके कि इनका जितना गुणगान करें उतना ही कम है। इसीलिए हमें इस बारे में आगे जाकर और निवेदन करना है, कार्यवाही करनी है कि ऐसे आफेंस भविष्य में कमिट नहीं हों।

दूसरा विषय, कारागार है, मैं इस पर निवेदन करूंगा कि थानों में जो नफरी है, वह नफरी भी अपेक्षानुसार नहीं है और नफरी अपेक्षानुसार नहीं होने से अपराध नियंत्रण में कहीं न कहीं जाकर के कमी हो रही है। धन्यवाद और आभार है राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का इस बार बजट में उन्होंने इस तथ्य को गम्भीरता से लिया है, पिछली बार भी लिया था और इस बार भी लिया है। पिछली बार फोरेंसिक साइंस की विंग सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, जोधपुर में स्थापित की थी और 5500 कांस्टेबलों की भर्ती का विषय भी रखा था। तीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दस उप पुलिस अधीक्षक, बीस पुलिस थानों इत्यादि का काम किया था। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत धन्यवाद दूंगा हमारे गृह मंत्रीजी को कि थानों की वर्तमान जो स्थिति है, उसमें सुधार की ओर चल रहे हैं। मेरे जोधपुर कमिश्नरेट में एक कुडी बख्तासिनी थाना, नई बिल्डिंग अभी आपके आशीर्वाद से बनकर तैयार हो गयी है और करीब सात-आठ महीने पहले वह शुरू भी हो गयी। थाने की बिल्डिंग, थाने में रहने वाले स्टाफ के क्वाटर्स, उस थाने के सीआई का आफिस देखने योग्य है।

हमने उनको विश्वास दिलाया कि आपका आफिस भी एक आफिसर का आफिस लगना चाहिए। खाली एक डेस्क और टेबल पड़ी रहने से मन में वह चीज नहीं आती कि हम भी कोई आफिसर हैं। एक आदर्श थाना बना है। मेरा बोरोनाड़ा का थाना बनकर तैयार हो गया है, इसका उद्घाटन होने वाला है। दो मिनट बस, सुधारात्मक कार्यवाही चल रही है उसके संबंध में। इस बार पुलिसकर्मियों की भर्ती, पुलिसकर्मियों का मैस भत्ता बढ़ाकर दो हजार किया गया हो वह मामला हो या होमगार्ड की भर्ती हो, वाहनों का रिप्लेसमेंट या नये

(श्री जोगाराम पटेल)

वाहन खरीदने का मामला हो, भवन का मामला हो, लेकिन आज भी, मैं निवेदन करूंगा कि जोधपुर कमिश्नरेट, मेरे क्षेत्र में राजीव गांधी थाना करीब एक लाख रुपये महीने का किराया दे रहा है, बहुत भारी पाप पड़ रहा है। हम उसकी जमीन सलेक्ट करें, भवन निर्माण करें, अदरवाइज हमारे ऊपर अननैसेसरी बर्डन है। ऐसे अनेक थाने होंगे, मैंने तो उदाहरण के लिए एक थाने का रखा है। हम थानों का निर्माण करें। थानों का निर्माण करके उपकरण लगाएं। आधुनिक उपकरण भी लगाएं। पिछली बार तो हमसे कम्प्यूटर लिए गये थे। इस बार अगर हम जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क करें, चाहे वह हमारे सांसद हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे साधन का मामला हो या चाहे कम्प्यूटर का मामला हो, मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, हम उस बारे में विचार करें। गाड़ी का मामला हो, हो सकता है विभाग के नहीं, लेकिन यह पैसा तो सरकार का ही है। इस मामले में विचार करेंगे तो हमे अनेक सुविधाएं मिलेंगी।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस की आरएसी विंग है, रेलवे पुलिस है, इनकी भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। एससीआरबी फिंगर प्रिंट ब्यूरो है, इनकी उपलब्धि मैं आपको गिनाऊं तो अनेक तरह की ऐसी उपलब्धियां हैं जो ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिक उपलब्धियों के आधार पर हमें उस पर जाना है। तीन चीजें निवेदन करके मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। एक तो स्थाई वारंटी अभी तक अनेक बैठे हैं जिन्हें हम पकड़ नहीं पाये। इसकी वजह से न केवल कोर्ट में मुक़दमे डिले हो रहे हैं, पैंडेंसी भी अनावश्यक बोल रही है। अनेक ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं और वह बाहर बैठे हैं। आप अगर ऐसी लिस्ट मंगाएंगे, हर कमिश्नरेट में या आईजी, डीआईजी आफिस से तो अनेक लोग हैं जो लंबे समय से बैठे हैं और अपराध कमिट करते हैं।

दूसरा निवेदन है कि समय पर गवाह के नहीं आने की वजह से मुकदमों की पैंडेंसी बन रही है, मुकदमे डिले हो रहे हैं, इसलिए हम ऐसा प्रयास करें कि हमारा गवाह समय पर कोर्ट में आये।

तीसरा निवेदन है कि पुलिस वैलफेयर के लिए आप खूब कार्यवाही कर रहे हैं उसके बावजूद भी चाहे उसकी छुट्टियों का मामला हो, उसके बच्चों की एजुकेशन का मामला हो, इस बारे में विचार कम हो रहा है। उसके बच्चे जहां कहीं भी रहते है, आज उसकी यहां ड्यूटी, कल वहां। बच्चों के वैलफेयर के मामले में भी विचार करना चाहिए।

अंतिम निवेदन यह है कि आरएसी और रेलवे पुलिस में तथा इस

(श्री जोगाराम पटेल)

गिरफ्तारी वारंट में, जैसे पिछले साल 15975 स्थाई गिरफ्तारी वारंट थे वह आंकड़ा बढ़ा है, घटा नहीं। मेरा निवेदन है कि हम इसको तुरन्त करें। 13771 की तामील में से, पिछले साल से आंकड़ा बढ़ा है घटा नहीं है। गत वर्ष 2016-17 में 60 हजार था। 2018 में 60611 से बढ़कर 62815 हो गया, इसमें हम कुछ करें।

एसीबी का शिकंजा कसा है इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन इन्वेस्टीगेशन की पैंडेंसी बहुत है। चाहे परमीशन नहीं मिली हो उसकी वजह से हो। मेरे पास लंबी लिस्ट है। मेरे एक प्रश्न में आपने जवाब दिया था। आपके सामने अनेक बार विधान सभा में विषय उठा है वह किसी भी कारण से पैंडिंग रह गया हो, तुरन्त न्यायालय में जाएं। उसकी जो भी ट्रायल होनी है वह ट्रायल हो, पैंडेंसी बहुत है।

आखिर में मेरा निवेदन है कि आदिवासियों में एक नई परम्परा शुरू हो रही है चाहे मौताणा की हो, चाहे अन्य तरह की हो, उस अपराध को भी हमें रोकना होगा और इस बारे में विशेष करना होगा। एक मिनट बस।

माननीय सभापति महोदय, जोधपुर की जेल के बारे में आप सब जानते हैं। यह वह जेल है जिसमें आसाराम बापू भी है, हीरो हीरोइन सबसे बड़े थे, वह भी उसके अन्दर है, पाकिस्तान के आतंकवादी भी उसके अन्दर हैं। बहुत वर्षों से हम जोधपुर वाले निवेदन कर रहे हैं कि जोधपुर जेल को बाहर शिफ्ट करें, यह शहर के बीचो बीच है, अपराधियों को लाने ले जाने में बहुत तकलीफ हो रही है।

माननीय मंत्री महोदय, आपके द्वारा जैमर पर खर्चा करने के बावजूद भी, आज भी वहां जाओ तो 500 मोबाइल मिल जाएंगे। अभी महीने भर पहले एक अपराधी ने वहां का वीडियो बनाकर वायरल किया। जांच की गयी तो पता लगा कि वीडियो वहीं से बना है, वहीं से वायरल हुआ है। मोबाइल जेल के अन्दर कैसे पहुंच जाते हैं, इस बारे में हमें बहुत गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

अपराधी को रोजगार देते हैं, उसका पैसा बहुत कम है, उसको बढ़ाने की भी आवश्यकता है। जो खुली जेल में रहते हैं, धन्धा करते हैं उसका पैसा भी बढ़ाने की जरूरत है। आपने जो आंकड़े दिये हैं उन आंकड़ों पर भी, सभापति महोदय इशारा कर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री जोगाराम पटेल)

आंकड़ा देखें तो, क्षमता से अधिक अपराधी उसके अन्दर हैं। क्षमता के अनुसार उसके अन्दर अपराधी हों। यही मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत एक लाइन कहना चाहूंगा। आदरणीय गृह मंत्री और हमारे राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देने के साथ-साथ यह निवेदन भी करूंगा कि अपराध नियंत्रण करने में, अपराधी को सज़ा दिलाने में आपने प्रभावी कार्यवाही की है, फिर भी इसमें और अधिक गुजांइश की आवश्यकता है, उस पर आप विचार करेंगे। आपने मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 और 17 पुलिस एवं कारागार पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं।

राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री ने वर्तमान बजट के माध्यम से प्रदेश के हर वर्ग को संतुष्ट रखने का प्रयास किया है। एक लाख से अधिक नौकरियों के साथ ही प्रदेश की भूमि, जल, कला संस्कृति, खनिज सभी को सहेजने और संवारने का प्रयास इस बजट में किया गया है। इस हेतु मैं प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। आज हम पुलिस और कारागार पर चर्चा करने के लिए यहां खड़े हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, यहां कई ऐसे माननीय सदस्य हैं जो इंटरनेशनल बातें कर रहे है और करेंगे, लेकिन मैं तो वही बात करती हूं जो मेरे मन में आती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं पुलिस की डिमांड पर नहीं बोलूंगी तो मुझे बहुत दु:ख होगा, क्योंकि मैं खुद एक पुलिस आफिसर की लड़की हूं। आज भी मैं समझती हूं कि काफी कुछ मेरे अन्दर पुलिस का अंश है। अभी लूणी से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने काफी कुछ बातें कहीं। हम पुलिस और कारागार पर चर्चा कर रहे हैं।

मैं यह दावे के साथ कह रही हूं कि जोधपुर में आजादी के बाद सबसे ज्यादा राज इन्होंने किया। जिस तरह से इन्होंने पुलिस मोरल घटाया है, मैं समझती हूं कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। आज जहां कहीं भी जाओगे तो आपको पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी, पर इन्होंने मोरल गिराया। मैंने पुलिस का स्टेट के टाइम का राज देखा है। मैं स्टेट के टाइम की बात कर रही हूं।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

मैंने वह राज देखा है, एक कांस्टेबल भी एक थानेदार, एस पी के बराबर होता है, पुलिस का वह रोब होता है। आज इन्होंने पुलिस का मोरल गिरा दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं कोई ज्यादा लिखकर नहीं लाती हूं, मैं तो वही प्रकट करती हूं जो मेरी भावना होती है। आज के युग में मैं माननीय गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि जोधपुर शहर में, मैंने सूरसागर का प्रतिनिधित्व किया है और शहर का भी किया है। जिस तरह से आज थानों की स्थिति है, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगी कि आप किस तरीके से थानों को सुरक्षित कर सकते हैं उस भावना को देखें। आप थानों की नफरी बढ़ाएं। हम हर समय, हर जगह यह चाहेंगे कि पुलिस का आदमी आये, पुलिस खड़ी रहे। पुलिस के बारे में हर व्यक्ति यह चाहता है कि हमारे कोई फंक्शन हो तो पुलिस हो, जुलूस निकले तो पुलिस हो, पर व्यवस्था तो करो। व्यवस्था नहीं करने से काफी कुछ मोरल गिर जाता है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की मुख्य मंत्री ने पुलिस भत्ता काफी कुछ बढ़ाया है। मैं समझती हूं कि महंगाई को देखते हुए इस भत्ते में और बढ़ोतरी की जाए क्योंकि देखा जाए तो यह भत्ता बहुत ही कम है।

मेरा तो यहां तक मानना है कि किसी भी एन.जी.ओ. के साथ मिलकर व्यवस्था करनी चाहिए। हर व्यक्ति 24 घण्टे ड्यूटी देने वाला, एक ही ऐसा डिपार्टमेंट है जो 24 घण्टे ड्यूटी देता है। हर व्यक्ति हर त्यौहार पर यह चाहेगा कि मैं मेरे घर जाऊं। मगर इनका क्या रहेगा कि ड्यूटी देनी है। यह एक ही ऐसा विभाग है, जो 24 घण्टे ही अपनी ड्यूटी देता है। मैं यह चाहूंगी कि राजस्थान की मुख्य मंत्री और गृह मंत्रीजी इनके बारे में जरूर सोचें। हो सकता है किसी से गलतियां हों, मैं मानती हूं लोग कहेंगे कि पुलिस वालों ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मैं चाहूंगी कि जो व्यक्ति 24 घण्टे ही ड्यूटी देने वाला, हर टाइम खड़ा रहने वाला, इस विभाग को अपन ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दें और ज्यादा से ज्यादा इनकी बातों के ऊपर ध्यान दें।

राजस्थान की मुख्य मंत्री स्वयं एक राजघराने से हैं और महारानी हैं। वे तो बहुत दयालु हैं। हमारे गृह मंत्रीजी हैं, उनकी तो आप बात ही छोड़ दें। क्योंकि वे तो दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। तो मैं यह चाहूंगी कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र, विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में पिछले साल राजस्थान की मुख्य मंत्री ने एक ही थाना दिया पूरे राजस्थान में, वह दिया

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सूरसागर के अन्दर। थाना तो लग गया, मगर जमीन कहां है? थाने बनाये कहां, सारे किराये के अन्दर चल रहे हैं। सभी, पुलिस चौकी चल रही है तो किराये के अन्दर चल रही है, थाना चल रहा है तो किराये के अन्दर चल रहा है। महिला थाना है तो किराये के अन्दर चल रहा है। कहीं क्वार्टर के अन्दर चल रहा है। ऐसे थोड़े ही होता है। कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पुलिस थाना, पुलिस चौकी, अब यह थाना नया बना है, हम एम.एल.ए.-लैड से दे देंगे, एम.एल.ए. फण्ड दे देंगे, जो कहेंगे वह कर देंगे, मगर जमीन उपलब्ध करवा करके इस थाने की व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा पुलिस थानों के अन्दर मैं मेरा फण्ड देती हूं। जोधपुर के अन्दर एक सिटी पुलिस थाना है। ऐसे कई थाने हैं। जब मैं उस थाने के अन्दर गयी और देखा कि वहां पर किस तरीके से कांस्टेबल रह रहे हैं और किस तरीके से सो रहे हैं। मैंने महाराजा जोधपुर दरबार को, खुद को वहां पर बुलवाया और उनसे निवेदन किया कि यह आपके बुजुर्गों की है, आपके लोगों की बसाई हुई है, इस थाने की यह स्थिति है। एक जमाने में वह पुलिस लाइन थी। फिर भवन बन गया, पुलिस लाइन उधर चली गयी तो वहां थाना कर दिया था। उस थाने के अन्दर करीब-करीब 80-90 लाख रुपये दे करके उस थाने को ठीक-ठाक करवाया। उनके सारे मैस ठीक करवाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि पुलिस लाइनें हैं तो पुलिस लाइन के अन्दर कई ऐसे पुराने क्वार्टर बने हुए हैं, मेरी यह मांग है कि जो क्वार्टर बने हुए हैं, वे उस जमाने के बने हुए हैं। उनके अच्छे क्वार्टर बनाये जाएं। कांस्टेबल्स के रहने के लिये व्यवस्था हो, मुंशी रहता हो तो उसकी व्यवस्था हो, जो कोई भी, सी.आई. रहता है तो उनकी हो, अच्छे से क्वार्टर बनाये जाएं, अच्छी तरह से वे रह सकें। आज आप पुलिस लाइन की स्थिति देखें। गटर, जब बरसात आती है सीवर लाइन भर जाती है, कोई रास्ता अन्दर जाने का नहीं होता है। किसने यह सीवर लाइन डाली है, कैसे हुआ, क्यों ऐसा हुआ है, इसके लिये भी मैं गृह मंत्रीजी से चाहूंगी कि वहां से जानकारी प्राप्त करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं पुलिस के बारे में इसलिये कहना चाहूंगी कि इसके अन्दर सबसे बड़ी बात है पुलिस के कमिश्नर का जो आफिस है, वह भी जुगाड़ में चल रहा है। डाक बंगले के अन्दर चल रहा है। वह इन

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

लोगों की देन है। क्योंकि ये उस टाइम बना सकते थे, मगर कहा नहीं। लेकिन अब जब ये बोलेंगे तो यह बात जरूर कहेंगे। मैं पहले ही बता दूं आपको यह स्थिति है।

मैं अब आपको 1980-82 की बात बता दूं कि राजस्थान के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी की माताजी विजया राजे सिंधिया को पश्चिमी राजस्थान का दौरा कराने ले गयी थी। मैं आपको सही बता दूं। राजमाता साहब ने, पुलिस के इतने आदमी खड़े थे तो देखकर उनकी आंखों में पानी आ गया और उन्होंने यह कहा था कि सबसे ज्यादा फण्ड और जो कुछ भी चाहिए, वह सारा इस पुलिस डिपार्टमेंट को देना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ड ड्यूटी ये करने वाले होते हैं। उन्होंने पूछा, बोलो, सूर्यकान्ताजी, क्या विचार हैं, मैंने कहा, मेरे विचार से क्या होगा। अब अपना राज आएगा तो देखेंगे। आज भगवान की बहुत कृपा रही कि उनकी खुद की लड़की राजस्थान की मुख्य मंत्री हैं, और वे दयालु हैं। वे इसके बारे में जब अपना उत्तर देंगी, उस टाइम इसके बारे में सोचेंगी कि इनका मैस भत्ता बढ़ाना, इनकी वर्दी बढ़ाना, सर्दियों के अन्दर गरम कोट कैसे देना, कितने बढ़िया कपड़े देना, ये सारी बातें मैं यह चाहूंगी कि उसके अन्दर कहेंगी। गृह मंत्रीजी से भी निवेदन करती हूं कि आप भी इसके अन्दर पूरा सहयोग करना। आज जो कोई भी पुलिस विभाग के अन्दर बात होगी, आज टैण्ट तख्त है, वे भी किराये पर हैं। आज जोधपुर के अन्दर पुलिस चौकियां तो कहां चल रही हैं, दरवाजों के अन्दर, पुराने जमाने के अन्दर जो दरवाजे होते थे, जालौरी गेट, नागौरी गेट, मेड़ता गेट, वहां गेट्स के अन्दर पुलिस चौकियां लगी हुई हैं। इस तरीके से पुलिस का तो यह है।

माननीय सभापति महोदय, अब पुलिस व्यवस्था के कुछ गम्भीर विषयों पर चर्चा करें। सबसे पहले प्रदेश में बढ़ रहे घातक पदार्थों के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, मैं आपको टोक नहीं रहा हूं। एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। अभी माननीय उपाध्यक्ष महोदय जब आसन पर विराज रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो सूची दे दी, वह सूची अंतिम मानी जाएगी, यह पर्चियां बार-बार नहीं आएंगी। फिर भी उप मुख्य सचेतक महोदय दे रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कोई भी नई पर्ची नहीं आयी है, आप निश्चिंत रहें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के तहत ही आसन काम करेगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): यह आपने तो कोई बाद में पर्ची तो नहीं दी, जिसकी जानकारी लेने के लिये गये थे। क्योंकि आप ऐसा गलत काम करते रहते हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मैं सूरसागर से जन प्रतिनिधि हूं। सूरसागर के अन्दर माइन्स एरिया आता है। वहां बहुत ही अव्यवस्था रह जाती है। वहां कच्ची बस्तियां भी बहुत हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी मेरी मांग है कि एक तो पुलिस थाना सूरसागर के अधीन चौकी की स्थापना की जाए। इसके साथ ही मेरी मांग है कि क्षेत्र के रिक्त पदों को भरा जाए। जोधपुर कमिश्नरेट के अधीन सी.सी.टी.वी. तंत्र स्थापना का कार्य लम्बित चल रहा है, इसे अविलम्ब पूरा किया जाए।

अब पुलिस व्यवस्था के कुछ गम्भीर विषयों पर चर्चा करें। सबसे पहले प्रदेश में बढ़ रहे घातक पदार्थों के बारे में, बढ़ रहे अपराधों के बारे में कहना चाहूंगी कि कालेज के जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं, छोरे अब और भी होते होंगे, मेरे को इतना नहीं है, मगर वे ग्रुपबाजी करके एक जगह पर खड़े हो जाते हैं, नोट ले लेते हैं और फूंके मारते रहते हैं। उसके अन्दर स्मैक वगैरह होती है। तो मैं चाहूंगी कि इसके अन्दर भी पुलिस थोड़ा-सा ध्यान दे और इन पदार्थों को रोके।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मेरी मांग यह भी है कि प्रदेश में इन घातक पदार्थों को और थड़ियों पर बेचने वालों को अविलम्ब रोकें, और मैं चाहूंगी कि जोधपुर के अन्दर, सूरसागर क्षेत्र के अन्दर जो कोई भी पुलिस थाने, चौकी वगैरह हैं, वहां पर व्हीकल्स की अच्छी व्यवस्था हो। क्योंकि हर थाने के अन्दर एक मोटर साइकिल दे देते हैं, एक जीप है। उससे क्या होता है। एरिया तो बहुत लम्बा-चौड़ा होता है। उनको व्हीकल्स की व्यवस्था पूरी की जाए। थाने को देखने के हिसाब से और अनुपालना के हिसाब से उनको व्हीकल्स की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, ताकि वे किसी भी अपराधी को पकड़ने के अन्दर सफल हो सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

निवेदन करुंगी कि जोधपुर में भी अपराध खूब हुए हैं, मगर अपराधों में काफी कमी आयी है। वे सारे अधिकारियों की और वहां के स्टाफ की देन है। पहले चैन-स्नेचिंग भी खूब हो रही थी, लेकिन अब थोड़ी-कुछ कमी आयी है। मैं मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपके प्रयासों से, आपके कहने के अनुसार यह हुआ।

दूसरा, एक मेरा प्रयास है कि कोई भी नागरिक जब मोबाइल और वाहन चोरी की रिपोर्ट कराता है, तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करके गुमशुदा के नाम से कर देते हैं। यह क्या बात हो गयी? जब रिपोर्ट दर्ज कराने जाए तो उनकी रिपोर्ट दर्ज करो। यह मेरी बड़ी चिंता का विषय है। मैं सही बात भी कहने में नहीं चूकूं, जो रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं। ऊपर के अधिकारी तो नहीं देखेंगे, मगर नीचे वाले कह देते हैं कि आप पन्ना लेकर आओ, आप पेंसिल लेकर आओ। यह कोई तरीका थोड़े ही है। गरीब आदमी समझता ही नहीं है कि पन्ना, पेंसिल क्या होता है। वह तो जानते हैं कि हमारी रिपोर्ट लिख दो। तो इस तरीके से उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिये। जो कोई भी जाए, गरीब आदमी जाए, क्योंकि मेरे क्षेत्र में कच्ची बस्तियां बहुत हैं। ये लोग जाते हैं तो इनके साथ पुलिस अच्छा व्यवहार करे, अच्छी बातचीत करे और उनको संतुष्ट करके भेजे। जहां तक हो सके, एक ऐसी व्यवस्था करें, जिससे उनको सहूलियत मिल जाए और वे खुश होकर जाएं। जहां राजीपा करने की जगह हो तो वहां राजीपा भी करवायें।

मेरे को इससे कोई गिला नहीं है, मैं पुलिस की कोई निंदा नहीं करना चाहूंगी। मगर जो वास्तविक बात है, वह भी कहने में पीछे नहीं रहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, जेलों के अपराध के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि जेलों में अपराध क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मोबाइल उनके पास होते हैं, मोबाइल उनके पास कैसे आ जाते हैं और यह वायरल कैसे हो जाता है? यह मेरी समझ के बाहर है। मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर भी रोक लगे और इसके ऊपर भी देखा जाए कि इस तरीके से अपराध कैसे हो जाते हैं?

माननीय सभापति महोदय, घातक पदार्थों के बारे में, एक मिनट में मैं मेरी बात पूरी कर रही हूं। मेरा एक निवेदन और था कि सबसे बड़ी बात है कि आप इनको हर बात से, माननीय राजस्थान की मुख्य मंत्री को और गृह मंत्रीजी को बधाई देते हुए यह कहना चाहूंगी कि इनके मैस भत्ते में थोड़ी और

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

बढ़ोतरी करें। इनका जो यूनिफार्म आप कहते हो, मैं ड्रेस कह देती हूं, आप अंग्रेजी में यूनिफार्म कहोगे, इनको अच्छी दें। आपने ऊपर तो खूब प्रमोशन कर दिये, सब हो गये, लेकिन जो नीचे के तबके के लोग हैं, इनके लिए जितनी कोई भी आप व्यवस्था कर सकते हैं, उतनी ज्यादा से ज्यादा करें और मैं गृह मंत्रीजी से मैं यह निवेदन करूंगी कि जो थाने और चौकियां हैं जो किराये पर चल रहे हैं उनको भूमि उपलब्ध करवाने के लिए सहयोग करें। बनाने के लिए हम सहयोग कर देंगे, यह हम आपसे वादा कर रहे हैं। मैं गृह मंत्रीजी को और राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देती हूं कि आपकी अच्छी सोच है। मगर इस सोच को और कायम रखते हुए पुलिस विभाग को सक्रिय करने में, व्यवस्थित सुधार करने में और इनको जो सहूलियत देना चाहे, वह दें। किसी का बजट काटना हो तो काटकर भी इनको दो। मगर इनकी कोई भी मांग हो, वह पूरी होनी चाहिए। इनको पर्याप्त व्हीकल मिलने चाहिए, इनको हर बात की पर्याप्त सुविधा मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्री सभापति: श्री मान सिंह।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-16 पुलिस और मांग संख्या-17- कारागार पर आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

निश्चित रूप से लोकतंत्र में लॉ एंड आर्डर और जनता और प्रशासन की आपस में जवाबदेही की पालना करना पुलिस का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। राजस्थान में माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में पिछले सवा चार साल में जिस प्रकार से लॉ एंड आर्डर की स्थिति रही है, मैं उसको बहुत बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहना चाहता लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि यह निश्चित रूप से संतोषप्रद रही है।

अगर, आंकड़ों को भी देखेंगे तो महिला अत्याचार में कमी आई है। अन्य, केवल लूट और बलवा, दो को छोड़ दें तो लगभग सभी में पुलिस ने कमी दर्ज करने का काम किया है, चालान में भी गति लाने का काम हुआ है। उसके लिए मैं गृह मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा और चाहूंगा कि निश्चित रूप से एक स्वस्थ प्रदेश के लिए यह जरूरी है कि हमारी पुलिस अच्छा काम करे।

सदन और जनता हमेशा यह अपेक्षा करती है कि पुलिस का व्यवहार

(श्री मान सिंह)

और काम अच्छा हो। जहां तक हम तुलना करते हैं, मेरे विपक्ष के भाई खूब कहेंगे लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस के राज में जिस प्रकार का आलम रहा, उसके मुकाबले काफी हद तक लॉ एंड आर्डर ठीक है, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। संतोष का विषय है कि पुलिस अनुसंधान के विषयों के ऊपर और कुछ ऐसे मामले भी पुलिस ने खोलने का काम किया है, जिसमें हमारी पुलिस को शाबासी भी मिली है। लेकिन इसी के साथ-साथ में, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारा जो नौजवान है, कई बार हमारे नौजवान पर 141, 323, 142 के छोटे-छोटे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। इन प्रकरणों के अन्दर जहां नौजवान हो, हमारा और पुलिस का नजरिया यह रहना चाहिए कि इस प्रकार की फाइलों को दफ्तर दाखिल किया जाए क्योंकि कई बार उनके करैक्टर में यह चीज बहुत राइडर बन जाती है और जब कभी उनकी छोटी-मोटी नौकरी का सवाल आता है तो छोटी-छोटी धाराएं, इस तरह के मुकदमे उस नौजवान को एक नए रास्ते पर ले जाने का काम करते हैं।

चूंकि, हमको राजस्थान में उस नौजवान का निर्माण करना है जो आज दारू की दुकान पर, बजरी के ठेके पर, टोल के नाके पर, बजरी के नाके पर काम करता है और वह एक अलग से व्यवस्था पनपने का काम हुआ है। उस व्यवस्था के लिए मैंने पिछली बार भी सुझाव दिया था और आज भी माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर इस प्रकार का जो नौजवान है उसके लिए पुलिस पब्लिक स्कूल की स्थापना होनी चाहिए। जहां पर एटिकेट्स सिखाने का काम हो, जो कम पढ़ा-लिखा नौजवान है, जो नौकरी इस प्रकार की मार्शल काम की नौकरी करना चाहता है, उसको एटिकेट्स के लिए एक पुलिस पब्लिक स्कूल की स्थापना हो। वह कम से कम कहीं सिक्योरिटी का काम करना चाहता है तो वहां उसके लिए राइडर आ जाता है और उसका वह एटिकेट्स, जो एक्स मैन होता है उसको सिक्योरिटी की नौकरी मिल जाती है तो आखिर वह वहीं जाता है और एक नया निर्माण करता है।

मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि हमारी पुलिस के अन्दर उस नौजवान को जोड़ने का काम होना चाहिए। पुलिस के अन्दर जो हमारा कंसेप्ट है सिविल डिफेंस का, उस सिविल डिफेंस के कंसेप्ट को भी बिलकुल भुला दिया गया है। जिस होम गार्ड को सिविल डिफेंस के माध्यम से सरकार के बीच में,

(श्री मान सिंह)

हमारी पुलिस के साथ में जोड़ने का काम हुआ, वह अपने काम के साथ-साथ में सरकार की सेवा करे, होम गार्ड की सेवा के माध्यम से पुलिस में अपनी ड्यूटी दे, वह भी आज यह समझने लगा है कि मेरी नौकरी है, मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, मेरे भत्ते बढ़ने चाहिए, मैं सरकार से लड़ूंगा, इस कंसेप्ट को एक बार क्लियर करना चाहिए। हमारा सिविल डिफेंस सेवा के भाव से पुलिस के साथ में जुड़कर पुलिस के सहयोग के लिए तैयार हुआ है और इस कंसेप्ट को अगर हमने बढ़ाने का काम नहीं किया तो सिविल डिफेंस की जगह केवल हम अगर उनको यह सोचें कि वह होमगार्ड का है और पुलिस वाले उनको ज्यादा काम लेने का काम करेंगे, ज्यादा काम देने का, तनाव में देने का काम करेंगे तो वह भूल जाएगा कि वह सिविल डिफेंस किसी सेवा के मकसद से पुलिस के अन्दर आया था। उसका मकसद था कि समाज और पुलिस के बीच में रहकर वह सहयोग करे, अपना काम भी करे, उस कंसेप्ट को हमको बढ़ाना पड़ेगा कि सिविल डिफेंस के माध्यम से जो नौजवान है अगर उसको कुछ समय मिलता है, महीने में दस दिन मिलता है, पांच दिन मिलता है, पन्द्रह दिन मिलता है तो अपने काम के साथ-साथ में सिविल डिफेंस के रूप में अपनी सेवाएं वहां पर दें। इस कंसेप्ट को मैं चाहूंगा कि गृह मंत्रीजी, उनको इस बात को सिखाया जाए कि आपके मन में जो सेवा का भाव आया है, आपके मन में जो राजस्थान की लॉ एंड आर्डर की व्यवस्था में सहयोग करने का जो भाव आया, निश्चित रूप से उनका सम्मान होना चाहिए। उनको जो वाजिब वज़ीफ़ा है, वह मिलना चाहिए। उनको उनके जो वेतन-भत्ते हैं, वह मिलने चाहिए लेकिन उसका जो भाव था, उसको भी नहीं भुलाया जाना चाहिए। पुलिस थानों के अन्दर उनका सम्मान बढ़ना चाहिए। अगर उनका सम्मान नहीं बढ़ाएंगे और केवल यह सोचेंगे कि इनसे काम लेना है तो वह एक वर्ग जो हमने सोचा था, निश्चित रूप से उसका मकसद सिद्ध नहीं होता है।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो बहुत-सी बातें रिपीट हो चुकी हैं, उनके बारे में मैं नहीं कहूंगा चाहे वह एफ.आई.आर. दर्ज करने के प्रकरण हैं, चाहे वह छोटे-छोटे प्रकरण हैं लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो आज सामने आयी है कि हमारी पुलिस का जो व्यवहार है, उस व्यवहार के ऊपर निश्चित रूप से हमारे बड़े अधिकारी बहुत-सी चीजें हमारी अच्छी लिखते हैं, उसको अब कोशिश भी करते

(श्री मान सिंह)

हैं, कई बार उनकी सेमिनार भी होती है लेकिन मैं नहीं समझता क्योंकि पुलिस की नफरी कम होने के कारण उनको इस प्रकार का समय मिलता हो कि उनको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी जा सके शायद। जब राजस्थान का निर्माण हुआ था अगर उस समय की जनसंख्या और पुलिस की तुलना आज की जनसंख्या और पुलिस से करेंगे तो आज इतना बड़ा डिफरेंस आ गया कि उसकी पूर्ति मैं समझता हूं निश्चित रूप से हमारी नफरी बढ़नी चाहिए क्योंकि आज थानों के अन्दर जो स्थिति है, अनुसंधान का मैं समझता हूं काम हो ही नहीं पाता है। जिस प्रकार से पुलिस लगी रहती है, उसमें पुलिस को दाद भी देने का काम है कि बहुत काम करना पड़ता है लेकिन इसी के साथ-साथ हम भूल जाते हैं कि हमारा काम कठिन परिस्थितियों में लॉ एंड आर्डर के साथ-साथ में जिम्मेदारी का है तो उसके लिए हमारा व्यवहार, जो थाने में व्यवहार है वह बहुत अच्छा होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जब व्यवहार अच्छा नहीं होता है तो कई बार ऐसी आकवर्ड स्थिति होती है कि हमको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। अभी एक महीने पहले मेरे रेलवे स्टेशन गंगापुर सिटी में एक वाकया आया। इत्तफाक से मैं वहां से निकल रहा था और एक हमारे पुलिस के कांस्टेबल ने एक फोरेनर को रोक रखा था। मैंने बोला कि भाई, क्या बात हो गयी? बोला, साहब, इसके पास में वीजा नहीं है। उसने अपना पासपोर्ट दिखाया, उसमें वीजा था। कहने लगा साहब, यह तो पासपोर्ट है, वीजा नहीं दिखा रहा। मैंने कहा भले आदमी, वीजा और पासपोर्ट अलग-अलग होगा क्या? मैं उसकी खिल्ली नहीं उड़ा रहा, यह सारी चीजें मैं इसलिये कह रह रहा हूं कि उसका कंसेप्ट ठीक करना चाहिये, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिये, उनका व्यवहार ठीक होना चाहिये, उनको इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिये कि मुझे अगर फोरेनर मिलेगा तो मुझे क्या ट्रीट करना है, बिजनसमैन होगा तो उससे किस प्रकार की जानकारी लेनी है, अगर वह उस चीज को नहीं जानता तो उस बीट में नहीं जाए, क्योंकि उस बीट को जानने वाला चाहिये। केवल एक रूट में हांकने का काम करेगा कि अपराधी को जैसा ट्रीट करता हूं, वैसा सबको करूंगा तो निश्चित रूप से हमारी पुलिस की छवि नहीं सुधर सकती। पुलिस की छवि को सुधारने के लिये उसका कंसेप्ट अपने मन से भी बदलना पड़ेगा। पुलिस के आला अधिकारियों को उस चीज को भी अपने जो कर्मचारी हैं, कांस्टेबल हैं, हैड-कांस्टेबल हैं, उनको तैयार करना पड़ेगा कि आपका इस प्रकार का लेवल,

(श्री मान सिंह)

इस प्रकार का चैंकिंग का तरीका, यह सारी चीजें निश्चित रूप से उनके व्यवहार से बदलने का काम होना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। जैसा अभी जोगाराम जी कह रहे थे कि ट्रैफिक में हमारे राजस्थान में वर्तमान में जो सड़कों की अच्छी स्थिति हुई है, उसके साथ-साथ में एक्सीडेंट बढ़े हैं। इस एक्सीडेंटल प्रणाली के अन्दर पुलिस में अभी तक जिस प्रकार का हमारा कंसेप्ट बढ़ना चाहिये था, वह नहीं बढ़ा है। आज हमारे इलैक्ट्रोनिक सिस्टम को डवलप करके हम एक्सीडेंट में कौनसी गाड़ी की किस प्रकार की उसकी स्पीड है, उसको चैक करने के लिये अभी भी वही सिस्टम है कि नाके लगाते हैं। नाके लगते हैं तो उनकी भीड़ लग जाती है और भीड़ में उस प्रकार की जो चैंकिंग होती है, उस पर फिर मजाक बनती है। जो वहां होता है, वह सबके सामने है कि वह किस प्रकार का काम करते हैं। उस गाड़ी की स्पीड क्या है, कौन किस प्रकार से चल रहा है, उन सारी चीजों के लिये कई शहरों के अन्दर हमने सी.सी.टी.वी. कैमरे दिये हैं। मैंने स्वयं ने मेरे शहर के अन्दर एम एल ए लैड से 30 लाख रुपये की लागत से सी.सी.टी.वी. कैमरे दिये हैं। लेकिन उस सी.सी.टी.वी. कैमरों का उपयोग केवल अगर हम बजरी का ट्रक पकड़ने के लिये लेंगे तो फिर तो उससे काम नहीं चलेगा। उसके साथ-साथ में उन सारी चीजों को भी हमको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमको इसका उपयोग करना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पुलिस का काम हम सब लोगों को हर जगह पर चाहिये। एक-दूसरे को उसके सहयोग की आवश्यकता होती है और हम अपेक्षा करते हैं कि हर जगह चाहे शहर में मेला हो, चाहे और कोई बड़ा आयोजन हो, उसके अन्दर पुलिस की व्यवस्थाएं माकूल हों। चाहे हमारा किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, रीति-रिवाज हो, उन सबके अन्दर वह कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ में यह भी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम उनसे इस प्रकार का काम लेते हैं तो जिस प्रकार से माननीय सूर्यकांता जी व्यास कह रही थीं मुझे कोई हर्ज नहीं है अगर आज हमारी पुलिस के वेतन-भत्ते बढ़ाये जाते हैं तो मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूं उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि सुविधा के बिना अपने स्वच्छ मन से आदमी काम नहीं कर सकता।

आज थानों की स्थिति क्या है, मैं मेरे थाने के बारे में कहना चाहूंगा

(श्री मान सिंह)

कोतवाली का जो गंगापुर का थाना है, वह 1941 का थाना है। आज उसके बारे में पी.डब्ल्यू.डी. ने कह दिया कि इसमें अगर आप बैठेंगे तो आपकी जिम्मेदारी है। गृह मंत्रीजी इस प्रकार के थानों की मरम्मत नहीं होगी तो वह अधिकारी किस भाव से बैठकर के काम करेगा? निश्चित रूप से अच्छे थानों का निर्माण हो, उनको ट्रैफिक के लिये गाड़ी-घोड़े उपलब्ध कराये जाएं। अगर हम यह सब चीज देते हैं तो हम इस बात के लिये भी री-चैक करने का अधिकार रखते हैं कि पुलिस में जिस प्रकार की आज जो कमियां हैं, उन कमियों को ढूंढकर ठीक करने का काम भी हो।

इसी के साथ-साथ माननीय गृह मंत्रीजी, आपने जो केस स्टडी का सिस्टम तय किया था पिछली बार, वह केस आफिसर का सिस्टम आज आपका शायद नहीं है। इसलिये जब कभी भी हम फाइल को चेंज करने की बात करते हैं, अगर आप उसमें फैक्चुअल रिपोर्ट मांगते हो तो वही फैक्चुअल रिपोर्ट वहां से आती है और उस फैक्चुअल रिपोर्ट पर, क्योंकि वही सेम अधिकारी होता है, वह फैक्चुअल रिपोर्ट भेजता है तो जो न्याय चाहने वाला होता है, उसके लिये बहुत देरी हो जाती है। होना इसमें यह चाहिये कि वह केस अधिकारी उसके बारे में देगा तो निश्चित रूप से आपको पता लगेगा कि वास्तविक स्थिति तीसरे आदमी ने दी है और उसकी जांच दूसरी जगह होनी चाहिये। ऐसे कई केसों में कई बार आदमी हार मानकर बैठ जाता है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा क्योंकि अंतिम पड़ाव पर आदमी आना चाहता है और अंतिम पड़ाव पर न्याय पाना चाहता है। सब केसों में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ केसों में अच्छा होता है। अभी हमारे जिलों पर जाकर जिस प्रकार की समीक्षा आपने जन-प्रतिनिधियों के साथ में बैठकर की, वह एक स्वच्छ परम्परा थी। उस स्वच्छ परम्परा में हमको पता लगा कि किस-किस केस की, किस-किस थाने की क्या स्थिति है, वह हमको भी देखने को मिला और हमने बारीकी से एक-एक अधिकारी से पूछने का काम भी किया। निश्चित रूप से आपको ऐसे कामों के लिये, ऐसे कदमों के लिये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे कदमों से जनता के बीच में, जन-प्रतिनिधियों को यह पता लगता है कि हमारी पुलिस ने जो काम किया है, वह किसी हद तक कमी थी तो उसको हमने वहीं रोकने का काम किया। इस प्रकार के कदमों के साथ-साथ में हमको यह भी करना पड़ेगा कि हमारे ट्रैफिक

(श्री मान सिंह)

का जो सिस्टम है, मैं नहीं समझता कि हमारी पुलिस आज की तारीख में अच्छे स्तर पर है। चाहे ट्रैफिक का छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़ा कर्मचारी हो, हम अच्छी स्थिति में नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि कोई सिस्टम डवलप करें और इस ट्रैफिक व्यवस्था के अन्दर सुधार हो। लोगों की जान बच सके, लोगों को हम ट्रैफिक रूल्स के बारे में और जागृत करने के लिये, जन-जागरण करें अन्य संस्थाओं को लेकर। थोड़े दिन तो हमने हैलमेट के कुछ आयोजन किये थे, लेकिन केवल एक-दो जिलों पर आयोजन करके इतिश्री कर ली और उसके बाद में नहीं हुआ। लगातार इस प्रकार के जागरण के काम चलें तो निश्चित रूप से ट्रैफिक में जिस प्रकार की घटनाएं होती हैं, उनमें कमी आएगी और जो ट्रैफिक व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, उनको जो हमारा नया तरीका है, जैसे इलैक्ट्रोनिक माध्यम से पता लग जाता है कि आज दौसा के रोड पर एक्सीडेंट हो गया, यह हमको पहले से पता लग जाए और यह आजकल कोई बड़ा काम नहीं है। हमको इस बात का पहले से पता लग जाए कि जिस रूट पर गाड़ी जा रही है, सेंसर से पता लग जाता है कि इस रूट पर एक्सीडेंट हुआ है। इन सारी चीजों को डवलप करने का काम राजस्थान की पुलिस में भी होना चाहिये, क्योंकि आज एक्सीडेंटल घटनाएं बढ़ी हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ मैं एक और अनुरोध करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र की, जो मेरे गंगापुर सिटी की जेल है, उस जेल को आपने पिछले बजट भाषण में स्थानान्तरित करने के आदेश दिये थे उसकी जमीन का अलाटमेंट भी हो गया, लेकिन हमारे डी.जी. (जेल) को वह जमीन पसंद नहीं आयी और वह मामला अभी भी अटका हुआ है। जबकि हमारी नगर परिषद् जेल बनाने को तैयार है, चाहे उसमें कितना ही पैसा लगे। इस मामले पर मेरा निवेदन है कि जब जेल शहर के बीच में है, वहां पर कैदी सुरक्षित नहीं हैं, जेल की स्थिति अच्छी नहीं है, जेल में रहने वाले कैदी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सरकार ने घोषणा कर दी। अगर जमीन दूर है तो उसके लिये कोई और व्यवस्था करनी हो तो करें, नहीं तो कम से कम उस मामले में कोई कदम आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि दो बार मैं चिट्ठी लिख चुका। अभी तक डी.जी. (जेल) के यहां से उसका जवाब नहीं आया कि हम उसको लेंगे कि नहीं लेंगे। सरकार ने जमीन अलाट कर दी और नगर परिषद् उसको बनाने को

(श्री मान सिंह)

तैयार है तो इस मामले में मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा-सा इसमें हस्तक्षेप करें। ऐसे काम इतने लेट हो जाते हैं जिससे काफी हद तक हमारे काम रूक जाते हैं।

इसी के साथ-साथ, गृह मंत्रीजी आपके माध्यम से मेरे यहां मानंदपुर पंचायत है, 2014 में उसका चुनाव हुआ। वहां के सरपंच को हाई कोर्ट ने और माननीय न्यायालय ने निलम्बित कर दिया, उसको निष्कासित कर दिया, उसको दोषी मान लिया। लेकिन हमारी पुलिस की तरफ से उसमें चालान नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने उसको दोषी मानकर निलम्बित कर दिया। उसके बावजूद अभी भी हम उसको एफ एस एल की रिपोर्ट के नाम पर लेट कर रहे हैं, मैं चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से हमारे पुलिस के आला अधिकारी उसको चैक करें। बामनवास सी.ओ. के पास वह जांच है कि आखिर हाई कोर्ट ने तीन-तीन बार उस आदमी को दोषी मानकर निलम्बित कर दिया। सरपंच का पद शून्य है। उसने अपराध किया, फिर उसमें चालान क्यों नहीं होता है? इस प्रकार के कार्य पुलिस की व्यवस्था पर हमको प्रश्न चिन्ह लगाने का मौका देते हैं। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के मामलों के अन्दर तुरन्त कार्यवाही हो, जिससे विश्वास जमे।

इसी के साथ-साथ मैं एक बात कहकर अपनी बात को पूरा करूंगा कि हमारी जो अपराध रोकने की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो हम मुखबिर को काम में लेते थे, आज हमारे सी एल जी में 50 प्रतिशत सदस्य इस प्रकार के हो गये, जो आजीवन ही सी एल जी सदस्य बन गये और आपस में तालमेल का सिस्टम हो गया। इस तालमेल के सिस्टम में मुखबिर के सिस्टम को बिल्कुल ही इस तरह से उजागर कर दिया कि उस आदमी को उस मौहल्ले के अन्दर पूरी तरीके से मुखबिर माना जाता है। पहले मुखबिर होता था जो गुप्त सूचना देता था, आज वह चौड़े में हो गया। इस प्रकार से सी एल जी में जो बहुत लम्बे समय से, 15-15 साल से सदस्य हैं, ऐसे सदस्यों को चेंज किया जाना चाहिये। इससे पुलिस की छवि अच्छी नहीं, खराब हो रही है। अगर पुलिस में किसी नये अधिकारी को थाने की जानकारी लेनी है या किसी जनरल सिविल के आदमी से कोई जानकारी चाहे तो घर जाकर ले ले, लेकिन उसको सदस्य नहीं रखे।

(15.00 बजे)

(श्री मान सिंह)

क्योंकि यह बहुत जरूरी है। हमारी छवि उससे सुधरेगी और निश्चित रूप से इस प्रकार के काम करने से थानों की स्थिति में, कानून व्यवस्था की स्थिति में हमको मदद मिलेगी।

सभापति महोदय, मैंने बजरी वाली बात जो कही है, उसमें आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सवाई माधोपुर के अन्दर यह बड़ा इश्यु है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहां पर बजरी का खनन नहीं हो रहा है लेकिन कहीं इधर-उधर से अगर किसान बजरी का कोई ट्रैक्टर लाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आप सड़क पर से उनको बन्द करो। अगर वहां खनन होता है तो बन्द करो। वहां खनन नहीं हो रहा है। वहां कैमरे हैं, वहां पर पुलिस की व्यवस्था है। वह कहीं इधर-उधर से छोटे नाले से, खेत से रेता ला रहा है और अपना काम कर रहा है तो उसको, किसान को अगर हम तंग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी छवि में इस बात का मैसेज जाएगा कि हम लोग किसान को तंग करने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा माननीय गृह मंत्रीजी, वहां पर खनन बजरी का नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही खनन होगा। अगर वह इधर-उधर से रेता लाकर अपना काम करता है तो उन ट्रैक्टर्स को नहीं पकड़ा जाना चाहिए क्योंकि जनमानस इस मामले में खिलाफ है और जनमानस में इस बात का दु:ख है कि वह अपना काम करना चाहता है, उसमें तंगी हो रही है इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको विराम किया जाए।

आखिर में मैं यही कहूंगा कि हम निश्चित रूप से इस पर संतोष करते हैं लेकिन और सुधार की गुंजाइश है। हमारी पुलिस व्यवस्था पर संतोष करते हुए गुंजाइश की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। यही बात कहकर अपनी वाणी को विराम देंगे। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

व्यवस्था का प्रश्न

जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव नहीं दिये हैं, वे चर्चा में भाग नहीं ले सकते

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह तो एक परम्परा बन जाएगी। यह एक दिन की बात नहीं है। ये कांग्रेस के

(श्री मदन राठौड़)

सचेतक महोदय इतने लापरवाह हैं कि ये कट मोशन देते नहीं हैं। कल इन्होंने न तो सहकारिता पर कट मोशन दिया, न कृषि पर दिया, न पशुपालन पर दिया, न कारागार में दिया, न पुलिस में दिया और कल भी आपकी सहृदयता के कारण से आपने इनको बोलने का अवसर दे दिया। आज भी इनका कोई कट मोशन नहीं है। इनकी आदत बन गयी है, इसको ये लापरवाही से लेते हैं। कटौती प्रस्ताव देने की आवश्यकता है नहीं, हमको तो बोलने का मौका मिल जाएगा और सचेतक होने का लाभ मिल जाएगा। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आप नियमित रूप से अनुमति देकर यह परम्परा नहीं बनाएं, नहीं तो फिर कट मोशन देने का मतलब ही नहीं है, कोई क्यों कट मोशन देगा?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप विराजो। विराजिए। मेरा नाम आसन ने पुकारा है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप बैठिए पहले। मैं बोल रहा हूं, आप बैठिए एक बार। जब मैं कोई विषय रख रहा हूं। इनको बिठाइये एक बार।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इन्होंने अनुमति दी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट के लिए बैठ जाएं आप।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह क्या बात हो गयी? आप गम्भीरता लेते ही नहीं हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरे से बात नहीं करें। आसन से करें।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): हां, आसन से निवेदन है मेरा। सभापति महोदय, यह परम्परा बन जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने भी व्यवस्था दी थी।

दूसरा, मैं आपको बताऊं। राजस्थान विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण नियमों का संकलन है। उसमें आप निकालिए पेज नम्बर 466, जिसमें 18 में है। 'मांग संख्या-1, मुख्य शीर्षक 7- भू राजस्व पर प्रस्तुत अपने कटौती प्रस्ताव पर श्री भीमसेन बोल रहे थे।' यह 1961 की व्यवस्था है। इसके बाद की भी कई व्यवस्थाएं हैं, जो मैं लेकर आया हूं, मैं बताऊंगा आपके सामने। 'उन्होंने एक अन्य प्रस्ताव पर भी बोलना आरम्भ कर दिया, जो सूची में नहीं था। राजस्व मंत्री ने आपत्ति की तो श्री भीमसेन ने कहा कि

(श्री मदन राठौड़)

उन्होंने कट मोशन समय पर प्रस्तुत कर दिया था पर सर्कुलेट नहीं हुआ।' उस समय तो सर्कुलेट नहीं हुआ था। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि 'अगर नहीं आया है तो उसके बारे में बोल नहीं सकते।' यह स्पष्ट रूप से इसमें व्यवस्था है।

तो माननीय सदस्य को कल जब पता चल गया, कल जब मैंने एतराज किया, आपने इनको माफ कर दिया था और बोलने की अनुमति दे दी थी, नियमित रूप से इन्होंने तो अपना यह अधिकार समझ लिया। मैं सोचता हूं कि आप कतई अनुमति नहीं दें। तभी जाकर व्यवस्थाएं बनी रह सकेंगी। यह मेरा आपसे निवेदन है। वैसे तो आसन का आदेश सर्वोपरि है लेकिन मेरा निवेदन है कि ये परम्परा नहीं बनाएं, नहीं तो लापरवाही से सभी माननीय सदस्य इसका लाभ उठाते रहेंगे।

श्री सभापति: माननीय उप मुख्य सचेतकजी, कल भी यह बात उठी थी सदन में। दोनों पक्षों के सचेतक, उप सचेतक और मुख्य सचेतक हैं, उनसे कहूंगा कि आप अपनी सूची जब भी दें, उससे पहले यह जानकारी प्राप्त कर लें कि उनका कट मोशन लगा हुआ है या नहीं। आज चूंकि नाम पुकार चुके हैं, माननीय डोटासराजी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, सूची देने वाले भी यही हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप इतने क्यों घबराते हैं? व्यवस्था तो आपने ही बिगाड़ रखी है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैं घबराता नहीं हूं। व्यवस्था की बात करता हूं। आपसे कौन घबरायेगा। आप जैसों से घबराने वाले नहीं हैं यहां पर। आप अपने आपको +++ समझते हो। कृपया आप अपने आपको सीमित रखने की कोशिश करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): डोटासराजी, इतना तो आश्वस्त कर दो सदन को, कि मैं जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, जो कुछ कहूँगा, सत्य कहूंगा। सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। अब तो सब राज़ी।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सभापति महोदय, आज की मांग संख्या 16 और 17 पुलिस और कारागार की अनुदान मांगों के ऊपर चर्चा हो रही है। जिस प्रकार से हमारा प्रदेश भू-भाग वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है, हम फिर भी पुलिस नफरी के हिसाब से पूरे देश में 20वें नम्बर पर हैं। निश्चित रूप से एक लाख की आबादी के ऊपर 134 पुलिसकर्मियों की, पूरे भारतवर्ष का औसत निकालते हैं तो होता है, लेकिन हमारे पास कम है। उसके बावजूद भी हमारी रिक्तियां हैं, आईपीएस 27 अभी भी रिक्त पड़े हैं, आरपीएस, जिसमें से एडिशनल एसपी 90, डीवाईएसपी 114, पुलिस अधीनस्थ सेवा के 18018, मंत्रालयिक संवर्ग के 394, चतुर्थ श्रेणी के 683 आदि-आदि विभिन्न खाली पड़े हैं। निश्चित रूप से किसी सरकार का यह पहला दायित्व होता है कि चुनने के बाद में वह सत्ता संभालती है तो पूरे प्रदेश में अमन चैन कायम रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, यह सबसे पहले प्रमुख एजेंडा होता है। उसके बाद में विकास की बातें आती हैं। निश्चित रूप से हर सरकार प्रयास करती है। हमने भी हमारे समय में प्रयास किये। यह सरकार भी सवा चार साल से प्रयास कर रही है लेकिन हमारा प्रतिपक्ष का यह धर्म बनता है कि जहां-जहां सरकार से चूक होती है, जहां-जहां लोगों को तकलीफ होती है और कानून व्यवस्था में कहीं खामियां और कमियां रहती हैं, उनको उजागर करें। हमारा किस प्रकार से अपराध कम हो, प्रदेश के नागरिक शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सकें। हमारे देश-विदेश से आने वाले पर्यटक भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। यह व्यवस्था हम सबको मिलकर करनी पड़ती है। इसीलिए समय-समय पर सुझाव दिये जाते हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा आज एक फैशन सा बन गया है कि कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ झूठा केस दर्ज करा देता है। उसके खिलाफ एफआर लग जाए, उसके खिलाफ सीआरपीसी में, आईपीसी में जो प्रावधान है, उसके मुताबिक झूठा केस दर्ज कराने के बावजूद भी हम लोग 182 और 211 के इस्तगासे नहीं करते हैं इसलिए परिपाटी सी बन गयी और आज परिपाटी का परिणाम यह हुआ है कि 54964 मुकदमे पिछले चार वर्षों में झूठे पाये गये, जो शायद 32 परसेंट मामलों में झूठ मानकर एफआर दी गयी है। देश में हमारा नम्बर वन इसमें हो गया है। यह सोचने का विषय है। माननीय गृह मंत्रीजी जब जवाब देंगे, पहले भी सदन में यह मुद्दा आया था, मैं समझता हूं कि इसकी रोकथाम के लिए, किसी प्रकार से कोई झूठा मुकदमा नहीं हो, मानहानि झूठे मुकदमे के कारण से नहीं हो, यह हमारा मौलिक

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अधिकार है संविधान में, उसकी भी रक्षा होगी और इसके ऊपर अपनी बात कहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), जो 2016 की रिपोर्ट आयी है, उसके अनुसार महिला प्रताड़ना में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। 2015-16 में भी 13.6 बच्चों के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़े थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, घरेलू हिंसा में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। दुष्कर्म में राजस्थान तीसरे स्थान पर है और बच्चों की तस्करी में भी राजस्थान दूसरे स्थान पर है। साइबर क्राइम में भी देश में हम चौथे स्थान पर हैं। निश्चित रूप से यह सोचने का विषय है। सोचना भी चाहिए। इसको कैसे कम कर सकते हैं। हम मिलकर सदन में चर्चा करके उसके ऊपर किस प्रकार प्रभावी कार्यवाही कर सकते हैं। आजकल जैसे-जैसे विकास अच्छे हो रहे हैं। बजट आ रहे हैं तो विकास के साथ-साथ में अपराध भी बढ़ रहे हैं।

जब लेटेस्ट टैक्नोलोजी आ गयी तो आजकल निश्चित रूप से साइबर क्राइम सबसे ज्यादा होने लग गया लेकिन हमारा दुर्भाग्य है प्रदेश में यह कानून तो बन गया कि साइबर क्राइम का अलग से प्रदेश स्तर पर भी होगा, जिला स्तर पर भी होगा लेकिन केवल आफिस हैं, आफिस के अलावा कुछ नहीं। जिलों में तो कार्यालय भी नहीं हैं, एस.पी., डीवाई.एस.पी., एडिशनल एस.पी. के कमरे में बैठकर हम पूर्ति करते हैं और साइबर क्राइम के लिए हमारे को जो एक्सपर्ट की आवश्यकता है, गृह मंत्रीजी, वे एक्सपर्ट भी हमारे पास में नहीं हैं। आज जो मौजूदा पुलिस है उसके पास में इतना लॉ एण्ड आर्डर का मामला है, कभी किसान आन्दोलन कर रहे हैं, कभी विद्यार्थी मित्र आन्दोलन कर रहे हैं, कभी बेरोजगार कर रहे हैं, कभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर रहे हैं, कभी युवक कांग्रेस कर रहा है, कभी कांग्रेस कर रही है, कभी वामपंथी दल कर रहे हैं। रोजाना के रोजाना जिस प्रकार से आज जो लोग आन्दोलन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो हमारी मौजूदा पुलिस है वह उन सब कामों में लग जाती है और साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए हमें जहां पुलिस की आवश्यकता होती है, वह पुलिस हमें नहीं मिल पाती है। निश्चित रूप से इसको ठीक करने की आवश्यकता है जो इस सवा चार साल में आप नहीं कर पाये। हमने जरूर प्रयास किया था लेकिन फिर हम सत्ता में नहीं रहे। तो, यह आपकी ड्यूटी बनती थी कि आप इसको ठीक करते।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माननीय सभापति महोदय, बच्चों की जो तस्करी है, उसमें भी राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। आज राजस्थान हिंसक घटनाओं में देश में दसवें स्थान पर है और जयपुर जहां हम बैठे हैं, हमारे प्रदेश की राजधानी है, आठवें स्थान पर है। यह सब चीजें आंकड़ों के आधार पर निवेदन कर रहा हूं। प्रदेश बाल तस्करी का गढ़ बनता जा रहा है। यह हमारे सबके लिए शोचनीय विषय है, कोई पार्टी-पोलिटिक्स की बात नहीं है। निश्चित रूप से अगर हम इस चीज में कुछ करेंगे तो जनता के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है उसको निभाने का काम करेंगे।

माननीय गृह मंत्रीजी, आज भी 47 हजार से ज्यादा वारंटी फरार हैं, उनको हम लोग ला नहीं पाये। बहुत ही गम्भीर विषय पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का कि इसी सदन में भी यह बातें उठी हैं, पहले भी उठीं हैं कि दलितों के साथ में जिस प्रकार से प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार बढ़ रहे हैं, देश में सबसे ज्यादा अत्याचार बढ़ रहे हैं, यह हम सबके लिए सोचने का विषय है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया और उस संविधान में अधिकार दिया था कि हर व्यक्ति अपने अधिकार रखता है, वह सुरक्षित रहे, उन्नति करे, हर क्षेत्र में काम करे। लेकिन दलितों के साथ आज जिस प्रकार की आप देख लीजिए, हमारे हीरालाल जी नागर साहब, माननीय सदस्य ने एक प्राचार्य द्वारा एक बच्ची के साथ में, छात्रा के साथ में, जिस प्रकार हमारी माननीय विधायक चन्दकान्ता मेघवाल जी हैं, उनका भी मामला है।

श्री अजीत सिंह (टोंक): डोटासरा जी, आपने अभी कहा था सत्य बोलेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सत्य ही बोल रहा हूं न।

श्री अजीत सिंह (टोंक): और जिस दिन यह बयान इस सदन में दिया था उस दिन उस प्राचार्य के लिए उस लड़की ने 164 के बयान में यह कहा था कि मेरे साथ कुछ नहीं किया। उसी दिन, सेम डे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह आपने लिखवा दिया, आपकी मर्जी है। (व्यवधान) वह इस सदन में आया है। आप ही के सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने यह बात उठायी है।

श्री अजीत सिंह (टोंक): मैं सत्य की बात पर कह रहा हूं।

श्री सुखाराम (मेड़ता): माननीय सभापति महोदय, ये अनुसूचित जाति पर आरोप लगा रहे हैं। अनुसूचित जाति के हितैषी ज्यादा होते ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): थडोली ग्राम पंचायत है टोडारायसिंह में...(व्यवधान)

श्री मान सिंह (गंगापुर): सभापति जी, यह अनुसूचित जाति पर आरोप है, इसको काटा जाना चाहिए। यह अनुसूचित जाति के ऊपर आरोप है।

श्री सुखाराम (मेड़ता): सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं कि 60 साल में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। (व्यवधान)

श्री सुखाराम (मेड़ता): कांग्रेस करती रही, इसने कुछ नहीं किया और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने हर क्षेत्र में 40-40 लाख अम्बेडकर भवन पर स्वीकृत किये। यह गलत आंकड़े बताते हैं, असत्य सब कुछ कहते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अच्छी बात है, नहीं किया तो आप सुकून महसूस करो लेकिन प्रदेश की जनता जो कह रही है, जो महसूस कर रही है उसको यहां सदन में उचित माध्यम से रखना हमारे लिए आवश्यक है, हमारा प्रतिपक्ष का धर्म बनता है। बहुत अच्छी बात है अगर सुराज है, राम राज है, तो फिर सत्रह जीरो का क्यों आंकड़ा आया? ऐसा मत कीजिए, इतना ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, बात सुन लीजिए। (व्यवधान)

टोडारायसिंह में अभी 30.01.2017 की घटना है, दलितों के साथ में अत्याचार हुआ। हमारे यहां सीकर में दलितों ने एक ज्ञापन देने के लिए रैली क्या निकाल ली, अनुमति के बावजूद उनके ऊपर मुकदमा हो गया और जिस प्रकार से आज दलितों के ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं, यह हमारे सबके लिए सोचने का विषय है कि वह व्यक्ति जो गरीब है, जिसको हमें सहारा देने की आवश्यकता है अगर उसके ऊपर अत्याचार हो और हम नहीं रोक पायें तो यह हमारी नाकामी है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा निश्चित रूप से सरकार के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए आपके पास में अधिकार हैं, बजट यहां से मिलता है, बजट का उपयोग भी होता है, आप सामान खरीदते भी हैं और उसके बाद में भी नहीं, 75 लाख रुपये का साफ्टवेयर है, उसको खरीदा, पुलिस साफ्टवेयर को अपडेट करना ही भूल गयी और 12 महीने तक प्राइवेट कम्पनियों के सहारे हमें रहना पड़ा, जो सरकार ने ले रखा था।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सभापति महोदय, आज बहुत बड़ी-बड़ी बातें भ्रष्टाचार को रोकने की की जा रही हैं। माननीय गृह मंत्रीजी भी यहां सदन में कई बार कहते हैं कि हमने इतने लोगों को पकड़ा, इतनों को किया लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ए.सी.बी. 2014 से 2016, इनके पास में 16,278 शिकायतें आयीं, केवल 51 शिकायतों पर कार्यवाही हुई। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य के गृह सचिव और ए.सी.बी. के डी.जी. को जवाब मांगा। माननीय सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट भी यह कहता है कि 15 दिन से ज्यादा शिकायत नहीं रहनी चाहिए, उसका निस्तारण होना चाहिए। तो आज का जो आंकड़ा है, मैं समझता हूं कुछ भी नहीं है। निश्चित रूप से पुलिसकर्मियों के भ्रष्टाचार की सुनने के लिए जो आपने जिला समितियां बनायी हैं, चाहे जयपुर हों चाहे अन्य जिले हों, न प्रचार, न सचिव, न आफिस, कुछ भी नहीं और इसी का नतीजा यह है कि डेढ़ साल में केवल 51-52 केस हो पाये हैं। निश्चित रूप से इनके ऊपर कार्यवाही करने की ओर आपको सोचने की जरूरत है।

रिश्वतखोरों ने आपकी पुलिस का जो आंकड़ा है, जो आपका मूल्यांकन है, उसको बिगाड़ने का भी काम किया है। पुलिस की कार्य प्रणाली सुधारने के लिए लागू कार्य मूल्यांकन योजना में 40 में से ऐसा कोई भी पुलिस जिला नहीं मिला जहां पर जिसने रिश्वतखोर पुलिसकर्मियों की वजह से अपने नम्बर न गंवाये हों। यह आपके आंकड़े बोल रहे हैं, मैं अलग से कुछ नहीं बोल रहा हूं।

जिस प्रकार प्रदेश में गैंगवार है, चाहे आप जोधपुर का ले लीजिए, कल-परसों सादुलपुर में कोर्ट में देख लीजिए, उससे पहले बीकानेर में हुई, उससे पहले सीकर में हुई, भरतपुर में हुई। गृह मंत्रीजी ने जवाब दिया था कि हम जांच करवा रहे हैं, जांच के बाद में कार्यवाही करेंगे, हो सकता है इन्होंने की हो, लेकिन हमारे पास उसकी सदन में कोई सूचना नहीं आयी।

निश्चित रूप से जेलों की स्थितियों को सुधारने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा। आये दिन यह सूचना मिलती है कि जब जेल की जांच होती है तो जेल में मोबाइल मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, बीकानेर में हथियार चले भी हैं। गृह मंत्रीजी, आपको तो पता है, जिस प्रकार वीडियो वायरल करते हैं, जिस प्रकार जोधपुर की जेल से किया गया। यह सब भी हमारे लिए चिंता का विषय है। और कोर्ट में, माननीय सभापति महोदय, भरे कोर्ट में अगर कोई गोली

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

चलाकर हत्या कर दे तो गृह मंत्रीजी ने जवाब भी दिया था, आश्वस्त भी किया था कि मैं चेष्टा करूंगा। लेकिन जो बजट आया है उसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई। हमने पुलिस के थाने, वृत्ताधिकारी कार्यालय, चौकियां, काफी संख्या, मात्रा में खोलने का काम किया था लेकिन इस आखिरी बजट में भी हमें निराश होना पड़ा कि आपने न कोई वृत्त कार्यालय खोले, न कोई थाने खोले, न कोई चौकी खोली, जो हम कर गये उसी से आप काम चला रहे हो। निश्चित रूप से इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हम सबको, किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है।

जिस प्रकार मुख्य मंत्रीजी भीलवाड़ा गयीं माण्डलगढ़ में, जिस प्रकार मुख्य मंत्रीजी फतहपुर में झुन्झुनूं जिले में सुनवाई के लिए गयीं, लोगों ने अपनी मांग रखी, अन्दर मुख्य मंत्रीजी स्पीच दे रही हैं बाहर बेरोजगार छात्र जो अपनी मांग कर रहे हैं, कोई तहसील के लिए कर रहा है, कोई रोजगार के लिए कर रहा है, उनके ऊपर लाठियां पड़ रही हैं। तो 60 साल बाद में भी हमें हमारी बात रखने का अधिकार नहीं है क्या? क्या हम मुख्य मंत्रीजी से मिल नहीं सकते? अगर हक मांगने वालों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम कर रहे हो तो यह बात ठीक नहीं है।

निश्चित रूप से कुछ घटनाएं ऐसी हैं, होते हैं, मैं यह मानता हूं। गृह मंत्रीजी यह कहेंगे कि आपके समय में भी अपराध हुए हैं, हमारे समय में भी हुए हैं लेकिन कुछ ऐसे अपराध हैं जिनको हमें चिन्हित करके यह सोचना पड़ेगा उसकी दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हमें चेष्टा करनी पड़ेगी।

7 वर्षीय बेटी के साथ झालावाड़ में दुष्कर्म हो गया, बलात्कार हो गया, निश्चित रूप से हम सबके लिए शर्म की बात है कि इस स्थिति में भी हम इनकी रक्षा नहीं कर सके। 12 साल की दलित बच्ची से दुष्कर्म और पिता को पुलिस ने धक्का मारकर बाहर निकाल दिया, झालावाड़ की यह स्थिति है। आज कैंसर पीड़िता के साथ में जिस प्रकार से सरोजनी नगर में हुआ है, यह भी सोचने की बात है। रायला में होटल में भोपाल की युवती के साथ में, जब दूसरे प्रदेश के जो सैलानी आते हैं, निश्चित रूप से वे हमें कुछ न कुछ देकर के जाते हैं, वे यहां से हमारी इमेज को लेकर के जाते हैं। अगर उनके साथ में दुष्कर्म की इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश का नाम खराब होता है। हम सबको सोचने की जरूरत है। पुलिस हिरासत में

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

नाबालिगों की मौत भी हो रही है। यह भी हमारे लिए चिंता का विषय है। सरेराह महिला की नृशंस हत्या झालावाड़ में और अपहरण कर पति का भी कत्ल कर दिया। यह मुख्य मंत्रीजी का स्वयं का जिला है। निश्चित रूप से यह हम सबको झकझोर देने वाली घटनाएं हैं।

आप देखिए, चार-चार अफसर गश्त पर, थाने के बाहर नाकाबंदी, फिर भी 300 मीटर की दूरी पर युवक की हत्या, शव को जलाया, यह आपकी राजधानी जयपुर में शिप्रा पथ थाने की घटना है। ये कुछ चीजें हैं, जो हम सबको झकझोरती हैं। हम सबका दायित्व बनता है कि हम किस प्रकार से सुशासन दें, सुराज दें और हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। आप देखिए, मूक बधिर ने सामूहिक दुष्कर्म को इशारों में बताकर रिपोर्ट दर्ज कराई, दो पकड़े गये, निश्चित रूप से यह भी सोचने वाली बात है। नाबालिग के साथ में, मूक बधिर के साथ में जिस प्रकार से दुष्कर्म हो रहे हैं, यह हम सबके लिए सोचने का विषय है। लेकिन माननीय गृह मंत्रीजी, हमें अफसोस है, मैं नहीं कहना चाहता, बहुत वरिष्ठ हैं, आपकी वरिष्ठता का हम सबको लाभ भी मिल रहा है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपका नीचे का सिस्टम ऐसा कोलेप्स हो गया है कि उसको सावचेत करने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है। हर जगह पुलिस नहीं तैनात की जा सकती। गृह मंत्रीजी, केवल अपन यह बात करके नहीं छूट सकते।

आज जो चोरियों की स्थिति है, प्रदेश में रोजाना 48 वाहन चोरी होते हैं और अगर उनकी रिकवरी देखो तो 1 परसेंट भी मुश्किल से होती है। निश्चित रूप से यह सोचने की बात है। जो बड़े-बड़े घटनाक्रम हुए, चाहे आनंदपाल का मामला हो, चाहे कोई दूसरा मामला हो, प्रदेश कितना अशांति के दौर से गुजरा होगा, आप स्वयं भी शांति से नहीं सो पाये होंगे, निश्चित रूप से हम सबको झकझोर देने वाली बातें हैं। आज देखना पड़ेगा, पहले आप कह रहे हैं कोई सीबीआई जांच नहीं, फिर आंदोलन होते हैं। जिस प्रकार से आगजनी, तोड़-फोड़, मारपीट, एक अशांति का माहौल पूरे प्रदेश में फैलता है और उसके बाद में आप सीबीआई को जांच देने की बात करते हैं। पहले दिन ही क्यों नहीं कर लिया आपने? जिससे कम से कम यह बात नहीं होती। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस अच्छा काम भी करती है, यह नहीं कि पुलिस सारी ही खराब है। सुधारने के लिए यहां चर्चा करने की आवश्यकता है, लेकिन जो पुलिस दिन-रात, चौबीसों घंटे आपके लिए काम

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

करती है, उसके वेतन में आप कटौती करने का काम कर रहे हैं। उसका वेतन काट रहे हैं और उसके ऊपर से एक परिपत्र जारी कर दिया कि आप सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते, आपके परिवार का कोई व्यक्ति अगर सरकार की नीतियों की आलोचना करेगा, उसको उखाड़ फेंकने की कार्यवाही करेगा तो उसके खिलाफ आपको बताना पड़ेगा। हम मुकदमा दर्ज करेंगे, कार्यवाही करेंगे।

यह प्रजातंत्र है, माननीय सभापति महोदय। इस प्रजातंत्र में सरकारें बनती भी हैं, उखड़ती भी हैं। सबको अधिकार है। आज गयी न 17 सीटें। हम आए थे न 21 पर। (व्यवधान) आए थे न। मैं कह रहा हूं न हम आए थे न 21 पर। (व्यवधान) मेहता जी, मेहता जी, आप बहुत स्याणे आदमी हो, 21 पर हम आए थे, हम मना कब कर रहे हैं, लेकिन इस जनता ने ही तो किया था न यह काम और आपके लिए भी 17-0 का जनता ने ही किया है। अगर आप इस तरह के परिपत्र लागू कर-करके कि सरकार की नीति की कोई आलोचना नहीं करेगा, क्या सरकार की सारी नीतियां सही होती हैं? आलोचना करने का हमारे संविधान में हमें अधिकार नहीं दिया हुआ है? आपने क्यों लिया फिर पीपीपी मोड, क्यों लिया इस काले कानून को वापस? क्या अधिकार नहीं था हमारा? जब जनता ने आपको आईना दिखा दिया कि आप इस तरह का काला कानून लाएंगे तो आपका हश्र आगे चुनाव में भी यह होने वाला है। आपने लिया कि नहीं लिया? अगर आपकी नीति गलत नहीं थी, आपका कानून गलत नहीं था तो आपको वापस लेने की कहां आवश्यकता पड़ गयी? इसलिए इस तरीके से परिपत्रों के माध्यम से धमकाकर आप किसी की जुबान पर ताला नहीं लगा सकते, आप किसी को रोक नहीं सकते हो। इसलिए जिन पुलिसकर्मियों को आपने सस्पैंड किया, कार्यवाही की, उन्होंने मुण्डन कराया, उन्होंने मैस का बहिष्कार किया, ये अधिकार हैं, माननीय सभापति महोदय।

गृह मंत्रीजी ने तो स्वयं विपक्ष में रहते हुए पता नहीं कितने आंदोलन किये हैं, इनको तो आंदोलन का मसीहा कहूं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, जब आंदोलन इतने किये। आज एक पुलिस का सिपाही अपने वेतन की कटौती को लेकर अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है तो उसके ऊपर आप कार्यवाही करेंगे? मैं समझता हूं यह ठीक नहीं लगता। माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश की पुलिस के लिए हमारे राज्य का मानवाधिकार आयोग अगर यह टिप्पणी करता है कि लगता है पुलिस की डोर किन्हीं अदृश्य हाथों में है तो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

शर्म से हमारा सिर झुक जाता है, क्योंकि ऐसे वरिष्ठ गृह मंत्री के होते हुए भी अगर मानवाधिकार आयोग को यह कहना पड़े कि लगता है पुलिस की बागडोर किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में है तो मैं समझता हूं यह बात हम सबके लिए चिंता का विषय है।

कुछ दिन पहले आपने देखा होगा गृह मंत्रीजी, ये जो नशीले पदार्थ हैं, भांग, डोडा, पोस्त, पता नहीं क्या-क्या, हमारे प्रिंट मीडिया के लोगों ने जब इसके ऊपर सर्च किया तो यहां पूर्व गृह मंत्री तक को उन्होंने पार्सल लाकर के डिलिवरी हाथों-हाथ दे दी। इस तरह से हमारे नौजवान बच्चों के बिगड़ने का काम हो रहा है। यह नैटवर्क इतना तगड़ा है, लेकिन इसके ऊपर भी आपने कुछ काम नहीं किया। आपके स्वयं के आईपीएस पंकज चौधरी डीजीपी को पत्र लिखकर जिस प्रकार से सवालिया निशान उठा रहे हैं, ये सब चीजें भी हम सबको देखनी पड़ेंगी। इसलिए जो बात है, वह कहनी पड़ेगी और कहने से ही उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। जिस प्रकार से गुरुग्राम में देह-शोषण की बातें आयीं, जिस प्रकार से औरतों को पकड़ा गया, निश्चित रूप से हम सबके लिए शर्म से सर झुकने वाला मामला था।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कान्स्टेबल हैं, उनको आप प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। अभी मुख्य मंत्रीजी ने शायद घोषणा की है कि 18 साल होने पर उनको प्रमोशन देने की कोई बात है। बच्चों के दुष्कर्म पर जो सज़ा का प्रावधान है, उस कानून में भी आपने संशोधन करने की बात की है। निश्चित रूप से अच्छी बात है, लेकिन यह करना पड़ेगा हम सबको। केवल कागजों में लिखकर अगर हम चले जाएं तो हमें यह जनता माफ नहीं करेगी। प्रदेश ने इतना बड़ा मैंडेट आपको दिया है, हम चाहे विपक्ष में कम हैं, लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि आपको समय-समय पर चेताने का काम करें। आप उसके ऊपर गम्भीरता से मनन करें। जो आपको अच्छा लगे, वह आप कर दीजिए। जो आपको बुरा लगे, हमारा लौटा दीजिए। निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा। आज एक पुलिसकर्मी, माननीय गृह मंत्रीजी, सीएल के लिए भटक रहा है, कितने साल से मांग कर रहा है कि हफ्ते में हमें सीएल मिले, 24 घंटे की उसकी ड्यूटी होती है, उसको जो वर्दी, जो जूते दिए जाते हैं, उसमें भी वह बार-बार मांग कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें घटिया दिये जाते हैं। आप क्यों नहीं उसके पैसे दे देते?

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जो भत्ता आप बढ़ा रहे हो, वह ऊंट के मुंह में जीरे वाला भत्ता बढ़ा रहे हो, उसको क्यों नहीं बढ़ा देते? ऐसी क्या आफत आ गयी, इतना बड़ा बजट है, क्या हम पुलिस के लिए नहीं कर सकते? गाड़ियों के लिए भी आपने कल-परसो कहा था, लेकिन मेरा यह मानना है कि ये गाड़ियों की संख्या भी कम है, और ज्यादा करनी पड़ेगी। आज तो टैक्नोलाजी का जमाना आ गया, जिस तरीके से अपराधी गाड़ियां लेकर के आते हैं 160-170 की स्पीड पर, आपकी पुलिस की खटारा गाडी उसका पीछा नहीं कर सकती है। उसके पास में ऐसे हथियार हैं कि आपके हथियार उसके सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए इन चीजों को आपको करना पड़ेगा। जो पुलिस के आधुनीकरण के लिए बजट केन्द्र से आया था, वह शायद आपको मिला नहीं। आपने कहा था इसी सदन में कि मैं प्रयास करूंगा दुबारा आए, लेकिन मैं समझता हूं शायद वह भी नहीं आया होगा। निश्चित रूप से यह हम सबके लिए सोचने का विषय है।

मैं दो मिनट में अपनी और बात कहकर समाप्त करूंगा। आपने कहा था आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद में कि गैलेंट्री अवार्ड हम सबको देंगे, उस सोहन सिंह को या किसी को भी, मैं यह नहीं कहता, आपकी सरकार ने घोषणा की थी, आपने आज दिन तक उसको दवाई दिलाने के अलावा, एक रुपये का फायदा नहीं दिया, उसको गैलेंट्री अवार्ड तो छोड़िए। एक-एक दिन का वेतन तो जरूर मैं पुलिसकर्मियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उन विपरीत परिस्थितियों में उसका सहयोग किया, लेकिन सरकार ने क्या किया? माननीय सभापति महोदय वह चीज करने की आवश्यकता है। पुलिस विभाग में जो वाहन संचालित हैं उनके इंश्योरेंस का मामला भी है। जो आवास सुविधा है वह इतनी खराब है, माननीय गृह मंत्रीजी, आप तो भली-भांति परिचित हैं और शायद इस पर गौर भी करेंगे कि रहने लायक ही नहीं है। जो कमी है वह तो है ही है लेकिन रहने लायक भी नहीं है तो उस चीज को भी सुधारने की जरूरत है।

पुलिस कर्मचारियों की 24 घंटे की ड्यूटी के बदले हार्ड ड्यूटी मात्र 12 प्रतिशत जो दिया जा रहा है उसको 50 परसेंट बढ़ाने का श्रम करें। जिस प्रकार काम की अधिकता की वजह से पुलिस का व्यक्ति टेंशन में रहता है, अपराधियों का पीछा करता है तो निश्चित रूप से टेंशन में रहता है तो इसके लिए भी कोई न कोई उनके स्वास्थ्य के लिए सर्वे कराना या किस प्रकार से वे और ज्यादा रिलैक्स महसूस करें, इस प्रकार की व्यवस्था करने की जरूरत है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

पुलिस कर्मचारियों का वेतन पहले ही काफी कम था और फिर चार श्रेणी में रख दिया इसके लिए आंदोलन वे कर रहे हैं और शांतिपूर्वक ड्यूटी करते हुए विरोध किया उसके लिए भी आपको कार्यवाही नहीं करनी चाहिए, उसको वापस लेना चाहिए। हमारे सीकर में एक कांस्टेबल था जो 15 अक्टूबर को विरोध जताने के लिए टंकी पर चढ़ गया तो उसको सस्पैंड कर दिया। अब ऐसी चीजें अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मैसेज ठीक नहीं जाएगा इसलिए उसको ठीक करने की आवश्यकता है। एक बात जो हम हमेशा देखते हैं कि ये जो बैरिकेड्स आप लगाते हैं, एक तो टांटियावास टोल के पास में है, सारे मंत्री भी जाते हैं देखा होगा और एक चौकी है आपकी 20-50 मीटर पर....

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): टंकी पर चढ़े उसको सस्पैंड नहीं करें क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): टंकी पर चढ़े, उसका अधिकार है अपनी मांग मनवाने के लिए। आप तो यहां कितनी उछल-कूद करते हो फिर भी सस्पैंड नहीं हो रहे हो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): टंकी पर चढ़ना चाहिए? आप प्रोत्साहित किसको करना चाहते हो? किस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कर रहे हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो बैरिकेड्स लगाये हैं वह टोल वाले के लाभ के लिए लगाये हैं गृह मंत्रीजी। मैंने एक दिन स्वयं ने कमिश्नरेट में कमिश्नर साहब को कहा था केवल टोल वाले की लाइन नहीं बिगड़े और धीरे-धीरे एक-एक करके उस बैरिकेड्स से चला जाए और टोल वाले का एक भी नुकसान नहीं हो क्योंकि शायद आपका समय है कि 2-3 मिनट में अगर वो क्लियर नहीं करता तो उसको टोल छोड़ना पड़ता है इसलिए लगा रखे हैं। एक नहीं, अनेक जगह हैं, संसदीय कार्य मंत्रीजी स्वयं जाते हैं, आप बताइये कि दूर से तो ऐसा लगता है जैसे रास्ता जाम कर रखा है। कहां जरूरत पड़ गयी? जब आपको नाकेबन्दी करनी है तब आप कीजिये अगर कोई अपराधी की सूचना है। पर, उसके अलावा आप करते हैं तो मैं सोचता हूं कि यह सोचने का विषय है।

अन्तिम बात मैं कहना चाहता हूं होमगार्ड की। पुलिस के साथ-साथ होमगार्ड का भी बहुत बड़ा महत्व है लेकिन जिस प्रकार से होमगार्ड के साथ में अन्याय हो रहा है और आज 6-7 दिन से वह भूख हड़ताल पर हैं। आपके हाई

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

कोर्ट का फैसला भी आ गया और अन्य 12 राज्यों में भी उनको नियमित सेवा में कर दिया। जो पुलिसकर्मियों को मिलता है उस प्रकार से वेतन-भत्ते उनको मिलते हैं। वह आज भूखा-प्यासा बाहर बैठा है और कह रहा है कि मुझे आप 12 महीने रोजगार दे दो, पर रोजगार ही हम नहीं दे पा रहे हैं। अभी मुख्य मंत्रीजी ने कुछ को और करने की घोषणा की है, पर यह चुनावों के लिए थोथी वाहवाही लेने की जरूरत नहीं है। आप कीजिये, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन जो आज मौजूदा स्थिति है, जो सड़क पर यहां सात दिन से भूखा, प्यासा, नंगा बैठा हुआ है, अगर उसको आप काम नहीं दे सकते, उसको काम के बदले वेतन नहीं दे सकते तो फिर ये मुख्य मंत्री थोथी और आपको करने की, मैं समझता हूं कि, आवश्यकता नहीं है इसलिए इनको भी देखना पड़ेगा। बार-बार आप उनको लाठीचार्ज की धमकी देकर उठाने की चेष्टा करें, नियमित रोजगार नहीं करें जबकि और जगह हो गया। राजस्थान मानवाधिकार आयोग भी इसके लिए अनुशंसा कर चुका है इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने 2014-15 में रात्रि गश्त एवं ट्रैफिक ड्यूटियों को बन्द कर होमगोर्ड के जवानों को बेरोजगार कर दिया जबकि कांग्रेस सरकार देती थी और आपने 2015-16 में बन्द कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब चीजों को देखने की आवश्यकता है। इसलिए पुलिस के जवानों की जो समस्याएं हैं, अच्छा लगेगा गृहमंत्री जी, अगर आप इनके ऊपर कुछ रिलेक्सेशन देकर, छूट देकर, अनुदान देकर करने का काम करेंगे।

आखिर में एक दूसरी बात निवेदन करके एक मिनट में समाप्त करूंगा। हम तो कहते हैं, हमारी तो मत सुनिये लेकिन जिस प्रकार से आप ही के विधायक ज्ञानदेव आहूजा जी ने, जिस प्रकार आप ही के विधायक रामहेत यादव जी ने, जिस प्रकार आप ही के विधायक शुभकरण जी चौधरी ने, आप ही की विधायक चन्द्रकाता जी मेघवाल ने, जिस प्रकार आपके ही विधायक बार-बार यह कह रहे हैं कि अमुक एस.पी. खराब है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, अपराधियों से हमें भय लग रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, तो इन चीजों को अगर सरकार नहीं देखेगी तो कौन देखेगा?

गृह मंत्रीजी, निश्चित रूप से आप शक्तिशाली हैं, आपकी शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। अब कोई ज्यादा समय शेष नहीं रहा है इसलिए अगर मुख्य मंत्रीजी अधिकार नहीं दे रही हैं तो आप छीनकर ले लीजिये, हम आपके साथ में हैं लेकिन काम कीजिये, काम करना पड़ेगा माननीय गृह मंत्रीजी, और हमें आपसे आशा है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, कुछ बड़े शहरों में तो ट्रैफिक की व्यवस्था है जैसे हमारे सीकर में है, रींगस में है, फतेहपुर में है लेकिन आज लक्ष्मणगढ़ में इतनी बड़ी दिक्कत है और ट्रैफिक का एक भी आदमी नहीं है। आज सब जगह इतने वाहन बढ़ गये, अतिक्रमण हो लिए, इसलिए यह जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसमें भी नफरी बढ़ाने की आवश्यकता है। जो बड़े-बड़े सिटी हैं, नगरपालिका, म्युनिसिपल एरिया है, उसके अलावा भी बहुत जरूरत है। लेकिन कम से कम उनमें तो आप ट्रैफिक की व्यवस्था करने का काम करें। इसलिए मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने जो किया उसका परिणाम उप चुनावों में भुगत लिया। सभापति महोदय, अब आपके पास 8-9 महीने हैं इसलिए इस सरकार में कुछ तो ऐसा करके जाइये कि लोग याद रखें गुलाबचन्द जी कटारिया वरिष्ठ नेता थे भारतीय जनता पार्टी के। सभापति महोदय, हमने हमेशा और जब पढ़ते थे तब से सुना है कि गृह मंत्री का दो नम्बर का पद होता है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): ये वरिष्ठ नेता थे नहीं, हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब मंत्री हैं न, हमारे भी हैं, पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप दो बात अलग-अलग कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि आप वरिष्ठ हैं तो वरिष्ठ का तो ऊपर का जो मस्तिष्क है वह बहुत काम करता है और फिर मस्तिष्क से नीचे के सिस्टम को ठीक रखते हैं और आप कह रहे हो कि नीचे का सिस्टम खराब है तो वरिष्ठ आदमी तो ऊपर से काम करते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं इस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इन चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है। पहले हम बच्चे थे तब भी सुना करते थे कि मुख्य मंत्री बनने के बाद में हर नेता की यह इच्छा होती थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो मैं गृह मंत्री बनूं और सबसे बड़ी अगर पावरफुल कोई पोस्ट होती है तो गृह मंत्री की होती है। आज पता नहीं कौनसे नम्बर पर हैं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रालय दो नम्बर के ऊपर है मुख्य मंत्री के बाद में। ऐसी क्या नौबत आ गयी, ऐसी क्या बात हो गयी, इसलिए

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मैं आपकी विद्वता पर, क्षमता पर प्रश्नवाचक नहीं लगा रहा हूं। लेकिन यह सोचने का विषय है।

एक बात और कहूंगा कि माननीय गृह मंत्रीजी, पंचायती राज में जिस प्रकार से फर्जी टी.सी. लेकर लोग आये थे और लगभग 1000-1100 मुकदमे भी दर्ज हुए थे। आपकी सरकार ने और आपने एक अघोषित कर्फ्यू लगाकर कह दिया कि हमारा नाम खराब हो जाएगा, प्रदेश की नाक कट जाएगी, हम आनन-फानन में यह बिल ले आये इसलिए फर्जी टी.सी. लाकर जन-प्रतिनिधि बन गये, एक के खिलाफ कार्यवाही की हो तो बता दो? आपके एस.पी. की दराज में प्रत्येक जिलों में आपने रखवा दिये कि कोई कार्यवाही नहीं करनी है और जब हमारी सरकार चली जाए तो जो कुछ देखना हो, देख लीजिये। गृह मंत्रीजी, यह नहीं होना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कितने सरपंच निलम्बित हुए हैं आपको मालूम है? कितने सरपंच इसमें निलम्बित हुए हैं आपको मालूम है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बता देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 138 सरपंच निलम्बित हुए हैं और जेल भी गये हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह तो आपने राजनीतिक दुर्भावना से किये हैं। 1100 मुकदमे दर्ज हुए हैं उसका रिकार्ड बता दें। राजनीतिक दुर्भावना से आपने किये हैं, मेरे सूतोद ग्राम पंचायत के सरपंच को भी आपने किया है, पर मैंने आपको कभी नहीं कहा क्योंकि यह आपका अधिकार है, हम दुबारा आ जाएंगे।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय डोटासरा जी, आपने ही अभी कहा कि एक भी किया हो तो बता दो। तो वह गलत है तो होगा।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): राजनीतिक दुर्भावना से करना होता तो नेता, प्रतिपक्ष के जिला प्रमुख के खिलाफ भी हो गया होता। राजनीतिक दुर्भावना से ही करना होता तो नेता, प्रतिपक्ष के जिला प्रमुख के खिलाफ भी हो गया होता।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जिला प्रमुख के खिलाफ आपमें दम है तो करो न। लेकिन चूरू वाले जिला प्रमुख के खिलाफ भी करना,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

दूसरे जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंचों के खिलाफ भी करना। न्याय कर लो, न्याय। पाली वाले के खिलाफ भी कर लेना, आप वाले के खिलाफ भी कर लेना। अब मैं क्या कहूं ज्यादा, ठीक नहीं रहेगा। सभापति महोदय ने मुझे काफी अवसर दिया है इसलिए मैं इसका सदुपयोग ही करूंगा। मैं कहना चाहता हूं यह परम्परा ठीक नहीं है कि हम किसी अपराधी को बचाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करें। आज पूरे प्रदेश में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है उसको ठीक करने का काम करें। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार किसानों के साथ में आपने दमनकारी नीति अपनायी है, बड़ी निन्दनीय है गृह मंत्रीजी। जिस प्रकार जेलों में डाल दिया कि आप आंदोलन नहीं कर सकते, सैकड़ों की संख्या में उनको जेलों में डाल दिया कि अपनी बात नहीं रख सकते, वाजिब अधिकारों की बात नहीं कर सकते तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है।

इसलिए आज प्रदेश में हालात बने हुए हैं, वह अच्छे नहीं हैं और काला कानून तो आपने ले लिया लेकिन यह काला कानून आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार उप चुनावों में आपकी दुर्गति हुई है, वह आने वाले चुनावों में भी क्योंकि आपकी मंशा प्रदेश की जनता के सामने आ गयी कि आप क्या करना चाहते हो। इसलिए जो यह परिपत्र सोशल मीडिया का जिस प्रकार से आपने सत्ता का दुरुपयोग करके निकाला है, उसको वापस लेने का कष्ट करें। गृह मंत्रीजी, आप बहुत संजीदा, वरिष्ठ हैं और आप समझ सकते हैं कि आप पुलिसकर्मी को तो पाबंद करो तो करो, उसके परिवार के लिए भी करो। दो भाई हैं, अगर उनके नहीं बन रही है, वह जाएगा दूसरी किसी सभा में या कुछ करेगा। अगर सरकार की कोई नीति गलत उसको लगेगी तो क्या वह उसका विरोध नहीं करेगा? हम नहीं करेंगे? अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ हम बात नहीं करेंगे कि साहब, आपने तो नीति का विरोध कर दिया। निश्चित रूप से इन चीजों को देखने की आवश्यकता है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस और कारागार की मांग संख्या 16 और 17 के ऊपर बहस चल रही है। माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, सरकार ने चाहे कितना ही बेहतरीन काम किया हो, लेकिन फिर भी उसकी आलोचना करना उनका नैतिक धर्म और कर्तव्य बनता है और वह कर भी रहे हैं। यदि

(श्री रामलाल शर्मा)

वास्तविकता के अन्दर वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर अगर उसकी चर्चा करते तो मैं मानता कि उनका कहना सही है।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो पुलिस के दायरे को समझना पड़ेगा कि पुलिस का दायरा क्या रहेगा? पति-पत्नी में झगड़ा हो गया तो मामला पुलिस तक। दो भाइयों में झगड़ा हो गया तो मामला पुलिस तक। किसी के मकान के बाहर नाली का कोई विवाद आ गया तो मामला पुलिस तक। किसी का पेड़ अगर किसी ने उखाड़ दिया तो मामला पुलिस तक। कोई शराबी दारू पीकर उत्पात मचा रहा है तो मामला पुलिस तक। माननीय सभापति महोदय, यह इतना बड़ा क्षेत्र है और मेरे खयाल से पुलिस महकमा कहां तक अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाने का काम करे, यह भी हम सबको सोचने की आवश्यकता है।

दूसरी बात माननीय सभापति महोदय, नजरिये का फर्क है कि आखिरकार हम किस नजरिये से किस व्यक्ति को देख रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, एक महात्माजी थे और एक उनका शिष्य था। शिष्य बोला कि भैंस कितनी काली है और महात्माजी बोले, इसके दांत कितने सुन्दर हैं। फिर शिष्य बोला, भैंस कितनी काली है, इसके गोबर भी लग रहा है, गंदी भी है। महात्माजी ने कहा कि इसके दांत मोतियों से चमक रहे हैं। शिष्य को गुस्सा आया और उसने गुस्से के अन्दर कहा कि महात्माजी, जो मुझे दिख रहा है, वह आपको दिखाई नहीं देता क्या? तो महात्माजी ने उत्तर दिया, आप अपने नजरिये को गंदगी की ओर ही क्यों लेकर जाते हैं? इस गंदगी में कुछ अच्छाई है, उस अच्छाई को भी देखने का प्रयास करें। तो मुझे लगता है कि इन सारी परिस्थितियों में कुछ अच्छे काम पुलिस ने किये हैं, उनकी भी चर्चा अगर प्रतिपक्ष के माननीय सचेतक महोदय करते तो मेरे खयाल से वह बेहतर होता।

माननीय सभापति महोदय, पिछले दो सालों के अन्दर पुलिस ने अपराधियों की जन्म-पत्री अगर नहीं बनाई होती तो वर्तमान के अन्दर परिस्थितियां कुछ अलग होतीं। चाहे एसओजी ने, चाहे एटीएस ने इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की। लगभग 150-200 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। यह पुलिस ने बेहतरीन काम किया।

माननीय सभापति महोदय, यह बात भी बिलकुल सही है कुछ जगह ऐसी घटनाएं घटीं कि अगर पुलिस सतर्क होती, अगर पुलिस सक्रिय होती तो

(श्री रामलाल शर्मा)

वह घटनाएं भी नहीं घटित होतीं। इसलिए दोनों ही परिस्थितियों के अन्दर काम करने की आवश्यकता है। आज वास्तविकता के अन्दर स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं। हमारे को पुलिस के कामों को दो भागों में बांटना पड़ेगा। एक कानून व्यवस्था और दूसरा, अनुसंधान का काम। मेरा मानना है माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी से भी मेरा निवेदन है कि अगर इन दोनों पार्ट्स को, दोनों ही अनुसंधान अधिकारी अगर अलग काम करें। जो अनुसंधान में लगे हुए हैं, वही कानून व्यवस्था के अन्दर हैं। जो कानून व्यवस्था में हैं, वही अनुसंधान के अन्दर हैं। फिर एक परिपत्र ऐसा जाता है कि इतने महीनों से अगर कोई पैंडेंसी है तो उनके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे और फिर आनन-फानन के अन्दर वह सही अनुसंधान किये बिना ही उन पत्रावलियों का निस्तारण करने का काम करते हैं। एक तो सुझाव मेरा यह है कि अनुसंधान और कानून व्यवस्था दोनों अलग-अलग अधिकारियों के हाथ में रहे तो मेरे ख्याल से बेहतरीन काम होगा और उसके परिणाम भी सकारात्मक आएंगे।

माननीय सभापति महोदय, यह बात भी बिलकुल सही है कि अपराध का प्रकार बदला है। कुछ अपराध ऐसे हैं सभापति महोदय, जो कानून के सामने आ पाते हैं और जिनका हो सकता है कि जो अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून के पास चलकर जाता है, वह सारी चीजें कानून के सामने हैं और कानून के दायरे के अन्दर उनके ऊपर कार्यवाही भी होती है लेकिन माननीय सभापति महोदय, कुछ अपराध ऐसे हैं जो चलकर...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, जवाब सुनकर जाओ आप। आसन छोड़कर मत जाओ। जवाब सुनो।

एक माननीय सदस्य: यहीं है, यहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम तो उधर आ रहे थे।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आ जाओ, आ जाओ।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, कुछ अपराध ऐसे हैं जो कानून के सामने आ ही नहीं पाते।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): उसके लिए 10 साल प्रतीक्षा करो। उसके लिए 10 साल की प्रतीक्षा करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह तय कर लिया क्या आपने और मुख्य मंत्रीजी ने। वह तो 15 साल मांग रही थी, आप 10 साल क्यों मांग रहे हो। कल को मंत्रिमण्डल से हटा देंगे। आप 15 साल तो मांगो। मुख्य मंत्रीजी ने 15 साल मांगा है कोटा में। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन जरूर करूंगा, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य वर्तमान सरकार के अपराधों को गिनाने का काम कर रहे थे। माननीय सभापति महोदय, मैं इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो घटनाएं घटित हुईं, उनका उल्लेख भी करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, वह कौनसे माननीय विधायक थे...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह गृह मंत्रीजी कर देंगे, आप तो अपने चौमूं की बात बताओ।

श्री सभापति: आप बैठो।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, वह कौनसे माननीय विधायक थे जिनके बेटे की निर्मम हत्या की गयी थी? माननीय सभापति महोदय, वह कौनसे विधायक थे जिनकी गाड़ी दिन-दहाड़े आप ही के शासनकाल के अन्दर छीनकर ले गये थे? माननीय सभापति महोदय, वह कौनसी राज्यपाल महोदया थीं, जिनकी गाड़ी चोरी होकर चली गयी थी? माननीय सभापति महोदय, वह कौनसा थाना था, चेचट थाना, जिस थाने के अन्दर जो घटना घटित हुई, उसका उल्लेख मैं करना नहीं चाहता, उस समय किसका शासन था? दूसरों की कमी गिनाने से या दूसरों की कमजोरी गिनाने से आपके पाप कम हो जाएंगे? यह सम्भव नहीं है लेकिन मैं इतना कह सकता हूं माननीय सभापति महोदय, पिछले चार साल के अन्दर माननीय गृह मंत्रीजी ने और पुलिस ने जिन कामों के अन्दर पूरी तत्परता के साथ कार्यवाही की है, वह सराहनीय है।

कई घटनाएं जयपुर में ऐसी घटित हुईं, कई ऐसी हत्याएं हुईं, जिनका खुलासा होना बहुत मुश्किल था लेकिन पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ, पूरी टैक्नोलोजी के साथ उन घटनाओं का खुलासा भी किया और उनको समाज के सामने लेकर भी आये। आज पुलिस के ऊपर दबाव जिस तरीके से, यह बात बिलकुल सही है कि नफरी कम होने की वजह से और मुकदमों की संख्या

(श्री रामलाल शर्मा)

अधिक होने की वजह से दबाव है। मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि भौतिक सुविधाएं भी नहीं हैं। 24 घंटे की नौकरी है और 24 घंटे की नौकरी करने के उपरान्त पुलिसकर्मियों को सोने का उचित स्थान भी नहीं मिलता होगा। उसके बावजूद भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी से अगर वह कर रहे हैं तो दो शब्द उनके पक्ष में भी बोल देने से मेरे खयाल से इन्कम टैक्स की रिटर्न के अन्दर आपका कुछ पैसा कटने वाला नहीं है लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य। बोलना भी चाहिए और मेरे खयाल से आपकी ऐसी कोई नाराजगी रहनी भी नहीं चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन मैं आपके माध्यम से करूंगा। कुछ घटनाएं प्रदेश के अन्दर पिछले सालों में इस प्रकार की हुई हैं, उन घटनाओं के ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए चाहे वह जेल की घटनाएं हों, चाहे कुछ घटनाएं इस प्रकार की हों कि पुलिस की मौजूदगी के अन्दर अपराध करके निकल जाएं लेकिन आज जिस माहौल के अन्दर, प्रदेश के अन्दर अपराधों की संख्या के अन्दर गिरावट आई है, उनके ऊपर अंकुश लगा है, वह स्वतंत्रता का परिणाम है, फ्रीडम का परिणाम है कि पुलिस महकमे को एक फ्रीडम मिली, अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए थी। हो सकता है किसी को कुछ पीड़ा भी उससे हुई होगी लेकिन उसकी वजह से वास्तविकता के अन्दर जो परिणाम निकलकर आये, वह सुखद परिणाम हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक निवेदन मैं और करूंगा। कई अपराध जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि वह कानून के सामने आ नहीं पाते। जैसे जुए का अपराध है। अगर कोई पीड़ित है, वही कानून के सामने आएगा, अन्यथा इस अपराध के ऊपर अंकुश लगना बहुत जरूरी है और माननीय सभापति महोदय, वास्तविकता के अन्दर कई नाबालिग बच्चे भी इस अपराध की ओर अग्रसर हो रहे हैं। चंद लालच की वजह से अगर एक बार इसके अन्दर घुस गये तो उनके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के अपराध के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, चाहे आप इन्वेस्टीगेशन एजेंसी कोई अलग से गठित करें, चाहे वह आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गठित करें या उपखण्ड स्तर पर गठित करें, लेकिन ऐसे अपराधों को ट्रेस-आउट करके उनके ऊपर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है।

(श्री रामलाल शर्मा)

इसी तरीके से माननीय सभापति महोदय, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर ऐसी शराब की दुकानें आबंटित होती हैं और आबंटन के बाद में जिनको दुकान आबंटित हुई, वह ऐसे क्षेत्रों के अन्दर भी अवैध रूप से शराब की बिक्री करने का काम करते हैं, जिन क्षेत्रों के अन्दर कोई दुकान नहीं है। सभापति महोदय, मेरा मानना है कि अगर पुलिस की सक्रियता रहे तो ऐसे इलाक़ों के अन्दर शराब की बिक्री नहीं हो सकती है। लेकिन, आज आवश्यकता इस बात की है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जो अशिक्षा की वजह से इस तरीके के अपराधों के अन्दर प्रवेश कर जाते हैं और अपराधों में प्रवेश के बाद उनका निकलना बहुत मुश्किल है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा जिस तरीके से मेरे चौमूं विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एफ.आई.आर. नम्बर 255/2015, यह गुमशुदगी दर्ज हुई थी, नाम है भगवती देवी, उम्र 70 वर्ष। गुमशुदगी के बाद में फिर एफ.आई.आर. दर्ज हुई।

सभापति महोदय, 70 साल की महिला घर से लापता हो जाए, बीमार महिला हो, चलने की स्थिति में नहीं हो, 2015 के बाद में 2018 आ जाए और तीन साल तक मुझे लगता है कि इस प्रकरण के अन्दर परिवार से बाहर का व्यक्ति इस तरह के अपराध को अंजाम नहीं दे सकता।

इसलिए सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग करूंगा कि भगवती देवी जो लापता है, परिवार वाले आज भी तनाव की स्थिति के अन्दर हैं कि आखिरकार उनकी माता, जो सोहन लाल ने एफ.आई.आर. दर्ज करायी थी, वे आज भी इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि आखिरकार हमारी माताजी के साथ क्या हुआ।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि भगवती देवी की जो गुमशुदगी डली हुई है, उसके बाद एफ.आई.आर. हुई है, उसमें तत्परता के साथ कार्यवाही करते हुए इसका जो भी परिणाम हो, उस परिणाम तक पुलिस पहुंचे।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि क्राइम का प्रकार बदल रहा है। साइबर क्राइम के माध्यम से हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी अपराध कर रहा है। मुझे लगता है सभापति महोदय, आप किसी माल में चले जाओ। कोई गिफ्ट या लाटरी निकालने के नाम पर, आपका पूरा नम्बर और पता ले लेते हैं। पैट्रोल पम्प के ऊपर कई बार स्कीमें

(श्री रामलाल शर्मा)

आती हैं, पैट्रोल पम्प पर भी आपसे कई बार नाम और मोबाइल नम्बर लिखवाते हैं। सभापति महोदय, उनकी जांच कौन कर रहा है कि आखिरकार वे कान्टेक्ट नम्बर या उनका एड्रैस वह गया कहां। कई बार जो ग्रामीण क्षेत्र के भोले-भाले लोग हैं, काल आता है, हम बैंक से बोल रहे हैं, आपके बैंक के नम्बर यही है क्या, वह कहेगा कि मेरे नम्बर ये नहीं है, मेरे नम्बर तो ये हैं। ठीक है, उसके नम्बर पूछे और नम्बर पूछने के बाद कई घटनाएं इस प्रकार की हुई हैं कि दूर बैठे हुए उनके अकाउंट से पैसे गायब।

सभापति महोदय, इस तरीके की एक आई.टी. सैल जिले स्तर पर नहीं, उपखण्ड स्तर पर भी गठित हो, क्योंकि कई बार घटनाएं इस प्रकार की होती हैं कि तत्काल अगर उन पर कार्यवाही नहीं की गयी तो अपराधी कई हजार किलोमीटर दूर निकल जाता है, समय ज्यादा बीत जाने के बाद में। अगर आधुनिक टैक्नोलोजी उपखण्ड स्तर पर रहेगी और समय रहते उनकी काल डिटेल और लोकेशन अगर निकल जाए तो मेरे खयाल से सुविधानजनक रहेगा।

सभापति महोदय, जितने भी वाहन चोरी हो रहे हैं। अभी किशनगढ़बास से आने वाले माननीय सदस्य ने भी चिन्ता जाहिर की थी कि वाहन चोरी होते हैं, और चोरी होने के बाद में बरामदगी बहुत कम होती है तो उनके ऊपर एफ.आर. लगती है। मेरा मानना है जितने भी वाहन निर्मित करने वाली कम्पनियां हैं, उन कम्पनियों को सरकार की तरफ से एक पत्र जाए और उन्हें बाध्य करें कि जितनी भी गाड़ियां आपकी निकलेंगी, उन सब गाड़ियों के अन्दर जीपीएस लगा होना अनिवार्य है। इस टैक्नोलोजी के आधार पर जीपीएस हर गाड़ी के अन्दर चाहे दुपहिया वाहन हो, चाहे चौपहिया वाहन हो, अगर जीपीएस उनके अन्दर लगा दिया जाए, बहुत ज्यादा पैसों का भी भार नहीं है तो मेरे खयाल से उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन और है साइबर क्राइम के माध्यम से, फेसबुक और वाट्स-अप के माध्यम से एडिटिंग करके किसी भी व्यक्ति के कुछ भी चित्र, चलचित्र वायरल करने का एक फैशन का दौर शुरू हुआ है। सभापति महोदय, अगर समय रहते हुए, इसके ऊपर नहीं चेते तो यह क्राइम इस प्रकार बढ़ जाएगा कि आगे उसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। मेरे खयाल से सदन को इस बात की आवश्यकता भी है कि इस

(श्री रामलाल शर्मा)

प्रकार के क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए, किसी व्यक्ति की इज्जत के ऊपर कोई लांछन नहीं लगायें, किसी व्यक्ति की इज्जत खराब करने का काम कोई नहीं करें तो उसका कानून बनाना भी नितान्त आवश्यक है और साइबर क्राइम के ऊपर भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस क्राइम पर कैसे हम अंकुश लगा सकें।

यह जरूर है कि पूरे जिले के अन्दर एक थाने को नोडल के रूप में बनाकर साइबर क्राइम के ऊपर अंकुश लगाने के लिए प्रयास शुरू हुए हैं, लेकिन मेरे खयाल से वे प्रयास सार्थक परिणाम की ओर अभी तक नहीं चल पाये हैं।

सभापति महोदय, पुलिस महकमे ने जन सहयोग से और कई नगरपालिकाओं ने बेहतरीन काम किये हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाकर, अपराध के ऊपर अंकुश लगाने का। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जयपुर कमिश्नरेट के द्वारा भी एक बहुत बड़ा नैटवर्क, इस बात का पूरे महानगर के अन्दर शुरू किया गया है, चौराहे के ऊपर भी लगाये गये हैं, भीड़भाड़ वाले इलाकों के अन्दर भी लगाये गये हैं। जो सेंसेटिव जोन थे, वहां पर भी कैमरे लगाये गये हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसको आगे बढ़ाकर और अधिक पैरीफेरी के अन्दर लेने की आवश्यकता है। ताकि आधुनिक टैक्नोलोजी के आधार पर भी अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। यह बात भी सभापति महोदय बिलकुल सत्य है कि कई अपराध, कई हत्याएं या कई घटनाओं में सिर्फ सीसीटीवी कैमरों की वजह से या मोबाइल की लोकेशन की वजह से या मोबाइल की काल डिटेल की वजह से ही अपराधियों तक पहुंचा जा सका है।

सभापति महोदय, इस क्षेत्र के अन्दर काम करने की अधिक आवश्यकता मुझे महसूस होती है। सभापति महोदय, एन.एच. के ऊपर अपराध घटित हो रहे हैं, नेशनल हाईवे के ऊपर। मेरे खयाल से पुलिस की पैट्रोलिंग अगर सही हो, और सही पैट्रोलिंग के आधार पर ही उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। कई बार कुछ घटनाएं इस प्रकार की घटित होती हैं कि पैट्रोलिंग के नाम पर बाहर से आने वाले लोगों के साथ ठीक व्यवहार नहीं हो पाता है। तो, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि उन लोगों के साथ उचित व्यवहार रहे और उचित व्यवहार के साथ अपराध के ऊपर अंकुश लगे, वह काम करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, जयपुर महानगर के अन्दर कई घटनाएं इस प्रकार

(श्री रामलाल शर्मा)

की, चाहे वैशाली नगर की हो, चाहे मानसरोवर की, चाहे बैंक डकैती का प्रयास हो, डकैती हो, पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ चाहे अपराधी राजस्थान का रहने वाला नहीं हो, उसके बावजूद भी दूसरे प्रदेश से जोखिम उठाकर उन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है।

लेकिन, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अपराधियों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेजने तक ही हमारा काम पूरा नहीं होता है। न्यायालय के अन्दर भी उनकी उचित पैरवी होती रहे समय-समय पर, मजबूती पैरवी होती रहे। एविडेन्स के आधार पर उनके खिलाफ जो सबूत है उनकी पैरवी ढंग से होती रहे तो मेरे खयाल से अपराधी बच नहीं पाएंगे और यदि अपराधी एक बार बच जाता है, उसका दिल खुल जाता है। वह दुबारा उसी अपराध की दुनिया के अन्दर जाने का काम करता है।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इंवेस्टीगशेन के साथ-साथ, चालान करने तक ही पुलिस का काम नहीं रहता, उसके बावजूद भी पुलिस अगर सक्रिय भूमिका के अन्दर रहेगी तो मेरे खयाल से इन अपराधों के ऊपर अंकुश लगेगा।

सभापति महोदय, गृह विभाग के पास सभी अपने कर्मचारियों, अधिकारियों की जन्म-पत्री रहती है और जन्म-पत्री की जानकारी सभी अधिकारियों को भी रहती है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जिन अफसरों की अच्छी इमेज हैं। जिनकी अच्छी कार्यशैली है या जिनकी कार्यशैली के ऊपर आपको विश्वास है, फील्ड पोस्टिंग उन्हीं लोगों को मिले, ऐसे लोगों को फील्ड पोस्टिंग नहीं मिले, जिनकी इमेज आपके डिपार्टमेंट में भी खराब है और पब्लिक के अन्दर भी खराब रहती है। उसका खामियाजा भी लोगों को भुगतान पड़ता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसे मजबूत और ईमानदार लोगों को फील्ड पोस्टिंग आप दें, ताकि सरकार की इमेज भी बनी रहे।

लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने आज गृह और कारागार विभाग की मांगों के ऊपर जो बहस शुरू की थी, मैं उस बहस का समर्थन करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय के अन्दर हम बेहतरीन परिणाम लेकर आएंगे।

सभापति महोदय, अन्तिम निवेदन मेरा और है, जिस तरीके से

(श्री रामलाल शर्मा)

कमिश्नरेट के अन्दर गृह जिले में काम करने वाले लोगों को भी अन्य कमिश्नरेट के अन्दर अनुमति है तो मेरी एक मांग है कि जयपुर और जोधपुर के अन्दर, जो स्थानीय जिले के रहने वाले बाशिंदें हैं, जो पुलिस महकमे में काम करते हैं, उनको भी इस बात की शिथिलता बरती जानी चाहिए ताकि वे भी अपनी सेवाएं यहां दे सकें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस और कारागार मांग है। यह एक ऐसा विभाग है, जो राजस्थान के सारे विभागों से जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं, किसी न किसी माध्यम से पुलिस का संबंध हर विभाग से जुड़ा हुआ होता है। चाहे शान्ति व्यवस्था के लिए हो, चाहे संरक्षण व्यवस्था के लिए हो, चाहे कानून व्यवस्था के लिए हो।

माननीय सभापति महोदय, पूर्व में लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि एक तो पहले किसी को अपराध करने से रोकना, अब अपराध कर लिया तो अपराधी को बराबर सज़ा दिलवाना और उसके बाद में अगर वास्तव में उस अपराधी की किस्म सही है तो उसको वापस व्यावहारिक जीवन में कैसे लाना, इन दो-तीन बातों को देखते हुए कहीं न कहीं, किसी न किसी माध्यम से कानून ऐसा बनाने की जरूरत है।

(16.00 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

राजस्थान अपने-आपमें ऐसा प्रान्त है कि बड़े प्रदेशों की सीमा तो है ही लेकिन पास में ही जहां से अपराध अन्दर आता है, ऐसी अन्तरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है राजस्थान और जब-जब भी देश में चाहे नशीले पदार्थों के माध्यम से अपराध हो, चाहे डुप्लीकेट करेंसी के माध्यम से अपराध हो, चाहे आतंकवाद के माध्यम से अपराध हो, ये उन अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं से राजस्थान में आये हैं।

माननीय सभापति महोदय, जब इस प्रकार का राजस्थान प्रदेश है तो मेरा निवेदन यह रहेगा कि सरकार को पुलिस पर कुछ न कुछ स्पेशल पैकेज की व्यवस्था करनी चाहिए कि पुलिस को चुस्त करने में जो कुछ भी खर्चा लगे उतने बजट की व्यवस्था उसमें करनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय,

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

आज चाहे इंडस्ट्रीज हो या पर्यटन उद्योग हो, अगर पुलिस की कानून-व्यवस्था बराबर होगी तो ये काम-धंधे यहां पर बढेंगे। निश्चित रूप से पूर्व की सरकार ने पुलिस को कमजोर और पुलिस का मोरल डाउन करने वाला काम किया था। खाली राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के हिसाब से कैसे उलझाना और उसमें पुलिस का माध्यम बनाना, ये काम किया। मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे गृह मंत्री महोदय, हमारी सरकार को कि उन्होंने पुलिस का मनोबल बढ़ाने का काम किया और आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया है। अभी पहले जैसे कहा गया कि पुलिस चौबीस घंटे की नौकरी करती है। आप तो होली और दिवाली का त्यौहार मनाने जाते हो, पुलिस का कर्मचारी होली और दिवाली में आपकी सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाने के लिए तैयार खड़ा होता है। उनके भी परिवार होता है, बच्चे होते हैं, लेकिन वे व्यवस्था के लिए खड़े रहते हैं तो कहीं न कहीं उलाहना देने के साथ-साथ उनकी व्यवस्था और उनके वैलफेयर के लिए भी हमें चिन्ता करनी चाहिए। अब जो-जो भी जिस-जिस माध्यम से क्राइम होते हैं जैसे साइबर क्राइम की चर्चा हुई तो उसके लिए हमें हाईटेक पुलिस का कैसे निर्माण करना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले पुलिस के अधिकारी कैसे अपाइंट करने हैं जिससे साइबर क्राइम जो पैदा होता है उसकी रोकथाम हम कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, आज बोर्डर पार शराब की तस्करी होती है। अब कहते हैं कि हरियाणा से शराब आई है, बीच में कितने थाने, कितने जिले लगे हैं। अगर सिरोही जिले के बाद मान लो शराब गुजरात में गयी है और सिरोही जिले में या जालौर जिले में शराब पकड़ी गयी है तो उसके पहले जिस जिले, जिस थाने के अन्दर से आयी है तो उन जिलों की और उन थानों की भी कहीं न कहीं जवाबदेही उस शराब की तस्करी को रोकने के लिए होनी चाहिए। तो एक ऐसा सिस्टम डवलप करना पड़ेगा कि शराब की तस्करी हरियाणा से चलकर अगर सिरोही या सांचौर में पकड़ी है तो उसके बीच में कितने जिले आये हैं, उन थानों को क्रोस करते हुए कैसे गयी है, तो उन थाने के लोगों को भी या उस जिले की पुलिस को भी कहीं न कहीं जवाबदेह अपने को करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, एक क्राइम और चला है आर्म्स एक्ट का, हथियारों का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी पुलिस को और हमारी एटीएस

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

को कि उन्होंने अजमेर में लाइसेंस होल्डर व्यापार के पीछे और हथियारों की कालाबाजारी कर रहा था, कितने वर्षों से यह चलता होगा, पहली बार इस स्कैंडल को पकड़ा है और पूरे देश भर का उजागर हुआ है। अन्य प्रदेश से जो भी लाइसेंस आये हैं अवैध वो भी सारा उजागर हुआ है। मेरा कहने का मतलब है कि आज आर्म्स एक्ट में दो धाराएं लगती हैं, 3/25 और 4/25, जो फायर से संबंधित मतलब जो गोली चलाने से संबंधित 3/25 है उसमें कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करो। होता यह है कि आज एक नकली पिस्टल, एक अवैध हथियार लेकर एक कालेज का जवान बाजारों में फायरिंग करता है, किसी के लगती है छोटी-मोटी और उसके बाद वह पकड़ा जाता है दो दिन के बाद उसकी जमानत हो जाती है।

माननीय सभापति महोदय, युवाओं में और उसमें तेजी आ जाएगी। वह जब शिकायतकर्ता के सामने वापस छूटकर जाएगा तो उसमें और मर्दानगी आ जाएगी कि मैंने आज तो इतने ही फायर किये हैं कल और इससे ज्यादा फायर करूं। समय के साथ युवा अवैध हथियारों में लिप्त हुआ है। इसको रोकने के लिए जब आपका मुजरिम पकड़ा जाता है उसमें एक सिस्टम डवलप करो कि 3/25 में एक तो सेशन से नीचे ट्रायल नहीं होनी चाहिए। मतलब हाई कोर्ट से नीचे उसकी जमानत नहीं होगी और सात साल का उसमें सज़ा का प्रावधान होगा तो युवा द्वारा अवैध हथियारों के माध्यम से जो फिरौतियां मांगी जाती हैं, जो प्रोपर्टी के अवैध धंधों में लिप्त होते हैं, उन पर कहीं न कहीं रोक -टोक होगी।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही अब अवैध हथियार के आरोपी को पकड़ तो लिया, लेकिन होता यह है मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपने चालान पेश कर दिया, लेकिन उस अंतिम कड़ी तक नहीं पहुंचे। अगर उस आर्म्स पर लिखा होता है ओनली आर्मी, तो हथियार उस व्यक्ति के पास कैसे आया, उस अंतिम कड़ी तक कैसे जाओगे, यह पता लगाना बहुत जरूरी है। अगर यह आपने पता लगाया तो शायद रोकथाम हो जाएगी। दूसरा, अवैध हथियार मामले में चालान की स्वीकृति हेतु आपको डीएम के पास जाना पड़ता है और उसमें साल-साल, दो-दो साल लग जाते हैं। इसमें भी कानून में कोई न कोई चेंज करके जो 3/25 है, चालान की परमिशन बाकी केसेज में जैसे एसपी देता है, इसमें एसपी अगर देगा तो मुझे लगता है जल्दी कार्यवाही होगी।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी कल ही हमारी कैबिनेट मीटिंग में एक बहुत-बड़ा फैसला लिया है हालांकि वह कानून पशुपालन विभाग का है, लेकिन पुलिस का रोल बहुत ज्यादा लगता है। आज पूरे देश में और पूरे राजस्थान प्रदेश में गौवंश की तस्करी का बहुत-बड़ा मामला आ रहा था। मतलब हर जिले में अवैध पशु ट्रक पकड़ा, आंदोलन हुआ, पुलिस की मुठभेड़ हुई। मैंने 2005 में प्रश्न लगाया था उसमें कहा था कि एक ही ट्रक महीने में तीन बार मंडा थाने में पकड़ा जाता है गौवंश की तस्करी करते हुए, तब मैंने यह डिमाण्ड की थी कि इसमें ऐसा एक कानून बनाओ आबकारी नियमों के तहत उस वाहन को जब्त करने का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी और हमारे गृह मंत्रीजी व पशुपालन मंत्री महोदय को कि एक ऐसा मजबूत कानून बनाकर गौवंश की तस्करी को रोकने के लिए राजस्थान अपने-आपमें देश में यह पहला प्रदेश होगा, जिसने ऐसा मजबूत कानून बनाया है।

माननीय सभापति महोदय, जेल वाला विषय है, इस पर काफी बातें हुईं। जेल में सुधार होना चाहिए। जेलों के रखरखाव में सुधार होना चाहिए। आज पूरे राजस्थान में सारी जेलों में जो कैदी हैं उनकी संख्या 20-21 हजार होगी और उसका दस परसेंट हार्डकोर अपराधी होता है तो दस परसेंट के लिए चिन्ता करो। आप सिस्टम ऐसा बैठाओ वे दस परसेंट लोग पूरी जेल को खराब नहीं करें। अब अगर आपने जेल को मोबाइल मुक्त जेल कर दिया तो देश में ये वाहन चोरी के मामले, प्रोपर्टी के मामले आधे हो जाएंगे। ये अपराध आधे हो जाएंगे अगर जेलों में मोबाइल मुक्ति कर दी आपने। मेरे कहने का मतलब यह है कि दस परसेंट हार्डकोर अपराधियों के लिए आपने जेल तो बना दी अजमेर में। जेल बनाई, लेकिन वहां पर वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा अभी तक नहीं की। एक अपराधी को ले जाने के लिए कोर्ट में लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं। आगे-पीछे पुलिस की गाड़ियां और सायरन सारी व्यवस्था होती है तो जेल में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये उसकी पेशी हो और हार्डकोर अपराधियों में भी कुछ न कुछ ऐसी अलग-अलग कैटेगरीज बनाओ कि इन कैदियों का क्या किया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, कैदी की क्या प्रवृत्ति है, इस बारे में जेलर जानकार नहीं होता है। अपराधी किस प्रवृत्ति का है, इसका जानकार होता है पुलिस वाला। कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्था को डवलप करें जैसे पहले भी एक

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

डीजी साहब ने की थी। जो प्रमोशन के बाद आप नोन फील्ड पोस्टिंग देते हो तो उनकी व्यक्तिगत स्वीकृति लेकर या उनको एक्स्ट्रा देकर अगर जेल में नोन फील्ड पोस्टिंग के समय अपनी सेवाएं देना चाहे तो कुछ ऐसी व्यवस्था डवलप करो। उनकी व्यक्तिगत स्वीकृति पर, मुझे लगता है कि अपराधियों की प्रवृत्ति जितना पुलिस वाला जानता है शायद उससे ज्यादा कोई और नहीं जान सकता है। इससे कहीं न कहीं अपराध में कमी आएगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारी जो केस आफिसर व्यवस्था है, हमने 2003 से 2005 में यह बहुत मजबूत की थी, अब उसमें थोड़ी-सी कमी आ रही है। कमी का क्या कारण है, इस कारण को सुधारते हुए केस आफिसर व्यवस्था को और जितना स्ट्रोंग करोगे तो उससे केसों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस अधिकारियों में आपस में समन्वय बैठाने का काम भी उच्च अधिकारियों का काम है। कहीं न कहीं समन्वय टूट जाता है। जैसे कहीं जांच होती है, सीनियर अधिकारी के पास गये, जांच बदल दी, लेकिन दस और बीस का फर्क हो जाता है तो वास्तव में उस फाइल पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगना चाहिये कि इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। या तो पहले गड़बड़ हुई है या अभी गड़बड़ हुई है, ऐसा हमारा इंटेलीजेंसी विभाग डवलप करो। एक ओर, जैसे 498 के केसों में दहेज प्रताड़ना में आ गये और एक आदतन अपराधी होता है। अब उन दोनों को आपके पास रख दिया तो उसका शोषण होता है। इसलिए यह भी एक वर्गीकरण आपको करना पड़ेगा कि कोई व्यापारी है, किसी कारण से आ गया, सज़ा हो गयी, आ गये जेल में, उसके लिये भी कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, अपनी मुखबिर व्यवस्था पहले से बहुत कमजोर हो रही है। आपको अगर पुलिस तंत्र को मजबूत करना है, 10 प्रतिशत पुलिस में कहीं न कहीं कमजोर कड़ी होती है उससे 90 प्रतिशत पुलिस के सिस्टम को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिये मुखबिर व्यवस्था मजबूत करोगे तो मुझे लगता है कि अपराध पर बहुत बड़ी लगाम लगेगी। 90 प्रतिशत जो सही तंत्र है, उसको मोरली सपोर्ट कैसे करना है, इस बात की भी हमको चिंता करनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो मैस के भत्ते

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

में वृद्धि की है, इसको और बढ़ाना चाहिये, सबने कहा तो मैं भी कह रहा हूं बढ़ाना चाहिये। नये वाहन के बारे में कहना चाहूंगा कि अपराधी तो 140 की स्पीड से भाग जाता है, आपकी वह जीप नहीं भाग सकती। जहां बोर्डर के थाने हैं, वहां नये वाहन सप्लाई होंगे, ऐसे थानों में ऐसे वाहनों की भी उपलब्धता करें जिससे पुलिस और मजबूत हो जाए। डीपीसी के माध्यम से प्रमोशन सिस्टम बहुत बढ़िया किया है। जिले में दो साल, तीन साल रहे तो वहां जो सेंट्रल स्कूल हैं, उसमें भी उनका कोई कोटा हो जिससे बच्चों को सही एजुकेशन वह दिलवा सकें, इस बात की भी चिंता करनी चाहिये। पुलिस वैलफेयर से संबंधित और कई बातें हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मेरे आहौर विधान सभा क्षेत्र में थाना है नोसरा, आहौर और बागरा, इन तीन थानों को क्लब करने के बाद मैंने आहौर में सीओ सर्कल मांगा है, तो सीओ सर्कल हो जाए। भादराजून जो स्टेट हाई वे पर चौकी है, नेशनल हाई वे भी उसे घोषित किया जा चुका है, भादराजून चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के लिये मैं निवेदन कर रहा हूं। आपका अधिकारियों का जो ग्रेड सिस्टम है, उसको कहीं न कहीं और डवलप करो। अगर उसकी सर्विस में कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है तो निश्चित रूप से उसको पनिशमेंट मिलना चाहिये, लेकिन उसमें सही अधिकारी नहीं आये। अगर उसने सही काम किया है। कई बार क्या होता है दो सीनियर अधिकारियों के बीच में एक छोटा अधिकारी उलझ जाता है। कई बार विधान सभा में भी यह विषय आते हैं। सीनियर अधिकारी ने कहा कि इसको गिरफ्तार करो, एक अधिकारी ने कहा नहीं करो। उस स्थिति में उनसे भी जो सीनियर अधिकारी है, उनकी ड्यूटी बनती है कि आपका नीचे का जो कर्मचारी है, चाहे वह सीओ है, सीआई है, एएसआई है, अगर कहीं ऐसे दो अधिकारियों के झगड़े में उलझता है तो उसको संरक्षण देने का काम भी हमें करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, एक तो हमारे सांचोर से अहमदाबाद बोर्डर लगता है, जहां पर शराब तस्करी बहुत ज्यादा होती है। आज कल स्मैक वगैरह भी वहां बहुत ज्यादा प्रचलित होने लगी है। इसके लिये वहां पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिये, जालौर जिले की पुलिस को और मजबूत करने के लिये, जो गुजरात बोर्डर से लगी हुई सीमा है, उसको और चुस्त करने के लिये निश्चित रूप से हमें इस पर सोचना चाहिये। माननीय

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

सभापति महोदय, अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि पुलिस को अगर मजबूत किया तो निश्चित रूप से पूरे शासन का सारा तंत्र मजबूत होगा। अगर कहीं 10 पुलिस के कर्मचारी/अधिकारी गड़बड़ हैं तो उन पर निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिये जिससे पूरे सिस्टम को यह बदनाम नहीं करें। सभापति महोदय, आपने मौका दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, श्री प्रहलाद जी गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या 16-पुलिस और अनुदान की मांग संख्या 17-कारागार पर चर्चा हो रही है। अभी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। पुलिस का प्रबल पक्ष भी लोगों के विचार में सामने आया है और पुलिस की आलोचना भी हुई है। माननीय सभापति महोदय, हम एक बहुत महत्वपूर्ण मांग पर आज चर्चा कर रहे हैं और इस बात का तो मैं समर्थन करूंगा कि पुलिस की प्रशंसा होनी चाहिये। अगर हम केवल पुलिस की आलोचना ही आलोचना करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा। पुलिस लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसी है। कानून व्यवस्था में भरोसा रखने वाले आम व्यक्ति का विश्वास व्यवस्था में कैसे बहाल रहे, उसके विश्वास की बहाली बनी रहे, इसके लिये जब कानून की सशक्त पालना कराने वाली एजेंसी के रूप में पुलिस आती है तो मैं समझता हूं कि कई बार गलतियां भी होती हैं और केवल उन गलतियों को उजागर करें, हम पुलिस को आलोचना का पात्र बना दें। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हम पुलिस की आलोचना करें। पुलिस का काम सराहनीय है, लेकिन पुलिस का व्यवहार आलोचना के लायक है। जब मैं काम की बात कर रहा हूं। आप जब खुद अपना वक्तव्य प्रारम्भ कर रहे थे तो माननीय सभापति महोदय, आपने खुद ने कहा था और मैं आज इस अवसर कह रहा हूं कि ऐसा कौनसा अवसर है? हम अगर होली, दिवाली मना रहे हैं तो व्यवस्था के लिये पुलिस सड़क पर खड़ी है। हम कोई मेले, प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, तीज त्यौहार मना रहे हैं तो पुलिस सड़क पर खड़ी है। कोई धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा लगता है कि पुलिस के बिना यह कार्यक्रम सम्पन्न नहीं होगा और पुलिस की इस भूमिका का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि अगर पुलिस वास्तविक

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अर्थों में कानून की सशक्त पालना कराने वाली एजेंसी न बने, तो समाज में अराजकता हो जाए, व्यवस्था चरमरा जाए। लेकिन इसके बावजूद मैं आज एक गम्भीर सवाल आपके सामने खड़ा करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आजादी के 70 साल बाद राजस्थान की पुलिस जनता में आलोचना की पात्र क्यों है? क्यों राजस्थान की पुलिस पर भरोसा नहीं बन पाया है? कई बार ऐसे हजारों उदाहरण देखने को मिलते हैं कि पुलिस में कोई सामान्य परिवाद दर्ज होता है तो व्यक्ति भागता हुआ आता है कि मैंने मेरे जीवन में थाने की शक्ल नहीं देखी है, मैं थाने में नहीं जाना चाहता, मुझे इस आफत से मुक्ति दिलाइये। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? मैंने जिंदगी में थाना नहीं देखा है, मैं थाने की शक्ल नहीं देखना चाहता। थाने अगर समाज में कानून व्यवस्था बनाये रखने के केन्द्र हैं, लोगों का भरोसा इस प्रजातंत्र की व्यवस्था में बना रहे, इसके लिये कानून की सशक्त पालना कराने वाली व्यवस्था के केन्द्र हैं, तो फिर जिस आम व्यक्ति के लिये हम काम कर रहे हैं, उसका भरोसा क्यों डोल रहा है? एक बहुत बड़ा गम्भीर सवाल है। अगर हमने इस गम्भीर सवाल का समाधान निकाल लिया और व्यवहार और काम, दोनों में सामंजस्य बैठा दिया, पुलिस का जैसा प्रशंसनीय काम है, वैसा अगर पुलिस का व्यवहार बन जाए, व्यवहार में तब्दीली आ जाए, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की पुलिस केवल और केवल प्रशंसा की पात्र रहेगी।

सामान्यत: पुलिस व्यवस्था, ज़िसका तात्पर्य समाज में व्यवस्था बनी रहे, अपराधी को सज़ा मिले और निर्दोष को न्याय मिले, लेकिन क्या इन सब परिस्थितियों के बाद भी, स्वतंत्रता के बाद हमारी दो-तीन पीढ़ियां गुजर गयीं, हमारा भरोसा नहीं बन पाया। आम आदमी जब थाने में जाता है तो उसके साथ प्रथम दृष्टया किस प्रकार का व्यवहार होता है? हमने तो यह कल्पना की थी कि आजादी के बाद जो 1861 का पुलिस अधिनियम बना था। माननीय सभापति महोदय, आप और हम सब जानते हैं। माननीय सभापति महोदय, आप तो लॉयर हैं। 1861 का पुलिस अधिनियम अंग्रेजों ने बनाया था और उसके पीछे मंतव्य था कि 1857 में स्वतंत्रता की एक बड़ी लड़ाई इस हिन्दुस्तान ने लड़ी। 1857 की इस देश भावना से भयभीत अंग्रेज सरकार ने 1861 का कानून लाकर इस मुल्क पर शिकंजा तानाशाहीपूर्वक लगा दिया, कानूनी बंधनों में डाल दो। कोई सरकार के खिलाफ बोल नहीं पाये। 1861 के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

पुलिस अधिनियम की मंशा दुबारा 1857, कभी हिन्दुस्तान में न हो, सरकार के खिलाफ कोई आवाज न उठे, सरकार के खिलाफ कोई बोल न पाये, तत्समय पुलिस का व्यवहार ठीक था। अंग्रेजों के अनुरूप पुलिस का व्यवहार ठीक हो सकता था, लेकिन आजादी के 70 साल बाद, अब हमने कई बार पुलिस एक्ट में भी संशोधन किया है। अभी 2005, 2007 में हमने हमारा पुलिस एक्ट बनाया है। उसके बावजूद भी जो हमारे विचार हैं, जो हमारे तौर-तरीके हैं, उन तौर-तरीकों में कोई बेसिक बदलाव लाइये और जब तक हम ईमानदारी के साथ पुलिस के व्यवहार में बेसिक परिवर्तन नहीं ला पायेंगे। अगर हम 70 साल बाद भी पुलिस में प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप गुणात्मक परिवर्तन नहीं ला पाये और उसका स्वरूप आम आदमी के साथ व्यवहार दमनात्मक बना रहे, सबल-बाहु का स्वरूप बना रहे। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि हर वक्त पुलिस का यही चेहरा बना रहता है, लेकिन थाने में फरियाद लेकर जाने वाला व्यक्ति पुलिस के व्यवहार से प्रताड़ित होकर इसी प्रकार के भाव अपने मन में पैदा करता है। इसीलिए मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि पुलिस के व्यवहार को अगर हम बहुत जिम्मेदारी से सुधारने की बात करें, और इसके लिये क्या कुछ किया जा सकता है, अगर पुलिस का व्यक्ति 24 घंटे काम करता है, तनाव में रहता है, तो कई सदस्यों ने सवाल उठाये हैं कि उसके बढ़ते काम के बोझ और मानसिक तनाव के लिये मेडिटेशन सेंटर खोले जाने चाहिए। उसके लिए मोटिवेशन के तौर-तरीके होने चाहिए। उसकी साप्ताहिक छुट्टी में इजाफा किया जाना चाहिए। पुलिस के जवान को हम अपने आचार-व्यवहार को बदलने के लिये किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं, ये तमाम काम हमको करने पड़ेंगे। जहां तक अपराधों की बात है। अभी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के लोग, अपराध घट रहा है, अपराध बढ़ रहा है, इन आंकड़ों की चर्चा कर रहे थे।

माननीय सभापति महोदय, कोई सरकार चलाकर अपराध को प्रोत्साहित नहीं करती है, कोई भी गृह मंत्री, कोई भी शासन का मुखिया, कोई भी प्रशासन का मुखिया। अभी राजस्थान में ये परम्पराएं पैदा नहीं हुई हैं कि शासन और प्रशासन में बैठे हुए मुखिया अपराध को प्रोत्साहित करें, लेकिन अपराध की अपनी एक प्रवृत्ति होती है। अपराध आकस्मिक भी होता है, अपराध रिवेंज फुल भी होता है। अपराध करने वाले व्यक्ति की अपराध की प्रवृत्ति भी होती है। ये परम्परागत तरीके से चल रहा है। आकस्मिक घटना होती है, अपराध की गिनती में आती है। पारिवारिक रिवेंज होता है, अपराध

(श्री प्रहलाद गुंजल)

की घटना में आ जाता है, कुछ पैसे और अपराधी, जो पुलिस की हार्डकोर लिस्ट होती है, उनके अपराध होते हैं, पुलिस उन पर कार्यवाही करती है।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं इस सदन का ध्यान एक गम्भीर बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। हमने कई बार इस सदन में चर्चा की है। अपराध के तौर-तरीके बदले हैं। अपराधियों के पास संसाधन हैं, आधुनिक गाड़ियां हैं। हमें तस्करों का मुकाबला करने के लिये हमारी पुलिस के पास संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। सरकार आंशिक रूप से इस दिशा में आगे बढ़ी होगी, लेकिन यह बात मैं लगातार 14 साल से, जब 2003 में इस सदन का मैम्बर बनकर आया था, तब से सुन रहा हूं और हम इस मुकाबले में कब जाकर कामयाबी के साथ खड़े होंगे, यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। दो प्रकार की परिस्थितियां आज हमारे लिए चुनौतीपूर्ण बन गयी हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दो प्रकार की परिस्थितियां, एक साइबर क्राइम। हम लगातार दो दिन से अखबारों में पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों ने दिल्ली में बैठकर साइबर क्राइम किया है। लोगों के खातों से पैसे निकल गये। अभी चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य इसका जिक्र कर रहे थे। इन चुनौतियों से किस प्रकार से लड़ा जाए? अभी राज्य सभा में एक प्रश्न के जवाब में जो जानकारी दी है, वह मैं पढ़कर बताना चाहता हूं कि 2016 के पहले तीन महीनों में 8 हजार से ज्यादा वेबसाइटों को हैक किया गया है। 13851 के स्पैम उल्लंघन की जानकारी मिली है और एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नैट बैंकिंग संबंधित धोखाधड़ी के 2014-15 में 13083, 2015 -16 में 11997 और 2013 से अब तक कुल 246430 करोड़ रुपये के साइबर अपराध भारत में दर्ज हो चुके हैं।

कैसे हम इस चुनौती से निपटेंगे? एक तरफ तो हम ई-गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इस साइबर अपराध से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में एक आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला, इसके लिए जरूरी संसाधन और तौर-तरीके, कैसे अपडेट किया जा सकता है, पुलिस को चाहिए। आज इसके कारण घटनाएं बढ़ने लग गयी हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल होने लगा है माननीय सभापति महोदय, मैं पूरे सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। दो प्रकार का अपराध, सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का, किसी के बारे में कुछ डाल देना, किसी भी धर्म के बारे में कुछ डाल देना और पिछले

(श्री प्रहलाद गुंजल)

दो-चार-छह महीने के अन्दर राजस्थान में सोशल मीडिया पर धार्मिक भावना भड़काने के विचार के कारण कोई दर्जनों घटनाएं घटती-घटती बची हैं। यह चुनौती केवल पुलिस के लिए ही नहीं है, यह चुनौती हमारे लिए हैं, हम सदन में बैठे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी आम जनता के प्रति बनती है। दूसरा गम्भीर अपराध जिस मुहाने पर राजस्थान जा रहा है, किसी माननीय सदस्य ने उस पर ध्यान आकर्षित नहीं किया। लेकिन मैं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं राजस्थान में एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति पैदा होती जा रही है कि अपराधियों के झगड़े जातीय तनाव में बदलते जा रहे हैं। यह राजस्थान के सुखद भविष्य के लिए ठीक नहीं है। कोई दो अपराधी लड़े और दो जातियों में तनाव हो जाए। हम राजस्थान को किस ओर धकेलना चाहते हैं। राजस्थान में किस प्रकार की परम्परा डालना चाहते हैं। यह जिम्मेदारी आज हम केवल पुलिस और प्रशासन पर डालकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहें तो आने वाला समय हमें अपराधी की श्रेणी में डालने से नहीं बचा पाएगा।

कैसी सामाजिक व्यवस्था इस राजस्थान में होनी चाहिए, कैसी राजनीतिक व्यवस्था राजस्थान में होनी चाहिए। जैसा समाज होगा वैसी पुलिस होगी, जैसी राजनीति होगी वैसी पुलिस होगी। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की बात कर रहे थे। मैं आज बहुत टीका-टिप्पणी के माहौल में नहीं जाना चाहता माननीय सभापति महोदय। लेकिन अनुसूचित जातियों पर अत्याचार का दर्द बताने वाले लक्ष्मणगढ़ के माननीय सदस्य ये बताते, अच्छा होता वह बताते भंवरी किस जाति की थी, अनुसूचित जाति की थी या जनजाति की थी। कैसी परम्परा हम राजस्थान में ले जाना चाहते हैं। मैंने कहा अपराध घटना आकस्मिक है, अपराध वृत्ति है, अपराध रिवेंज है। कोई सरकार आ जाएगी नहीं रोक पाएगी। इसके लिए लोगों में एक वातावरण देना पड़ेगा, माहौल देना पड़ेगा, एजुकेशन देनी पड़ेगी, रोजगार देना पड़ेगा। कई सारे आधार हैं जो अपराध को पैदा करते हैं। उन सब पर सामूहिक रूप से सारी सरकार को, दिल्ली से लेकर राजस्थान की सरकार तक को काम करना पड़ेगा तब जाकर हम एक मुकाम पर पहुंचेंगे।

आज अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? अभी चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने या किसी और ने कहा था कि कुछ बच्चे पकड़े गये, एन्जायमेंट करने के लिए, जेब का खर्चा बढ़ाने के लिए अपराध कर रहे हैं। बेरोजगारी बढ़

(श्री प्रहलाद गुंजल)

रही है, उस पर भी हमें चिंता करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें एक-दूसरे से ताल्लुक रखती हैं। माननीय सभापति महोदय, हमको बहुत जिम्मेदारी से, बहुत गम्भीरता से, बहुत ईमानदारी के साथ इस बात पर ध्यान देना ही पड़ेगा कि उस आम आदमी का भरोसा बनाये रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारा आचरण क्या है? अगर वह हमारे आचरण में गन्दगी देखेगा, जैसा समाज वैसी पुलिस। जैसी सामाजिक व्यवस्था, जैसी राजनीतिक व्यवस्था, वैसी ही प्रशासनिक व्यवस्था। हमने देखा है अपराध होता है, अपराध को नियंत्रण करने की, अपराधी को सजा देने की प्रबल इच्छा शक्ति हमारे प्रशासन में, पुलिस में, गृह मंत्रीजी में देखी है। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, मैंने कई बार इस सदन में कहा है जाने-अनजाने में गलती हो जाए, लेकिन जब रक्षक भक्षक हो जाए और यह संदेश समूचे राजस्थान में जाए जिस राजस्थान की गौरवशाली परम्परा है, आदर्श अनुशासन और मर्यादा है, उस सदन में बैठा हुआ मंत्रिमंडल का सदस्य आपराधिक षड्यंत्र, हत्या और बलात्कार जैसे मामलों में अन्दर चला जाए तो हम राजस्थान की जनता को क्या संदेश देंगे? यह चरित्र भी हमने पिछले शासन में राजनीति का देखा है। हम राजनीति का ऐसा चरित्र उपस्थित करें राजस्थान के सामने की सत्ता के नशे में काम के बदले हम अस्मत मांग लें, जहाजपुर के अन्दर। सत्ता के नशे में हम लोगों की इज्जत उतारने में लग जाएं। सत्ता के नशे में अनुसूचित जाति की उस एएनएम की हत्या कर दें या हत्या कराने में शामिल हो जाएं। फिर हम राजस्थान से यह अपेक्षा करें कि हमारा समाज आदर्श होना चाहिए, हमारी पुलिस आदर्श होनी चाहिए, हमारी व्यवस्था आदर्श होनी चाहिए। उस आदर्श व्यवस्था में ऐसा एक सिस्टम कायम हो जाए डैमोक्रेसी के प्रति, व्यवस्था के प्रति उस आम आदमी का विश्वास बना रहे। उस आम आदमी का विश्वास बनाये रखने के लिए उसके मन माफिक हमें आचरण करना पड़ेगा और मैंने यही कहा है प्रारम्भ से कि पुलिस का काम प्रशंसनीय है, पुलिस का व्यवहार आलोचना का, निंदनीय है। जब तक हम इस व्यवहार को नहीं बदलेंगे, हम हमारे आचरण को नहीं बदलेंगे, हमारे सिस्टम को नहीं बदलेंगे तब तक हम लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त नहीं कर पाएंगे कि हम राजस्थान में एक आदर्श व्यवस्था कायम करना चाहते हैं।

इस अवसर पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, अभी राजस्थान में किसी भी स्तर पर, चाहे राजनीतिक हो, चाहे

(श्री प्रहलाद गुंजल)

प्रशासन हो, अपराधी को संरक्षण देने की वृत्ति पैदा नहीं हुई। हत्या के मुकदमे में, बलात्कार के मुकदमे में, डकैती के मुकदमे में, हम राजस्थान में पुलिस पर यह चार्ज नहीं लगा सकते कि पुलिस इस प्रकार के अपराधियों से मिली हुई है। इस प्रकार के अपराधों को प्रोत्साहित करती है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं आप जाओ राजस्थान में निचले स्तर तक पुलिस की जो आर्थिक मानसिकता हो गयी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं अभी अवैध शराब से लेकर, गांजे से लेकर जुआ-सट्टे से लेकर, यह तमाम अवैध व्यापार निचले स्तर तक पुलिस के संरक्षण में पल रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक बात मैं भी कहना चाहता हूं। राजनीतिक रूप से भी पुलिस को धन्यवाद देना पड़ेगा, राजनीतिक रूप से फंसाने का काम हम कर रहे हैं लेकिन पुलिस उस झांसे में नहीं आ रही है। यह भी बोलो। यह हमने शुरू किया है।

श्री सभापति: वक्तव्य जारी रखें आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बोलो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कहीं की बात कहीं ले गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यहीं की बात हैं। कहीं की बात नहीं है, यहीं की बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप जैसे सीनियर आदमी अचानक बीच में खड़े होकर ऐसी बात कह दें जिसका कोई ओर है ना छोर है। बस बात ही बात है।

श्री सभापति: यहीं की बात यहीं है। आप दोनों विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप उसको कहलवाना ही चाहते हो तो लो कह दूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपका नंबर आए जब कह देना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं बिना नंबर के भी कह सकता हूं।

श्री सभापति: आप दोनों ही विराजें। दोनों ही माननीय सदस्य से निवेदन है कि विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सनसनी पैदा करना ही काम थोड़े रह गया अपना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक से दस नंबर तक तो आपके ही लगे हुए हैं। हमारे तो लगे ही नहीं ना। यह सनसनी में ही होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य कृपया जारी रखें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन यह आत्मचिंतन का विषय है। लोकतंत्र में अगर बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी व्यवस्था किसी के हाथ में दी है तो उससे बड़े आचरण की उम्मीद राजस्थान की जनता करती है और उस आचरण में गिरावट चाहे मेरे आये, चाहे किसी और के आये, जो व्यवस्था में प्रमुख पद पर बैठा है, अगर आचरण में गिरावट राजस्थान की जनता देखेगी तो मेरे भाषण करने से कुछ नहीं होगा। जनता देखेगी, जांचेगी तो जरूर इस बात का दंड देगी और वह गलत है तो इस बात का पुरस्कार भी देगी। मैं केवल इतना कह सकता हूं।

मैं इस अवसर पर इतना कहना चाहता हूं आज सट्टा चल रहा है, जुआ चल रहा है, अवैध शराब बिक रही है, गांजा बिक रहा है। आप जाओ और ये सब नीचे के पुलिस बीट कांस्टेबल के संरक्षण में हो रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हमने इस व्यवस्था में सुधार कर लिया और थाने में हमने एक काम कर लिया कि फरियादी के साथ सद्भावपूर्वक व्यवहार करने के लिए थाने के काउंटर पर प्रशिक्षित काउंसलर बैठे। फरियाद लेकर आ रहा है, हमारे पास दरख्वास्त लेकर आ रहा है, उसके लिए हम अगर प्रशिक्षित व्यक्तियों को बिठाएं तो एक भरोसा कायम होगा। अगर हमने पुलिस के इस निचले स्तर तक के ढांचे को सुधार दिया तो, मैं समझता हूं कि राजस्थान की पुलिस अभी और राज्यों से बेहतर है, उसके स्वरूप में और निखार आएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज गृह मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि हम राजस्थान की पुलिस को फ्री-हैंड देना चाहते हैं, राजस्थान की पुलिस के काम-काज में प्रशासनिक दखल नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मैंने पिछली बार इस सदन में कहा था कि राजस्थान में एसीबी के ऐसे कितने मुकदमे हैं जिनमें पुलिस ने चालान के लिए दे दिया और आखिरी में डीजी ने उनमें जांच कराकर एफआर लगा दी। अगर एंटीकरप्शन में भी इस तरह का भ्रष्टाचार

(श्री प्रहलाद गुंजल)

और व्यवस्था कायम हो जाएगी, एफआईआर 313/14. मैंने कहा था कितने मुक़दमे हैं, मैंने कहा था गृह मंत्री जी, अगली बार मुझे हाउस में जवाब देना। मैं आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि पुलिस ने चालान के लिए तफ्तीश करके एसीबी में मामले पहुंचा दिये, चूंकि एसीबी थाने के इंचार्ज के नाते डीजी होते हैं, फाइनल स्टेज पर पुन: जांच करके उन तमाम मामलों में एफआर की स्थिति लगा दी। अगर एंटीकरप्शन का आचरण ही करप्शन का हो गया, क्या व्यवस्था बचेगी? राज्य के गृह मंत्री जी, मैंने पिछली बार कहा था, अगर उनको स्मरण रहा होगा तो निश्चित रूप से इस पर जवाब देंगे।

दूसरा विषय, माननीय सभापति महोदय, आपने भी कहा था कि पिछले सात दिनों से होम गार्ड आंदोलित है, बेरोजगार हैं। हम रोटेशन से ड्यूटी लगाते हैं, हमें जरूरत होती है। मेला है, आंदोलन है, बड़े सामाजिक कार्यक्रम है, महीनों तक कार्यक्रम चलने वाले हैं तो हम उनको महीने की ड्यूटी दे देते हैं और वह तत्परता के साथ, उसी जिम्मेदारी के साथ काम करता है जैसे पुलिस का कांस्टेबल करता है। जिम्मेदारी के साथ हमको उसे 12 महीने की ड्यूटी पर नियमित करना चाहिए। उसकी मांग पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अगर हम यह नहीं कर सकते है तो मध्य प्रदेश की तरह, होम गार्ड को महीने, दो महीने, चार महीने, रोटेशन से जितनी ड्यूटी करते हैं उसके अलावा मध्य प्रदेश ने तय कर रखा है कि होम गार्ड को एक बंदूक का लाइसेंस कलक्टर दे दें ताकि वह बाकी के आठ महीने, चार महीने उस बंदूक के आधार पर किसी निजी कम्पनी में सुरक्षा प्रहरी की ड्यूटी कर लें, रात के समय ड्यूटी कर लें, हम यह कर दें। उनकी मांग है कि जिसको आप नियमित 12 महीने ड्यूटी नहीं दे पा रहे हो उसको आप जिम्मेदारी के साथ बंदूक का लाइसेंस उपलब्ध करवा दें। बंदूक का लाइसेंस उपलब्ध करा देंगे तो उसको सुरक्षा प्रहरी के रूप में कहीं और जगह भी रोजगार के अवसर मिल जाएंगे।

पुलिस के जवानों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। 24 घंटे की ड्यूटी करेंगे, मानसिक तनाव में आएंगे, अवसाद में आएंगे। मैंने कहा साप्ताहिक अवकाश होना चाहिए। कुछ विसंगतियां हैं। पुलिस के कर्मचारियों की मांग है, 24 घंटे की ड्यूटी के बाद भी उनकी तृतीय श्रेणी शिक्षक के बराबर ग्रेड नहीं है। आप उनकी तृतीय श्रेणी शिक्षक के बराबर ग्रेड कर दीजिए। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि पुलिस के संतरी में एक नया विश्वास पैदा होगा। सरकार और व्यवस्था में बैठे हुए अधिकारी उसके बारे में चिंता कर रहे हैं।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं। पांच मिनट का समय और लूंगा। पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाता है, विभागीय कार्यवाही हो जाती है, उसको दण्डित कर देते हैं, डिमोशन कर देते हैं, उसका इंक्रीमेंट रोक देते हैं। न्यायालय से बरी होकर आता है तो अन्य विभागों में तो न्यायालय से बरी होने के बाद तुरन्त प्रभाव से उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही को ड्रोप कर दिया जाता है लेकिन पुलिस में ऐसा नहीं है, उसे एक बार फिर न्यायालय में जाना पड़ता है। उसके लिए एक स्पेशल आदेश लाया जाता है तब जाकर उसके खिलाफ की हुई विभागीय कार्यवाही रुकेगी। गृह मंत्रीजी, मैं चाहता हूं आज राजस्थान के 50-70 हजार पुलिस के जवानों को आश्वस्त करें कि अगर किसी के भी खिलाफ विभागीय कार्यवाही हुई है, इंक्रीमेंट रुका है या अन्य कोई कार्यवाही है, अगर वह न्यायालय से उन्मुक्त होकर आता है तो उसको उसी समय उन्मुक्त मान लिया जाएगा। उसकी कार्यवाही निश्चित रूप से प्रक्रिया में ले ली जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं जेल पर कुछ कहना चाहता हूं। आपने जोधपुर जेल की बात कही। माननीय सभापति महोदय, मैं इसके बाद अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। जेलों में बंदियों की क्षमता से ज्यादा बंदी भरे हुए हैं, यह भी हमारे लिए चिंता का विषय है। आपने जोधपुर में बाहर जेल बनाने की बात कही। कोटा में चल रहा है, न्यायालय से मामला अटका पड़ा है। इसके बाद एक बात जैमर की उठाई थी। जैमर कहां है जो जेलों में लगे हुए हैं? हम इस सदन में बैठे हैं जैमर लग रहा है, किसी कारण से सदन की कार्यवाही दस मिनट के लिए स्थगित होगी और उस जैमर का बटन कर देंगे, इसी सदन में 10-15 मिनट बाद मोबाइल काम करने लगेंगे। राजस्थान के जेलों की स्थिति यह हो गयी कि हार्डकोर बदमाश, पैसे वालों के लिए तो ऐशो आराम का आराम गृह बन गया। गरीब लोगों के लिए यातना गृह बन गया। कोई व्यक्ति जेल में जाता है, उसके घर तुरन्त फोन पहुंच जाता है। कोटा में इस बात का उदाहरण पकड़ में आया है, जेलर सस्पैंड हुआ। तुरन्त उसको अकाउण्ट नम्बर दे दिए जाते हैं, आपका व्यक्ति जेल में है, हमारी अभिरक्षा में है, इसको सलामत चाहते हो, इसकी प्रताड़ना नहीं चाहते हो तो अमुक अकाउण्ट नम्बर में आप पैसा डलवा दीजिए, आखिर इस परम्परा को हम कब तक चलाएंगे। जो व्यक्ति जेल में पैसा नहीं डलवा पाता है, हार्डकोर अपराधी नहीं है, उस व्यक्ति के साथ यातना होती है, यह परम्परा तो मुगलों के समय थी। युद्ध

(श्री प्रहलाद गुंजल)

बंदी जो जेलों में चले गये उनसे लैट्रिन साफ कराया करते थे। जातियां बदल दीं, दर्शन बदल दिये, परम्पराएं बदल दीं, समाज की व्यवस्थाएं बदल दीं। युद्ध बंदियों के साथ यातना हुई। इसलिए आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि गरीब आदमी जो किसी आकस्मिक अपराध में जेल में चला गया, पैसा नहीं दे सकता, टैरेराइज करने जैसी हार्डकोर अपराधी की छवि नहीं है, गरीब है, तो उसके लिए जेल यातना गृह नहीं बने, उसमें सुधार होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जेल कर्मियों की एक बात आज आपसे कहना चाहता हूं। पुलिस के सिपाही और जेल के सिपाही की ड्यूटी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वह भी कठिन ड्यूटी करता है, लेकिन दोनों के वेतनमान में विसंगति है। पिछले कई सालों से लगातार जेल का सिपाही अपनी वेतन विसंगति को दूर करने की मांग करता आ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे कोटा में सैंट्रल जेल के कैदियों को प्रशिक्षण के लिए लालबहादुर शास्त्री औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से कांट्रेक्ट किया हुआ है। बस अंतिम दो मांग है। आप क्यों न सरकारी आईटीआई खोलें। स्किल डवलपमेंट, जेल में बंद हर व्यक्ति अपराधी है, वह जेल में ही रहेगा, यह धारणा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सुधारवादी कदम चलाना हमारी जिम्मेदारी है। वह जब जेल से निकले तो केवल सुधारवादी वृत्ति के साथ नहीं, वह प्रशिक्षित होकर भी निकले। इसके लिए प्रत्येक जेल में जरूरतमंद लोगों के लिए सरकार कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए, मेरी मांग है। मैं समझता हूं गृह मंत्रीजी, जब अपनी बात कहेंगे तो इस पर जरूर जवाब देंगे। कोटा के लिए मैंने कहा है। कोटा की पुलिस लाइन में दो बैरक की आवश्यकता है। जवानों के आराम करने के लिए बैरक की कमी है। पुलिस आवासों की खराब स्थिति है, सड़कें खराब हैं। कोटा में एक्स्ट्रा दो बैरक, आवासों की मरम्मत के लिए काम, पुलिस लाइन और पुलिस क्वार्टर की सड़कों की मरम्मत व निमर्णि के लिए निश्चित रूप से गृह मंत्री हमको कुछ देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री कालू लाल जी गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 39वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम संख्या 39)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 39वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2018 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने अपने 38वें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि दिनांक 28 फरवरी, 2018 से 07 मार्च, 2018 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2018	1. वर्ष 2014-15 की अतिरेक मांगें (दत्तमत्त में कोई राशि नहीं) एतदर्थ तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण। 2. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2017-18 (द्वितीय संकलन) पर मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण, तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण। 3. अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान।
गुरुवार,दिनांक 01 मार्च, 2018 शुक्रवार, दिनांक 02 मार्च, 2018 शनिवार, दिनांक 03 मार्च, 2018 रविवार, दिनांक 04 मार्च, 2018	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 05 मार्च, 2018	अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान

(श्री कालू लाल गुर्जर)

(आय व्ययक अनुमान वर्ष 2018-19 से संबंधित दिनांक 21 फरवरी, 2018 को सदन में विचारार्थ ली जाने वाली अनुदान की मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं मांग संख्या-51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना सहित अनुदान की शेष मांगें मुखबंद का प्रयोग किया जाकर दिनांक 05 मार्च, 2018 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।)

मंगलवार, दिनांक 06 मार्च, 2018	1. राजस्थान वित्त विधेयक, 2018 एवं 2. राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018 पर विचार एवं पारण।
बुधवार, दिनांक 07 मार्च, 2018	1. प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 2. राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 3. राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018 एवं 4. राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2018 (राज्यपाल महोदय से पुनर्विचार हेतु प्राप्त विधेयक) पर विचार एवं पारण।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 39वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 39वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होकर मांग पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज का कार्य, आज की मांग पूरी होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की मांगें पूरी होने, पारित होने तक, आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया गया।

माननीय सदस्य विवेकजी धाकड़।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): Hon'ble Chair, CLP Leader and Chief Whip, I am grateful to you to allow me to speak on demand number 16 and 17 on Police and Jail.

श्री सभापति: एक मिनट। I am sorry. As per the precedent of this House, we can't speak in English.

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): धन्यवाद, सर। पहले हमें यह देखना होगा, पुलिस और जेल के सम्बन्ध में यह बात हो रही है। सभी माननीय सदस्यों ने इस पर अपने-अपने विचार रखे। काफी लम्बे समय से वर्तमान व्यवस्थाओं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर गम्भीर चिंता और विचार-विमर्श हो रहा है।

सम्माननीय सभापति जी, लोकतंत्र के इस देश में वैलफेयर स्टेट की कंसेप्ट में जहां बोलने की स्वतंत्रता है, उस व्यवस्था को देखते हुए राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैं पुलिस और कारागार पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान का सबसे लम्बा इंटरनेशनल बोर्डर है और इंटरनेशनल पालिसीज को देखते हुए, जिससे हमारा बोर्डर है, वह व्यवस्थाएं कभी भी माकूल नहीं होंगी, उसके मद्देनजर पाकिस्तान का जो बोर्डर है। दूसरा, राजस्थान नोर्थ में स्थित है। इतिहास गवाह है, चाहे मुगलों की राजधानी आगरा रही हो, चाहे उसके बाद दिल्ली राजधानी रही हो। राजधानी के नजदीक अटैच होने से और एन.सी.आर.

(श्री विवेक धाकड़)

का एरिया राजस्थान का ओवरलेप होने से, राजस्थान की अवस्था, जो बीच में स्थित है, जो एक कन्सर्न आया था इल्लिसिट लिकर का, आज की तारीख में देश का जो मोडल स्टेट गुजरात है, जिसमें लिकर बैन है, उसका इल्लिसिट लिकर का जो रास्ता है, वह चाहे वेस्टर्न राजस्थान हो, चाहे मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से हूं, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से होकर जाता है। वह बैन पता नहीं किस तरीके का है, वहां पर कितनी कण्ट्रोलिंग है। हर दिन, हर सप्ताह में एक ट्रक पकड़ी जाती है। उस अवस्था को देखते हुए और क्राइम क्यों होता है। पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। राजस्थान मिनरल रिच स्टेट होने से ट्यूरिज्म, इल्लिसिट लिकर, और जैसा मैंने एन.सी.आर. का बताया, जहां पैसे का प्रवाह ज्यादा होगा और कैश प्रवाह ज्यादा होगा, चाहे एन.सी.आर. के नजदीक होने से जमीन की कीमतें, जो सरफेस पर हैं, और मिनरल्स के होने से जो जमीन के अन्दर से धन आ रहा है, इस धन के लिये, इस धन की लूट के लिये क्राइम होता है।

इस व्यवस्था को देखते हुए इस पुलिस व्यवस्था में बिलकुल जो धरातल है उससे मैं प्रारम्भ करुंगा। पुलिस कांस्टेबल्स, जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, सभी सदस्यों ने इस पर अपनी चिंता जाहिर की, वर्क लोड ज्यादा है।

पहले एक चीज, मैंने आपको राजस्थान की ज्योग्राफिकल स्थिति बता दी, क्राइम का कारण बता दिया, एक क्राइम का पैटर्न भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। कल-परसों के अख़बार में आया, इतना डवलपमेंट हो गया, इतना वह हो गया। दिल्ली-जयपुर हाई-वे पर एक पार्षद का परिवार लूट लिया जाता है। परिवार वहां सुरक्षित नहीं है। नेशनल हाई-वे, जो दिल्ली, कैपिटल सिटी को जयपुर से जोड़ रहा है, उस पर परिवार सुरक्षित नहीं है, यह क्राइम का पैटर्न है।

पोश इलाकों में मुरादाबाद की गैंग लूट करती है, रैकी करती है, बाहर से आकर यहां पर, जयपुर में, जयपुर की बता रहा हूं। 20-22 साल के दो लड़के कहीं से देशी कट्टा लाते हैं, हालांकि गोली एक की जेब में थी और पिस्टल दूसरे के पास थी। उन्होंने हथियार दिखाया उन्होंने पुलिस तक को हथियार दिखाया। राहगीर को लूटा और पहाड़ पर चढ़ गये। चौथा एक्जाम्पल, महिला ने महिला की चैन स्नेचिंग की। धर्म के इस देश में चंवलेश्वर जैन मन्दिर में मूर्ति चोरी हो जाती है। वहां पर चोरी की घटना हो जाती है।

(श्री विवेक धाकड़)

चारभुजा के स्थान पर चोरी हो जाती है। जहां इस धर्म का डर खतम हो गया, संस्कार का डर खतम हो गया, 20-22 साल के लड़के अगर क्राइम करने लग गये, इस पैटर्न पर हमें देखना पड़ेगा। इस ढंग से हमें सोचना पड़ेगा।

पुलिस कांस्टेबल्स का मैं निवेदन करूं। आज सुबह मैं सी.एल.पी. लीडर साहब के चैम्बर में था। अभी पीओन्स की कोई वेकेंसी निकली है, जिसमें बी.टेक. एप्लाई कर रहे हैं। पांचवीं-दसवीं की अर्हता है, बी.टेक. एप्लाई कर रहे हैं। मान-स्वाभिमान सबको चाहिये। मेरा ऐसा निवेदन है, मेरे सम्माननीय गृह मंत्रीजी पारिवारिक सदस्य हैं, बड़ा वरदहस्त रखते हैं। सम्माननीय संसदीय मंत्रीजी से भी मेरा निवेदन है इसको देखा जाए कि जो अर्हता अभी भी दसवीं पास कर रखी है, उस अर्हता में न तो कोई आता है, वह एक संख्या बढ़ जाती है, दसवीं पास वाला भी घर से एप्लाई कर देता है। वह भी कन्फ्यूजन में रहता है और कोई दसवीं पास वाला सलैक्ट नहीं होता। मिनिमम अर्हता कांस्टेबल के लिये ग्रेजुएशन की जाए। ताकि वह ग्रेजुएट कांस्टेबल जब वहां पर सलैक्ट होगा, वह अपने आपको ग्रेजुएट कह सकेगा और उच्च अधिकारी उसे एज-ए-ग्रेजुएट ट्रीट करेंगे। अभी भी होता तो सलैक्ट ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है। पर उस कांस्टेबल को दसवीं के रूप में देखा जाता है। इससे उसका मान सम्मान बढ़ेगा। इस चीज पर आप विचार करें।

जिस तरीके से पटवारियों की भर्ती में दस नम्बर लोकल जिले को मिलते हैं, कांस्टेबल्स करीब-करीब उसी एरिये में करते हैं। उस लोकल स्थिति को, डाइलेट को वे जानते हैं। उसको वहां दस नम्बर देकर प्राथमिकता दी जाए। ताकि वहीं का लोकल व्यक्ति सलैक्ट होगा तो कहीं न कहीं उसको समाज का, एरिये का डर रहेगा कि मैं ज्यादा कहीं लूट-खसोट करुंगा तो इसी इलाके में रिटायर होकर मुझे यहीं रहना है।

(17.00 बजे)

जो चीज कही गयी कि उन पर दबाव है, एक दु:ख की घटना मैं निवेदन करूं कि दो-तीन दिन पहले की ही बात है। भीलवाड़ा में सुभाष नगर थाने के अन्तर्गत मेरा निवास है, वहां का एक कांस्टेबल मात्र 25-26 साल का अविवाहित था, उसने सेलफोस खाकर आत्महत्या कर ली। सोचिए, वह कितने दबाव में होगा? दु:ख है, उसकी आत्मा को हार्दिक संवेदना। जो विवाहित ही नहीं हुआ, पुलिस में है, क्या चीज, स्थिति थी? जो बार-बार आ रहा है कि

(श्री विवेक धाकड़)

कार्य का दबाव तो उसका सोल्यूशन यह नहीं है। क्योंकि पुलिस, मेडिकल, ईवन लॉयर यह ऐसी चीजें हैं कि यह कहकर नहीं आते। कोई क्राइम होगा तो उसका कोई टाइम नहीं है कि 10 से 5 क्राइम होगा। अगर आपकी नफरी नहीं है तो अपन यहां पर चाहे कितना ही भाषण दे दें, कितनी ही बात कर लें, उसको डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी। अगर कहीं पर क्राइम होगा तो उसकी चाहे नाइट ड्यूटी हो, चाहे डे ड्यूटी हो, उसको डबल ड्यूटी करके वहां जाना पड़ेगा सबसे पहले नफरी बढ़ाने की हमें बात करनी पड़ेगी अगर हम उनकी वास्तव में चिंता करते हैं तो।

उनको आवास, उनके भत्ते, हार्डकोर सर्विसेज के भत्ते और हमारे साप्ताहिक अवकाश वाली बात को हमें उसमें सोचना होगा। पर उससे पहले नफरी को हमें पूर्ण करना होगा ताकि हम उसका, साप्ताहिक अवकाश उसे देंगे कब? वह तो डबल ड्यूटी कर रहा है।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि इससे ऊपर का जो रैंक है और इसकी जो मेन चीज है थानेदार, सारे जो पावर्स वेस्टेड हैं पुलिस में, मेन जो पावर्स वेस्टेड हैं थानेदार में, एस.आई. की जो सीधी भर्ती की बातें हैं, उस पर भी गम्भीरता से विचार किया जाए, उस पर भी देखा जाए।

एक निवेदन, इससे ऊपर की रैंक के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आर.पी.एस. में 26.09.2017 को नोटिफिकेशन आया उसमें स्वीकृत पदों में से 16 पद कम कर दिये गये। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, संख्या बढ़ानी है तो यह कैसी कांट्राडिक्टरी है कि 16 पद आर.पी.एस. के कम किये गये? दूसरा, आर.पी.एस. के लिए कहूंगा कि पड़ौसी स्टेट हरियाणा है उसमें 2004 के बैच के जो पी.एस.सी. के आफिसर्स थे, वह आई.पी.एस. में प्रमोट होकर आई.पी.एस. की सेवाएं दे रहे हैं और राजस्थान में स्थिति यह है कि 1996 बैच के आई.पी.एस. में वह हुए हैं।

एक मिनट, सर, आपका विशेष अनुग्रह, विशेष आभार, मेरे को थोड़ा सा टाइम दें। आर.ए.सी. में भी 26.09.2017 को नोटिफिकेशन में जो पद कम किये गये हैं, उन पर भी विचार किया जाए।

दूसरा, निवेदन है कि हाईटेक क्राइम्स का जो आ रहा है, कार्ड स्वैपिंग का अभी हमारे माननीय सदस्य गुंजल साहब ने भी फर्माया, एक एग्जाम्प्ल मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। अंकित फाड़िया एक लड़का है, मात्र 13-

(श्री विवेक धाकड़)

14 साल का वह व्यक्ति था, मुम्बई बम ब्लास्ट में उसकी सर्विसेज ली गयी। अंकित फाड़िया आज 26 साल का है, उसका गूगल पर हम सर्च करेंगे, आफिशियल हैकर है, इसमें 200 हम विधायक हैं, इतनी बात हो रही है, क्राइम की बात हो रही है, मैंने आज सुबह पता किया, जो आई.टी. के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ही मुझे अंकित फाड़िया का नाम बताया। हर विधान सभा क्षेत्र से हम अगर एक आदमी को ट्रेंड करते है यानी, हम 200 आदमियों को ट्रेंड करते हैं तो पर परसन 10 हजार रुपये का खर्चा है, तीन मंथ का कोर्स है, उसमें वीक में दो बार दो घंटे के लिए जाना है। वह व्यक्ति आई.टी. सिक्योरिटी और एथिकल-हैकिंग में उसको एक्सपर्ट कर देगा और इस अंकित फाड़िया का सैट-अप यही राजस्थान में अवेलेबल है, इस जयपुर में अवेलेबल है। अगर 200 से 10 हजार को मल्टीप्लाई करें तो मात्र 20 लाख में, सर, निवेदन है कि मैं वापस वह नहीं करूंगा, आपके आदेश की अवहेलना नहीं करूंगा पर जैसा सबको समय दिया जाता है, मेरा विनम्र निवेदन है, विनम्र अनुरोध है कि यह चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, मात्र 20 लाख में 200 व्यक्ति आपके एथिकल हैकिंग और इसके लिए आ जाएंगे, हमें प्राइवेट लोगों को नहीं करना पड़ेगा। पी.जी. और बी.टेक. जो लड़के हमारी पुलिस फोर्स में हैं, उनको हम वहां पर वह करवा सकते हैं।

नाइट पैट्रोलिंग की बात करें तो फ्यूल की एक लिमिट लगा रखी है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि नाइट पैट्रोलिंग होनी चाहिए, उनको पता है कि इस फ्यूल की लिमिट के बियोंड अगर गया तो मेरे को खुद को जेब से जमा कराना पड़ेगा तो वह एक पाइंट पर रुक जाता है, इस चीज को भी देखना चाहिए।

एफ.एस.एल. की स्थिति बताऊं, मैंने यहां पर निवेदन किया था कि गंगापुर में जो 6 डैथ हुई थीं, अभी तक उसकी एफ.एस.एल. रिपोर्ट नहीं आयी है। एफ.एस.एल. में लोकल जो उस फील्ड के हैं, उन्हीं को डाइरेक्टर बनाया जाए। अभी जो रिटायर्ड डाइरेक्टर हैं, वह सेवाएं दे रहे हैं, उनको बुलाना पड़ रहा है। जो प्रोपर प्रमोशन होकर उनको किया जाए।

एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर्स पर डिप्टी एस.पी. कार्यालय सभी जगह पर हैं। बिजोलिया और फुलियाकलां, भीलवाड़ा में नहीं है, उसको करवाया जाए। पी.टी.एस. ...(व्यवधान)

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): एक सर, पी.टी.एस. बड़ा महुआ में प्रपोज है भीलवाड़ा में उसको त्वरित गति से करवाया जाए।

जेल की बात करें तो जैमर्स और भीलवाड़ा जेल में जो असुरक्षा है, आर.ओ.बी. पर वह है, उसके लिए जगह भी देख ली गयी है, तुरन्त उसको शिफ्ट करवाया जाए और वहां पर उनको दिया जाए। सुमन मालीवालजी अभी प्रेसिडेंट मैडल से, जो अभी जेलर हैं उन्होंने वहां पर जो लोकल फड़-चित्रकारी है, योग है, उनको वहां पर इंट्रोड्यूज करा, उनको भी देखा जाए।

ए.सी.बी. के द्वारा बड़े अधिकारियों को पकड़ने के बाद एक उस पर रोक लगा दी गयी है, एक अन-आफिशियल रोक है, उसको रिलीज किया जाए। कमिश्नरेट प्रणाली को रिवाइव किया जाए। होम गार्ड पर भी ध्यान दिया जाए। मिलटरी और पैरा-मिलटरी फोर्सेज के साथ भी काम्बिनेशन हो।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): एक चीज, सर, स्लिप लेन, यहां जयपुर की ही बात कर रहा हूं, ट्रैफिक पर ही एक बात कर रहा हूं। स्लिप लेन, हम खुद भी जाते हैं, मैं खुद ड्राइव करता हूं, स्लिप लेन फ्री नहीं है, होंकिंग इस तरीके की होती है कि जरूरी नहीं है तो भी प्रेशर हार्न बजाता है, इतना ज्यादा पोल्यूशन है। आपने बोलने का मौका दिया, जय जवाब, जय किसान, वंदे मातरम, जय फोर्स, बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र जी।

श्री रामचन्द्र (डग): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या-16 और 17 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

फर्क इतना-सा पड़ता है कि जब सत्ता किसी पार्टी की होती है तो वहां के सदस्य इधर आ जाते हैं और सत्ता जब उनकी होती है तो वहां के सदस्य वहां चले जाते हैं। यह विभाग और यहां के सारे के सारे अधिकारी यहां पर ही रहते हैं।

पितामह भीष्म जब शरशैया पर थे, श्रीकृष्ण सामने खड़े थे तो पितामह की नजर एकदम द्रोपदी पर पड़ी और जैसे ही द्रोपदी को देखा तो पितामह की जब आंखें डबडबा रही थीं, उनसे जानकारी लेना चाह रही थी कि द्रोपदी मुझसे कुछ जानना चाहती है। द्रोपदी ने पितामह से प्रश्न किया कि

(श्री रामचन्द्र)

पितामह मुझे बताइये कि उस सभा में आप जैसे प्रचंड और विश्व विजेता जैसे आप इस कौरव के कुल के अंश थे, आपने सब चीज, आपके सामने कोई युद्ध नहीं कर सकता, कोई जीत नहीं सकता, आपके पास सारी शक्तियां समाहित थीं, इच्छा मृत्यु का वरदान था, आप चाहे जो कर सकते थे लेकिन कौरव और पांडवों के इस युद्ध में जब मेरी वहां इज्जत का चीर-हरण हो रहा था तो पितामह पूरी सभासद में जितने बड़े-बड़े लोग बैठे थे, किसी एक ने मेरी वहां पर सहायता नहीं की और जब मैंने भगवान कृष्ण को याद किया तो उन्होंने मेरे चीर हरण को, मेरे वस्त्र को, मेरी इज्जत को बचाया। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं पितामह, आपने उस दिन क्यों मेरी इज्जत और मेरी लाज की रक्षा नहीं की? तो उन्होंने कहा कि पुत्री, मैंने कौरव का अन्न खा रखा था, उसका नमक खा रखा था इसलिए मैं आपकी सहायता नहीं कर पाया क्योंकि वह अन्न आड़े आ रहा था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ऐसे तो कई लोग हैं।

श्री रामचन्द्र (डग): मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह मीमांसा जो कौरवों के अन्दर, जो दुर्योधन के अन्दर पैदा हुई और कोई ऐसा नहीं है कि उसी काल खंड में ऐसी वृत्तियां पैदा हुई हैं। यह वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति हर समय के काल खंड में पैदा होती रही है। हम दोष दें पुलिस को, सत्ता पक्ष वालों को, प्रतिपक्ष को, आप मुझे यह बताइये कि कोई बबूल पर या नीम पर पत्थर तो नहीं मारता? आम के पेड़ पर, बेर के पेड़ पर जहां पर फल लगा होगा, वहीं आदमी पत्थर मारता है। दोनों पक्ष, प्रतिपक्ष और पक्ष अपनी-अपनी जगह पर मौजूद रहते, व्यवस्थाओं के और समय के अनुसार इनमें चेंज आते हैं लेकिन पुलिस वालों को फटकार भी मिलती है।

इनके अवगुणों का भी यहां वर्णन और आलोचनाएं होती हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी यह व्यवस्थाओं को बनाकर रखते हैं। बात यह है कि हमारे मन में, हमारे आज के तर्क में, हमारे युवाओं के मन में ऐसी अंधी दौड़ पैदा हो गयी है। हम ऐसी अंधी दौड़ में शामिल होने जा रहे हैं, उस प्रतियोगिता का अंत नहीं और हमें पता ही नहीं है कि हम कहां जाये जा रहे हैं, आदमी कमाने की लालसा में ऐसा दौड़े जा रहा है, भागे जा रहा है। सारा दुनिया का धन इकट्ठा, संसाधन इकट्ठा करके विलासितापूर्ण जिंदगी जीना चाहता है और इसमें ही सारे के सारे अपराध घटित होते हैं। अपराध की अगर

(श्री रामचन्द्र)

कोई जड़ है तो मूलत: जीवन में अनोखी विलासिता भोगने की जो चाह है, इस अंधी दौड़ में आदमी अपराध प्रवृत्ति को अपनाता है। यह चाहे राजाओं के राज से रहा हो, चाहे आज के रहे हों, चाहे कोई भी रहे हों। सत्ता पक्ष यह चाहता है कि सत्ता के अन्दर, मैंने माननीय कटारिया साहब को, जब विपक्ष में थे तब भी इनका भाषण पढ़ा था और सत्ता पक्ष में गृह मंत्री हैं, तब भी इनको सुना है। एक ही बार में सारे के सारे रिश्ते तार-तार हो जाते हैं, दूसरी जगह बैठकर बात करने लगते हैं। (व्यवधान)

माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने राजस्थान के इस पुलिस महकमे को सुधारने के लिये और एक मैं पूर्व महानिदेशक का नाम स्मरण करना चाहता हूं, कितने सालों से हम पुलिस से अपेक्षा करते रहे हैं कि इनके व्यवहार में, इनके कार्य में, इनकी शैली में परिवर्तन आये। कितने सालों से पुलिस के कांस्टेबल, यहां के एस.आई., यहां के हैड कांस्टेबल, यहां के सब-इंस्पैक्टर, इनके पास रहने के लिये जगह नहीं होती थी, बैरक में पड़े रहते थे, 24 घंटे यह काम करते थे। एकमात्र माननीया मुख्य मंत्रीजी, और एक डी.जी.पी. थे, जिनका स्मरण करना चाहता हूं, जिन्होंने पुलिस को इनके बर्ताव में परिवर्तन लाने के लिये आवास की व्यवस्था की।

अभी प्रहलाद जी कह रहे थे कि जैसे ही हम थाने में जाते थे, तो एक समझदार आदमी थाने में बहुत डरता है और उनके जाने के बाद में यह लगता है कि कैसा आदमी आ गया, वह पुलिस वाला कैसा व्यवहार करेगा, इसी अनुभूति से वह भयभीत रहता था और बाहर बोर्ड पर अच्छा-सा लिखा रहता है 'आमजन में विश्वास और अपराधियों में खौफ' लेकिन इसके विपरीत भी हम देखते हैं कि हमारी सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, माननीय गृह मंत्रीजी ने पुलिस व्यवस्थाओं के लिये, पुलिस डिपार्टमेंट के लिये सरकार ने आवास की व्यवस्था की, अत्याधुनिक बनाने की कोशिश की है, सी सी टी वी कैमरे दिये हैं, हथियारों से पुलिस को लैस किया है और अपराधों में पूरी तरह से कमी आयी है। पूरी लिस्ट बताऊंगा तो अभी समय देंगे नहीं। इसलिये मैं पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में राजस्थान के संचालन में गृह मंत्रीजी के इस कार्य क्षेत्र में पुलिस का बहुत ही जोरदार कार्य रहा है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हो कि पुलिस की कर रहे हो?

श्री रामचन्द्र (डग): मैं सरकार की ही कर रहा हूं, क्योंकि सरकार के नेतृत्व में पुलिस काम कर रही है और जिस प्रकार की आपकी प्रशंसा मैंने सुनी, वह डबल प्रशंसा है, इसलिये मैं दोनों तरफ सापेक्ष रूप से बात कर रहा हूं। मैंने पक्ष न सत्ता पक्ष का लिया, न प्रतिपक्ष का लिया। मैं बोल रहा हूं कि पुलिस जिस प्रकार से कार्य कर रही है, जब आप थे तब भी यही पुलिस थी, हम हैं तब भी यही पुलिस है। लेकिन पुलिस की प्रशंसा इसलिये करते हैं कि हमारे समय में अपराधों की संख्या में कमी है, वह माननीय गृह मंत्रीजी ने पूर्व में बताया था और मैं बताना चाहता हूं 2009 में आपके यहां पर 1 लाख 43 हजार अपराध थे और हमारे समय में अपराध 1 लाख 19 हजार हैं, अपराध घटे हैं। सरकार को बजट भी इतना ज्यादा कुछ नहीं मिलता, 2.7 प्रतिशत बजट का मिलता है। सारे कारनामों की और विभाग का गुणावगुण करने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पुलिस को हम कभी भी प्रशंसा का पात्र नहीं बनाते। हमेशा उसकी आलोचना करके, उसकी बुराई करके हमेशा डाउन करते हैं। प्रशंसा एक ऐसी तलवार है, जो बिना धार के काटती है साहब। अगर हम निश्चित रूप से किसी भी कर्मचारी को यह कहें कि आप चोर हैं और उसको चोर कहकर सम्बोधित करेंगे तो निश्चित रूप से चोरी करेगा, लेकिन उसको कहो कि इस गांव का साहूकार है और सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है तो निश्चित रूप से वह अच्छा काम भी करेगा, ऐसा नहीं है। राजस्थान के अन्दर अपराधों में कमी आयी है। राजस्थान की सरकार ने भी हर दृष्टि से, जैसे एस.सी., एस.टी. के लिये भी आपने कहा कि अपराध बढ़े, मैं कह रहा हूं कि अपराध घटे हैं। जितनी भी सरकार की योजनाओं में, मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, कि 2009 में 2,021 करोड़ का बजट था, आज हमारे 2013-14 में 3,361 करोड़ का बजट किया है। पूरे बजट का 2.7 प्रतिशत हमें राजस्थान सरकार देती है और पूरे देश के 20वें पायदान पर हमारा राज्य आता है।

प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, जिस पर 1040 किलोमीटर के आस-पास अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ी सीमा है, भू-भाग 10 प्रतिशत है और 6 प्रतिशत इस देश की आबादी है। इतनी आबादी होने के बावजूद जैसा अभी इन्होंने कहा कि हमारा 134 आदमी 100 वर्ग किलोमीटर पर लगा हुआ है, पूरे देश में भी 100 वर्ग किलोमीटर पर 137 आदमी लगे हुए हैं। मैं तो मांग करना चाहता हूं गृह मंत्री महोदय से, क्योंकि सभी भाषण दे रहे हैं, सब एक-एक बात को रिपीट कर रहे हैं कि साइबर क्राइम हो रहा है, यह क्राइम बढ़

(श्री रामचन्द्र)

रहा है, वह क्राइम बढ़ रहा है, जितने संसाधन मिल रहे हैं, उन संसाधनों के साथ पुलिस काम कर रही है। मैं यह बता रहा हूं आपको, कि साइबर क्राइम रोकने के लिये स्पेशली कोई कानून बनाना चाहिये, क्योंकि आजकल पीछे से जोड़-तोड़ करके किसी भी आदमी को कहीं भी प्रस्तुत कर देते हैं और उसकी बुराई सब जगह होती है।

मैं तो आपसे यह मांग करना चाहता हूं पुलिस में लांगरी से लेकर कांस्टेबल से लेकर लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाना चाहिये। उनके लिये वेतन की जो विसंगतियां हैं, परिवार के साथ उनको रहने के लिये बैरक मिलने चाहिये, उनको पाक्षिक रूप से या साप्ताहिक रूप से छुट्टी भी मिलनी चाहिये। जो महिलाएं थाने में लगी हुई हैं, उनके बारे में जानकारी रखनी चाहिये। एक बार बुलाकर उनको पूछना चाहिये कि थानों में उनके साथ कोई विशेष बात तो घटित नहीं हो रही है। निश्चित रूप से इसकी जानकारी होनी चाहिये।

आधुनिक तकनीक और आधुनिक हथियारों से पुलिस को लैस करना चाहिये। मैं निवेदन कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अन्दर एक ऐसी व्यवस्था है, बड़े नगरों के अन्दर जैसे 104 और 108 की आपके एम्बुलैंस टाइप लगी होती है, लेकिन बड़े शहरों में बोर्डर एरिया में जहां पर बहुत ज्यादा अपराध घटित होते हैं, वहां पर ऐसी मशीन रखते हैं और तुरन्त प्रभाव से जैसे ही सूचना मिलती है, वह अपराधियों को पकड़ने में सक्षम है और तुरन्त प्रभाव से वह जाकर चली जाती है, राजस्थान में भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि अपराधों में कमी लाई जा सके।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस में जिन लोगों ने ट्रैनिंग ले ली और कई सालों से वह ट्रैनिंग ले नहीं रहे, उनको निश्चित रूप से प्रशिक्षण देना चाहिये और प्रशिक्षण देने के साथ-साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अपराध में कमी करने के लिये माननीय प्रधान मंत्रीजी के नोटबंदी और जी एस टी को भी मानता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से भू-माफिया, शराब माफिया और ऐसे कई माफिया, जो चल रहे हैं, मैं आपको निवेदन करता हूं, अपराध घटने के अन्दर सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो नोटबंदी की और जी एस टी की भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधान मंत्रीजी ने ...(व्यवधान) सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, थोड़ा सुनें। माननीय प्रधान मंत्रीजी ने 27 अगस्त, 2015 को अभी लोक सभा में एक वक्तव्य दिया था। उनका वक्तव्य था कि गरीबी भारत छोड़ो, गंदगी भारत छोड़ो, सम्प्रदायवाद भारत

(श्री रामचन्द्र)

छोड़ो, जातिवाद भारत छोड़ो, आंतकवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। अगर इन छह चीजों का अपन मूल्यांकन करें, प्रधान मंत्रीजी ने गरीबी छोड़ो, गरीब आदमी अपराध की प्रवृत्ति में ज्यादा पड़ता है। अगर गरीबी इस देश में कम होगी तो निश्चित रूप से अपराधों में अपने आप कमी होगी। आपको मालूम है प्रधान मंत्रीजी ने गंदगी हटाने के लिये स्वच्छ भारत मिशन की बात की। पूरे देश के अन्दर अगर हम देखें इस परिप्रेक्ष्य में यह छोटे-छोटे काम हैं, जो प्रधान मंत्रीजी ने इस देश के अन्दर किये हैं। अगर आप प्रधान मंत्रीजी के इस कृत्य को देखें तो जो माताएं-बहनें रात को शौच के लिये खुले में जाती थीं, शौचालय बनने के बाद में अपराधों में निश्चित रूप से कमी आयी है।

आतंकवाद भारत छोड़ो, आंतकवाद के लिये भी प्रधान मंत्रीजी ने यह बात कही है तो निश्चित रूप से नोटबंदी हुई है, बाहर से नोट आने बंद हुए हैं, इससे अपराधों में कमी हुई है। सम्प्रदायवाद, जहां सम्प्रदाय हिन्दू-मुस्लिम झगड़े जहां होते हैं, प्रधान मंत्रीजी ने आह्वान किया और ऐसे ही भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। निश्चित रूप से हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो मीमांसाएं हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारी कल्पनाएं हैं, हम बहुत ऊंची उड़ान करना चाहते हैं, सारा का सारा पैसा हड़पना, सारे शासन, सत्ता और व्यवस्था पर काबिज होना चाहते हैं। इनसे बचने के लिये भ्रष्टाचार में कमी आनी चाहिये। यह छह मूल जड़ हैं, जो इस देश को बर्बाद कर रही हैं। प्रधान मंत्रीजी ने भी यह कहा है, वह पुलिस की डिमांड पर बोलना चाहिये। यह छह चीज, जो बहुत छोटी-छोटी लगती हैं, सुनने में भी आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं, लेकिन पूरा देश और प्रदेश व्यसनमुक्त भी होना चाहिये। जिस प्रकार से माननीय सदस्यों ने कहा, जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या सूर्यकांता जी ने कहा कि हमारे यहां के नवयुवा आज की तारीख के अन्दर व्यसनों के आदी हो गये हैं तो मेरा निवेदन है कि पुलिस और प्रशासन इस पर जोर से काम करे और मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को, जिस प्रकार से उन्होंने बजट में पुलिस के लिये प्रोविजंस किये हैं। इससे निश्चित रूप से इस विभाग का भला होगा। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16-गृह एवं-17 करागार पर चर्चा हो रही है और इस चर्चा में आपने मुझे भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

(श्री धर्मपाल चौधरी)

सभापति महोदय, पुलिस एक ऐसा महकमा है, जिस पर अपराध रोकने का काम, वीआईपी ड्यूटी में पुलिस का काम, आज अगर नाजायज पत्थर निकले तो पुलिस का काम, आज बजरी निकले तो पुलिस का काम, हर काम, कोई भी हो। आबकारी विभाग अवैध शराब के लिए बना रखा है। आबकारी विभाग की पुलिस भी है लेकिन जिम्मेदारी, सब कहते हैं पुलिस के थाने के आगे से शराब की गाड़ी निकल गयी। जब तक मुखबिर की सूचना नहीं हो तो जाने वाले ट्रक का कैसे पता लग सकता है। कहीं न कहीं ऐसा साधन, जहां से वह ट्रक चलता है, पुलिस अपने माध्यम से, मुखबिर के माध्यम से उनको पकड़ती है। वह कहां पकड़ा जाता है। तो पुलिस व्यवस्था के अन्दर सारा काम पुलिस पर रहने के बाद, आज सबसे ज्यादा ड्यूटी पुलिस का सिपाही देता है। पुलिस थाना उस एरिये की रक्षा, सुरक्षा, अपराध रोकने का काम करता है लेकिन सुविधाओं के नाम पर पुलिस के पास है क्या? मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता।

मैं अपने क्षेत्र और जिले से ही चालू करता हूं। कांग्रेस के भाई कहते हैं कि हमारा तो राम राज था, कांग्रेस के पिछले शासन काल में जितने साम्प्रदायिक दंगे हुए अलवर जिले में, वह इनके सामने हैं। अलवर से अगर दिल्ली जाना हो वाया तिजारा तो रात के समय पर आदमी सुरक्षित अपने स्थान पर नहीं पहुंच सकता था। जानवर, दादागीरी से गांव के लोगों के खड़े होने के बाद भी भैंसों की चोरी, ट्रक के टायर्स की चोरी, गौ तस्करी, ऐसा कौनसा अपराध था जो नहीं हुआ। हम यह नहीं कहते कि देवी देवताओं का राज आ गया। आज भी अपराध तो जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, कम और ज्यादा होते रहते हैं लेकिन हमारे माननीय गृह मंत्रीजी एक ईमानदार व्यक्ति हैं और इन्होंने पूरी कोशिश की। किसी से भी काम लेने में तत्परता से, जब भी किसी ने सवाल किया विधान सभा में, हर सवाल का इन्होंने यहां पर सही उत्तर देकर अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। कभी भी अगर अपराध हुआ है तो किसी आदमी के साथ इन्होंने कोई पक्षपात किया हो।

आज मेरे क्षेत्र में जो हरियाणा बोर्डर के साथ लगता है, तीन थाने पड़ते हैं, तीनों में गाड़ी लेने के लिए मैंने विधायक कोष से पैसा दिया था। चूंकि विधायक कोष से पैसा हम उसमें दे नहीं सकते थे, इसलिए वहां पर जो गाड़िया चल रही हैं, हरियाणा बोर्डर, दिल्ली बोर्डर, यूपी बोर्डर सब मेरे जिले के नजदीक पड़ते हैं और अपराधों की संख्या भी ज्यादा है। आज वे गाड़ियां इस

(श्री धर्मपाल चौधरी)

हालत की हैं कि कोई अपराधी अपराध करके भागने की कोशिश करे तो वह गाड़ी उनका पीछा नहीं कर सकती क्योंकि आजकल नई गाड़ियां जो हैं, उनकी स्पीड 140 किलोमीटर है और इन गाड़ियों की स्पीड 80 किलोमीटर से ज्यादा की नहीं है। इसलिए 210 गाड़ियां आपने जो इस बजट में रखी हैं तो कम से कम बोर्डर के थानों पर नई गाड़ियां दें जिससे वहां पर अपराधों पर रोकथाम लग सके।

मैंने अपने विधायक कोष से तीनों थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाये। वहां पर दो थानों में बैरक बनवाये। अभी एक थाना मुण्डावर है, उसमें बैरक नहीं बन पाया इसलिए कुछ न कुछ तो पुलिस महकमे से, जो चौबीस घंटे हमारा सिपाही, जवान जो ड्यूटी देता है उसको रात को सोने के लिए ठीक जगह मिल सके, क्योंकि थाना तो नया बन गया लेकिन थाने में रहने की व्यवस्था नहीं है तो उनमें उनकी व्यवस्था भी करनी चाहिए।

तनखवाह और भत्ता जो है, वह 1750 से 2000 किया तो आज के जमाने में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उस भत्ते को 2500 करना चाहिए। दूसरे विभागों को इतना बजट दिया है। माननीय गृह मंत्रीजी जब जवाब देंगे तो कुछ न कुछ पुलिस के इन जवानों के लिए करेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए इतना ही कहता हूं कि वहां पर जो पुलिस की लोकल समस्याएं हैं, उनका गृह मंत्रीजी समाधान करेंगे जिससे अपराधों की रोकथाम हो सके। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री मनोज कुमारजी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या-16 और-17 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभापति महोदय, सुबह से बहुत ही गम्भीर विषय है राजस्थान प्रदेश का, कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश को विकसित करने और विकास की दिशा में गति आगे बढ़ाने के लिए हम सबको सबसे पहले सुरक्षा और व्यवस्था की आवश्यकता है और वह कार्य पुलिस प्रशासन हमारे प्रदेश में करता आ रहा है। हम सब लोगों को इस बात पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है कि कानून व्यवस्था और अनुसंधान में किस तरीके से वर्तमान में सुधार करने की आवश्यकता है। पुलिस प्रशासन

(श्री मनोज कुमार)

उच्चाधिकारियों के लेवल पर पूरी मानीटरिंग हो, उनके द्वारा जो निर्देश दिये जाते हैं, उनकी पालना हो। मैं दो-तीन बातें सुधार की जरूर कहूंगा।

सबसे पहली बात यह है कि अनुसंधान और लॉ एण्ड आर्डर, कानून में दो गम्भीर विषय हैं। पुलिस प्रशासन के पास नफरी की बहुत बड़ी कमी है। कमी होते हुए भी दोनों काम पुलिस को दिये जा रहे हैं जिसमें अनुसंधान भी वही अधिकारी कर रहे हैं और लॉ एण्ड आर्डर को भी वहीं मेनटेन कर रहे हैं और पुलिस की ड्यूटी इतनी ज्यादा हो गयी कि पुलिस के बिना सामान्य जीवन यापन करना लोगों का मुश्किल हो गया इसलिए पुलिस पूर्णत: हमेशा उसी में लगी रहती है इस बात पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है कि इसको कैसे दो टुकड़ों में बांटकर अनुसंधान और लॉ एण्ड आर्डर को हम सम्मिलित करें।

एक मैं कहना चाह रहा हूं कि जो अनुसंधान की श्रेणी है पुलिस की, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आईओ, अनुसंधान करने वाला पहली बार अनुसंधान करता है और अन्तिम स्टेज तक उसकी तफ्तीश बार-बार जब भी चेंज होती है तो उसमें कहीं न कहीं उन्नीस-बीस का फेरबदल हो तो बात समझ में आती है लेकिन उन्नीस से बीस नहीं, दिन और रात का अगर फर्क होता है तो कहीं न कहीं पहले वाला आईओ, जिसने अनुसंधान किया है, दूसरा अधिकारी, उसका अनुसंधान करने के बाद उसके विपरीत दिशा में जाता है तो उस दूसरे अनुसंधान अधिकारी की ड्यूटी बनती है कि वह पहले वाले अनुसंधान अधिकारी की सारी कमियों को लिखे उन कमियों पर उच्चाधिकारी उसके खिलाफ एक्शन लें कि इस तरीके का अनुसंधान आपने किस आधार पर किया और गलत है तो उन दोनों आईओ के बीच जो सुधार करने की जरूरत है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है।

इसके साथ ही पुलिस के पास अनुसंधान का बड़ा वीटो पावर हो गया है माननीय गृह मंत्री महोदय। पुलिस अनुसंधान में जो लाइन लिख दे, जिसको अपराधी मान ले, जिस धारा में वह धारा जोड़ दें, उसके अलावा दूसरा कोई विचार आईओ के पास नहीं है। आईओ अनुसंधान करने की जो परिस्थिति है, मैं कहता हूं कि उस अनुसंधान को वर्तमान परिवेश में छोटे-छोटे अपराध हों, चाहे बड़े हों, उसमें क्रिमिनल तय करना उन्होंने शुरू कर दिया है।

किस धारा की तोड़ने की क्या कीमत है, किस अपराधी का नाम

(श्री मनोज कुमार)

निकालने की क्या कीमत है, अपराधी तय करता है कि अनुसंधान किस बेस पर होगा। तो इसलिए मैं गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस तरह की मानीटरिंग करने की जरूरत है।

इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन के पास संसाधन का बड़ा अभाव है। अपराध करने वाला अपराधी फार्चूनर से कम गाड़ी में नहीं आता। उसके पास ए नम्बर के हथियार जो होने चाहिए, हैं और हमारी पुलिस के पास हथियार, ज्यादा से ज्यादा पिस्टल को लेकर घूमते हैं। अपराधी दस-दस आते हैं और दस के पास हथियार होते हैं लेकिन पुलिस के पास हथियार की व्यवस्था ए.के. 47 की उपलब्धता ज्यादा से ज्यादा इस प्रदेश में हो क्योंकि क्राइम को रोकने के लिए हथियार उनके मुकाबले में हों। गाड़ी, कम से कम जहां सीमा के क्षेत्र हैं वहां इनके पास भी उनके मुकाबले में गाड़ी ऐसी हो जो उनको पकड़ने में सक्षम हो, जिससे हमारे यहां अपराध को रोकने में वे कामयाब हों।

माननीय सभापति महोदय, संगठित अपराध बहुत बड़ा मामला हो गया। भूमि पर कब्जा करना, मन्थली वसूलना, चौथ वसूली करना, भूमि पर कब्जा करते हुए भयभीत करके लोगों से पैसा वसूलने का काम संगठित अपराधी कर रहे हैं। जेल की भी, इसमें साथ जोड़ते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि संगठित अपराधी और हार्डकोर अपराधियों की एक गैंग बन जाती है, दस-दस लोग एक साथ जेल में चले जाते हैं, वे वहां इतनी यातनाएं देते हैं, यह संगठित और गैंग के लोग जब जेल में जाते हैं तो, गृह मंत्री महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इनको सैपरेट करो, इनको अलग-अलग जेलों में रखो क्योंकि एकजुट होकर के, संगठित होकर के ये अपराध नहीं करें। इनके संगठन को तोड़ने का काम करो जिससे यह अपराधी एकजुटता में और एक साथ संगठित होकर अपराध न करें।

अपराध से पूर्व पुलिस की धरातल पर जो स्थिति है, माननीय गृह मंत्री महोदय, वह बात बताना चाहूंगा। प्राथमिक जब अपराध होने की स्थिति होती है, छोटी घटनाएं होती हैं, लोग, पीड़ित व्यक्ति थाने जाते हैं तो पुलिस उनकी बात को नजरअंदाज करती है, उनकी बात को सुनती नहीं है और उस पर कोई गम्भीरता से विचार नहीं करती है इसलिए बड़े अपराध हो जाते हैं। इसलिए शुरुआत में जब भी किसी अपराध की पुलिस को सूचना मिले तो

(श्री मनोज कुमार)

तुरन्त उस पर एक्शन ले, एक बार मौके पर पुलिस पहुंचने का प्रयास करे और वहां की पूरी स्थिति का अवलोकन करे, उसके बाद उसको रोकने का प्रयास करे।

इसके साथ ही एक बड़ा खेल जयपुर में पुलिस ने पकड़ा, बहुत गम्भीर विषय था ब्लैकमेलिंग का। यह विषय भी बहुत बड़ा हो गया, साहब। महिलाओं को साथ मिलाते हुए बड़े गैंग बन गये और अपराध करने के लिए इतने बड़े सक्रिय हो गये कि किसी न किसी व्यक्ति को फोन के माध्यम से, वाट्स एप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जोड़कर उनके साथ ब्लैकमेलिंग करते हैं, दस-दस, बीस-बीस लाख रुपये मांगते हैं। जयपुर की पुलिस ने एक बहुत बड़ी गैंग पकड़ी, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं। इस तरीके से झूठे मुकदमे दर्ज कराकर जो पैसे वसूलने का काम है इसका गम्भीरता से अनुसंधान किया जाए, निर्दोष लोगों को ये जेल में नही भेज सकें।

पुलिस के साथ अपराधियों का सम्बन्ध। धरातल पर छोटे थाने की जो स्थिति है वहां अपराधियों का पुलिस के जवानों के साथ बहुत बड़ा सम्बन्ध रहता है। माननीय प्रहलाद जी गुंजल ने कहा, वही बात कहना चाहता हूं। अवैध शराब का काम, अवैध लकड़ी का काम, ओवर लोड वाहन का काम, जुए सट्टे जितने भी चल रहे हैं, साहब, पुलिस की मन्थली के बिना एक भी कार्य नहीं चल सकता और यह सारे के सारे कार्य पुलिस की देखरेख में चलते हैं। इसकी मानीटरिंग गम्भीरता से करें जिससे आपके 20 परसैंट अपराध जो पुलिस की शैली के कारण होते हैं, रुक जाएंगे। आपके अपराध घट जाएंगे और बड़े अपराध होने से रुक जाएंगे।

इसके साथ ही वर्तमान में नाबालिग लोग जिस तरीके से अपराध कर रहे हैं, एक गैंग बन गयी, 16 से 18 साल के लोग उनको संचालित करते हैं, उनसे ही अपराध कराते हैं, मर्डर उनसे कराते हैं, फिरौती उनसे मंगवाते हैं, गोली उनसे चलवाते हैं और वह लोग नाबालिग का लाभ लेते हुए बाद में तुरन्त मुक्त हो जाते हैं। इसलिए उम्र घटाने का प्रस्ताव हमारे सदन लें कि इनकी उम्र 18 साल की बजाय 16 साल से भी कम की जाए और सैन्ट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा जाए। नाबालिग अपराधी इस तरीके का अपराध करते हैं जो आप सोच नहीं सकते इसलिए इन अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए।

(श्री मनोज कुमार)

इसके साथ ही पुलिस थाने में जो ब्लाइंड मर्डर हो जाते हैं, उन ब्लाइंड मर्डर पर पुलिस का कहीं कोई अनुसंधान नहीं होता। एक दिन, दो दिन बाडी रहती है, उसकी अख़बार में फोटो छाप देते हैं, तीसरे दिन उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। ये ब्लाइंड मर्डर आपके राजस्थान में कहीं नहीं खुल रहे, माननीय गृह मंत्री महोदय। ऐसी एक विशेष टीम बनाएं जो पूरे राजस्थान लेवल पर इसको देखे कि जो-जो ब्लाइंड मर्डर हो गये उनका किस तरीके से अनुसंधान किया जा सकता है, उन लोगों को न्याय मिल सके।

इसके साथ ही एक गम्भीर विषय पर माननीय गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आयुध अधिनियम, 1969, माननीय सभापति महोदय, आप भी कानून के अच्छे तरीके से जानकार हैं। अवैध हथियार का सिवाय आदमी की जान लेने के, सिवाय आदमी को भयभीत करने, सिवाय लूट के, डकैती के, दूसरा कोई उपयोग नहीं है। उसके लिए कानून में ऐसी धारा है, सज़ा मात्र तीन साल की है, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से एन.डी.पी.एस. एक्ट में पोस्त खाने वाला व्यक्ति 50 साल भी खाये तो नहीं मरता है लेकिन उस कानून में प्रावधान है दस साल की सज़ा, एक लाख रुपये का जुर्माना, जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए सदन प्रस्ताव लेकर सैन्ट्रल गवर्नमेंट को भेजे कि आर्म्स एक्ट में संशोधन किया जाए और अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों की सज़ा कम से कम दस वर्ष हो, जमानत का कोई प्रावधान नहीं हो, उनकी पूरी ट्रायल हो। मैं कहता हूं कि 50 परसेंट अपराध और हथियार के माध्यम लोगों को भयभीत करने वाली स्थितियां, इन लोगों पर रोक लग जाए, अपराध करने से पहले इन लोगों पर नियंत्रण हो जाए और इनकी सज़ा हो जाए।

इसके साथ ही, माननीय गृह मंत्री महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो बात और कहूंगा। मेरा विधान सभा क्षेत्र सीमा पर है, अपराध बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए एक प्रस्ताव मेरे जिला मुख्यालय से आया है कि आप वहां एस.ओ.जी. की एक टीम, क्यू.आर.टी. की हथियार सहित एक टीम बना कर मेरे चूरू जिले में आपके एक एडिशनल एस.पी. आफिसर एस.ओ.जी. लेवल का, अधिकारियों की टीम बनाकर उस सीमा पर लगाया जाए जिससे हमारे वहां हरियाणा सीमा से आने वाले अपराधी अपराध नहीं कर पाएं।

इसके साथ राजगढ़ में जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, अपराधियों

(श्री मनोज कुमार)

की संख्या बढ़ रही है, वहां एक सदर पुलिस थाना और स्थापित कर दें तो क्राइम पर बहुत बड़ी रोक हो सकती है।

इसके साथ ही मैं आपके द्वारा किये गये अनुसंधान का बताना चाहूंगा। आपने एक यहां से मुकदमा दर्ज करने का आदेश किया था 4 जनवरी को और आपके आदेश के बाद आज दिनांक तक, यह आपका डिस्पैच नम्बर 78 है और हनुमानगढ़ का मामला है, गृह मंत्री महोदय, लेकिन आज दिन तक उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो ऐसे विषय को आप गम्भीरता से दिखाएं क्योंकि इस तरीके से अगर आपके यहां से जाने के बाद भी पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करे तो इससे बड़ा गम्भीर और कोई इश्यू नहीं हो सकता।

इसके साथ ही, माननीय गृह मंत्री महोदय, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि पुलिस में शिकायत करने के बाद आपकी जांच उच्चाधिकारी वापस लौटाकर उसी तरीके से, यहां से लिखते हैं एस.पी. साहब को, एस.पी. साहब वहां के एस.एच.ओ. या डिप्टी को लिख देते हैं, जब शिकायतकर्ता सम्बन्धित थाने से शिकायत करता है, सम्बन्धित क्षेत्र की शिकायत करता है तो मैं कहता हूं उसकी जांच कहीं बाहर के अधिकारी से करायी जाए और उसी थाने में वह जांच न दी जाए जिससे शिकायतकर्ता को प्रताड़ित न करें और जांच भी सही हो जाए।

ए.सी.बी. में बहुत परिवाद हैं, बहुत-सी संख्या में परिवाद एक-एक साल तक, छह-छह महीने तक पड़े रहते हैं, शिकायतकर्ता के पास कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट नहीं जाती ए.सी.बी. की। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो शिकायतकर्ता ए.सी.बी. में शिकायत करता है उसकी प्राथमिकी दर्ज हो जाती है या परिवाद के रूप में रहता है तो जांच के बाद शिकायतकर्ता को उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट की प्रति जानी चाहिए कि आपकी इस शिकायत के बाद इस जांच में हमने यह पाया और आपको अगर इसके बाद और भी कुछ कहना है तो आप एक बार उपस्थित हों, वह चीज की जानकारी रहे।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): इसके साथ ही, होम गार्ड्स का बहुत बड़ा मामला है। होम गार्ड के लोग आपसे बार-बार मांग कर रहे हैं, 31 हजार होम गार्ड के लोग हैं, साहब। गृह मंत्री महोदय, आपने ही एक आश्वासन दिया था आयोग के द्वारा इनका वेतन बढ़ाने की बात हुई, इनको 12 महीने तक

(श्री मनोज कुमार)

रोजगार देने की बात हुई, दो बार सरकार से इनकी वार्ता हो चुकी है लेकिन इनका कोई समाधान आज तक नहीं निकला और सुप्रीम कोर्ट तक भी उनको यह आदेश दे दिया कि पुलिस के समान वेतन दिया जाए। तो भी आपने अभी तक नहीं दिया।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय गृह मंत्री महोदय, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन 31 हजार होम गार्ड्स पर आप चिंतन करें। चिंता कर इनका स्थाई रोजगार करें, इनकी जो डिमांड्स हैं उन पर आप गम्भीरता से चर्चा करें।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): एक बात और कहूंगा। पुलिस के द्वारा एक चिंता जाहिर की गयी है, मेरे पास ज्ञापन आया लेकिन मैं समझ कर चिंतित हूं पुलिस लाइन में जो मैस चलती है, माननीय गृह मंत्री महोदय, उसका निश्चित अंतराल के बाद निर्वाचन होता है लेकिन वहां भी लोगों ने उसके खाने में भी भ्रष्टाचार करने का प्रयास कर लिया, उनका समय पर निर्वाचन नहीं होता है। एक ही प्रकार के लोग लगातार मैस को चलाते हैं जिससे वहां के सारे कांस्टेबल चिंतित हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): इसलिए आप मैस में समय पर निर्वाचन कराएं, मैस के खाने की जांच कराएं। जिससे यह जवान जिस तरीके से ड्यूटी करते हैं, उनका खाना उससे भी बेहतर हो।

दो बात कारागार पर और कह देता हूं।

श्री सभापति: एक मिनट में पूरा करें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ठीक है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कारागार के बारे में दो-तीन बात कहूंगा। एक तो आपका मोबाइल है, जेल पर जो ड्यूटी करने वाले कर्मचारी रहते हैं उनकी मिलीभगत के बिना कोई भी अवैध सामग्री, गृह मंत्री महोदय, नहीं जा सकती जेल के अन्दर।

वे सारे के सारे लोग पैसे लेकर अवैध सामान पहुंचाने का काम करते

(श्री मनोज कुमार)

हैं, इसकी कैसे मानिटरिंग की जा सकती है। ये लोग व्हाट्सएप और मोबाइल के माध्यम से जेल में बैठे-बैठे गैंग चलाते हैं, इनको आप रोकने का प्रयास करें, जिससे ये जो अपराध करते हैं, उसको रोका जा सके। ये सारी गतिविधि अन्दर से चलाते हैं। जैमर जहां लग भी गये, उसके बाद जैमर लगने वाली जेलो में भी अगर मोबाइल मिलते हैं और वे काम करते हैं तो इस पर तो आप तुरन्त प्रभाव से एक्शन लें कि जहां जैमर लगे हुए हैं, उन पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही?

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हार्डकोर अपराधियों का मैंने बता दिया है। इसके साथ ही मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए आपकी जो सजग निगरानी है, उसके लिए आपका धन्यवाद, लेकिन इस अपराध की प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमें हमारे पुलिस महकमे में धरातल पर चिंतन करना पड़ेगा। आपके पुलिस थानों से ही अपराध ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए उन पुलिस के एसएचओ

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और वहां के जो कान्स्टेबल लगे हुए हैं, उन पर नियंत्रण किया जाए। आपने मुझे समय दिया, जय हिन्द, जय भारत। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य अजीत सिंह जी।

श्री अजीत सिंह (टोंक): माननीय सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या 16-पुलिस और मांग संख्या 17-कारागार पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज हम पुलिस की इस मांग पर, पुलिस के बारे में आम आदमी पर विश्वास और अपराधियों में भय, यह बात बहुत स्पष्ट है कि पुलिस का काम केवल अपराध नियंत्रण नहीं है। समाज में कई प्रकार की व्यवस्था बनाना भी अब पुलिस का काम हो गया है। माननीय सभापति महोदय, पुलिस आज की व्यवस्था नहीं है, पुलिस इतने टाइम से चाहे वह राजाओं की पुलिस रही हो, चाहे वह मुगलों की पुलिस रही हो, चाहे आज के शासन व्यवस्था की पुलिस रही हो, आज हम कह सकते हैं पुलिस का काम इतना बढ़ गया है कि चाहे गतिविधियां आपराधिक हों, चाहे नकारात्मक हों या सकारात्मक हों, समाज की सरकार के रूप में देखी जाती हैं।

(श्री अजीत सिंह)

आज मैं इस अवसर पर माननीय गृह मंत्रीजी का, जो इस विभाग के मुखिया हैं, एक ईमानदार पर्सनलिटी के धनी हैं, जिन्होंने राजस्थान में कानून-व्यवस्था को जमीन पर उतारने का काम किया है। कोई भी व्यक्ति, कभी भी फरियाद लेकर उनके पास जाता है, कोई अपने क्षेत्र की समस्या लेकर जाता है, मैं कह सकता हूं कि उन्होंने न्याय करने में, कोई कार्यवाही कराने में कभी कोई भेदभाव नहीं किया, इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्रीजी का आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने 80 हजार पुलिसकर्मियों का मैस भत्ता बढ़ाने का काम किया है।

आपने निश्चित ही पुलिसकर्मियों का मैस भत्ता बढ़ाकर एक बड़ा काम किया है, लेकिन मैं माननीय गृह मंत्रीजी, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जो वहां पर कच्चा लांगरी है, जो वहां भोजन बनाता है, उस ने क्या अपराध किया है, जो उसको 5200 रुपए तीन साल से मिलते आ रहे हैं, उसको क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, जबकि वह सारे पुलिस कर्मचारियों के भोजन की व्यवस्था करता है। उस कच्चे लांगरी के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। महंगाई बढ़ गई है, इन सबके बारे में हम सोचते हैं तो उस कच्चे लांगरी के बारे में भी विचार करके उसका भत्ता बढ़ाने का भी काम हमें करना चाहिए। उसके परिवार को राहत देने के बारे में भी हमें सोचना चाहिए।

अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले हमारे माननीय कानून की बात को लेकर हमारे ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे थे, माननीय सभापति महोदय, मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि जब 3 हजार सिखों का नरसंहार किया गया था, जब लाखों लोगों को इमरजेंसी में जेल में डालकर शासन व्यवस्था को पंगु बनाकर अपने आपको स्थापित करने का काम किया था, कानून को जेब में रखकर सरकार चलाने का काम किया था, आज वे हमें कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। मैं आज कह सकता हूं, हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को जमीन पर उतारने का काम कर रही है, आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति को कैसे न्याय दिला सकते हैं, इस बात की चिंता आज हमारी सरकार कर रही है।

माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपसे कुछ एकाध-दो छोटी बातें अपने क्षेत्र के बारे में करना चाहता हूं। आज हमारे प्रदेश की 7 करोड़ से ऊपर की आबादी

(श्री अजीत सिंह)

है, मैं यह जानता हूं कि थानों में मुश्किल से 5 परसेंट से ज्यादा लोगों को जाने का अवसर नहीं मिलता। 95 परसेंट लोगों को तो पुलिस के बारे में बाहर से जो राय मिलती है, उससे ही वे अपनी राय को व्यक्त करते हैं। इससे ज्यादा उसको समझ नहीं है, मैं यह भी जानता हूं। इतना जरूर कहना चाहूंगा माननीय गृह मंत्रीजी, कि हमारे क्षेत्र में, चाहे अभी सबने कहा कि पुलिस की जो छवि है, उसे बेहतर बनाने का एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आज भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि पुलिस की छवि को और बेहतर किया जाए। यह बात सही है कि आज पुलिस संरक्षण के अन्दर, चाहे सट्टे का काम हो, चाहे शराब का काम हो, चाहे नशे की दवाइयों के वितरण का काम हो, अभी मेरे टोंक में हुक्का बार पकड़ी गयी थी। जब पुलिस को पता है कि ये सब चीजें चलती हैं तो क्यों नहीं रोका जाता? मेरे टोंक के अन्दर जब 8 बजे बाद शराब की दुकानें बंद हो जाया करती हैं, मोटरसाइकल पर 18-18 साल के लड़के गाड़ी में शराब रखते हैं और उनको होम डिलिवरी दिया करते हैं। क्या पुलिस को पता नहीं होता?

हमने हमारे विधायक कोष से 20 लाख रुपये लगाकर सीसीटीवी कैमरे टोंक में लगाए हैं। उसके बावजूद भी आज टोंक में अवैध रूप से पत्थरों का खनन होता है। ट्रैक्टर उस रास्ते पर जाते हैं, कभी किसी ने एक ट्रैक्टर पकड़ने का काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब बजरी पर बैन लगाया, टोंक में सैकड़ों ट्रैक्टर एसपी के बंगले, कलक्टर के बंगले के सामने से निकलते हैं, क्या कभी इस बात की चिंता नहीं की गयी? मैं कहता हूं बजरी के इस अवैध धंधे पर अगर आपने अंकुश नहीं लगाया, शिकंजा नहीं कसा तो बौंली जैसी घटनाएं राजस्थान में अनेकों हो जाएंगी, इस बात पर आपको आज चिंता करने की आवश्यकता है। क्योंकि अपराध कैसे बढ़ेगा, अभी मेरे टोंक के हीरा चौक में हिन्दू-मुस्लिम विवाद हो गया था। मैं माननीय गृह मंत्रीजी, आपकी पुलिस का आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि सही समय पर पुलिस वहां पहुंची और उसकी वजह से टोंक शहर का सांप्रदायिक दंगा होने से रोकने का काम आपकी पुलिस ने किया है, निश्चित रूप से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, पुलिस को बधाई देना चाहता हूं। मैं भी आधे घंटे बाद उस घटना स्थल पर पहुंचा था, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुलिस ने जिस तरह की कार्यवाही की थी, जिस तरह की व्यवस्था की थी, समाज को समझाने का

(श्री अजीत सिंह)

काम किया था। लेकिन माननीय गृह मंत्रीजी, कहीं न कहीं इस बात को हमको तय करना पड़ेगा कि आज बैंड-बाजे बजे, डीजे बजे, इसको लेकर दंगे कर लिए जाएं? कानून में क्यों प्रावधान नहीं करते? इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती कि वे लोग हमारे समाज के लोगों के साथ जो बारात जा रही थी, उनके साथ मारपीट कर रहे थे। डीजे बजाना कौन-सा अपराध है? कहीं न कहीं इसको कानून के दायरे में लाना पड़ेगा।

हमारे टोंक में यह पहली घटना नहीं है। छावनी की घटना में भी दंगा टोंक में हुआ था और एक व्यक्ति मस्जिद में मर गया था। उसके बाद अभी 6 महीने पहले धन्ना तलाई में डीजे को लेकर झगड़ा हुआ और महिलाओं के साथ मारपीट की गयी। यह आठवां-दसवां झगड़ा है, जो डीजे को लेकर हुआ। माननीय गृह मंत्रीजी, कहीं न कहीं कानून में इसका प्रावधान करिए। क्यों डीजे नहीं बज सकता मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने? क्यों लोग खुशी नहीं मना सकते, अपने गीत नहीं गा सकते? क्या आवश्यकता पड़ गयी कि लोग कानून हाथ में ले लेते हैं और उसके बाद ऐसे लोगों की पैरवी कांग्रेस के लोग करने चले आते हैं? इससे ज्यादा पीड़ा हमें हो नहीं सकती।

मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आप लोग न्याय की बात करें, अपराधी का संरक्षण नहीं करें, लेकिन ऐसे लोगो की आप पैरवी करेंगे तो समाज में कानून की ताकत कभी बढ़ नहीं सकती। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्रीजी, सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण कैसे रहे, मैं यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक घटना नहीं घटी। गृह मंत्रीजी, आपकी अनुशासनप्रिय प्रणाली को कहीं न कहीं हमने राजस्थान में लागू करने का काम किया है, लेकिन हम इस प्रदेश में इस बात की चिंता करें कि डीजे जैसी चीज से सांप्रदायिक दंगे कैसे भड़क जाएं, समाज आपस में लड़ने लग जाए, क्यों इसमें कानून का प्रावधान नहीं करते?

मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो डीजे बजने पर दूसरे समाज के लोगों पर आक्रमण करते हैं, उनको कहीं न कहीं सख्ती से जेल में डालने का काम करना चाहिए, सख्ती से कानून बनाने का काम करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, हमारे समाज की बच्ची को गैर-समाज का व्यक्ति लेकर चला जाए,

(श्री अजीत सिंह)

इसमें सख्ती से कानून बनाने की आवश्यकता है। मेरे टोंक जैसे क्षेत्र में हिन्दू-मुस्लिम समाज बराबर की संख्या में रहता है, वहां कहीं न कहीं सांप्रदायिक वातावरण बिगड़ने की स्थिति बनती है, आपको कहीं न कहीं इसे देखना पड़ेगा। कानून के दायरे में आज लाने की आवश्यकता है। क्यों हम इस बात की चिंता नहीं करें? ये छोटी-छोटी बातें समाज का वातावरण बिगाड़ने का काम करती हैं। आज सभ्य समाज में सबको जीने का हक है, हर समाज को अपनी प्रतिष्ठा के साथ जीने का मौका मिलना चाहिए।

आज मैं इस अवसर पर एक बात का और निवेदन करना चाहता हूं, हर जिले में आपने ट्रैफिक में इंस्पैक्टर की पोस्ट दे रखी है। मेरा टोंक जिला अन्य जिलों की अपेक्षा बड़ा जिला है, उसके बावजूद भी आज एएसआई की पोस्ट वहां पर ट्रैफिक इंचार्ज के रूप में है, जबकि टोंक की देश के अन्दर एक एक्सीडेंटल जिले की पहचान है। टोंक सबसे बड़ा और पहला जिला है जहां देश में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे एक तो इंस्पैक्टर की पोस्ट हो, एक वहां पर नफरी बढ़ाई जाए। आज वहां वाहन बढ़ रहे हैं, हमारे जिले के अन्दर ट्रैफिक के लिए कहीं पर भी व्यवस्था नहीं है, इस बात की भी चिंता करने की आपको आवश्यकता है। एक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस थानों में रिसेप्शन पर, बिलकुल निश्चित एक बात कही थी कि ऐसे ट्रैन्ड लोग बैठें, ऐसी काउंसलिंग करे हुए लोग बैठें कि वे वहां आने वाले व्यक्ति के साथ अच्छी तरह बात कर सकें। आप कहीं न कहीं बजट की व्यवस्था करिए।

थानों के अन्दर आने-जाने वाले व्यक्ति को चाय पिलाइए, उससे बात करिए। अब आपके पास थानों के लिए, सीआई के लिए बजट का प्रावधान नहीं है। कहीं न कहीं आपको बजट का प्रावधान करना चाहिए। मैं आज भी कह सकता हूं कि थानों के अन्दर डीवाईएसपी लेवल के लोग तो आज भी सभ्य तरीके से बात करते हैं, लेकिन सीआई लेवल का व्यक्ति गाली-गलौच करके एक आम आदमी से बात करता है, कान्स्टेबल की तो कहना ही बहुत दूर की बात है। इस बात को आपको और हमको समझना पड़ेगा। छोटी-छोटी बातों के माध्यम से हम समाज के अन्दर समरसता का वातावरण लाना चाहते हैं, आम आदमी को भयमुक्त करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं थानों के अन्दर मानीटरिंग करके, सीसीटीवी कैमरे लगाकर करना चाहिए और उनके लिए बजट का भी आपको और हमको प्रावधान करना चाहिए।

(श्री अजीत सिंह)

एक आप सिपाही को जो वर्दी देते हैं उसका कपड़ा इतना हलका है कि कितने ही कांस्टेबल हमसे मिलते हैं और लोग कहते हैं कि कपड़ा इतना हलका है कि उसका उपयोग वर्दी में नहीं होता। तो क्यों नहीं आप उनको मानदेय देकर, पैसा देकर वर्दी खरीदने का अवसर दे दिया जाए ताकि उसका उपयोग सही तरीके से हो जाए इस बात की भी आपको चिंता करनी चाहिए।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री अजीत सिंह (टोंक): गृह मंत्रीजी, आजकल एक बात और देखने में आती है कि चाहे सड़क का झगड़ा हो, चाहे नाली का झगड़ा हो, चाहे खेत की मेड़ का झगड़ा हो, चाहे आपस में किसी भी बात का झगड़ा हो तो महिला ही मुकदमा दर्ज कराती है और यह इस प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या हो गयी है। महिलाओं के द्वारा मुकदमा दर्ज कराने से आम आदमी जो झूठे मुकदमों की वजह से प्रताड़ित होता है इसके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि आप प्रदेश के मुकदमों के आंकड़े उठाकर देख लीजिये, मैग्जिमम अपराधों के अन्दर महिलाओं के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया जाता है। यह कहां तक सही है? जब पुलिस थानों को पता है, सी.आई. को पता है, डिप्टी को पता है कि यह मुकदमा झूठा हो रहा है लेकिन महिला दर्ज करा रही है तो करना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इसके अन्दर कहीं न कहीं हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसे झूठे मुकदमे दर्ज नहीं हों और जिसने अपराध किया है उसको निश्चित सज़ा मिलनी चाहिए।

मैं, आपके द्वारा, आपकी पुलिस के द्वारा और हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार गृह विभाग में 5718 पदों की आपने भर्ती निकाली है, आपने पुलिस फोर्स के लिए 210 नये वाहन खरीदने के लिए 7 करोड़ का प्रावधान किया है और पुलिस विभाग के प्रशासनिक एवं आवासीय भवनों के लिए आपने 164 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। निश्चित रूप से आपने पुलिस व्यवस्था को सुधारने का काम किया है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह परमेश चन्द्र समिति की रिपोर्ट कब आएगी, चार साल तो हो गये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बरवास थाना खुलना चाहिए जो अभी टोडा के अन्दर आता है। उसकी 25 किलोमीटर की दूरी है तो अपराध तो अपने आप ही बढ़ेंगे। जब वहां पर पुलिस ही नहीं पहुंचेगी तो अपराध बढ़ने से कौन रोक सकता है। मैं आपसे विनम्र

(श्री अजीत सिंह)

निवेदन करता हूं कि आप बहुत बड़े ह्रदय के व्यक्ति हैं और मैं जानता हूं कि आप अपनी बात को माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहेंगे। आपकी बात वह टाल नहीं सकतीं क्योंकि हम जानते हैं, सामने वाला कुछ भी कहे। हमारे लिए तो आप इस सरकार के दूसरे नम्बर के व्यक्ति हैं और हमारी बात को आप रखते हैं, आपके पास जाते हैं तो आप सुनते हैं। इसलिए विश्वास है कि आप हमारे बरवास क्षेत्र में थाना खुलवाएंगे क्योंकि उप तहसील वह बन चुकी है। वहां से 25 किलोमीटर दूर टोड़ा पड़ता है, वहां से जब आते हैं तो अपराधी अपने आप भाग जाता है और न्याय नहीं मिल पाता इसलिए आप परमेश चन्द्र कमेटी की रिपोर्ट को जल्दी लागू कराकर बरवास में थाना खोलकर इस बजट में कहीं न कहीं देने की कोशिश करेंगे तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री अजीत सिंह (टोंक): सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। आज ए.सी.बी. की हम बात करते हैं, आज हम करप्शन फ्री कंट्री की बात कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपसे आज ए.सी.बी. के बारे में कहना चाहता हूं कि करप्शन फ्री कंट्री की बात जब देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने की है, आपके ए.सी.बी. के अन्दर डी.जी. को ही पावर है कि वह चालान करे या एफ.आर. लगाये और नीचे आई.जी. तक के लोगों को थानेदार से ज्यादा अधिकार नहीं हैं। क्यों नहीं अधिकार बढ़ाने का आप काम करते हैं? आज ए.सी.बी. में एक मुकदमा 313/14 दर्ज है जिसमें जान-बूझकर चालान पेश नहीं किया जा रहा है, छबड़ा के एक्स एमएलए के खिलाफ ये चालान पेश नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण है, क्यों नहीं करते? इसलिए इस ए.सी.बी. को भी कहीं न कहीं सशक्त बनाने का काम करें, अगर यह सशक्त नहीं होगी और डी.जी. लेवल पर निर्णय होने लगे तो नीचे के स्तर पर जो भी मुकदमे होंगे वे ले-देकर वहीं समाप्त हो जाएंगे। व्यवस्था के अन्दर परिवर्तन की आवश्यकता है, इस काले कानून को खतम करने की आज आवश्यकता है, जो पुरानी व्यवस्था है इसको खतम करने की आवश्यकता है इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आपने राजस्थान की पुलिस के अन्दर बहुत नवाचार किये हैं, बहुत परिवर्तन किया है। आम आदमी में विश्वास और अपराधी में भय पैदा करने का आपकी पुलिस ने काम किया है और विशेषकर मेरे टोंक की पुलिस ने जो बहुत बड़ा साम्प्रदायिक दंगा होने से रोका है उसके लिए मैं आपको भी बधाई देता हूं। धन्यवाद, जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय अजीत सिंह जी। माननीय सदस्य श्री शंकर सिंह जी रावत।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16 और 17 पर बोलने की आपने अनुमति दी है उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

सभापति महोदय, आज पुलिस के ऊपर जिन-जिन वक्ताओं ने अपनी बात कही है, वास्तव में हमारी सरकार आने के बाद माननीय गृह मंत्री महोदय ने सुधार के लिए जितने भी प्रयत्न किये हैं वह बहुत प्रशंसनीय हैं और उसमें मेरे भी कुछ सुझाव मैं जरूर देना चाहूंगा।

आज हमारी पुलिस की जो भर्ती निकलती है उस भर्ती के अन्दर यहां के नौजवानों की प्रत्येक जिले की मैरिट न बनकर पूरे राजस्थान लेवल पर मैरिट बनाई जाती है, उसमें भी सुधार होना चाहिए और प्रत्येक जिले की अगर मैरिट बने तो क्षेत्र के लोगों को अलग-अलग जगह पर निश्चित तौर पर जगह मिलेगी।

अपराध को कम करने के लिए माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिस प्रकार काले कांच करके अपराधी निकलते हैं, उन काले कांच वाली गाड़ियों पर रोक लगनी चाहिए। कई जगह पुलिस के अधिकारियों की गाड़ियों पर भी काले कांच रहते हैं, पुलिस के थानेदार, सिपाही भी काले कांच करके घूमते हैं तो नियम सबके ऊपर लागू होने चाहिए। काले कांच की गाड़ी का कोई यूज नहीं करे और उस फिल्म को उतरवाना चाहिए ताकि अपराधी उसमें जा नहीं पायें।

दूसरा सुझाव यह है कि मुंह के ऊपर कपड़ा बांधकर चलने पर निश्चित तौर पर रोक लगनी चाहिए। आज चाहे मोटर साइकिल के ऊपर हो, चाहे कारों के अन्दर हो, कहीं पर भी मुंह बांधकर चलने वालों में अपराधी जा रहा है या कौन जा रहा है, जितनी भी जो घटनाएं घटती हैं, उसी से घटती हैं इसलिए इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। चाहे रात के टाइम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं पर आपके मकानों या सिटी के अन्दर मकान के सामने जो अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं तो 5-5 गाड़ियों के एक साथ अपराधियों के द्वारा कांच तोड़कर चले जाना और पकड़े नहीं जाना जबकि सीसीटीवी कैमरे के अन्दर निश्चित तौर पर वे पूरे नजर आ रहे हैं लेकिन उनका फेस पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि मुंह पर कपड़े बंधे हुए थे। माननीय सभापति महोदय, मेरा

(श्री शंकर सिंह रावत)

आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब वह जवाब देंगे तो निश्चित रूप से इसके सुधार के लिए आज घोषणा करेंगे कि पूरे राजस्थान में मुंह पर कपड़ा बांधकर चलने वालों के ऊपर रोक लगनी चाहिए।

ट्रैफिक की व्यवस्था में जवानों को और लगाना चाहिए। आज ब्यावर शहर में ट्रैफिक के नाम पर बहुत ही कम संख्या है इसलिए वहां पर भी सुधार होना चाहिए और संख्या बढ़ानी चाहिए।

माननीय गृह मंत्री महोदय को मेरे सुझाव देना चाहूंगा कि सीएलजी मैम्बर के लिए हमारी सरकार ने मैम्बर बढ़ाने के लिए बताया है तो निश्चित तौर पूर्ववर्ती सरकार के टाइम के बनाये हुए ही सीएलजी के मैम्बर चल रहे हैं इसलिए उसमें भी हमारे लोगों को लिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है।

पुलिस में प्रत्येक व्यक्ति के मुकदमे दर्ज होने चाहिए क्योंकि पीड़ित व्यक्ति वहां आता है और पुलिस वाले उसको कह देंगे कि अभी तो यह मार्च का महीना जा रहा है और जो पुराने हमारे पैण्डिंग केस पड़े हुए हैं उनमें बढ़ोतरी हो जाएगी, संख्या ज्यादा चली जाएगी, कम रह जाएगी। पीड़ित तो सिर्फ चाह रहा है कि मेरा मुकदमा दर्ज हो जाए लेकिन उसमें कहीं पर ढिलाई होती है तो इसके ऊपर भी सख्ती होनी चाहिए कि अनिवार्य रूप से जो भी पीड़ित आया है उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। निर्णय कुछ भी हो, न्यायसंगत जो भी होगा उसके साथ में होगा लेकिन मुकदमा दर्ज हो।

पुलिस में मुकदमों की जांच जो आप कराते हैं इसको गोपनीय तरीके से करानी चाहिए। आज अपराधी को मालूम पड़ जाता है कि मेरी जांच कौन कर रहा है, फलां अधिकारी कर रहा है तो निश्चित तौर पर वह उस अधिकारी के घर पर जाकर उनको पकड़ लेगा और उनके घर पर जाकर उनसे सांठ-गांठ करके जैसा चाहेगा वैसा निर्णय करवा लेगा। मेरा इसमें सुझाव है गोपनीय तरीके से जांच होनी चाहिए ताकि हमारी ईमानदार पुलिस के ऊपर ये भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उन पर लगाम लग सके। ऐसा मेरा सुझाव है कि गोपनीय तरीके से ही जांच होनी चाहिए।

साइबर क्राइम के ऊपर मेरे से पहले वाले भाइयों ने बोला है। निश्चित तौर पर हमारे पुलिस को अच्छे वाहन मिलने चाहिए ताकि अपराधियों की गाड़ियों को पकड़ सकें। साथ ही मुकदमों के अन्दर पुलिस अच्छा काम भी करती है लेकिन कहीं-कहीं पर, जिस प्रकार हमारे ब्यावर के अन्दर पीटा एक्ट

(श्री शंकर सिंह रावत)

का दुरुपयोग हुआ और पीटा एक्ट के दुरुपयोग में 35-35 लड़कियों को नाजायज फंसाया गया था।

(18.00 बजे)

दो दिन के बाद मुझे पता लगा, मैं बाहर था, मुकदमा खुलवाकर हमने वापस जांच करवाई। हमारे गृह मंत्री महोदय को और हमारी मुख्य मंत्री महोदया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका केस विथड्रा हुआ। उनको उस केस में जेल हुई थी, उनकी भी वापस बेल हुई और बाइज्जत बरी होने का काम हुआ। हमारी सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

अभी जैसे बीकानेर और गंगानगर बोर्डर के ऊपर एक पुलिस के जवान ने ऐसी महिला को चौकी पर बैठाकर रखा और जो भी इज्जतदार आदमी की गाड़ी रात में जाती, उसको पकड़कर, उसके साथ फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने का काम कर रहे थे, उसके ऊपर भी हमारी सरकार ने रोक लगायी है। इसका नियंत्रण होना चाहिए। ऐसे पुलिस के जो अधिकारी या कर्मचारी हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दुबारा ऐसा कोई दुस्साहस करने की, पुलिस को बदनाम करने की हिम्मत नहीं हो सके।

हमारी सरकार ने जितने भी काम किये हैं, वह बहुत ही अच्छे और सराहनीय हैं। मैं हमारी राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पुलिस के अन्दर सुधार करने का काम किया है।

हमारी सरकार में और पहले वाली सरकार में बहुत ज्यादा अंतर है। आज हमारे गृह मंत्री ईमानदार आदमी हैं और पूर्व की सरकार के अन्दर मैं कहना चाहता हूं, एयरपोर्ट के ऊपर गृह मंत्री की जेब के अन्दर जिन्दा कारतूस पकड़े जाना, यह कोई गृह मंत्री का काम थोड़े ही है। अब आप तुलना करते हो, साहब, हमारी सरकार आएगी, आपकी जाएगी। आपकी आएगी कैसे? राजस्थान की आम जनता जानती है। ऐसे गृह मंत्री और ऐसे हमारे मंत्री कोई एक भी नहीं मिल सकता है।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): कांग्रेस के तत्कालीन सदस्य के बेटे की दिन-दहाड़े अपहरण होकर हत्या हो जाना और उसके लिए हमारा यहां सदस्य +++ पिछले कार्यकाल में मैं भी था। +++ लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई।

श्री सभापति: धन्यवाद। समाप्त करें। आप तो समाप्त कीजिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): एक मिनट, माननीय सभापति महोदय, सिर्फ एक मिनट लूंगा। आज हमारे किसी भी मंत्री के ऊपर आप पूछ लीजिये, किसी प्रकार का दाग नहीं मिलेगा। यह है हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी की देन और देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदीजी की देन। आपकी सरकार के जैसे नहीं हैं। कोई भंवरी के चक्कर में, कोई कंवरी के चक्कर में, कोई पारसी के चक्कर में, कई-कई लोग जेल में गये हैं, वह आज तक भी जेल से छूटकर वापस नहीं आये। इसलिए आप सपना छोड़ दो। हम वापस जीतकर आएंगे न, तो निश्चित तौर पर यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ही बनेंगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री धीरजजी गुर्जर।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, बात तो बहुत अच्छी कह रहा था, लेकिन जब तक एमएलए की डिजायर पर थानेदार लगेंगे, डीवाईएसपी लगेंगे, तब तक यह भ्रष्टाचार बंद नहीं हो सकता, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये एमएलए खुद ही सोचते हैं कि मेरे कहने से थानेदार लग जाए, मैं भी दो रुपये कमा लूं और इनकी नीयत ठीक नहीं है। अभी तक तो मैंने देखा है तो ये क्यों बेकार के भाषण कर रहे हैं। इनकी नीति और नीयत में अंतर है।

श्री सभापति: श्री धीरज गुर्जर। बैठो बैठो। विराजो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, आज एक ऐसे संवेदनशील विषय पर सदन में चर्चा हो रही है।

श्री सभापति: कृपया सबसे रिक्वैस्ट है, सुनें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): वह जीवन का ऐसा अंग है कि उनके बिना हम जी भी नहीं सकते और ये हमको जीने भी नहीं देते हैं क्योंकि 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरी पुलिस महान। पुलिस की स्थिति ऐसी है। पुलिस अगर नहीं हो तो न हमारी रैलियां हों, न हमारे धरने हों, न हमारे प्रदर्शन हों और जो अपराध हो जाते हैं, उन अपराधों के अन्दर न कमी हो, मैं यह कहना चाहता हूं। लेकिन मैं आज सबसे पहले गृह मंत्रीजी पर कुछ भी कटाक्ष करने से बचूंगा क्योंकि गृह मंत्रीजी बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होने के बाद गृह मंत्रीजी हैं, वह हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे

(श्री धीरज गुर्जर)

पाते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो पुलिस हमारी है, उस पुलिस को रैली भी करवानी है, उस पुलिस को धरने-प्रदर्शन भी करवाने हैं, उस पुलिस को वीआईपी ड्यूटी भी करनी है, उस पुलिस को क्राइम कंट्रोल भी करना है और प्रदेश के अन्दर रात-दिन नये अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों के ऊपर इनको जांच करके कार्यवाही भी करनी है। अगर हम यह चाहते हैं कि लोगों को न्याय भी मिले और कानून व्यवस्था भी सही रहे तो हमें अब यह निर्णय करना पड़ेगा कि इस प्रदेश के अन्दर दो पुलिस व्यवस्थाएं लागू हों। एक पुलिस व्यवस्था तो वह, जो क्राइम को कंट्रोल करे, ड्यूटीज करे, धरने-प्रदर्शन कराए, रैली कराए, कानून व्यवस्था बनाये रखे और दूसरी पुलिस वह, जो होने वाले अपराधों के अन्दर पूर्णतया मन लगाकर अनुसंधान करके सही अपराधी को सामने लाने का काम करे। जब तक यह व्यवस्था नहीं होगी, आज गुजरात के अन्दर जैसे हम मोदी माडल की बात करते हैं, वहां आज क्राइम ब्रांच अलग बनी हुई है। वह क्राइम ब्रांच सिर्फ अपराधों की जानकारी करती है।

मैं यह बात इसलिए भी आपसे कहना चाह रहा हूं कि अपने प्रदेश के अन्दर मात्र पिछले तीन वर्षों के अन्दर चिटफण्ड कम्पनियों के माध्यम से 1,47,76,10,890 रुपये की लोगों के साथ लूट हुई है और उसके अन्दर 500 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। इन मुकदमों के अन्दर 209 मामलों में तो इन्होंने एफआर लगा दी कि ये जो मामले हैं, ये सिविल नेचर के मामले हैं और उसी तरह के सिविल नेचर के मामलों में 206 के अन्दर आप लोगों ने चालान कर दिये। अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर जितने लोग चोरी से परेशान हैं, बलात्कार से परेशान हैं, मर्डर हत्या और दूसरे अपराधों से परेशान हैं, उससे ज्यादा राजस्थान की जनता आज चिटफण्ड कम्पनियों से और साइबर क्राइम से परेशान होती जा रही है। आज गांव के अनपढ़ भोले-भाले व्यक्तियों को मोबाइल पर फोन आते हैं, लोग उनसे एटीएम और पिन नम्बर पूछते हैं और वह लोग एटीएम और पिन नम्बर बोल देते हैं। पूरे राजस्थान के अन्दर दो-ढाई अरब रुपये इस तरह से लूट लिये गये और जब हम बात करते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम वहां पर कार्यवाही करने कैसे जाएं? हमारे थाने के अन्दर नफरी कम है। हम वहां पर कैसे जाएं? उत्तर प्रदेश और बिहार के अन्दर अगर हम लोग जाएंगे तो वहां जाने के लिए हमारी गाड़ियों के अंदर डीजल कौन भरवाएगा। अब यह डीजल भरवाने की

(श्री धीरज गुर्जर)

जिम्मेदारी, जिसके साथ लूट हो गयी, उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है। आज प्रदेश के हालात जो हैं, ये हालात सिर्फ आपके समय में नहीं है। यह हालात चाहे कांग्रेस का राज हो, चाहे बीजेपी का राज हो, इन दोनों राजों के अन्दर जब कभी भी थाने में कोई आदमी गया कि मेरी बच्ची को कोई भगाकर ले गया है, उसको पकड़कर लाने के लिए चलना है तो उसी फरियादी से पुलिस जीप मंगायेगी। जब तक वह आदमी जीप लेकर नहीं आएगा, गाड़ी लेकर नहीं आएगा, डीजल नहीं डलवायेगा, तब तक जाब्ता उसके साथ नहीं जाएगा और उस बच्ची को बरामद करके नहीं लाएंगे।

और यही हालात हमने आज कर रखे हैं चाहे साइबर क्राइम हो और चाहे चिटफण्ड कम्पनियों के माध्यम से क्राइम हो जाओ, इन दोनों क्राइम्स के अन्दर 80 परसेंट मामलों में ये एफआर लगा देते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र का लड़का शिवराज मीणा, जो चार बहिनों का अकेला भाई था। पंडेर क्षेत्र का रहने वाला था। उसके साथ साइबर क्राइम हो गया। उसके फोन पर फोन आया। उसके साथ लूट हो गयी। वह गले तक कर्जे में डूब गया और पिछले दिनों उसने भीलवाड़ा के अन्दर रेल के आगे कटकर आत्महत्या कर ली। उसके बाप था नहीं। उसकी मां विधवा और चार बहिनें, सुभाष नगर थाना, भीलवाड़ा के अन्दर पिछले चार महीनों से चक्कर काट रही हैं कि मेरे भाई के ऊपर पांच लाख रुपये का कर्जा है। इधर तो सूदखोर उसको तंग कर रहे हैं जिससे उसके भाई ने उधार ले रखा था। भाई अपनी आत्महत्या करके भगवान के घर चला गया और पुलिस वाले मुकदमा दर्ज करने के बाद आज तक उनको चक्कर दे रहे हैं कि तुम जीप लेकर आओ, गाड़ी लेकर आओ, तब हम वहां पर जाएंगे और पकड़कर लाएंगे। यह एक घटना तो मेरे ज्ञान में है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की है, इसलिए आ गयी लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रदेश के अन्दर लगभग एक अरब रुपये से ज्यादा इस प्रकार का साइबर घोटाला और चिटफण्ड घोटाला हो चुका हो, उन घोटालों के ऊपर हमारी पुलिस को कार्यवाही करने की जरूरत है। आज संभागीय मुख्यालय पर साइबर थाने खोलने से काम नहीं चलेगा। हमें प्रत्येक जिले के अन्दर साइबर सैल बनानी होगी और इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए हमको पहल करनी पड़ेगी।

मैं गृह मंत्रीजी से यह भी मांग करना चाहता हूं कि यह जो पुलिस बनी थी, यह पुलिस अंग्रेजों के राज की व्यवस्था है और उस अंग्रेजों के राज

(श्री धीरज गुर्जर)

के अन्दर जो अंग्रेज होते थे, वह अधिकारी होते थे और जो भारतीय व्यक्ति होता था, वह जवान होता था इसलिए वह अधिकारी हुक्म देते थे कि मेरे जूते के पालिश कर ला, मेरे कपड़ों के प्रेस करवा ला, मेरी पत्नी को बाजार में घुमा ला। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के काम उन अंग्रेजों के राज के अन्दर हमारे सिपाहियों से करवाये, आज भी वह चतुर्थ श्रेणी के काम इस प्रदेश और देश के अन्दर सिपाहियों से करवाना चाह रहे हैं। वह अपने मन में अरमान लेकर भर्ती होता है कि मेरे हाथ में लाठी और बंदूक होगी, मैं अपराधों पर अंकुश लगाऊंगा लेकिन तब उसकी अंकुश लगाने की भावना टूट जाती है, जब वह एसपी के आफिस के बाहर एड़ियां बजाता है और एसपी उसको कहता है कि भाई, चाय लेकर आ, प्लेट लेकर आ, समोसा लेकर आ। एक सिपाही इसलिए भर्ती नहीं होता है कि अधिकारी उससे अपना व्यक्तिगत काम कराये। वह इसलिए भर्ती होता है और मैं यह भी नहीं कहना चाहता, यह वर्दी वाली सेवा है, वर्दी वाले लोग हैं तो कम से कम गृह मंत्रीजी, इतना कर सकते हैं। एक नया आयाम, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं हम पुलिस और कारागार के अन्दर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भर्ती करते हैं? जब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की भर्ती हो जाएगी तो उसकी मानसिकता यही होगी कि चतुर्थ श्रेणी के काम है, मुझे सेवा करने के लिए लगाया जा रहा है और उन कामों को वह अंजाम देगा। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि 20 सिपाही आपका एसपी रोककर रखता है। उसकी पत्नी को बाजार में ले जाने के लिए, उसके घर पर कुत्ता घुमाने के लिए, उसके गार्डन में घास खोदने के लिए, उसकी वर्दी के प्रेस करने के लिए, जूते पालिश करवाने के लिए। एसपी और डीवाईएसपी, डिप्टी, थानेदार, एक जिले में लगभग 100 से 150 सिपाही आपके सिर्फ इन व्यक्तिगत सेवाओं के अन्दर एंगेज रहते हैं और पूरे प्रदेश के अन्दर 6,000 की नफरी आपकी इन अधिकारियों की सेवा-चाकरी के अन्दर लगी रहती है। तो जब हमें इनसे करवानी है, जो अधिकारी है, वह खुद का काम खुद नहीं करेगा तो कम से कम इनके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अगर भर्ती कर लेंगे तो वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपना काम करेंगे और ये जो सिपाही हैं, थाने के अन्दर चले जाएगे तो थानों के अंदर नफरी भी पूरी हो जाएगी और हम लोगों को सेवा करने में तकलीफ भी नहीं आएगी।

और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने... (व्यवधान)...

सट्टे पर भी आएंगे। देश के इतिहास के अन्दर पहली बार हमने 2013

(श्री धीरज गुर्जर)

के अन्दर वेतन वृद्धि की। हमने इन पुलिसकर्मियों की वेतन वृद्धि की 9800 की, 9840 रुपये की, उसको आपने 2017 में कम करके 8080 रुपये कर दी और 8080 रुपये करने के बाद में वे सिपाही जो काम करते हैं, रात-दिन ड्यूटी देते हैं, 24 घंटे और पूरे 30 दिन अपनी सेवा देते हैं, उन लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र के अन्दर विरोध प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, चाहे वह इस देश का नागरिक हो, चाहे इस देश का कर्मचारी हो और हर विभाग के कर्मचारियों ने जब अपने हकों पर चोट हुई है तो उसके खिलाफ उन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया, तो इन सिपाहियों ने अगर प्रदर्शन कर लिया, तो इनके ऊपर आपने जांच बिठा दी, कार्यवाही शुरू कर दी।

मैं इस सदन के अन्दर पुरजोर शब्दों के साथ मांग करता हूं कि उनका भी परिवार है, उनका भी पेट है, उनको भी घर चलाना है और जब आप यह चाहते हैं कि रिश्वतखोरी समाज के अन्दर बन्द हो, तो इनका पेट आपको भरना पड़ेगा। अगर इन्होंने अपना पेट भरने के लिए किसी मांग को उठाया तो इनके खिलाफ जो कार्यवाही चल रही है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि उस कार्यवाही को बन्द करके, इन सिपाहियों को राहत दी जाए।

इसी तरह आपने सोशल मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। आप यह तो कर सकते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, वे सोशल मीडिया का उपयोग करके सरकार की नीतियों का दुष्प्रचार नहीं करें। लेकिन उसके परिवार के ऊपर कैसे अंकुश लगा सकते हैं? उसका परिवार इस देश का नागरिक है, उसे अपना मत देने का अधिकार है, उसके परिवार के लोगों को इस तरह से बंदिश में नहीं कर सकते हैं कि वे लोग सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिखेंगे। अगर सरकार अन्याय करेगी तो वे भी इस देश के नागरिक हैं, उन्हें बोलने का पूरा अधिकार है।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि पुलिस की इस सदन के अन्दर लोग तारीफ करते हैं। वे देखते हैं कि सदन के अन्दर, हमारी जो बात जा रही है बाहर प्रिन्ट मीडिया में जाएगी और जब अधिकारी सुनेगे कि हमने पुलिस की बदनामी की, तो पुलिस हमारे काम नहीं करेगी। इस डर में आधे लोग तो पुलिस के खिलाफ बोल ही नहीं पाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं राम हो या रावण, कंस हो या कृष्ण इनकी राशि एक थी, लेकिन एक देव था दूसरा दानव था।

(श्री धीरज गुर्जर)

पुलिस के अन्दर रक्षक भी हैं और भक्षक भी हैं। जब तक इन भक्षकों के ऊपर अंकुश नहीं लगाएंगे, तब तक इस पुलिस के जो सच्चे रक्षक हैं, वे बदनाम होते रहेंगे। आज प्रदेश के अन्दर जो घटनाएं होती हैं, दुनिया जानती है कि थानों के अन्दर अपराधियों के गढ़ बन गये हैं। आपने इस बीट प्रणाली की बहुत तारीफ की थी कि बीट प्रणाली के माध्यम से अपराधों के अन्दर अंकुश लगा है, लेकिन इस बीट प्रणाली के कारण आज प्रदेश के अन्दर अपराध बढ़ने का काम हो रहा है, क्योंकि दो-दो, तीन-तीन साल तक जो लोग बीट के अन्दर जमे रहते हैं। अब हम एक तरफ तो आंकड़ों के अन्दर कह देते हैं कि हमने इनका स्थानांतरण कर दिया, लेकिन स्थानांतरण करने की जगह, मौखिक आदेश, पुलिस में एक ऐसा आदेश चलता है, जिसका जबानी जमा खर्च का कोई रिकार्ड नहीं होता है।

हमारे भीलवाड़ा के थाना प्रताप नगर के अन्दर दस-दस, बारह-बारह, पन्द्रह-पन्द्रह साल से सिपाही जमे हुए हैं, कागजों में उनका स्थानांतरण हो गया, लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक फोन करके उन अधिकारियों को मौखिक आदेश से थानों के अन्दर रोक देते हैं। ऐसा पूरे प्रदेश के अन्दर हो रहा है कि किसी की सिफारिश पर या कमाऊ पूतों को उन थानों के अन्दर बीट प्रभारी लगा रखा है और उस बीट के अन्दर वे लाकर अपने थानेदार को माल देते हैं और थानेदार माल आगे पहुंचाता है। उसी के कारण आज हमारा राजस्थान प्रदेश बदनाम हो रहा है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज गृह जिलों के अन्दर, जो हमारे सिपाही हैं, आपने नियम लागू कर दिया कि पहले 10 साल तक वह आदमी अपने गृह जिले में नहीं जा सकता था। आपने उस 10 साल को बढ़ाकर अब 15 साल कर दिया। जो अधिकारियों के चहेते हैं, उनका तो 2 साल के अन्दर स्थानांतरण हो जाता है और 15-15 साल तक अपने गृह जिले से दूर वह सिपाही चक्कर काटता रहता है कि कभी मेरा भी मेरे गृह जिले के अन्दर स्थानांतरण हो जाएगा। सरकार को राहत देनी चाहिए, राहत देने के बजाय सरकार उन सिपाहियों के ऊपर प्रतिबंध लगा रही है।

इसी तरह आज जो पुलिस लाइन और आपकी बैरक है, उन बैरकों के अन्दर सिपाही इस तरह से रहते हैं, जैसे कोई भेड़-बकरियां रह रही हों। सरकार के पास साधन है, संसाधन है। इन छोटे कर्मचारियों को राहत देने का

(श्री धीरज गुर्जर)

हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो सारी पुलिस व्यवस्था है, वह इन सिपाहियों के कन्धे के ऊपर टिकी हुई है। वे रात-दिन मेहनत करते हैं, फील्ड के अन्दर रहते हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितना उजला चेहरा मैं आपकी पुलिस का बता रहा हूं, उतना पुलिस का उजला चेहरा भी नहीं है। आज चाहे सट्टा हो, चाहे अपराध हो, ऐसा कोई अपराध नहीं है, जो पुलिस की जानकारी के बिना नहीं होता हो। हर थाने के अन्दर जो मंथली ली जाती है और उस मंथली से भी ज्यादा, जो लोकतंत्र की हमारी मूलभूत अवधारणा है, जिसके भले के लिए सरकारों का गठन होता है, अभी तो शुरू किया है। माननीय सभापति महोदय, अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए।

श्री सभापति: आपको कैसे पता लगेगा, घड़ी तो चल रही है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं जिस तरह से जनता के साथ थानों के अन्दर दुर्व्यवहार होता है और उनको प्रताड़ित किया जाता है। सबसे ज्यादा बुरी बात मैं बताऊं आपको, किसी थाने में कोई अपराध घटित हो गया, उस अपराध की जब जांच चल रही होती है, थानाधिकारी और अपराधी की आपस में सैटिंग हो गयी और जब उस अपराधी से जो पीड़ित है, उस फरियादी ने किसी ऊपर के अधिकारी के पास एप्लीकेशन लगायी कि थाने के अन्दर मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है तो जो एस.पी. होगा या उससे ऊपर का अधिकारी होगा वह सीधे उस थानाधिकारी से बात करेगा। हम यह क्यों भूल जाते हैं कि जो अपराध थाना क्षेत्र के अन्दर हो रहे हैं, वे सब उस थानाधिकारी की जानकारी के अन्दर हो रहे हैं। वे थानाधिकारी आपकी आंखों पर पट्टी बांधकर, जो जवाब आपको देता है, उसी जवाब को अक्षरश: मानकर हम लोग दूसरी जगह बता देते हैं कि नीचे वाला अधिकारी तो यह कह रहा है। आपका नीचे वाला अधिकारी बेईमान है, जो भ्रष्टाचार कर रहा है, जो भ्रष्टाचार में आकण्ठ् डूबा हुआ है, उससे आप कैसे इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि वह आपको सही जानकारी देगा। इसलिए मैं बार-बार मांग करता हूं कि हमारी अनुसंधान की टीम अलग होनी चाहिए और जब किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत आए कि इसने अनुसंधान के अन्दर बेईमानी की है तो हमें अलग से अधिकारी लगाकर उसका अनुसंधान करना चाहिए। कम से कम हमारे थाने के अन्दर अलग अनुसंधान की व्यवस्था नहीं

(श्री धीरज गुर्जर)

कर सकें तो जिले के अन्दर एक स्पेशल सैल होनी चाहिए। उस सैल के अन्दर बेदाग और ईमानदार अधिकारी होने चाहिए। जिनका काम यह होना चाहिए कि वे जांच करें और जांच करके सही व्यक्ति को सामने लेकर आएं।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जो छोटे कर्मचारी हैं, सिपाही हैं, इन लोगों को जब तक हम छुट्टियां नहीं देंगे, हम हफ्ते में छुट्टी नहीं दें, कम से कम महीने में दो अनिवार्य छुट्टी इस बात के लिए इनको दें कि ये जाकर अपने घर परिवार के हाल पूछकर आ सकें। इसके साथ-साथ ही मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, आज राजस्थान के अन्दर अवैध शस्त्रों के लाइसेन्स प्रदेश के बाहर से बनकर आए हैं, उसके अन्दर भी भारी घोटाला हो रहा है। कई लोगों के दामन तक इनके हाथ पहुंच रहे हैं और कई लोगों को ये पैसे ले-देकर छोड़ने का काम कर रहे हैं।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं और जिस तरह से राजस्थान के अन्दर छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। एक तरफ तो पुलिस पोस्को किसी मनमर्जी के मामले में एफआर लगा देती है और एक तरफ उसमें चालान कर देती है। इनके अन्दर भी व्यापक लेवल पर, ये लोग भ्रष्टाचार, बेईमानी और मिलीभगत का खेल करते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस के बिना हमारा काम सम्भव नहीं है, लेकिन पुलिस को इतनी छूट मत दीजिए कि ये लोगों के गले काटने लग जाएं, लोगों की जेब काटने लग जाएं। बजरी की बात भी आपसे मैं कहना चाहता हूं क्योंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र भी बजरी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। हमारे विधान सभा क्षेत्र का थाना शक्करगढ़ हो, चाहे जहाजपुर हो। इन थानों के अन्दर खुलेआम पुलिस अधिकारी खड़े रहकर बजरी की जो लूट करवा रहे हैं, उस लूट के कारण, जब ठेकेदार था उस समय 400-500 गाड़ियां, अगर निकलती थीं तो आज 1000 गाड़ियां खुले आम निकलती हैं। इन अधिकारियों ने वाट्स-एप ग्रुप बना रखे हैं और वाट्स-एप ग्रुप में गाड़ियों के नम्बर डालकर, जो चहेता आदमी है, उसकी गाड़ी निकाल देंगे और जो व्यक्तिगत काम के लिए लेकर जा रहा होगा, उसकी गाड़ी पकड़ लेंगे। इन चीजों पर अंकुश लगाने के लिए काम करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ ही इस पुलिस के माध्यम से जो राजस्थान के अन्दर...

श्री सभापति: हो गया, हो गया। बहुत हो गया।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ...एक-दो प्रकरण और बताना चाहता हूं, व्यक्तिगत, जो मैंने मेरी डिमाण्ड रखी थी। सट्टे की जो हमारी, एक साथी विधायक कह रहे हैं कि सट्टे, इन सट्टों के अन्दर मैं बताऊं आपको।

श्री सभापति: सट्टा-वट्टा क्यों छेड़ रहे हो, फालतू में।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ...(व्यवधान) रुको भाई, सुन तो लो। आपके कारनामे बता दूं आपकी हालत कैसी है। पूरे हिन्दुस्तान के क्रिकेट के सटोरियों का जयपुर के होटल शैरेटन के अन्दर सम्मेलन होता है। आपके पुलिस के अधिकारी शैरेटन होटल में पहुंच जाते हैं। उनको पकड़कर 151 के अन्दर, होटल के अन्दर बैठे हुए आदमियों को जवाहर नगर थाने में पकड़कर लाकर 151 के अन्दर बंद कर दिया और उनको वापस छोड़ दिया। अब ये पूछो कि, जो आदमी होटल के अन्दर ठहरा हुआ था, उससे शान्ति भंग कैसे हो रही थी, जिसने भी किया, मैं नाम नहीं लूंगा सभापति महोदय, कहेंगे किसी का नाम लेकर आरोप नहीं लगाना है। लेकिन, ये कारनामे बता रहा हूं करोड़ों रुपये का जो अवैध कारोबार है। वह अवैध कारोबार इनका संचालित होता है। एक-दो मामले हनुमानगढ़ के भी हैं। इसी तरह हनुमानगढ़ के अन्दर हमारी कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता की गाड़ी के अन्दर कुछ लोगों ने अफीम रखी थी। संदीप दुधवाल की गाड़ी के अन्दर और जब उसका प्रकरण दर्ज हुआ तो आज तक पुलिस, उन हनुमानगढ़ के अपराधियों को जिसने गाड़ी के अन्दर अफीम रखकर झूठा फंसाने का काम किया था, कार्यवाही नहीं की है। इसी तरह एक रोचक मामला बताकर मैं अपनी बात खतम करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भीलवाड़ा शहर के अन्दर हमारी पुलिस ने ...(व्यवधान) नहीं-नहीं याद है, अपराध दर्ज होने के पहले ही अनुसंधान कर लिया। एक शिवराज मीणा, जो चोरी के मामले में जेल के अन्दर बन्द था। उसको एक चोरी के मामले में और अपराधी बता दिया और जिस दिन चोरी करना बताया पुलिस ने, थाना भीमगंज के अन्दर, वह उस दिन जेल के अन्दर बन्द था।

ये हालात हमारे पुलिस के हैं हमारी पुलिस कितनी हाई-टेक हो गयी है कि अपराध होने से पहले अपराधी को उसमें दोषी मान लेती है और जिस दिन अपराध होता है, उस दिन अपराधी जेल के अन्दर बन्द होता है...

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): पिछली बार भी मैंने सदन के अन्दर कुछ थानों के बारे में, भीलवाड़ा के जो हमारे थानाधिकारी हैं थाना सुभाष नगर के अन्दर लगे हुए हैं, उनके ऊपर भी मैंने आरोप लगाये थे और उनके आधार पर जांच भी हुई, जिनको 16 सीसी, 17 सीसी के नोटिस मिले हुए हैं, जिनको प्रताड़ना मिली हुई है। ऐसी अधिकारी भी आज भीलवाड़ा शहर के अन्दर रहकर खुले आम सट्टे का काम करवाते हैं और खुले आम इनके द्वारा अपराधियों का जो पोषण किया जा रहा है, उसके कारण हमारे भीलवाड़ा जिले की स्थिति बिगड़ी हुई है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों पर अंकुश लगे।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य रामहेत सिंह जी।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 16-गृह और मांग संख्या-17 कारागार पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका ह्रदय से आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा विभिन्न विभागों को बजट के माध्यम से राशि का आबंटन हुआ।

जो राशि गृह विभाग के लिए अलॉट हुई उसका हम आकलन करें तो हम देखेंगे 2018-19 में जो राशि अलॉट हुई है उसमें 96.03 प्रतिशत तो पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन-भत्तों के लिए व्यवस्था है। .91 प्रतिशत कार्यालय व्यय, .88 प्रतिशत मशीन, साज-सामान, औजार, यंत्र के लिए, .71 प्रतिशत वर्दियों के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए, 1.16 प्रतिशत कार्यालय संबंधी वाहनों का संचालन, संधारण के लिए और .31 प्रतिशत अन्य व्यय के लिए है। 96 परसेंट राशि जो बजट एलोकेटेड है उसमें से तनख्वाह और भत्तों पर चला जाता है और आज के आधुनिक क्राइम के हिसाब से हम चाहते हैं कि पुलिस बहुत आधुनिक व्यवस्था के हिसाब से क्राइम पर कंट्रोल करे। जिस तरह से सड़कों के विकास की चिन्ता की और 49 हजार करोड़ का प्रोविजन रखा। हमारे इस राजस्थान में पानी आना चाहिए इसलिए 48 हजार करोड़ की योजना बजट में रखी। शिक्षा के लिए भी हर पंचायत स्तर पर सीनियर माध्यमिक विद्यालय हो, आदर्श स्कूल हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, अन्य व्यवस्थाएं हों, उद्योगपति हमारे यहां आये उद्योग लगाए, हमारे लोगों को रोजगार दें। यह सब निर्भर करता है कि हमारे राजस्थान की कानून-व्यवस्था क्या है। उस पर खर्च होने वाला बजट क्या है वह हमको देखना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे बगल में गुजरात प्रान्त है। हम

(श्री रामहेत सिंह यादव)

उसको देखेंगे तो जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि पुलिस पर काफी राशि खर्च होती है अलग से। क्राइम व्यवस्था है और व्यवस्थाएं हैं। एक तरफ हमारे बगल में उत्तर प्रदेश है वहां पानी भी है, सड़क है, शिक्षण संस्थाएं हैं, वह हमसे बहुत आगे है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी है, लेकिन एक काम वहां नहीं है शांति-व्यवस्था। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा क्राइम है तो यूपी में है उस कारण से वहां का आदमी अपने आपको असुरक्षित समझता है। कहीं हमारा राज्य ही ऐसी ही लिस्ट में न चला जाए इसलिए हमको चिन्ता करनी पड़ेगी। आज बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 1600 से सिपाही का भत्ता मैस भत्ता 2000 कर दिया। सब इंस्पेक्टर का 1750 था उसको 250 बढ़ा दिया। पुलिस सेवा करते हुए जो पुलिस के 74 सिपाही अपनी जान गंवा बैठे उनके परिजनों के लिए भी एक बहुत छोटे से अमाउंट की व्यवस्था की है। हमको उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देनी है। उनको मैस भत्ता भी ठीक देना है। पुलिस की व्यवस्था भी ठीक करनी है।

हमारे जिले की जहां तक चर्चा करें और कई वक्ता माननीय सदस्यों ने इस बात की चिन्ता की है कि आपने वाहन के लिए जो व्यवस्था की है, अब हमारे जिले की स्थिति तो यह है कि कमाण्डर पुरानी जीप है जो तीन-चार लाख किलोमीटर चल चुकी है। अगर उसको 60-70 की स्पीड से चलाएं तो शायद उसके चारों पहिये निकल जाएंगे और जो क्रिमिनल आता है उसके पास फार्चूनर है, उससे बड़ी गाड़ियां हैं, वह उस फार्चूनर का कैसे पीछा करेगा। हमारा पुलिस का जवान गाड़ी चलाते हुए ध्यान रखता है कि गौ तस्कर हैं उनकी जो मैटाडोर है उसके दोनों तरफ बम्पर हैं और इतने शक्तिशाली होते हैं कि ब्रेक लगाकर कई बार हमारी गाड़ी को तोड़ देता है तो ऐसे उपाय हमको सोचने पड़ेंगे कि उनके पास जो संसाधन हैं, आप पुलिस के सिपाही से कह दो कि डंडा ले जा और गौ तस्कर को रोक ले, यह सम्भव नहीं है। उसको स्टेनगन देनी पड़ेगी, आवश्यकता हो तो ए.के.-47 दीजिये। उसको जैकेट सुरक्षा के लिए दीजिये। उसको यह लगना चाहिए कि पुलिस व्यवस्था को ठीक करने में अगर मेरा बलिदान भी होता है, जिस तरह से भारत का सैनिक बोर्डर पर अपने शहीद के रूप में एक पैकेज है, मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनका भी 20 से 25 किया है। पुलिस सेवा में भी सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से जो काम करने वाला सिपाही है, किसी एनकाउंटर में, किसी अपराधी की गोली से मरा है या दुर्घटना से मरा है तो उसको भी कम से कम

(श्री रामहेत सिंह यादव)

उसी पैकेज के तहत पच्चीस लाख रुपये मिलने चाहिए। यह जब हम सोचेंगे और व्यवस्था करेंगे, उसको संसाधन देंगे, आज हालात यह हैं कि हमारे अलवर जिले का बॉर्डर हो, चाहे भरतपुर का हो, पचास परसेंट भी पुलिस की नफरी वहां नहीं है। थाने में इंस्पैक्टर लगना चाहिए। दो-दो साल से थाने में सब-इंस्पेक्टर चला आ रहा है। चौकियों पर दो-चार बुजुर्ग सिपाही हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि विशेषकर जो बॉर्डर एरिया है उस पर पुलिस की नफरी ठीक हो। किस तरह के अपराध हैं उसकी समय-समय पर अधिकारियों द्वारा समीक्षा होनी चाहिए। जैसा पिछले दिनों मैंने चर्चा की थी ट्रांसफार्मर चोरी के मसले की, 20 तारीख के बाद अगर ट्रांसफार्मर चोरी हो गया तो एक तारीख को एफआईआर होगी और पुलिस का बर्ताव इतना खराब होता है कि कहती है एक तारीख या एक ट्रांसफार्मर हो तो एक-दो दिन और हो जाने दो फिर उसके बाद कर लेंगे।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की चर्चा करना चाहता हूं कि तीस एफआईआर दर्ज हुई हैं और 76 जगह चोरी हुई है। 30 एफआईआर में 76 जगह जो चोरी विभिन्न गांवों में ट्रांसफार्मर्स की हुई थीं उनकी 30 एफआईआर हुई हैं। ऐसे ही तिजारा विधान सभा क्षेत्र में बीस एफआईआर हुई हैं, लेकिन 41 जगह चोरी हुई हैं ट्रांसफार्मर्स की। इसी तरह से मोटरसाइकिल का मसला रहता है। चाहे मोटरसाइकिल चोरी का मसला हो, चाहे ट्रांसफार्मर चोरी का मसला हो, पुलिस को उसको गम्भीरता से लेना चाहिए। नहीं ये तो खेत में जो किसान के पास ट्रांसफार्मर है, उसकी बात है। अपराधी बिजली विभाग के आफिसेज से जो ट्रांसफार्मर चोरी कर ले गये उसका तो कोई रिकार्ड नहीं है, न एफआईआर है। वह तो ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए अपराध की श्रेणी में मानकर उसकी समीक्षा करनी चाहिए और गम्भीरता से उसकी जांच करनी चाहिए।

एक तरफ बजट में कम प्रोविजन है दूसरी तरफ पुलिस अधिकरण के लिए जो केन्द्र सरकार का हिस्सा साठ परसेंट है और राज्य का चालीस परसेंट है। गत वर्ष तो 32 करोड़ केन्द्र से मिला था उसको खर्च ही हम लोग नहीं कर पाये इसलिए मैं कहना चाहता हूं संसाधन पूरे दें। सुरक्षा के लिए जैकेट, हथियार के रूप में डंडे से काम नहीं चलेगा। स्टेनगन और अगर आवश्यकता है तो ए.के.-47 भी देनी चाहिए। इस तरह के अपराधी बहरोड़ जिले में उस समय तत्कालीन सांसद महोदय एक पार्षद लेकर आये कि इसकी जान को

(श्री रामहेत सिंह यादव)

खतरा है। उसको अल्टीमेटम मिला हुआ है कि दिवाली तक इसका मर्डर करेंगे और सही दिवाली के दिन पूजा करते समय उसको गोली से मार दिया। जब पार्षद के साथ में यह घटना हो सकती है, वहां के एमएलए और वहां के सांसद महोदय ने सब लोगों ने कहा कि अपराधियों को पकड़िये, नामजद हैं, लेकिन चूंकि अपराध करके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अन्य जगह चले जाते हैं, वहां हमारे यहां की पुलिस जाने में अपने-आपको असहाय महसूस करती है। अन्य स्टेट की पुलिस भी सहयोग नहीं करती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो बोर्डर एरिया के जिले हैं उस पर ठीक से व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, हमारे पुलिस में कोई जांच कर ली, पैसा खा गये वह कोई बात इतनी ज्यादा नहीं है। अपराध तो वह भी है, लेकिन मोरली जो गिरावट आयी है उसके लिए हमको कोई न कोई नया रास्ता ईजाद करना पड़ेगा। मैं मेरे यहां की घटना कहता हूं कि हमारे यहां के एसडीएम और डीएसपी एसएचओ को कहते रहे कि 26 जनवरी में आपको सलामी गार्ड में रहना है, पर एसएचओ आया नहीं। उसकी शिकायत हो गयी और उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक एसएचओ गया, ट्रांसफर हुआ कोटकासिम से, थाने की एलईडी ले गया, दो इन्वर्टर ले गया। शिकायत हुई, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं। एक एसएचओ आया उसका वीडियो वायरल हो गया वहां पर। पुलिस कांस्टेबल से अश्लील बातें करते हुए और बड़ा ताज्जुब हुआ उस जांच रिपोर्ट में आईओ ने जो कहा कि महिला चूंकि अपना वॉइस टैस्ट नहीं कराना चाहती इसलिए इसको हम अपराधी नहीं मानते।

दोनों की बात है, रिकार्ड में आपका एसएचओ है जो आपका मातहत है, वह महिला सिपाही भी आपकी मातहत है। वह नहीं कर रही, उसको नोटिस दीजिए और फिर भी कोई बात है तो जो एसएचओ अपराधी है, जो अपने सब आर्डिनेट के साथ टेलीफोन पर गलत बात कर रहा है और वह वीडियो वायरल हो गया, उसके खिलाफ उसका वॉयस टैस्ट कराना चाहिये। यह जो मोरली गिरावट आयी है, जो जांच होती है जांच में शिकायतकर्ता एक बार शिकायत करता है, उस पर कई तरह के दबाव आ जाते हैं, वह साइलेंट हो जाता है, लेकिन डिपार्टमेंट को तो सोचना चाहिये। अगर डिपार्टमेंट ऐसा व्यवहार करेगा, एक सीजेएम अलवर गया, जांच की, चार लोगों को अवैध कस्टडी में पाया, उसने दो पन्ने की रोजनामचे में रपट लिख दी। रपट लिखने के बाद उस

(श्री रामहेत सिंह यादव)

एसएचओ ने उस रपट के पन्ने को फाड़ दिया और पीछे दो पन्ने लगाकर रोजनामचे में एंट्री कर दी, अपनी रवानगी पहले दिखा दी। या तो उस सीजेएम की हाई कोर्ट को शिकायत करनी चाहिये और नहीं करते तो थानेदार के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। वह भी तब खुला जब बाइंडर की दुकान बंद हो गयी, रात को बाइंडर को जगाया, उसको धमकाया कि दुकान खोलिये आपको यह पन्ने छापने हैं। जब शिकायत हो गयी तो विभाग उस आधार पर, जब आपका एसपी निरीक्षण करता है, आपका आईजी निरीक्षण करता है तो उस रोजनामचे में जो रपट सीजेएम ने डाली है कि अवैध कस्टडी है, तो उस थानेदार के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते? यह ऐसे इश्यू हैं जिन पर विभाग को इंटरनल निरीक्षण करना पड़ेगा। पुलिस का मोरल बढ़ाने के लिये ऐसे जो घटनाक्रम हैं, उन पर आपको चिंता करके ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये।

माननीय गृह मंत्रीजी, अभी की एक और घटना कहना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय पर कृषि उपज मंडी है जहां मैं भी रहता हूं, मेरा मकान है। वहां दो बालक हेमंत कुमार पुत्र चन्द्रशेखर और देवेन्द्र मोटरसाइकिल से कालेज से चलकर आते हैं, सामने से आ रही मैटाडोर ने टक्कर मार दी, पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। वह इकलौता बेटा हेमंत कुमार पुत्र चन्द्रशेखर, उल्ताजपुर का रहने वाला था, एक्सीडेंट में दोनों घायल हो गये और हेमंत कुमार की डैथ हो जाती है। उसके पिताजी चन्द्रशेखर थाना किशनगढ़ में 23 नवम्बर, 2017 को एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर नंबर 444/2017 है। पुलिस जाती है, हमारे वहां से पांच किलोमीटर दूर उस गाड़ी को गोठडा स्टैंड पर पकड़ लेती है। पुलिस सांठ-गांठ करके आईओ उस पर एफआर लगा देता है। अकेला बेटा था, एमएससी था, पूरे इलाके में इतनी तकलीफ थी। उसके बाद इस तरह से पुलिस सांठ-गांठ हो जाए और उस अपराधी को पकडे नहीं, जिसका लाल गया, अकेला बेटा था, एमएससी था, डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास हुआ था। माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहता हूं उसमें चालान हो गया, कोर्ट करेगा जो करेगा, आप स्पेशली किसी अधिकारी को यहां से लगाकर उस एफआईआर को तलब करके, केस डायरी को मंगाकर जांच कराएं और जो दोषी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी हैं, उसको ठोस सज़ा मिलनी चाहिये, मैं आपसे आग्रह करता हूं। वह बूढे मां-बाप कहां जाएंगे जिसका अकेला बेटा था, जिसने झोंपड़ी में बड़े दुख तकलीफ में रहकर उस

(श्री रामहेत सिंह यादव)

बच्चे को एमएससी कराई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जिले की आप चिंता करेंगे।

एक बात और कहना चाहता हूं, मुझे एक कागज मिला था, आरएसी की पांचवीं बटालियन में 2015-16 में कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी। 61 पद थे, 54 सामान्य थे, 5 एससी के, 2 एसटी के, कुल 82 लोगों को पास किया था। एससी, एसटी के लोगों की तो पूर्ति हो गयी लेकिन जो इसमें पास हुए थे, जो 54 सामान्य के पद थे उसके अगेंस्ट में अन्य लोगों को उसमें प्रमोशन दिया है। यह जांच बार-बार आयी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसकी आप वापस जांच कराएं और जिनका हक है, जिनको प्रमोशन मिलना चाहिये, बार-बार आपके यहां भी इस बात की शिकायत हुई है, इसकी आप जांच कराकर उनको न्याय दिलाएंगे। मैं यह कहते हुए कि आने वाले समय में राजस्थान की पुलिस को सशक्त बनाएंगे, राजस्थान की पुलिस को मोरलफुल बनाएंगे, मोरल के लिये अलग से ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे, आधुनिक हथियार देंगे, जैकेट देंगे और ठीक पैकेज देकर, उनके परिवार के लिये अच्छी तनख्वाह देकर और जो होमगार्ड के लोग धरने पर बैठे हैं, आप सहानुभूतिपूर्वक उनकी समस्याओं पर विचार कर उनको न्याय देने का काम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अलवर जिले का आर्डर आज नहीं मांगोगे क्या?

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हनुमान जी बेनीवाल (अनुपस्थित), माननीय सदस्य श्री मानिक चन्द जी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर पड़ौसी राज्यों के मुकाबले अधिक शांतिपूर्ण है और हमारी व्यवस्थाएं सम्पूर्ण रूप से चुस्त नहीं लेकिन फिर भी काफी चुस्त हैं। माननीय गृह मंत्रीजी के निर्देशन में गृह मंत्रालय ने जो भी उपलब्धियां की हैं, मैं उसका यहां बखान नहीं करूंगा, माननीय सदस्यों को जानकारी भी है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि क्या आज अपन यह कहने की स्थिति में हैं कि हमारी पुलिस में करप्शन पूरा खतम हो गया है? पूरा न हो, 80 परसेंट खतम हो गया, 70 परसेंट खतम हो गया,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

क्या हम यह कहने की स्थिति में हैं? आपसे ज्यादा समस्याओं से भिज्ञ कोई भी नहीं है। पुलिस के करप्शन के बारे में आपको जितनी जानकारी है, शायद हम लोगों को भी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सिर्फ नैतिक भाषणों से, कि पुलिस को नैतिक होना चाहिये, उससे काम नहीं चलने वाला है। करप्शन को रूट आउट करने के लिये फुलप्रुफ इंतजाम राज्य सरकार को करने की आवश्यकता है।

सभापति जी, मैंने कुछ सवाल भेजे थे कि कितने बड़े पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एंटी करप्शन के मुकदमों की सिफारिश आयी है, उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 197 में मंजूरी देने की बात मांगी गयी है और वह भी डिपार्टमेंट के द्वारा। प्रश्न आपके ध्यान में होगा, मेरा निवेदन है बिना इस बात को देखे हुए कि प्रश्न मेरा है या अन्य माननीय सदस्यों का है, ऐसे सब प्रश्नों को निकलवाएं और इन प्रश्नों को निकलवा कर जो मंजूरियां राज्य सरकार को ऐसे बड़े अधिकारियों के खिलाफ 197 में चालान करने की है, मेरा नम्र निवेदन है कि जो सूचनाएं आपने सदन को प्रश्नों के माध्यम से दे दी हैं, उन प्रश्नों का वर्गीकरण कराकर, उसमें जो भी आपने जवाब दिये हैं और जिन -जिन के खिलाफ भी मैटर्स पैंडिंग हैं, उन सबकी तत्काल राज्य सरकार से मंजूरी, जो मंजूरी के लायक हैं और डिपार्टमेंट उसकी मंजूरी चाहता है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि ऐसे सब प्रश्नों को मंगाकर, वर्गीकरण करके उनके जवाब में जो कमियां आयीं, उन कमियों की पूर्ति करने का काम करें।

सभापति महोदय, आज की बहस में ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा जो माननीय सदस्यों ने अब तक आपको नहीं कहा है, सदन में नहीं आया है। जो शराब की दुकानें चलती हैं, हर क्षेत्र में गैर कानूनी चलती हैं। मेरा नम्र निवेदन है जिला आबकारी अधिकारी से आपके पुलिस अधीक्षक महोदय को सूची ले लेनी चाहिये कि कौनसी दुकानें अधिकृत हैं और ब्रांच के नाम पर जितनी दुकानें गांवों में अनधिकृत रूप से खोली जाती हैं, यह तमाम दुकानें तत्काल राज्य सरकार के आदेश से, क्योंकि वह डिस्ट्रिक्ट एक्साइज आफिसर द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, शराब बेचने वाली उन सारी दुकानों को तत्काल बंद किया जाना चाहिये।

जितनी शराब बिकेगी, उतनी ही बदफैली होगी और जितनी शराब

(श्री मानिक चन्द सुराना)

बिकेगी, अपराधों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। माननीय सभापति जी, मैंने कुछ कट मोशंस दिये हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि सट्टेबाजी और जुए को, जो सुझाव कोटा से आने वाले माननीय सदस्य प्रहलाद जी गुंजल ने दिया और अन्य माननीय सदस्यों ने भी दिया है कि ये दो काम तो राजस्थान में बंद होने ही चाहिए। जुआ बंद होना चाहिए और माननीय सदस्यों ने खूब कहा कि जुआ जो होता है, वह पुलिस अधिकारियों की देखरेख में ही होता है तो सट्टेबाजी और जुएबाजी, इन दोनों पर लगाम, आज जो पुलिस तंत्र की व्यवस्था है उसमें भी आप निश्चित रूप से करने में सक्षम हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि ये दो बुराइयां जो राजस्थान में हैं और तीसरी अनधिकृत शराब की दुकानों की, ये तीनों बुराइयों को बंद करने के लिये सक्षम आदेश देने की कृपा करें।

सभापति महोदय, मैंने कट मोशन दिया है। बीकानेर में थाना कोट गेट है। थाने में 0253 एक एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। यह एफ.आई.आर. 22.08.17 को दर्ज हुई है। माननीय सभापति महोदय, यह एफ.आई.आर. तीन नागरिकों के द्वारा दर्ज कराई गयी है और उनके दर्ज कराने का कुल लुब्बेलुबाब यह है कि बिनाणी बिल्डिंग जिसमें सैकड़ों कमरे किराये पर दिये हुए हैं, सैकड़ों फ्लैट्स हैं, किराये दिए हुए हैं और किरायेदार भी दस-बीस साल के नहीं, चालीस-पचास साल से किरायेदार हैं। ये वे किरायेदार हैं। बिनाणी बिल्डिंग ने ये अपनी सारी प्रोपर्टी टुकड़े करके 2007-08 में बेच दी और हनुमानगढ़, गंगानगर के बड़े लोगों ने उस प्रोपर्टी को खरीद लिया। जिन लोगों ने खरीदा, उनके नाम से यह एफ.आई.आर. है। नाम है गुरदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह, गणेश बंसल निवासी-हनुमानगढ़, शिव भगवान पुत्र रामप्रसाद, परमदीप सिंह पुत्र रामबहादुर सिंह, शिव कुमार सोनी पुत्र बनवारी लाल, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर। कोई प्रोपर्टी खरीदे, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रोपर्टी के खरीदने से किरायेदार की हैसियत समाप्त नहीं होती है।

माननीय सभापति जी, आप जानते हैं, गृह मंत्रीजी जानते हैं कि किरायेदार, किरायेदार ही रहेगा, मकान मालिक कोई भी बदल जाए। इन लोगों ने 2007-08 में खरीद ली तो 2014-15 से धमकाने लगे कि हम आपको जबर्दस्ती बेदखल कर देंगे। 2015 में इन्होंने कानून का रास्ता पकड़कर अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट प्लस किराया अधिकरण के यहां पर दावे किये। गांवों में स्टे हो गया। गांवों का रिकार्ड है। उसकी तारीख और पूरा रिकार्ड मेरे

(श्री मानिक चन्द सुराना)

पास है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चारू नाहटा के मामले में, इसमें ओरिजनल किरायेदार जयचंद लाल नाहटा हैं, उनकी 1999 में डैथ हो गयी। इसी फ्लैट में डैथ हुई। 1964 से वे किरायेदार हैं और 1964 से आज तक किरायेदार हैं। उनको किराया अधिकरण ने 03.08.15 को यथास्थिति का आदेश दिया और कहा कि इनको कानून की प्रक्रिया के बिना बेदखल नहीं किया जाएगा। यह आदेश उन लोगों के खिलाफ किया, जिन्होंने बिनाणी बिल्डिंग के अलग-अलग टुकड़े खरीदे थे। 03.08.15 को दो मामलों में, शांताराम रेवनकर के मामले में 03.12.15 और तीसरे मामले में भी 03.12.15, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस एफ.आई.आर. में यही कहा है और स्टे आदेश का हवाला दिया है। बिनाणी ट्रस्ट सन् 2007-08 में इस बिल्डिंग को टुकड़ों में गुरदीप सिंह पुत्र महेंन्द्र सिंह, गणेश बंसल, शिव भगवान, परमदीप सिंह पुत्र सुदूर सिंह जाट, निवासी-हनुमानगढ़, शिव कुमार सोनी पुत्र बनवारी लाल, निवासी-जवाहर नगर, जब से उक्त सभी लोग हमारे क्वार्टर खाली कराने लगे, जिस पर हम लोगों ने न्यायालय में वाद किया तो न्यायालय द्वारा बेदखल नहीं करने का स्टे आदेश कर दिया। वह केस न्यायालय में पैंडिंग चल रहा है।

मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि जब इनको अपने क्वार्टरों से बेदखल कर दिया गया, तीनों को, तीनों को जब बेदखल कर दिया गया, उनका समान चोरी करके ले गये और आज तक.., पहली तफ्तीश कोट गेट थाना ने की, फिर एस.पी. साहब को जब निवेदन किया गया, उन्होंने दूसरी तफ्तीश की। तफ्तीश बदल गयी, नतीजा आज भी सिफर है। मैं निवेदन करता हूं कि यदि साधारण किरायेदार राजस्थान में संरक्षित नहीं हैं तो हम किस कानून और व्यवस्था की बात करते हैं। यदि किराया अधिकरण के आदेश के बावजूद कोई नागरिक बेदखल किया जाता है। माननीय एस.पी. महोदय के सब कुछ ध्यान में है और जो सी.ओ. कोतवाली हैं, उनके ध्यान में है। मैं बिना आरोप लगाये यह कहना चाहता हूं कि पर्याप्त शहादत उस केस में दी गयी है। अदालतों के आदेश हैं। अदालतों के आदेश से अधिक क्या शहादत की जरूरत है? आज तक कोई रिलीफ नहीं है। ये निश्चित रूप से दस-बीस और पचास करोड़ की हैसियत के लोग हैं, जिन्होंने बिल्डिंग खरीदी है, पर मेरा निवेदन है कि यदि कानून के सामने सब बराबर हैं, तो चाहे वे 50 करोड़ की हैसियत के लोग होंगे। माननीय गृह

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मंत्रीजी, मेरा निवेदन है कि आप इस फाइल को तलब करें। आपके यहां एडिशनल एस.पी. हैं। आपके आफिस में ही एडिशनल एस.पी. हैं, उनसे जांच करवाएं और इसमें न्यायपूर्ण आदेश देने की कृपा करें।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): एक सैकिण्ड, एक मुद्दे पर मैं और अर्ज करूंगा। कृपा करके मुझे तीन-चार मिनट का समय और दें। फाइल तलब करने हेतु मेरा आपसे निवेदन है। दूसरा, मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान, इस सदन में मैंने सांभर साल्ट के ब्रायन की चोरी मामला उद्योग विभाग की बहस में उठाया था, मैंने इस पर भी कट मोशन दिया है। गृह मंत्री जी, सांभर साल्ट में जो एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। 10-11-12 एफ.आई.आर. की लिस्ट दी है। सांभर साल्ट आपकी सम्पत्ति है। 40 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है। 60 परसेंट की मालिक भारत सरकार है। सांभर साल्ट का 90 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है। अभी वह लीज पर है, कल आपकी सम्पत्ति बनने वाली है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने सांभर साल्ट्स लिमिटेड को अधिकार दिया है 80 बोरवैल के द्वारा ब्राइन निकालने का, नमकीन पानी और नमक निकालने का। जो चोरी हो रही है, उस पर जरा गौर करें कि पांच-पांच किलोमीटर लंबी बिजली की केबल डाली जा रही है। अनधिकृत बोरवैल बनाये जा रहे हैं और वापस पाइप लाइन के द्वारा वह ब्राइन का पानी सांभर साल्ट के एरिया से बाहर निकालकर उसका नमक बनाया जा रहा है। कंपनी नमक 2 लाख टन बना रही है और चोरी से नमक 20 लाख टन बन रहा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करुंगा कि सांभर साल्ट्स के मामले में जिन एफ.आई.आर. का मैंने जिक्र किया है।

श्री सभापति: कृपया कन्क्लूड करें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उन सब पर सक्षम कार्यवाही हो। जयपुर एस.पी. और कमिश्नर की ड्यूटी है कि वे इसमें सक्षम कार्यवाही करें और इस हेतु भी आपको आवश्यक निर्देश देना है। मैं मानता हूं कि गृह मंत्रीजी बहुत सक्षम हैं और सक्षमता से वे, जो भी आज चर्चा हुई है, उस पर आदेश देंगे।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री हीरालाल जी, माननीय सदस्य श्री तरुण राय जी कागा।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापति जी आपने मुझे मांग संख्या 16 व 17 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय गृह मंत्रीजी और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जन-कल्याणकारी बजट बनाया। उसमें सभी लोगों को राहत दी और पुलिस वालों का भी विशेष ध्यान रखा गया, उसके लिए माननीय वसुन्धरा जी और आदरणीय गृह मंत्रीजी बधाई के पात्र हैं। इस बजट में 80 हजार पुलिसकर्मियों का मासिक भत्ता बढ़ाया। सिपाही, हैड-कांस्टेबल को 1600 से 2000 और सहायक उपनिरीक्षक तथा निरीक्षक का भत्ता 1750 से 2000 किया गया। पुलिस फोर्स को मजबूत करने के लिए वाहन उपलब्ध कराने की दृष्टि से नाकारा वाहनों का रिप्लेसमेंट करने की योजना है। इस बाबत आगामी वर्ष में 210 नये वाहनों के लिए 7 करोड़ 10 लाख रुपया बजट से खर्च किया जाएगा।

माननीय वसुन्धरा जी और माननीय गृह मंत्रीजी को सबसे ज्यादा धन्यवाद इसलिए दूंगा क्योंकि राजस्थान में पहली बार बांसवाड़ा मुख्यालय पर भील रेजीमेंट बनायी गयी है जिसका मुख्यालय बांसवाड़ा में रखा जाएगा। इसके लिए 1161 कांस्टेबल भर्ती किये जाएंगे। पुलिस के आधुनीकरण के लिए प्रशासनिक एवं आवासीय भवनों के निर्माण पर समग्र रूप से 164 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। जिसमें 43 थानों के भवन और सातवीं बटालियन आरएसी भरतपुर में कमांडेंट/डिप्टी कमांडेंट निवासी, लोअर सबआर्डिनेट क्वार्टर, पुलिस थाना आबू पर्वत-सिरोही में आवासीय क्वार्टर्स बनाए जाएंगे। जयपुर में आदरणीय सरदार पटेल सिक्योरिटी एंटी विजन की स्थापना की जाएगी। उस पर 91 करोड़ 66 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय गृह मंत्रीजी द्वारा होमगार्ड का भी भत्ता बढ़ाया गया। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि ये बहुत अल्प वेतन और भत्तों पर चलने वाले हैं। इनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। इनके प्रति भी सोचें।

मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे निवाई कस्बे में दिन-दहाड़े सर्राफा बाजार में लूट कांड हुआ जिसमें अपाचे मोटर साइकिल पर बैठकर दो व्यक्ति आये और सर्राफा व्यापारी के पुत्र गोविंद से लाखों रुपये का जेवर-सोना लूटकर ले गये और फायरिंग भी की। उस फायरिंग में उनका मुनीम मदन मीना मारा गया। सर्राफा व्यापारी गोविंद भी घायल हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगा आज तक पुलिस इस लूट का पर्दाफाश नहीं कर पायी। जब दिन-दहाड़े मोटरसाइकिल पर बैठकर व्यस्ततम बाजार में इस तरह की घटना हो जाए, यह पुलिस की छवि के लिए प्रश्न चिन्ह् लगाता है। वर्ष 2016

(श्री हीरालाल)

में मेरे निवाई तहसील की ग्राम पंचायत सीजड़ा में भू-माफियाओं से तंग आकर पुरूषोत्तम शर्मा पुत्र गोपाल शर्मा ने एक सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। उस पर इतना दबाव दिया भू-माफियाओं ने, सुसाइड नोट भी पुलिस के हाथ में आया। पुरूषोत्तम की हस्तलिखित डायरी भी पुलिस को उपलब्ध करायी गयी। लेकिन आज तक उस प्रकरण में किसी तरह की कोई बात नहीं हुई और वह भू-माफिया बच गये या बचा दिये गये, यह तो पुलिस ही जाने। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारी जिनके समय में इस तरह का लूट कांड हो, इस तरह की सुसाइड की घटना हो, ऐसे जो तत्कालीन थाना अधिकारी हैं, जिनके समय में यह हुआ, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री हीरालाल (निवाई): अपने क्षेत्र की मांग के लिए मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा। वैसे अपराधों में काफी कमी आयी है। आलोचना-समालोचना करना एक अलग बात है। निश्चित बात है कि पिछली सरकारों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अपराधों में कमी आयी है। इस बजट में सभी वर्गों का, यह बजट जन-कल्याणकारी बजट रहा है। मजदूर, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, महिला, बच्चे सभी लोगों के लिए बजट में...

श्री सभापति: धन्यवाद हीरालाल जी।

श्री हीरालाल (निवाई): अभी दो मिनट और चाहूंगा माननीय सभापति जी। इस तरह का बजट एक ऐतिहासिक बजट है। मेरे निवाई शहर में अपराधों की काफी घटनाएं होती हैं। चूंकि सवाईमाधोपुर, जयपुर, इधर टोंक के बाद बूंदी, ये नजदीक पड़ते हैं, अपराधी घटना कारित करके वहां भाग जाते हैं। निवाई शहर में मैं मांग करूंगा माननीय गृह मंत्रीजी, और मेरी यह मांग पांचवी बार है, पांच साल हो गये, मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि निवाई में सदर थाने की व्यवस्था हो। आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। एक गहलोत घाट है। मेरे यहां पीपलू में बजरी का बहुत भंडार है, जहां बजरी के लिए आये दिन मारपीट होती है और यहां तक कि हत्याएं भी हो जाती हैं। अगर गहलोत घाट में एक पुलिस की चौकी माननीय गृह मंत्रीजी, कायम कर दी जाए तो अपराधों पर रोक लगेगी। मेरा एक यह भी अनुरोध है कि पुलिस के लोग चौबीस घंटे काम करते हैं, उनको सुविधाएं भी दी जाएं, जिस तरह से मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा छुट्टियां दी जाएं ताकि उनके मानसिक तनाव में कमी आए।

श्री सभापति: आ गया विषय। आ गया है यह।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापति जी मैं तो बहुत कम बोलता हूं वैसे ही। बस साहब, कर रहा हूं मैं। पुलिस थानों में जो नफरी कम है, उसको भी दूर किया जाए। गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा आपके पिछले कार्यकाल में 2003 से 2008 तक पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था हुई, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी और आप दोनों बधाई के पात्र हैं जो जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट लागू हुआ। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इतने निष्पक्ष और स्पष्टवादी हैं और आप अपराधियों को कभी किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। अगर कोई अपराध करेगा तो आपके यहां अपराध करने पर सजा मिलेगी। अपराधी आज कल इस तरह के हो गये हैं कि नदी, पर्वत और गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, चमन बेच देंगे, नारी का सत बेच देंगे और वतन बेच देंगे, देश के नौजवानों, संभल जाओ ये हमारे शूरवीरों का रण बेच देंगे। ये अपराधी लोग, अगर सचेत नहीं हैं तो गृह मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा ये गरीब का कफन भी बेच देंगे। इसलिए पुलिस को सशक्त होने की आवश्यकता है। आपने मुझे समय दिया। आपका बहुत-बहुत आभार। जय हिन्द, जय भारत, वंदे मातरम।

श्री सभापति: माननीय तरुण राय जी कागा। कृपया पांच मिनट में अपना वक्तव्य पूरा करें।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): शुक्रिया। मैं सबसे पहले आज आपने मुझे महकमा-ए-दाखिला के मौजूं पर बोलने की जो इजाजत दी, इसके लिए मैं आपका मशकूर-ममनून हूं।

(19.00 बजे)

सभापति महोदय, हमारे इस सूबे की वजीरे आला इज्जतेमुआब वसुन्धरा जी राजे ने हमारे इस बजट के जरिए, राजस्थान की आम जनता के, आम अंदाज को दाखिला-ए-महकमे में जो काफी कुछ ऐलान किया है वह काबिले तारीफ है। मैं इसके लिए सताइश अल्फाज से उनका आजयान करूंगा।

सभापति महोदय, हमारे सूबे में वजीरे आला ने हालांकि पुलिस महकमे के कारिंदों को काफी कुछ एलाउसेंज में भी इजाफा किया है। उसके अलावा काफी कुछ ऐलान किए हैं। आपने मुझे कम टाइम दिया है लेकिन मैं यह कहूंगा कि हमारे इस सूबे में पहली मर्तबा बांसवाड़ा मुख्यालय पर मेवाड़,

(श्री तरुण राय कागा)

भील बटालियन स्थापित किये हैं, 1161 कांस्टेबल भर्ती करने का ऐलान किया है यह भी बहुत बड़ी सौगात है। एस टी तबक़े के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। बहुत बड़ा पैगाम हमारे प्रदेश में जाएगा। मैं इसके लिए इज्जतेमुआब वजीरेआला का शुक्रिया अदा करूंगा।

दाखिला-ए-महकमे में 5718 नई भर्तियों का ऐलान किया है वह भी बहुत बड़ी सौगात है। हालांकि हमारे इस जालिम मजलूम, गुलाम-जोर जबर्दस्ती कई जुमलों पर हमारे सत्ता पक्ष वाले और हिज्ज-ए-मुखालिफ तबके के लोगों ने भी काफी किया है लेकिन मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि-

खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा,
गर सभी बंदे नेक हों तो गुनाह कौन करेगा।
ऐ खुदा मेरे दोस्तों को रखना सलामत,
वर्ना मेरी सलामती की दुआ कौन करेगा।
ऐ खुदा मेरे दुश्मनों को भी रखना महफूज,
वर्ना मेरे मरने की दुआ कौन करेगा।

मेरे प्यारे दोस्तों, सभापति महोदय ने समय का बैन लगा रखा है लेकिन मैं एक अर्ज करना चाहूंगा कि

मय भी है, मीना भी है, सागर भी है, साकी नहीं,
मेरे चौहटन धनाऊ तहसील भी है, पंचायत समिति है पर खाकी नहीं।

मेरी इल्तजा है कि हमारे महकमे दाखिला में तहसील भी है, पंचायत समिति भी है, मेरे थाना नहीं है। तो इसलिए मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है, दरख्वास्त है, मेरे धनाऊ में आप जुल्मों, गुनाहों, अपराधों की रोकथाम करने के लिए अगर यह बंदोबस्त कराएं, इंतजाम कराएं तो मैं सोचूंगा कि मुझे इस बजट में बहुत बड़ी सौगात इस होम डिपार्टमेंट से मिल गयी है।

मेरी आपसे यह भी गुजारिश है कि आप थोड़ा मेरे को टाइम दे दीजिए। हमारे दोस्तों को, यह तीन जने हैं तो तीन जने ही खूब,

वफा का वास्ता देकर कारवां लूटने वालों
सज़ा आपको मिलेगी वह वक्त आने दो।

शुक्रिया जय हिन्द।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। वाद विवाद का उत्तर। माननीय गृह मंत्रीजी देंगे। श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से आज बस्सी से आने वाली माननीय विधायका ने एक सवाल कानोता थाने के बारे में रखा। उनको जवाब देना था, 649/17 वहां एक मुकदमा दर्ज था 420, 467, 468, 471, 453 और 420. इसमें अनुसंधान के बाद हनुमान और कानाराम के साथ जुल्म प्रमाणित है। पुलिस की टीम 26 तारीख को शाम सात बजे वहां पर गयी। हनुमान, कानाराम को लेकर आ रही थी। गांव के लोगों ने पुलिस की टीम को घेर लिया और उनके साथ पत्थरबाजी व मारपीट की गयी। बाद में दूसरी फोर्स भी गयी और उनको छुड़ाकर लाई। तो पुलिस के लोगों को लगा, वास्तव में पुलिस अपनी ड्यूटी तो करेगी ही, अगर मुलजिम है तो पकड़ने तो जाएगी। चाहे सारा गांव आ जाए, सारा देश एक तरफ आ जाए, वह तो अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी। इसमें पुलिस की कोई कमी नहीं थी, पुलिस की कोई गलती नहीं थी, ईवन उन्होंने हमारी गाड़ी तोड़ी। पुलिस के साथ मारपीट की। तीन लोग इंजर्ड हुए हैं। फीती थी वह तो भीड़ में से किसी के हाथ में आ गयी होगी, वह उसके पास हो सकती है। यह तो मैंने केवल जानकारी दी।

मैं आज की मांग संख्या-16 और 17 पर माननीय सदस्यों का बहुत ही धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपने सुझाव दिए। अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को भी उजागर करने का प्रयास किया। उनके क्षेत्र में हुई कुछ तफ्तीश के बारे में भी, उनके मन में यह संदेह रह गया कि अभी जो न्याय मिलना चाहिए था वह न्याय नहीं मिला।

लगभग 260 कट मोशन मुझे पुलिस विभाग में मिले हैं और 112 कट मोशन जेल विभाग के मिले हैं। लगभग 18 लोगों ने अपनी बात रखी है। सबसे पहले तो मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि इस पूरे बजट सत्र में पुलिस के बारे में जब कभी भी, जो भी डिस्कशन हुआ, उसमें मैंने जवाब दिया या आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं व्यक्तिगत रूप से इनके प्रत्येक कागज को देखकर आपको इसका सही उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ताकि जो कुछ सच हो सके उसको मैं बाहर निकालने का प्रयत्न करूंगा, इतना मैं आश्वस्त करता हूं।

कमियां-खामियां रह सकती हैं, पुलिस भी आपकी है और मेरे ही बच्चे हैं। आपके और मेरे ही मिलने वाले हैं। मैं कोई जादू चलाकर उनको एक दिन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

में राजा हरिशचन्द्र तो नहीं बना सकता, पर प्रयत्न कर रहा हूं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे पुलिस की जो टीम मिली है, ऊपर की टीम है, उसमें काम करने की जिद भी है, काम करने का मन भी है और एक टीम के रूप में काम करने का प्रयास भी कर रहे हैं। मैं इसलिए आपको आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से मैं इस बारे में आपको सही परिणाम देने का प्रयास करूंगा।

हम पुलिस से बहुत उम्मीद करते हैं लेकिन पुलिस के बारे में जो समस्याएं हैं उनको समझने की भी, उसके आधार पर संसाधन मिलेंगे तब जाकर जो हम कल्पना कर रहे हैं उस कल्पना को साकार करने में हम सफल हो पाएंगे।

(19.09 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

100 वर्ग किलोमीटर के अन्दर पुलिसकर्मी की स्ट्रेंथ है वह भारत में 54 लोगों की आती है। राजस्थान में 100 वर्ग किलोमीटर में 27 की स्ट्रेंथ आती है, यानी जस्ट आधी। 100 वर्ग किलोमीटर में एक लाख की जनसंख्या पर देश का एवरेज है वह 138 पुलिस कर्मी का है। मेरे यहां 134 का है। देश की एनसीआर की रिपोर्ट है उसके अनुसार प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान हिन्दुस्तान के 24वें पायदान पर है। कुल 31 है, छोटे-बड़े सारे मिलाकर, उसमें 24वें पायदान पर हूं। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर की स्ट्रेंथ के आधार पर जो मेरे पास उपलब्ध है वह 27 है।

इसी तरह से एक लाख की जनसंख्या पर जो मेरे पास पुलिस है, मैं हिन्दुस्तान में 31 छोटे-बड़े राज्यों में 21वें पायदान पर हूं। अर्थात् मेरे पास प्रति किलोमीटर के हिसाब से संख्या कम है। फिर भी जितना, जो कुछ भी है, इसके आधार पर मैं यह जवाब नहीं दे सकता हूं कि मैं यह काम नहीं कर पा रहा हूं। मेरी ड्यूटी है, मेरे विभाग की ड्यूटी है, जो कुछ भी साधन मेरे पास उपलब्ध हैं, और कोई एक-दो दिन में ये साधन उपलब्ध नहीं हुए हैं, ये पूरे 60-70 सालों में जो कुछ मिला है, उन सबका हिसाब मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं सोचता हूं कि अभी यह जो प्रति एक लाख किलोमीटर के हिसाब से जब हम कल्पना करते हैं, हम दूसरे राज्यों से जब इसकी तुलना करते हैं तो हमें समझ में आता है कि मणिपुर में 984 लोग हैं प्रति एक लाख की जनसंख्या पर, पंजाब में 264 हैं, महाराष्ट्र में 153 हैं, तमिलनाडु में 164 हैं, हरियाणा में 156 हैं, राजस्थान में मेरे पास 134 हैं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कई बार एन.सी.आर. की रिपोर्ट के आधार पर बार-बार कहते हैं, आप चौथे पायदान पर हैं, आप तीसरे पायदान पर हैं, आप दूसरे पायदान पर हैं। वह भी सच है। लेकिन यह भी सच है कि मैं अपने संसाधनों की दृष्टि से कहां स्टैण्ड कर रहा हूं, उसको भी हमें ध्यान में लाना चाहिए। राजस्थान में हिन्दुस्तान के टोटल भूभाग में से 10 पर्सेंट भूभाग है और 6 परसेंट मेरे पास हिन्दुस्तान की जनसंख्या है। उसकी एवज में जो मेरे पास संसाधन हैं, वह मैंने आपके सामने रखा है।

कई बार, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य हैं, मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूं, पर हकीकत से भी सदन को अवगत कराना चाहता हूं। मैं कह सकता हूं कि जो बजट हम लोगों को उपलब्ध हुआ है, 2009 से लेकर 2013 तक आप लोगों ने पांच साल तक काम किया। राजस्थान का साल भर का पुलिस का बजट, हमने 2134 करोड़ रुपये आपको दिया था, वह आपने बढ़ाकर 3361 करोड़ रुपये किया। अर्थात् आपकी पांच वर्ष की जो सारी वृद्धि है, वह 57 प्रतिशत की वृद्धि है। इसकी तुलना में 2014 से लेकर 2018 तक, यह जो हमारा कार्यकाल है, इसमें 3361 करोड़ रुपये हमको बजट का एलोकेशन मिला और आज हमारे पास 6215 करोड़ रुपये का बजट का एलोकेशन है। यह वृद्धि 85 प्रतिशत है। अर्थात् जो भी साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उसमें से अधिक से अधिक साधन देने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर हम पुलिस विभाग का राजस्थान के बजट में स्थान देखें तो हम केवल 2.75 पर हैं। टोटल राजस्थान के बजट का पुलिस को जो बजट मिलता है वह 2.57 प्रतिशत मिलता है। देश में इस दृष्टि से हम 21वें पायदान पर काम करते हैं।

मैं मुख्य मंत्रीजी का वास्तव में बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, मैं सोचता हूं कि जो पैसा मुझे इस बार दिया है, वह मैं कह सकता हूं कि उन्होंने पूरा दिल खोल करके पुलिस को स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया है। यद्यपि आवश्यकता से वह कम हो सकता है। लेकिन माननीय सदस्यों ने जो बात रखी है, मैं उसको रिपीट नहीं करुंगा। मैं सोचता हूं कि यह जो दो हजार रुपये किया है, यह 80 हजार पुलिस को मिलेंगे। 1600 रुपये मिलते थे, उसकी जगह 400 रुपये एक साथ, अब तक देश की आजादी से लेकर राजस्थान के किसी भी बजट में पुलिस का जो मैस भत्ता है, वह एक साथ 400 रुपये नहीं बढ़ा। यह पहली बार बढ़ा है। इस 400 करोड़ रुपये का मतलब समझ में आता

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

है कि केवल 400 करोड़ का मतलब 36 करोड़ रुपये राजस्थान का वर्ष का बजट पुलिस के इस पर जाएगा। यद्यपि कुछ सदस्यों ने कहा कि फिर भी कम है। मैं इसको स्वीकार करता हूं। आज की जैसी डाइट होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस को भोजन का खर्चा मिलता है, वह 2660 रुपये प्रति व्यक्ति मिलता है। अभी हम उससे नीचे हैं। लेकिन 1600 से सीधे के सीधे 2000 तक हमको मिला है। यह केवल हमको नहीं, बाकी सारे विभाग को इसमें मिला है। वाहन की दृष्टि से आपने बता दिया। बांसवाड़ा में एक नई मेवाड़-भील कोर की सैकिण्ड यूनिट और हमें स्वीकृत हुई है, जिसमें 1161 लोगों की भर्ती होगी।

आवासीय भवन में, मैं आगे और बताऊंगा। क्योंकि बड़ी आलोचना की कि आवासीय भवन में आपने कुछ नहीं किया। इसलिये नहीं कि आपको बता करके मैं कोई अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं। पर यह हकीकत है कि वास्तव में जो पुलिस की परेशानी है, आवास भी उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरह का जीवन वे जीते हैं और जिस ढंग से वे काम करते हैं। अगर रात को सोने के लिये भी उसको 6 फीट X 3 फीट की जगह नहीं मिलती है तो उनके जीवन में कष्ट तो महसूस होता है। जब मैं पिछली बार भी गृह मंत्री बना था, तब मेरे को इस बात की, क्योंकि मैंने कई थाने चैक किये। उस समय लगा कि रात को कोई सीढ़ी पर बैठा-बैठा नींद ले रहा है, कोई टेबल पर बैठा-बैठा या टेबल का सहारा लेकर कर रहा है। कोई रात को अपनी ड्यूटी देते हुए बैंच पर बैठा हुआ नींद निकाल रहा है। हमने पिछली बार भी प्रयत्न किया था कि इन लोगों को इस प्रकार के आवास की सुविधा मिलनी चाहिए। अबकी बार भी आवास की दृष्टि से हमको 164 करोड़ रुपये मिले थे।

सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फोर सिक्योरिटी काउंटर-टैररिज्म एण्ड एंटी इन्सर्जेंसी, इसमें हमको 275 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, 91 करोड़ हमारा होगा, बाकी सारा पैसा केन्द्र सरकार ने हमको इस एंटी टैररिज्म यूनिट को स्थापित करने के लिये स्वीकृति दी, उसका काम है। होम गार्ड का नियोजन, जो हमारे यहां कुछ कम हो गया था, पिछली बार हमको ज्यादा था, बीच में थोड़ा कम हुआ, वापस हमको ढाई हजार की स्ट्रेंथ इसमें उन्होंने वापस दी।

यह जो कट-मोशन दिये हैं, इनको मैंने अलग-अलग डिवाइड किया है। मैं हर-एक कट-मोशन का उत्तर कल तक आपके पास पहुंचाने का प्रयत्न

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

करूंगा। इसमें से अधिकांश कट मोशन, थाने-चौकी खोलने के लिये 74 हैं, 13 वृत्त कार्यालय खोलने के हैं, 30 सीमांकन परिवर्तन से सम्बन्धित हैं, 33 पुलिस स्टाफ तथा 19 प्रस्ताव भवन निर्माण और 18 प्रस्ताव आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस के भ्रष्टाचार सम्बन्धी 12 प्रकरण हैं, मैं उन 12 ही प्रकरणों को ठीक प्रकार से देख करके जो भी उचित कार्यवाही होगी, वह निश्चित रूप से करूंगा। कानून-व्यवस्था सम्बन्धी 10 हैं, अपराध अन्वेषण सम्बन्धित 28 प्रस्ताव हैं।

आपको और हमें यह मानना होगा कि पुलिस जब जागती है तब हम आसानी से सो सकते हैं। अगर पुलिस नहीं जागेगी तो आपकी और हमारी नींद लेना कठिन होगा। उसके पास काम बहुत कठिन है। फिर भी वह करने का प्रयास करता है। अपराध इसलिये है कि अपराध के कारण से मैं सोचता हूं कि पुलिस के बारे में जो कुछ भी कहें, जहां कमी लगती है, उसको कहना आपका और मेरा, दोनों का फर्ज है, मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के जितने संगीन अपराध हैं, कुछ को छोड़कर, सेंट-परसेंट तो नहीं लेंगे, बाकी अधिकांश जो हैं, वे सारे के सारे खोल दिये हैं, सारे के सारे मुलजिमों को हमने पकड़ा है। 5-7-10 पर्सेंटेज ऐसे हो सकते हैं, जो अभी अनटैस्टेड हैं, उनमें कुछ ब्लाइंड मर्डर भी हैं, जो खुले हैं, हमने उनको बंद नहीं किया है। आज भी हम उन पर लगे हुए हैं। आज नहीं तो कल, कई बार ऐसे मर्डर केस 2-2, 3-3 साल के बाद भी खुल जाते हैं, तो उसका प्रयास करेंगे।

जब मैं आपके सामने अपराध की, आपने कहा कि ऐसा हो, वैसा हो, मैं कारण बताता हूं। यह अपराध, राजस्थान हिन्दुस्तान में पहला राज्य होगा, जिसने लगातार तीन साल से अपराध, आई.पी.सी. अपराध के लगभग सभी हैड, एक-आध हैड में इक्विल हैं। चोरी के मामले में पहले भी इतना ही, अब भी इतना ही है। बाकी सभी में, जितने भी अपराध के जो हमारे पैरामीटर्स हैं, उन सभी में अपराध की दृष्टि से कमी हुई है। कमी का कारण है। इसके लिये प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि यह कोई अचानक आसमान से पड़ा और कम हो गया। ऐसा नहीं है। एक तो सतत् समीक्षा सम्भागवाइज मैंने की है। मैं आपके सभी सम्भाग केन्द्रों पर दो-दो बार आया। एक बार मैंने 862 थानों की ही पोजीशन क्या है, क्राइम कहां है, किधर जा रहा है, पहले मैंने अधिकारियों के साथ एक राउण्ड पूरा किया और दूसरा राउण्ड मैंने जन-प्रतिनिधियों को भी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बुला करके प्रत्येक थाने का प्रजंटेशन दे करके बताने का प्रयास किया कि हम इस अपराध में यहां टिके हुए हैं, इस अपराध में हमारी यह स्थिति है। जो सुझाव आप लोगों ने दिया, उसको हमने धरती पर और काम में उतारने का भी प्रयत्न किया। उसके कारण से भी अपराध कम हुआ।

जन सुनवाई मैं स्वयं तीन घण्टे पूरे करता हूं। सवेरे नौ से दस करता हूं। शाम को साढ़े सात से साढे आठ करता हूं और दिन में भी सचिवालय में चार से पांच करता हूं। ताकि कोई भी व्यक्ति बिना किसी पास के मेरे पास आ सकता है, अपनी बात कह सकता है। जितना सम्भव हो सकता है, मैं यह गारण्टी तो नहीं करता हूं मैं हर-एक को ही, और पूरा का पूरा न्याय मिल ही गया होगा। लेकिन प्रयत्न किया है। मैं ही नहीं, मैंने अपने सारे एस.पीज. को भी इस बात के लिये पाबन्द कर रखा है कि बारह से लेकर एक तक पब्लिक का कोई भी आदमी आपके आफिस में आकर अपनी बात को कह सकता है। अगर किसी कारण से दौरे पर जाएं तो उसकी जगह एडिशनल एस.पी. या कोई जिम्मेदार अधिकारी को बैठाएं, जो कम से कम व्यक्ति के बारे में सुने।

फिर यह जो गश्त और नाकाबंदी जब हमने की, उसके कारण से भी, समय-समय पर यहीं से डी.जी. कहते हैं कि आज रात को 2.00 बजे से लेकर सवेरे 4.00 बजे तक नाकाबंदी होगी तो जितने भी थाने हैं, उन सब पर नाकाबंदी करते हैं, कभी गश्त करते हैं और इसमें कई संगीन अपराधी पकड़े गये हैं गश्त के टाइम में। जिसमें यह पेपर आउट कराने वाली गैंग उसी समय में पकड़ी गयी, यह जो रोबरी करती है नेशनल हाइवे पर, वह उसी समय पकड़ी गयी। कई ऐसी गैंग हैं जो गश्त के समय पकड़ी गयीं।

आज हिन्दुस्तान में पहला राज्य राजस्थान है जिसने अपने कार्य मूल्यांकन की व्यवस्था की है। प्रत्येक थाने का कार्य मूल्यांकन हर महीने में थानेदार यह देख सकता है कि मैं 862 थानों में किस रैंक पर टिका हुआ हूं, 615 पर हूं, 14 पर हूं, 34 पर हूं, किस रैंक पर हूं। एस.पी. 42 में से अपना हर महीने की तारीख को देख सकता है कि इस महीने में मेरी वर्किंग, मेरे जिले की वर्किंग कैसी रही, उसके कारण से भी आपस में एक प्रतिस्पर्धा के कारण से भी अपराधों पर नियन्त्रण हुआ है।

प्रभावी निरीक्षण- निरीक्षण के लिये नाम का कोटा तो जरूर होता है, लेकिन नहीं होता। मैं भी हर महीने पी.एच.क्यू. में मीटिंग लेकर सारे के सारे प्रदेश का रिव्यू भी करता हूं और जो अधिकारी है, वह निरीक्षण पर जाते हैं

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कि नहीं जाते हैं। कई बार निरीक्षण का कोटा अन्त के दो महीने में पूरा कर देते हैं साल भर का, मैंने उसको टुकड़ों में बांटा कि नहीं, एक साथ करने का कोई अर्थ नहीं है। समय-समय पर उसका निरीक्षण ठीक प्रकार से हो। विरोधात्मक कार्यवाही जितनी प्रभावी होगी, उतना ही क्राइम अपने आप आएगा। अगर क्राइम होने के पहले ही हम क्राइम करने वाले व्यक्ति के साथ सख्ती से पेश आ जाएं तो क्राइम पर निश्चित रूप से कंट्रोल हो सकता है।

यह जरूर है कि यह जो स्टैंडिंग वारंटी, भगोड़े, धरपकड़, इस बारे में बहुत अधिक हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन कुछ आगे बढ़े हैं। इसमें आज भी कमी है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। अगर इसको और प्रभावी बनाएंगे और वास्तव में यह जो भगोड़े और वारंटी को पकड़ने का निश्चित रूप से प्रभावी ढंग से अभियान चले तो और सफलता मिलेगी।

राजपासा के अन्दर हमने प्रभावी कार्यवाही की है। मैं सोचता हूं कि राजपासा में, पिछले सालों की तुलना में हमने 46 लोगों को इन पांच सालों में राजपासा के तहत एक साल तक उनको बंद किया है।

अब आई पी सी अपराध की दृष्टि से जो कमी है, वह केवल आंकड़ों के हिसाब से नहीं है, सच्चाई क्या है, धरातल के ऊपर लाने का प्रयत्न किया और इसका मूल्यांकन करें तो जब 2004 और 2008 में हमारी सरकार थी, हमने 1 लाख 45 हजार 579 मुकदमों पर छोड़ा था और 2008 में हमने छोड़ा था तो 1 लाख 51 हजार 117 अर्थात् 3.8 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिवर्ष के हिसाब से हुई अपराध में। उसके बाद 2009 से लेकर 2013 तक राज आपके पास रहा। हमने 1 लाख 51 हजार 117 पर छोड़ा था, वह आपने वापस छोड़ा है 1 लाख 96 हजार 224, और यह जो वृद्धि है आपकी, हमारी वृद्धि 3.8 प्रतिशत थी, आपकी वृद्धि अपराधों में 30 प्रतिशत की थी और हमने 2014 से 2017 तक किया है, जो आपने 1 लाख 96 हजार 224 पर छोड़ा था, उसको हम 1 लाख 69 हजार 944 पर लाये, लगभग 13.39 प्रतिशत, इन तीन सालों में, जब से हमने सरकार संभाली। पहले साल 2013 में आपका जो अपराध बढा, वह 2012 से 2013 में 14 प्रतिशत बढ़ा। हमने जब 2013 से 2014 में लिया तो हमारा भी अपराध बढ़ा, 7 प्रतिशत बढ़ा और उसके बाद ...(व्यवधान)

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): नहीं, आपको सम्बोधित कर रहे हैं। यह आपको सम्बोधित कर रहे हैं बार-बार कि आपने 3 प्रतिशत अपराध बढ़ा दिया, 4 प्रतिशत अपराध बढ़ा दिया। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अब आपका मतलब अपने आप समझ जाएं। कहने की जरूरत नहीं है और समझने वाले समझ रहे थे, आपको ही समझ में नहीं आया, यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पर आजकल आप भी समझने लग गये हो। जब से दूर हुए हो ...(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आई.पी.सी. के लगभग जो सभी हैड हैं, आई.पी.सी. के अपराध, जो 2014 में था, वह तो हमारे टाइम में 7 प्रतिशत बढ़ा था, उस समय आई.पी.सी. अपराध की जो गिनती है, वह 2 लाख 10 हजार 418 हुई। तीन वर्षों में यह घटकर 40 हजार कम हुए और उसके कारण से 20 प्रतिशत इसमें, 1 लाख 69 हजार पर छोड़ा अर्थात् 40 हजार इसमें अपराधों की संख्या में कमी आयी, लगभग 20 प्रतिशत की। देश में जो कुल आई.पी.सी. अपराध है, यह 2016 की नेशनल क्राइम रिपोर्ट है, उसका रैफरेंस मैं आपको दे रहा हूं। देश भर का जो क्राइम है, वह एक प्रतिशत बढ़ा और हमारा क्राइम माइनस 9 प्रतिशत घटा है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट के आधार पर 2016 का माइनस 9 प्रतिशत घटा है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ...(व्यवधान) बढ़ रहे हैं इतना ज्यादा, यह घट कहां से रहे हैं आंकड़ों में?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप धैर्य से सुनो। आपने जितने विषय खड़े किये हैं, मैं आपको प्रत्येक विषय का जवाब दूंगा। उसके बाद भी अगर कुछ चीज बाकी रह जाएगी तो मैंने आपको कहा है कि आपके हर कट मोशन को पढ़ने के बाद अगर कोई जवाब इसमें कवर नहीं हुआ तो मैं जवाब आप तक पहुंचाऊंगा और उस पर कार्यवाही भी करूंगा। जघन्य अपराध की दृष्टि से, जो बहुत ही जघन्य अपराध हैं, उसमें हम देश में सातवें स्थान पर हैं और सातवें, जितनी हमारी आबादी है, 6 करोड़ से अधिक आबादी के जो राज्य हैं, उनकी दृष्टि से हमारा सातवां स्थान है। उत्तर प्रदेश में जघन्य अपराध 15 प्रतिशत हैं, महाराष्ट्र में 10 प्रतिशत हैं, बिहार में 10 प्रतिशत हैं, पश्चिम बंगाल में 8 प्रतिशत हैं, मध्य प्रदेश में 6.2 हैं, कर्नाटक में 5.5 हैं और राजस्थान में 4.3 प्रतिशत हैं। हम जघन्य अपराध की दृष्टि से भी सातवें पायदान पर हैं। अपराध की दर हमारी 1 लाख एक अपराध की दृष्टि से मैंने आपको बताया राजस्थान 246 पर होकर लगभग आठवें पायदान पर है। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि आज आमेर से आने वाले माननीय सदस्य नेशनल

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

क्राइम रिपोर्ट को निकालकर ही डाक में खड़ा करने का प्रयास करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही बता दूं ताकि कम से कम उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहे।

महिला अत्याचार की दृष्टि से निश्चित रूप से हमारा प्रान्त आज भी टाप चार में हैं। इसमें कोई दोराय नहीं, लेकिन फिर भी इन अपराधों में कमी लाने का प्रयत्न हुआ है। 2012 में हमारे यहां महिला अपराध 21,975 था, आज की तारीख में उसके बाद फिर 29 हजार हुआ, फिर 32 हजार हुआ, फिर 2015 में 29 हजार, 2016 में 28 हजार और इस साल 25,560 हुआ। अर्थात् इसमें भी, इन अपराधों में निरन्तर कमी आयी है। अगर इन चारों सालों का अपराध लें तो हमारे यहां माइनस 21 प्रतिशत महिला अपराध, इन चारों सालों में कम हुआ है। यह मैं आपके सामने रख रहा हूं।

इसी तरह से आप देखेंगे कि महिला अत्याचार 2003 के अंत में 12,198 पर हमने आपको सुपुर्द किया था। वह 2008 में हमने 15,174 पर दिया था अर्थात् हमारे टाइम पर महिला अपराध 24 प्रतिशत बढ़ा था पिछले कार्यकाल में, आपको हमने दिया था, 2013 में हमने आपको सुपुर्द किया था तो आपका जो अपराध बढ़ा है वह 29,150 हुआ, अर्थात् 92 प्रतिशत आपके पिछले कार्यकाल में महिला अपराध की दृष्टि से राजस्थान पहुंच गया था। अब हम लगातार इन अपराधों को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं और 2013 से 2017 तक 12.31 प्रतिशत कम हुआ है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): ...(व्यवधान) मंत्रियों वाले तीनों अपराध जुड़ गये थे क्या?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सारे अपराध जुड़े हुए हैं, आपके-मेरे भी हैं इसमें। जो एफ आई आर दर्ज हो गयी, वह सब जुड़े हुए हैं। अब इसमें आप अपने आपको देख लो कि इसमें आपका नाम आता है कि नहीं आता, मुझे मालूम नहीं। इसी प्रकार बलात्कार के प्रकरण में, सभी में एक तरह से रिडक्शन आया है। बलात्कार की दृष्टि से राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर था 2014 में, 2015 में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान तीसरे पायदान पर आया है और अब 2016 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथे पायदान पर आया है। हर बार एक-एक कदम हम नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब इस प्रकार बलात्कार के अपराध में भी हमने कमी देखी है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

दहेज-मृत्यु की दृष्टि से भी, मैंने सारे हैड को इसीलिये लिया कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रह जाए कि हमने कोई यूं ही कह दिया। हमने पूरा का पूरा रिकार्ड देखकर किया है। दहेज-मृत्यु के प्रकरण में इन बड़े राज्यों में, उत्तर प्रदेश में 2473, बिहार में 987, मध्य प्रदेश में 621, पश्चिम बंगाल में 535 के बाद राजस्थान 462 करके पांचवें स्थान पर आया है। इसी तरह से बाकी सारे अपराधों में भी कमी हुई है।

यहां एस.सी., एस.टी. के बारे में आज कई माननीय सदस्यों ने इस प्रकार से कहा कि एस.सी., एस.टी. के अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है।

मैं इसके आधार पर यह नहीं कहना चाहता हूं कि अपराध घट गये इसका मतलब सब स्वर्ग हो गया, ऐसा नहीं है। अपराध हो रहा है, अपराध घटित है, अपराधी को ढूंढ भी रहे हैं और अपराधी कई मिल भी नहीं रहे हैं, यह बात सच है लेकिन अगर आकड़ों की दृष्टि से देखें तो हमने सुधार करने का प्रयत्न किया है। एस.सी. अत्याचार के विरुद्ध अपराध 2004 से लेकर 2008 तक 4329 मुकदमे दर्ज हुए थे, यह कम होकर 4302 रहे थे 2008 में अर्थात्, लगभग कोई 20-22 की कमी थी जबकि 2009 से लेकर 2013 तक का आपका जो कार्यकाल रहा, अनुसूचित जाति के प्रति अपराध 4302 जो हमने सुपुर्द किया था वह आपने 6465 अर्थात्, 50 प्रतिशत आपके टाइम में अपराध बढ़ा था और अब इन चार वर्षों में अनुसूचित जाति के प्रति अपराध कम होकर यानी, जो आपने 6465 पर छोड़ा था, वह आज 4046 है। अर्थात्, हम लोगों ने लगभग यह 37 प्रतिशत अपराध जो है न शिड्यूल्ड कास्ट के इन चार वर्षों में कम हुआ है, 37 प्रतिशत अपराध कम हुआ है।

एस.टी. का भी ऐसा ही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): विराजिये आप, विराजिये। यह अपने बस की बात नहीं है, आप विराजिये। यह आंकड़े लिख लो पहले।

श्री घनश्याम (टोड़ाभीम): मुकदमे ही दर्ज नहीं होंगे तो फिर वह उसका अंतर घटेगा ही।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): घनश्यामजी, बैठ जाओ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): घनश्यामजी, मैं इन अपराध के आंकड़ों के आधार पर यह नहीं कहना चाहता हूं कि हमने कोई स्वर्ग उतार दिया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। अपराध घटित हो रहे हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है, पर संख्या में कमी आयी है। बार-बार इस बात को उठाकर कि राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब पर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है इसलिए मुझे मजबूर होकर यह सारे आंकड़े आपको जवाब देने के लिए लेकर आने पड़े।

इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति में अपराध में वर्ष 2004 से 2008 में 1031 मामले चले थे, यह मामूली बढ़कर, जब हमने 2008 में छोड़ा था तो 1038 हुआ, 1031 से बढ़कर 1038 अर्थात्, 7 अपराध बढ़े और 2013 में जो आपको हमने छोड़ा था, उसका जो अपराध आपने वापस हमें सुपुर्द किया तो 1651 अर्थात्, 59 प्रतिशत, 59 प्रतिशत अपराध वर्ष 2009 से लेकर 2013 के बीच में बढ़ा और अब गत तीन वर्षों में यह अपराध घटकर 2017 के अंत में 975 रह गया अर्थात् अनुसूचित जनजाति के अपराध में गत चार वर्षों में 41 परसेंट का रिडक्शन आया, 41 परसेंट का। यह नहीं है कि यह अपराध बढ़ रहे हैं, मैंने कहा न कि जो कार्यवाही हमने स्थानीय और विशेष में किया उसके कारण से है, निरोधात्मक कार्यवाही की, उसके कारण से है।

जिसके कारण से पुलिस की सामान्यत: छवि खराब रहती है वह सम्पत्ति संबंधी अपराध हैं। वास्तव में यह सच है कि आज भी सम्पत्ति संबंधी अपराध में कोई बहुत बड़ा उल्लेखनीय काम तो नहीं हो पाया कि उस पर एक तरह से कंट्रोल हुआ हो। आज भी हम उसमें 2017 में सम्पत्ति संबंधी अपराध, राज्य में लूट में 28.7 कम परसेंट हुआ, नकबजनी में 5.2 प्रतिशत कम हुआ और डकैती में 28.79 प्रतिशत कम हुआ है। भारतीय दंड संहिता के अपराधों में हमारा चालानी परसेंट 74.71 है और बरामदगी परसेंट राजस्थान का 52.65 प्रतिशत है। इस दृष्टि से राजस्थान हिन्दुस्तान के दूसरे नम्बर के राज्य के रूप में गिना जाता है जो बरामदगी परसेंटेज हमारा था। बरामदगी परसेंट में राजस्थान 54 प्रतिशत है, मध्य प्रदेश 30 प्रतिशत पर है, उत्तर प्रदेश 26 प्रतिशत पर है, बंगाल 15 प्रतिशत पर है, महाराष्ट्र 7 प्रतिशत पर है। टोटल हिन्दुस्तान की बरामदगी परसेंट है 15 और हमारा बरामदगी परसेंट है 54 प्रतिशत अर्थात्, देश में नम्बर-दो पर बरामदगी की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पासा एक्ट में जैसा मैंने बताया कि इन चार वर्षों में हमने 73 गम्भीर अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के राज पासा एक्ट में प्रकरण प्रस्तुत किये और उसमें से 13 रिजैक्ट हुए और 60 लोगों को हमने अन्दर भेजा क्योंकि इसमें कोर्ट के द्वारा भी, हमारे द्वारा पासा एक्ट के तहत जिसको बंद करते हैं उसका वैरिफिकेशन उनके द्वारा होता है कि वास्तव में आपने जो किया वह ठीक किया या नहीं? पासा एक्ट का मतलब है कि आदमी जो अपराधी, संगीन अपराध करता ही चला जा रहा है, उसको बिना किसी आधार के हम एक वर्ष तक डिटेन कर सकते हैं, यह कलक्टर को अधिकार दिया है।

2010 से 2013 में आप लोगों ने पासा में केवल 27 लोगों को गिरफ्तार किया और हमने उन 73 के केस बनाये और उसमें से 60 लोगों को हमने गिरफ्तार किया।

यह जो भगोड़े और वारंटी के बारे में मैंने बताया, संख्या है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय काम हमारा इसमें हुआ हो, यह मैं नहीं मानता हूं। कोशिश करेंगे कि इसको और ठीक करें।

जो काम हमने किया, यह जो संगठित गैंग थी, जिनके कारण से राजस्थान रोज किसी न किसी, क्योंकि कोई भी ऐसा सत्र नहीं रहा जिसमें आपने मुझे आनंदपाल गैंग के घेरे में नहीं डाला। लेकिन मेरी पुलिस ने प्रयास नहीं छोड़ा लगातार इस गैंग को पकड़ने में हम पूरी ताकत के साथ लगे रहे और आनंदपाल गिरोह के 118 अपराधियों को आज की तारीख में हमने जेल में डाल रखा है, 118 लोगों को। राजू ठेठ की जो दूसरी गैंग थी उसके 25 अपराधी को हमने जेल में डाल रखा है। लारेंस गिरोह, जिसके बारे में माननीय सभापति जो लूणी से आते हैं, उन्होंने भी बताया था उसके यानी, 32 और जो सहयोगी अपराधी थे, उनको हमने जेल में डाल रखा है। अशोक ठाकरिया गैंग, फराह गैंग, शेरू मेव गैंग के 12 लोगों को हमने गिरफ्तार करके अन्दर डाला है तो एक के बाद एक इन गैंग को समाप्त करने के लिए जो पुलिस लगी रही, उसके कारण से आपने देखा कि इस प्रदेश में शांति, अमन-चैन आया है।

जिस प्रकार का गैंग-वार चला था और जिस ढंग से यह गैंग लोगों से वसूली कर रहा था, उसको काबू करने का प्रयास किया। यही नहीं, आपने देखा कि....(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, साहब, आनंदपाल जब फरार हुआ था और आपने प्रिंसिपल सैक्रेटरी की एक कमेटी बनाई थी, विधान

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सभा में तो आप रखो या न रखो, आपकी मर्जी। लेकिन उसको सार्वजनिक करके, एक एस.पी. के खिलाफ तो कार्यवाही की लेकिन अजमेर की आई.जी. और नागौर के वर्तमान एस.पी. का उसके अन्दर नाम आया था, उन पर कार्यवाही अब तक क्यों नहीं हुई? यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपकी मंशा हो जो लिखकर दे देना। जो जांच चाहते हो, वह जांच कराएंगे, दोषी होगा तो वह सज़ा पाएगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूं?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हां, दे देंगे। किसको दूं, किसको दूं मैं?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैं पक्षपात करके किसी भी कार्य में फैसला नहीं करता हूं, मैं बहुत ठीक ढंग से करने का प्रयास करता हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): साहब, हम भी कोई गलत चीज नहीं बताते, जो हकीकत होती है वह ही आपको कहते हैं, आप नहीं कर पाओ तो आपकी मर्जी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप कभी-कभी, हम लोगों की कमी भी रहती है, हम कई बार असफल भी होते हैं लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो कुछ अच्छा काम होता है, उसकी थोड़ी-सी भी शाबासी मिले न तो पुलिस का काम करने का मनोबल बढ़ता है। मतलब, हम कमी करते हैं, हमारी आलोचना करो, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे कोई नहीं, लेकिन जब अच्छा काम करते हैं तो उसके बारे में कभी समाज के लोग भी, कभी गांव के लोग भी, कभी आप जैसे राजनेता भी, हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हम इस मंच पर जब यहां बैठते हैं तो हम पक्ष विपक्ष हो जाते हैं और हम डिबेट करने लग जाते हैं। बनिस्पत डिबेट के सुझावात्मक होकर इसको कैसे अच्छा किया जाए अगर इस लाइन को पकड़कर प्रयास करेंगे तो पुलिस की वर्किंग को और सुधार सकते हैं।

अभी एक्सिस बैंक की जो डकैती हुई थी, एक अकेले कांस्टेबल सीताराम ने, नई नौकरी थी लेकिन जिस तरह का उसने काम किया और उसके कारण से इस एक्सिस बैंक के सारे खजाने को बचा लिया, ऐसे जो काम हैं। इसी तरह से यह जो मुथूट फाइनेंस कम्पनी, मानसरोवर की जिसमें गोल्ड की बहुत बड़ी चोरी हुई, उसको पुलिस ने ट्रेस किया इतने लम्बे समय के बाद, कितना समय लगा? दो साल लगा तब जाकर हमने अभियुक्तों को पकड़ा।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

ए.टी.एस. की टीम ने, हमारे प्रदेश में इतने इल्लीगल लाइसेंस आ रहे हैं, कोई जम्मू कश्मीर से ला रहा है, कोई नागालैंड से ला रहा है, कोई कहां से ला रहा है और उसके कारण से, फिर भी हमारी ए.टी.एस. टीम ने जम्मू कश्मीर और उन राज्यों के लोगों को पकड़ा भी सही, मुकदमा भी बनाया और अन्दर भी हैं।

सैक्स रैकेट की दृष्टि से जिस प्रकार से चला, जिस किसी की भी चाहो उसकी टोपी उछाल दो। यह 376 एक ऐसा मुकदमा है कि किसी भी सज्जन आदमी की अगर टोपी उछालना चाहो तो दो लोग तैयार करो और उसके खिलाफ लगा दो, वह रोता फिरेगा और जवाब देता फिरेगा। यानी, इस रैकेट को पकड़ने में जो सफलता मिली और ब्लैक-मेल के कारण से कई लोगों को इसमें जिस प्रकार से फंसाया था, वह सब हुए।

कोटा का गोल्ड लोन डकैती कांड हुआ, इसको बरामदगी करने में भी हमारी पुलिस सफल हुई।

साम्प्रदायिक दंगे सामान्यत: हमारे प्रदेश में एक समस्या के रूप में आते हैं। लेकिन हमने यह कोशिश की है कि उस पर हम किसी प्रकार से कंट्रोल करें। वर्ष 2009 से लेकर 2013 तक आपका समय था तब 24 साम्प्रदायिक घटनाएं और 74 जगह पर साम्प्रदायिक तनाव हुए। हमारे इन चार वर्षों में 9 साम्प्रदायिक घटनाएं हुईं और 32 जगह पर एक तरह से यह तनाव की स्थिति हुई अर्थात्, उसमें भी रिडक्शन करने का प्रयास किया हमारी पुलिस ने।

जो सबसे बड़ी समस्या, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने भी कहा और आप और हम सब चिंतित हैं कि राजस्थान में मर्डर के द्वारा हमारे 1200-1300 लोग इस जिंदगी को छोड़ते हैं, लेकिन एक्सीडेंट में राजस्थान का हर साल का आंकड़ा दस हजार लोगों का है। मैं सोचता हूं कि मर्डर करने वाले का तो कोई मंतव्य रहा होगा, कोई झगड़ा रहा होगा, कोई और कोई कारण रहा होगा लेकिन यह तो बिना ही बात के और जिंदगी के साथ एक तरह से जा रहे हैं और पीछे लोगों को एक तकलीफ है।

इस समस्या को सुलझाने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने हमारी सरकार बनते ही चार लोगों की एक कमेटी बनाकर कहा कि इस पर विचार करो। राजस्थान में हम एक्सीडेंट को कैसे कम कर सकते हैं, एक उप समिति

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बनायी। बैठकर बातचीत की। दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पाट ढूंढे कि कहां-कहां पर कर्व हैं, जहां पर बार-बार एक्सीडेंस होता है। जहां तीन बार हो गया, चार बार हो गया, उसको सुधारने के लिए इंजीनियरिंग को काम दिया। वह सुधारा।

एक क्वेश्चन के उत्तर में मुझे भी पहली बार पता लगा कि राजस्थान में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, दस हजार की डैथ होती है, तीन हजार डैथ केवल दुपहिया वाहनों से हो रही है अर्थात् 35 परसेंट लोगों की दुपहिया वाहनों से डैथ हो रही है। बिना हैलमेट वाहन चालकों का चालान किया। इन चार वर्षों में शराब पीकर, अधिकांश एक्सीडेंट का कारण शराब पीकर वाहन चलाने का है, हमने 2 लाख 12 हजार 589 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की और सारे के सारे थानों को ब्रेथ एनेलाइजर दे रखा है। वह किसी भी समय किसी का भी शराब पीकर चलाने वालों की चैकिंग कर सकते हैं। तेज गति से वाहन चलाने से दुर्घटना में कुछ सफलता मिली है। बहुत अधिक नहीं मिली, पर फिर भी मिली है। कुल दुर्घटना राजस्थान में 2013-14 में, जब आपने दिया था 23592 घटनाएं हुई थीं एक्सीडेंट की। अभी हैं 22112 अर्थात् 954 घटनाएं एक्सीडेंट की कम हुई हैं। घायलों की संख्या में 2032 की कमी आयी है और मृत्यु में केवल 21 लोगों की कमी आयी है अर्थात् इसमें अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है और वास्तव में एक्सीडेंट डैथ को बचाने के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं।

लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने आवास के बारे में बहुत कहा। मैंने सोचा कि पूरी जन्म पत्री ही लानी पड़ेगी इसलिए मैं पूरी जन्म पत्री लाया हूं। सदन में मांगों पर हुई चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने विषय उठाया कि पुलिस कर्मियों के लिए आवास की कमी है और मरम्मत की आवश्यकता है। मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2004 से 08 के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय मुख्य मंत्रीजी ने दस हजार आवास बनाने के लिए हमको लोन लेकर पैसा दिलाया था, पहली बार। उससे पहले आजादी से लेकर जब तक हमने ये आवास बनाये, तब तक 13 हजार आवास थे राजस्थान में। हमने उस पीरियड में ही दस हजार आवास बनाकर लोगों को सुविधा दी है। इन चार सालों में भी अभी एक हजार नये आवास स्वीकृत किये हैं और पिछले बजट में आपने देखा होगा कि हमको 195 करोड़ रुपया मुख्य मंत्रीजी ने दिया है। इस बार भी आवास भवन के लिए 164 करोड़ रुपये दिया है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मरम्मत के लिए, 2009 से 13 तक आपका कार्यकाल था। टोटल 41 करोड़ रुपया मिला था। अभी हमने 2013 से लेकर 18 तक मरम्मत के लिए 145 करोड़ दिया। यद्यपि आज भी उसकी पूर्ति नहीं है, आज भी हमारे इतने मकान जर्जर हैं। उनको हम रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं लेकिन फिर भी एक बार शुरुआत तो हुई।

नये निर्माण की दृष्टि आपने जो पैसा दिया था 2009 से लेकर 2013 में, वह 589 करोड़ रुपया दिया और हमने 2013 से लेकर 2018 तक, अब तक 835 करोड़ रुपये नये भवन निर्माण के लिए दिये हैं। मुख्य मंत्रीजी ने निश्चित रूप से जितनी मदद सम्भव हो सकती है, बजट में उतनी हमको दी है।

हमने अधीनस्थ सेवा के, पहली बार हमने खेल कोटा में भी, जो विशेष मैडल प्राप्त हैं, ऐसे लोगो को डायरेक्ट नौकरी देने का काम किया और हमने 14 लोगों को इसके अन्दर नियुक्ति दी है, कोई अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार का मैडल लेकर आएगा, वह पुलिस के अन्दर सीधा ही उप निरीक्षक के पद पर नौकरी प्राप्त करने के लिए हकदार होगा। केवल उसको अपने डाकूमेंट देने हैं।

मैं सोचता हूं प्रशिक्षण वास्तव में पुलिस की सबसे बड़ी जान है, लेकिन इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाता है जबकि वास्तव में जितने प्रशिक्षण केन्द्र हमारे मजबूत होंगे, उतने ही ट्रैण्ड होकर आने वाले जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, वह अच्छा काम कर सकेंगे। मैं सोचता हूं कि हम लोगों ने इस कार्यकाल में 11717, सलैक्ट तो आप कर गये थे कांस्टेबल को, सलैक्शन करने के बाद में हमारा कांस्टेबल तब तक कांस्टेबल नहीं बनता है जब तक उसकी एक साल की ट्रैनिंग पूरी नहीं हो जाती। राजस्थान की ट्रैनिंग कराने की जो कैपेसिटी है, वह केवल 4500 की है। अगर हम इन 11717 लोगों को ट्रैनिंग देते तो शायद हमको साल, डेढ़ साल, दो साल निकल जाते तब भी हम उन बच्चों को काम पर नहीं लगा सकते थे। लेकिन हमने पहली बार, राजस्थान ने पहली बार, हमारे लोगों ने एफर्ट किया और 4902 कैन्डिडेट्स को हमने बीएसएफ, जोधपुर में हमने 836 लोगों को कराया। बीएसएफ, इन्दौर में 505 लोगो को कराया। बीएसएफ, टेकनपुर में हमने 499 लोगों की ट्रैनिंग करायी। सीआरपीएफ, नीमच में हमने 499 लोगों को करायी।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सीआईएसएफ, बहरोड़ में हमने 955 लोगों की ट्रैनिंग करायी। पंचकुला में हमने 527 लोगों को ट्रैनिंग करायी। भोपाल में हमने 527 लोगों की ट्रैनिंग करायी और गोरखपुर में हमने 635 लोगों को यहां से भेजकर करायी। समय पर इनकी ट्रैनिंग हो जाए ताकि हमको मैन पावर मिला है, उसका हम उपयोग कर लें। यह 4902 लोगों की अन्य-अन्य स्थानों पर भेज कर हमने उनकी ट्रैनिंग कराकर उनको अपने काम लेने का प्रयास किया।

मैं सोचता हूं प्रशिक्षण की दृष्टि से हमारे सारे कैडर को प्रशिक्षण में लाने का प्रयत्न किया। गत चार वर्षों में 17307 पुलिसकर्मियों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण कराया। जिनका 12517 पुलिसकर्मियों का प्रमोशन हो गया, पीसीसी (प्रमोशन कैडर कोर्स) कराया। 17634 पुलिसकर्मियों को रिफ्रेशर कोर्स कराया। 13162 को विशिष्ट कोर्स कराया। कुल हमने इस कार्यकाल में 70157 लोगों को ट्रैनिंग में लाकर एक तरह से उनको पुलिस के लिए फिट रखने का प्रयास किया है। पिछले पांच सालों में जो आपके द्वारा ट्रैण्ड हुए थे, वह 34874 लोगों की ट्रैनिंग हुई। हमने जस्ट डबल करने का प्रयास किया ताकि ट्रैनिंग के आधार पर वह फिजिकली फिट रहें अपने काम की दृष्टि से।

नवीन प्रशिक्षण केन्द्र हमने लिये। अलवर, भरतपुर, बीकानेर लिया। उदयपुर में 500 का अभी हमने नया ट्रैनिंग स्कूल दिया है। झालावाड़ में पिछली बार जो 250 का दिया, उसको और 250 का बढ़ाकर हमने 500 का दिया है।

हमेशा यह शिकायत रहती है कि आजकल हमारी पुलिस के पास हथियार ठीक नहीं हैं। चलाना नहीं आता है। कुछ सीमा तक बात सही भी है लेकिन हमने कोशिश की है कि जो भी नये आधुनिक हथियार हैं, उनकी भी उनको ट्रैनिंग दी जाए ताकि वह उसका ठीक प्रकार से उपयोग करें। हमने पुलिस के सलैक्टेड 48 लोगों को लाकर ट्रैनिंग करायी और फिर उनको हर जिले में भेजकर उनसे दिलवायी।

बम खोजी दल बजट घोषणा 2016-17 में हमें प्राप्त हुआ। इसी तरह से अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में बम निरोधक दस्ते की हमने स्थापना कर दी। श्वान दल भी जो बिलकुल समाप्त सा हो गया, रहा ही नहीं एक तरह से, हमने वापिस यूनिट बनायी। अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, जयपुर में श्वान दल का गठन किया जो हमारी जांच के अन्दर हमारे लिए बहुत मददगार होता है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हमारी पुलिस प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2014-15 में लिये राजस्थान पुलिस के तीन प्रशिक्षण संस्थान आरपीए, जयपुर, राजपत्रित अधिकारी, आरपीटीसी, जोधपुर, अराजपत्रित अधिकारी, पीटीसी, किशनगढ़, अन्य श्रेणी और उत्तरी क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रथम घोषित किये गये। तीनों ही संस्थाओं को उत्तर भारत में प्रशिक्षण की दृष्टि से प्रथम अवार्ड मिला है।

साइबर क्राइम वास्तव में एक चुनौती है। आज भी साइबर क्राइम के लिए जितने ट्रेण्ड लोग हमारे पास चाहिए, उतने नहीं हैं। इसको मानने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की है। बढ़ते अपराधों को देखते हुए राजस्थान पुलिस अकादमी राज्य में 210 साइबर अनुसंधानकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर तैयार किया और अब उनको नीचे भेज रहे हैं।

गत 70 वर्षों में सबसे बड़े राजस्थान पुलिस सेवा में 45 आईपीएस, राजस्थान कैडर के जो सलैक्ट हुए हैं, पहला ट्रैनिंग 45 लोगों का प्रशिक्षण हमारे प्रशिक्षण केन्द्र में कराया जो अब तक का 70 वर्ष का पहला हमारा अनुभव है जो हमने अच्छी तरह से कराया। हमने यह भी कोशिश की है, जो आप और मैं शिकायत महसूस करते हैं, आप एसपी से मिल सकते हो, आईजी से मिल सकते हो, लेकिन थाने पर जाकर मिलना सच में आदमी के मन में भय सा रहता है। उसका कारण यह है कि जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का उसको सम्मान मिलना चाहिए, वह नहीं है। हमने कोशिश की है कि हमारे थाने के जो इन्चार्ज हैं उनको भी व्यावहारिकता की कोई ट्रैनिंग करायी जाए तो हमने यहां लाकर के 80 मास्टर ट्रैनर तैयार किये और हर जिले में कोशिश कर रहे हैं, अब इसमें से कितना सुधार आएगा, ये तो आगे का समय बताएगा।

आत्म रक्षा के लिए बहनों को भी ट्रेंड करने का हमने प्रयास किया है। हमने कुछ पीटीआई को बुलाया, कुछ हमारे डिपार्टमेंट के लोग लगे और हमने अब तक 2 लाख 88 हजार स्कूल छात्राओं को आत्म रक्षा का एक तरह से प्रशिक्षण देकर तैयार किया।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आर्म पुलिस की भी अभी भारत सरकार ने राज्य सरकार को चार वर्षों में तीन नई बटालियन दीं, पहाड़ी, भरतपुर में चौदहवीं बटालियन, प्रतापगढ़ में महाराणा प्रताप बटालियन, बांसवाड़ा में नई बटालियन मेवाड़ भील कोर, द्वितीय की घोषणा की है। 2008 में जो हाड़ी रानी बटालियन बनायी, वह भी हमारे टाइम में बनी है। आपके पूरे कार्यकाल में आर.ए.सी. की बटालियन का गठन करने की दृष्टि से किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया, हमने कोशिश की है। सम्पूर्ण देश में 441 आर्म बटालियन हैं, जिसमें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 33, जम्मू-कश्मीर में 31, आसाम में 28 और हमारे यहां 17, हम आरएसी की दृष्टि से भी चौथे पायदान पर हमारा काम है।

मैं सोचता हूं कि हमारी एस.डी.आर.एफ. की जो नई टीम हमने तैयार की है, उसने भी उस समय जब आपदा आयी थी पानी की, चार जिलों में जब बाढ़ आयी थी तो उस समय इस टीम ने काम कर लगभग 1400-1500 लोगों को निकाला था।

पहला प्रोजैक्ट है एक सीसीटीएनएस, क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग एण्ड नैटवर्क सिस्टम। राजस्थान हिन्दुस्तान में सबसे पीछे चला गया, इसकी तैयारी की दृष्टि से सब राज्यों में हम सबसे पीछे चले गये, लेकिन हमने कोशिश की और कोशिश कर 862 थानों को सारा का सारा एफआईआर ऑनलाइन लाकर उसका लिया, आज हम हिन्दुस्तान के टाप के चार राज्यों में सीसीटीएस की दृष्टि से इस प्रोजैक्ट की दृष्टि से अपने आपको पहुंचाने का काम किया है।

यह जो मानव तस्करी के बारे में है, वास्तव में यह बहुत चुनौतीपूर्ण काम है लेकिन इसमें भी कुछ प्रयास किया है। इस प्रकोष्ठ का गठन 42 पुलिस जिलों में हमने कर दिया है। आपरेशन स्माइल और आपरेशन मुस्कान, 16 में आपरेशन स्माइल द्वितीय और आपरेशन मुस्कान द्वितीय किया, 17 में आपरेशन मिलाप और आपरेशन मुस्कान तृतीय किया, जिसके तहत लगभग 2400 बच्चों को मुक्त करा उनके परिवार तक पहुंचाने में सफल हुए, अभी भी कुछ बच्चे हैं जो हम उनके परिवार को ढूंढ़ नहीं पाये हैं। इन चार वर्षों में बाल भिक्षा उन्मूलन की दृष्टि से हमने 543 बच्चों को भिक्षा वृत्ति से छुड़ाकर उनको उनके जीवन में सुधरने के लिए एडजस्ट करने का प्रयास किया।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पुरस्कार की दृष्टि से भी राजस्थान में कई दृष्टि से कई तरह के पुरस्कार मिले हैं। कभी-कभी आप पुलिस को भी अगर दो शब्द सहानुभूति के कहो तो निश्चित रूप से उनमें काम करने की एक क्षमता बढ़ेगी। कमाण्डो की जो प्रतियोगिता हुई, जोधपुर में आयोजित अखिल भारतीय कमाण्डो प्रतियोगिता 2016 में राजस्थान राज्य की कमाण्डो टीम को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार राजस्थान को, कमाण्डो को मिला। व्यक्तिगत पुरस्कार की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ कमाण्डो चीता पुरस्कार राजस्थान के कमाण्डो हरिराम को मिला। एथलेटिक्स में भी, अभी उत्तराखण्ड में देहरादून में यह प्रतियोगिता हुई थी, 66वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 2917 में राजस्थान एथलेटिक्स टीम को दो कांस्य पदक प्राप्त हुए। बैंड, 18वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता, 2017 में राजस्थान पुलिस ब्रास बैंड टीम ने संयुक्त रूप से बीएसएफ के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। घुड़सवारी, राजस्थान पुलिस घुड़सवारी टीम हैदराबाद में आयोजित 35वीं अखिल भारतीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में चार स्वर्ण सहित दस पदक जीतकर तृतीय स्थान पर रही और टीम में प्रतिभागी भागचंद बैस्ट राइडर चुने गये। शूटिंग, 17वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता 2017 में गुवाहाटी में राजस्थान पुलिस टीम को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। पंचकुला में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस टीम आल ओवर द्वितीय स्थान पर रही है। तो हमने पुलिस को सब दृष्टि से, जो भी हमारी क्षमता हो सकती है, उसको निखारने की कोशिश की है।

इसके साथ ही वर्ष 2014 से 2017 में पुलिस विभाग ने जितने भी असक्षम थे, जिनकी सर्विस बुक बहुत खराब थी, सामान्यत: कोई यह कदम लेता नहीं क्योंकि यह बुरा कदम है किसी को नौकरी से निकालना, हर आदमी कहेगा, ये आप क्या काम कर रहे हो। लेकिन हमने राजस्थान पुलिस के 167 पुलिस कर्मचारियों को, जिसमें छोटे से कांस्टेबल से लेकर ऊपर का है, उसको सेवा से मुक्त कर घर भेजा है ताकि उसके खराब रिकार्ड के आधार पर वह जाए। विभागीय कार्यवाही की दृष्टि से भी हमने एक तरह से बहुत ही कठोर कार्यवाही करने का प्रयास किया है।

मैं सोचता हूं कि हमने जो नये-नये प्रयोग किये हैं, जयपुर में अभय कमाण्ड सैन्टर हमारे लगभग कुछ जगह छोड़ दो, जहां अभी पूरा नहीं कर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पाये। बाकी जयपुर हो गया, कोटा हो गया, उदयपुर हो गया और उसके कारण से हमारा क्राइम पर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल आया है।

चोरी गये वाहन को ट्रैकिंग के लिए भी जो सिस्टम डवलप हुआ है, उस एप के आधार पर हमको कुछ मदद मिली है।

सॉफ्टवेयर में फीड किये गये 50 हजार अपराधियों में से, हमने 50 हजार अपराधियों को फोटो सहित फीड किया है, अगर कहीं भी कोई अपराध घटित होता है और यदि उसको फोटो हमारे से मैच करता है तो उस व्यक्ति का नाम पते के तहत पहुंचने की स्थिति में पुलिस आयी है।

जीआईएस पुलिस वाहन में पहुंचे जिससे हमारा पुलिस वाहन कहां घूम रहा है, क्या काम कर रहा है, उसके बारे में भी हमको जानकारी मिल सके।

महिला थाना, गांधीनगर पूरा का पूरा पुलिस महिला थाने के रूप में बना है। मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन में भी पुलिस ने पूरी मदद की, 213 प्रोजैक्ट पूरे के पूरे पुलिस ने किये। तृतीय चरण में भी हम 146 काम को कर रहे हैं, जो हम इसमें करेंगे। तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान पुलिस केवल एक मात्र ऐसी पुलिस होगी जिसने एक दिन का वेतन इस जल स्वावलम्बन के लिए, हमने 3 करोड़ 86 लाख रुपया जल स्वावलम्बन में पुलिस का एक दिन का पूरा वेतन देकर इस काम को किया है।

उदयपुर, जयपुर और अलवर, कोटा में स्कूटी महिला पुलिस दस्ते हमने तैयार किये, जो हमेशा गार्डिंग करती है, यह हमें विभिन्न एजेंसियों द्वारा स्कूटी मिली हैं, उसका हमने उपयोग किया है।

पुलिस ने एक नया प्रयोग किया है, बहुत ही अच्छा है। पुलिसकर्मियों के वेतन खाते खोलने एवं उनके कल्याण हेतु स्टेट बैंक के साथ हमने करार किया। कुछ नहीं किया, हमने अपने सारे पुलिस अधिकारियों को और कर्मचारियों को कहा कि आप स्टेट बैंक में अपना खाता खोल दीजिए। इस खाते के कारण से जो लाभ हमको मिला है, इस पैकेज के अन्तर्गत पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के मुख्य रूप से तीन लाख का मुफ्त जीवन बीमा उसके साथ कवर हो गया। केवल खाता खुला, न कोई पैसा जमा, कुछ नहीं, केवल वहां से अकाउंट ऑपरेट करेंगे तो तीन लाख का उन सबका जीवन बीमा उसके साथ मिल गया। आपरेशन के दौरान और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 30 लाख

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

रुपये का दुर्घटना बीमा, यह बैंक हमें देगा। अगर किसी कारण से उसकी डैथ हुई है, एक्सीडेंट से हुई है तो सीधा ही उस कर्मचारी को 30 लाख रुपया इसी आधार पर मिलेगा। अगर एयर दुर्घटना में मृत्यु हुई है तो यह बैंक हमको एक करोड़ रुपया प्रति व्यक्ति के रूप में देगा। बहुत सुखद है।

मैं आप सदन के माध्यम से धर्मपाल गुप्ता को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़े मन से पुलिस की नौकरी करने के बाद जिस प्रकार का काम किया, धर्मपाल संस्थान द्वारा अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए पुलिसकर्मियों के पांच बच्चों के लिए पूरा खर्चा, उन पांच बच्चों का पूरा खर्चा उठाएगा और ये भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक श्री धर्मपाल गुप्ता की स्मृति में उनके पुत्र द्वारा इसमें 50 करोड़ रुपया उसने जमा करा है और उसके ब्याज के आधार पर ही हर साल पुलिसकर्मियों के पांच बच्चों को उच्च शिक्षा कें लिए अमेरिका बुलाकर उसकी सारी शिक्षा की व्यवस्था करेगा।

हमने पुलिस जवाबदेही समिति बनायी। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यह बात सही है, हमने बना तो सारे जिले में दी, लेकिन अभी जितना इफैक्टिवली इसको काम करना चाहिए और जितने संसाधन इसको मिलने चाहिए, उतने संसाधन नहीं मिलने के कारण, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रयत्न किया है जनता की हर शिकायत को लेकर कोशिश की है, इसमें कुछ सफलता मिली है।

मालखाना निस्तारण हमारे लिए सबसे चुनौती का काम है। कोई भी थाना ऐसा नहीं जिस पर गाड़ी पर गाड़ी नहीं रखी हो, हमारा आधा ग्राउण्ड तो मालखाने से ही भरा है। लेकिन हमने मालखाना निस्तारण के लिए भी प्रयत्न किया और उसमें विशेषकर अलवर और जयपुर में इस बारे में काफी कुछ सफलता मिली है और बाकी सारे राजस्थान में हमने 7 लाख 30 हजार 475 वाहनों का डिस्पोज आफ किया है इस अभियान के तहत। तो हमने इस अभियान को भी चलाया।

(20.00 बजे)

चुनौतियां जिस तरह, आप भी कहते हैं और मैं भी सोचता हूं कि वास्तव में आज भी हमारे प्रदेश में कुछ बातें हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हैं और वे हमको कई बार एक तरह से डैमेज करती हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म। हम इसके लिए बहुत परेशान हैं। मुख्य मंत्रीजी के आदेश से

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हमने एक नया कानून मध्य प्रदेश की तर्ज पर बनाया है। अगर छोटी बच्चियों के साथ इस प्रकार की घटना होगी तो फांसी की सज़ा का प्रोविजन भी उसमें किया है, वह हम बहुत जल्दी ही लाएंगे। आज कल जो सबसे बड़ी समस्या है, वह भूमि विवाद है। भूमि विवाद के कारण एक तरह से कई लोग उलझ रहे हैं और कई लोगों का पैसा फंसा हुआ है, कभी कहां दिया है, उसको भी हम देख रहे हैं और बिना मेहनत के अल्प समय में धनार्जन करने वाली जो गैंगें तैयार हो गयी हैं, इसमें सट्टे की प्रवृत्ति है। अब यह सट्टा कानून वास्तव में, इसका प्रचार तो बहुत होता है, लेकिन इसमें से रिजल्ट कुछ नहीं आता है।

सट्टे वाले को पकड़ा, 500 रूपये कोर्ट जुर्माना कर देगी, 200 रुपये जुर्माना कर देगी और इतनी मेहनत के बाद साइबर क्राइम भी हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। आज कल पैसे के लेन-देन में लोगो के खातों से जो पैसे निकल जाते हैं, वह भी हमारे लिए बहुत ही एक तरह से चुनौतीपूर्ण काम है। झूठे मुकदमों के बारे में आपने कहा कि इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। हमारे यहां देश में सबसे ज्यादा एफआर लगती है, यह बात सच है, लेकिन इसके लिए अब हमने 182 की कार्यवाही शुरू की है और उसके शुरू होने से थोड़ा-सा कंट्रोल आया है। विशेषकर हमारे यहां लगभग 156(3) में जो केस आते थे, उन केसेज में लगभग 45 परसेंट का रिडक्शन आया है एक ही साल में।

उसके दो कारण हैं, एक तो हमने उनके खिलाफ कार्यवाही की और दूसरा हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि बिना affidavit के 156(3) के केस को आप नहीं सुनेंगे तो उसके कारण से भी व्यक्ति पर दबाव बना है और उसके कारण से जन आंदोलन में भी आंदोलन करें, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लोकतांत्रिक तरीका है, पर आंदोलन करते-करते कानून-व्यवस्था तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से... यह जो आपने थाने पर, पुलिस पर जो भ्रष्टाचार का... लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, मैं कोशिश करूंगा। मैं यह तो दावा नहीं कर सकता हूं कि इसको पूर्णत: मैं खतम कर दूंगा, यह अभिमान तो नहीं करता हूं, पर जितना मुझसे हो सकेगा और जितना मेरे ध्यान में आएगा, उतना मैं इसको कम करने का प्रयास करूंगा।

इसी तरह से जो हमारी जेल है, कई प्रकार की जेल में चुनौतियां हैं, उनको कुछ करने का प्रयत्न किया है। सबसे पहली तो जेल में हमारी जो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

संख्या है, वह बहुत अधिक है। जितनी हमारी कैपेसिटी है, 2013 में हमारी बंदी क्षमता 16622 थी, आज हमारी बंदी क्षमता हमने बढ़ाकर के 21879 की है। इसमें जो हमारे बंदी हैं आज की तारीख में, वह 19724 हैं। हमने क्षमता तो बढ़ाई, 5257 की, लेकिन फिर कई जेलें ऐसी हैं, जिनमें जगह खाली है, कई जेलें ऐसी हैं जिनमें बहुत अधिक है कि व्यक्ति करवट भी नहीं ले सकता सोने के लिए तो उसके बारे में हम देख रहे हैं। हमने यह जो कोशिश की है कि जिला कारागृह, करौली में हमने नई की है, उसमें 190 की कैपेसिटी है। उच्च सुरक्षा अजमेर में 264 है कैपेसिटी। केंद्रीय कारागृह, जयपुर में जो नया परिसर बना है, वह 500 की कैपेसिटी का बना है। केंद्रीय कारागृह, बीकानेर परिसर नवीन जो बना है, उसमें 400 की कैपेसिटी है। विभिन्न जिलों में 36 बैरक जो नयी बनायी हैं, उनमें 1639 कैपेसिटी बढ़ी है। तो संख्या को तो कुछ एडजस्ट करने का प्रयास किया, लेकिन आज भी यह पर्याप्त नही है।

अभी मुख्य मंत्रीजी ने हमको बजट में डूंगरपुर और अकलेरा में नई जेल और ये नयी जेल हम बाहर ले जा रहे हैं। आपमें से भी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जेल को अब बस्ती के बीच से बाहर शिफ्ट करो। प्रयत्न तो किया है, लेकिन अभी इन दो कामों के लिए 26 करोड़ 91 लाख रुपया मिला है, इन दोनों को हम बना रहे हैं और ये जो बंदी कारागृह हैं बिलाड़ा, भादरा, सांचौर और फलौदी, इनको वापस हमने चालू किया है। सबसे बड़ी जो जेल की उपलब्धि है, वह खुली जेल है। एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने भी हमारे इस सिस्टम को अच्छा बताया और बाकी सब राज्यों में भी कहा कि अब खुली जेलों की रचना करो, जिसके कारण से बंदी को एक अच्छा जीवन भी मिल सके और वह कुछ काम कर सके, तो खुली बंदी शिविर की क्षमता हमारी जो 629 थी, वह अभी हमने बढ़ाकर 1337 की है। वर्ष 2017 में 322 बंदियों को खुले शिविर में भेजा गया है। 9 नये शिविर निर्माणाधीन चल रहे हैं, जिनमें कुल 45 बंदी रखे जा सकें। नये खुला बंदी शिविर बन जाने के पश्चात् कुल क्षमता हमारी 1342 हो जाएगी।

राजस्थान में खुली जेल व्यवस्था, जेलों की संख्या तथा बंदी संख्या की दृष्टि से पूरे देश में सर्वाधिक है, जिसकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रशंसा की है। सुविधाओं की दृष्टि से भी राज्य के विभिन्न कारागृह में 737 शौचालय, 684 स्नान घर, 11 करोड़ रुपया हमको मिला, उसके कारण से हमने की है। मृतक राज्य कर्मचारियों को 30 को नियुक्ति दी है, अभ्यर्थी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

प्रहरी की जो भर्ती हमने पहले की है, वह 629 की की है, 925 की अभी भर्ती चल रही है, जिसका रिजल्ट तो हमने निकाल दिया, लेकिन अब उनका फिजीकल टैस्ट होना है। कोशिश करेंगे कि सारी प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही जून तक इन लोगों को हम ट्रैनिंग के लिए भेजकर काम पर लगा सकें। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के 8 नए केंद्र हमने प्रारम्भ किए हैं, इनमें हमारे यहां से बंदियों ने जो परीक्षा दी, 2015 में 2667 ने दी, 2016 में 7107 बच्चों ने दी और अभी 2017 में 8139 बच्चों ने विभिन्न प्रकार की परीक्षा देकर अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया।

जेल उद्योग की दृष्टि से भी हमने प्रयोग किया और जो आपने कहा कि पहले उसको मेहनताना बहुत कम मिलता था, 30 रुपये के लगभग एग्जेक्ट अगर याद है, अब वह लगभग 192 रुपये तक का गया है, तो हमने उस बंदी को पैसा देने का प्रयास किया है। हमने विभिन्न प्रकार की उद्योग शाला में 6 करोड़ 64 लाख का सामान तैयार किया और मुख्य मंत्रीजी ने, आपने देखा होगा कि अभी अपनी जेल में ही एक आउटलेट का हमने उद्घाटन किया था, 31.12.2017 तक उसमें 11 लाख 64 हजार की बिक्री हुई है। कौशल विकास की दृष्टि से जो सुझाव आया था, हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी इन सारी जेलों को किसी न किसी कौशल विकास से जोड़ सकें ताकि इनको अच्छा व्यवसाय सिखाकर के इन्हें काम में ले सकें।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग के आधार पर, जो कोर्ट की मंशा है, हमने इसको भी 9 केंद्रीय कारागृहों में और 15 जिला कारागृहों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग का सिस्टम डवलप कर दिया। यह जो एक बिल पिछली बार आया था और वापस गया, वह वापस आएगा। उसके बाद हम जेल से ही सीधा का सीधा एक तरह से उसका जो है, करा पाएंगे। भोजन व्यवस्था को सुधारने के लिए भी हमने मशीनें दी हैं लगभग सब जगह, लेकिन अभी तक मशीनें ठीक प्रकार से काम नहीं कर पा रही हैं, जिस तरह से काम करनी चाहिए। चिकित्सा व्यवस्था की दृष्टि से पहली बार मैं कह सकता हूं, चूंकि मैंने स्वयं भी जेल का अनुभव लिया है, वहां डाक्टर, कंपाउंडर और स्टाफ जो है, वह नहीं के बराबर होता है, लेकिन हमने इस सिस्टम को सुधारकर 8 चिकित्सकों को पदस्थापित किया, जबकि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अब हमने आज की तारीख में 27 चिकित्सालय में डाक्टरों को लगा दिया है, 71 द्वितीय ग्रेड के कंपाउंडर लगा दिये हैं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जेल में रिक्त पदों की जो स्थिति है, वह भयावह है, इसमें कोई दो राय नहीं है इसके कारण से ही जेल के अन्दर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, किसी न किसी कारण से उनको कोई न कोई चार्जशीट मिल जाती है। इसके कारण से रैगुलर प्रमोशन के आधार पर हमें जेल के जो पदाधिकारी मिलने चाहिए, जो अधिकारी मिलने चाहिए, वे लगभग नहीं के बराबर मिल रहे हैं। मैं सोचता हूं कि जेल विभाग में कुल 4421 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 2371 पदों पर नये कार्मिक अभी कार्यरत हैं और 2043 पद आज की तारीख में भी जेल में रिक्त हैं, उसमें से कुछ भर्ती अभी हमने की है और कुछ भर्ती अभी 925 की और करेंगे।

एक समस्या, जिसको आपने बताया था कि हमारे यहां जो जेल के प्रहरी हैं, उनकी वेतन श्रृंखला और पुलिस के कान्स्टेबल की वेतन श्रृंखला में बहुत बड़ा अंतर आ गया और भारी असंतोष है। जो कुछ भी आंदोलन हुआ, वह भी हमने देखा है। वास्तव में चौथे वेतन आयोग तक तो दोनों की वेतन श्रृंखला समान थी, लेकिन जैसे ही पांचवां वेतन आयोग आया, दोनों के वेतन में विसंगति आ गयी। हमारे सारे अधिकारियों ने मिलकर मुख्य मंत्री के ध्यान में भी इस विषय को लाया और मुझे विश्वास है कि शायद वह जिस दिन एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में बैठेंगी, तब ये जो दोनों के वेतन में अंतर है, इस अंतर को कम करने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, वह निश्चित रूप से करने का प्रयास करेंगी। ये जो घनी आबादी में जेल हैं, इनको शिफ्ट करने के बारे में बार-बार प्रस्ताव आता है, लेकिन अभी तक जिस स्थिति तक हमको जाना चाहिए, हम उसमें सफल नहीं हो पाये हैं। अभी 2 का बजट मिला, वह जरूर करेंगे, लेकिन 14 जेलों में हमको जगह मिल गयी, पर अभी भी हम उसको शिफ्ट नहीं कर पाये हैं। राजसमंद, भीलवाड़ा, भवानी मंडी, निम्बाहेड़ा, रतनगढ़, शाहपुरा, पाली, आबू रोड, डूंगरपुर, अकलेरा, चित्तौड़गढ़, गंगापुर, नीमकाथाना और बालोतरा, 8 भूमि आबंटित हो चुकी हैं।

डूंगरपुर, अकलेरा में बजट भी मिल गया और चार स्थानों पर भूमि हमने चिन्हित भी कर ली है।

अब जेल के अन्दर जो सामग्री जाती है, बार-बार प्रयत्न करते हैं लेकिन फिर भी कहीं न कहीं चूक हो ही जाती है। इसके बारे में समय-समय पर जांच कराकर जो भी सज़ा दे सकते हैं, देते हैं। मैंने कहा न कि इस जेल डिपार्टमेंट में जो भी कर्मचारी हैं वह किसी न किसी दिन, किसी न किसी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

गलती के कारण से चार्जशीटेड हो गया और इसके कारण से पूरा डिपार्टमेंट पंगु हो गया कि जो रैगुलर जेल सर्विस का है उस आदमी के आगे बढ़ने के सारे रास्ते बन्द हो गये। जब भी उसे कहीं दूसरी जगह मौका मिलता है तो वह तुरन्त यहां से छोड़कर चला जाता है। हमने कोशिश की जैमर लगाने के लिए और इतना पैसा हमने खर्च किया। हिन्दुस्तान की दो ही कम्पनियां हैं और दोनों में एक कम्पनी को हमने यह काम दिया लेकिन उसके बाद भी हमारे जैमर जितने सफल होने चाहिए, हम अभी सफल नहीं कर पाये हैं। मैं सोचता हूं कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हम फिर से एक बार इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। यह जो जोधपुर की घटना हुई है शंभू की, इसी कारण से हुई है कि वहां हमारा 2जी का जैमर लगा है और आजकल 4जी या बाकी जो टावर हैं वह इतनी फ्रिक्वेंसी को पकड़ते हैं और उनकी फ्रिक्वेंसी कब बढ़ा देते हैं कि हमें उस फ्रिक्वेंसी के आधार पर अपने संसाधन को जितना तैयार करना चाहिए, हम तैयार नहीं कर पाये जिसके कारण आज भी शिकवा-शिकायत रहती है।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के बारे में मैं सोचता हूं कि सन्देह नहीं होना चाहिए। राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक डिपार्टमेंट ने जिस बखूबी और जिस ढंग से काम किया है, सारे देश में इसको एप्रिसिएशन मिलता है, पर हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहां के लोग ही इसमें कमियां निकालते हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस के लोगों ने पुलिस को नहीं पकड़ा हो, हमने उनको भी पकड़ा है। राज्य में भ्रष्टाचार पर अंकुश तथा प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है और व्यापक स्तर पर कार्यवाही की है जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का परिदृश्य दिखने लगा है। गत तीन वर्षों में हमने 500 राजपत्रित और वरिष्ठ, आप लोगों के दिमाग में कई बार यह रहता है कि छोटे-मोटे को पकड़कर अपनी खानापूर्ति कर लेते होंगे और वाहवाही कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। हमने 2014 में 168, 2015 में 125, 2016 में 111 और अभी 2017 में 96, ऐसे 500 राजपत्रित लोगों पर ए.सी.बी. के केस बने हैं। इसी तरह से कुल केस हमारे 1695 बने हैं जिनमें 500 केस बड़े अधिकारियों के हैं।

यही नहीं, आपने देखा होगा कि चार वर्षों में जो आरोप पत्र पेश हुए हैं, कई बार यह लगता है कि आप केस बनाते भी हो पर आप स्वीकृति लेकर आरोप पत्र पेश नहीं करते तो 2009 से 2012 तक आपने 1022 किया, हमने

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

1319 किया। एफ.आर. जो दी थी आपके समय में 318 और अभी हमारे 431 एफ.आर. हुई। इस तरह से एफ.आई.आर. आपके समय में 1825 दर्ज करायी थी और अभी हमने 1695 लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज करायी। इसमें से भी जो ट्रैप के केस हैं वह आपके समय में 1018 हुए और हमने 1094 किये। आय से अधिक सम्पत्ति के आपके जमाने में 108 हुए और हमारा इसमें कम है, 80 हुए। पद का दुरुपयोग करने के आपके टाइम में 699 केस बने और हमारे 521 बने। कुल 1825 आपका है और 1695 हमारे हैं जो टोटल केस की दृष्टि में कम है यह आपके सामने है। अभियोजन स्वीकृति की दृष्टि से वर्ष 2009 से 2012 की अवधि में अभियोजन स्वीकृति के 1112 प्रकरण दिये गये जबकि 2014 से 2017 के चार वर्षों में हमने 1261 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। इसके पश्चात् अब केवल मात्र 151 केस ऐसे बचे हैं जिनमें अभियोजन स्वीकृति अभी पाइप लाइन में है और उसको भी हम जल्दी पूरा करेंगे।

ये ए.सी.बी. ने केवल केस ही नहीं बनाये और केस बनाकर इनके खिलाफ कार्यवाही करने का भी हमने प्रयास किया है। 2009 से 2012 की अवधि में 85 प्रकरणों में आपके टाइम पर सज़ा हुई जबकि हमने इन चार वर्षों में 291 लोगों को सज़ा दिलायी है। यही नहीं, आपने देखा होगा कि जो NCRB की रिपोर्ट है 'अधिकारी/कर्मचारियों को चार्जशीट करने की दृष्टि से राजस्थान देश का दूसरा राज्य है।' इन अधिकारियों को चार्जशीट करने में और 'वहीं प्रकरण दर्ज करने में राजस्थान का देश में पांचवां स्थान है।' अर्थात् हमने सज़ा की दृष्टि से भी प्रयास किया कि इन लोगों को सज़ा मिले, इनका चालान ठीक टाइम पर पेश हो।

अब ब्यूरो की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, सामान्यत: हम लोग छोटे-मोटे को जरूर पकड़ते हैं लेकिन राजस्थान की ए.सी.बी. ने इस बात की कोशिश की है कि इस साल खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, तत्कालीन डी.एस.ओ., जोधपुर श्रीमती निर्मला मीणा, आई.ए.एस. ने पद का दुरुपयोग करके 33 हजार परिवार का चयन बढ़ाकर अतिरिक्त गेहूं का आबंटन किया और फर्जी मिलों को बेचकर करोड़ों रुपये की जो राज्य सरकार को हानि पहुंचाई उसका केस बनाकर उसे गिरफ्तार किया।

विश्वविद्यालय में जो अनियमितताएं हुईं और फर्जी डिग्रियां बांटी गयी उसका केस बनाकर भी उनको हमने जेल में डाला है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

रामचन्द्र मीणा, उप खण्ड अधिकारी, हिण्डौन सिटी को 80 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। मधुसूदन, एम.डी., सरकारी उपभोक्ता भण्डार, जोधपुर को 5 लाख 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आयकर विभाग के अपर आयकर आयुक्त बनवारी लाल यादव को 7 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। विपिन बाफना, अधिशासी अभियंता, पंचायत समिति, बड़गांव को 2 लाख 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। पिछले साल भी आपने देखा होगा कि हमने आई.ए.एस. अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की है और चिकित्सा की दृष्टि से नीरज पवन का बनाया है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के चीफ इंजीनियर से लेकर उनके खिलाफ भी बनाये हैं, परिवहन विभाग में ओवरलोड का मामला था उसमें जे.पी. मीणा को बनाया, खान विभाग के अशोक सिंघवी जी के खिलाफ बनाया। यह जो भारत भूषण गोयल, उप खण्ड अधिकारी है उसके खिलाफ केस बनाया। तो हमने कोशिश की है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करें। एक विषय, कोई 133 और 134 की एफ.आई.आर. बारे में किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि उसमें जांच होने में विलम्ब हो रहा है तो मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि उसमें जांच होकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से दण्ड होगा। कुछ उसमें डिले हुआ कि उन्होंने अपने कुछ तर्क दिये कि यह मैं नहीं होकर मेरे नाम का दूसरा आदमी है, उसके अकाउंट में है तो इसलिए उसको वापस वैरिफाई के लिए कुछ समय लगा।

एफ.एस.एल., राजस्थान ने जो काम किया वह वास्तव में हमारे लिए एक सुखद विषय होगा। मैं सोचता हूं कि 2003 में जब आपने हमको दिया था तो हमारे पास एफ.एस.एल. के 18230 केस पैण्डिंग थे। उसमें से हमने 2008 में ले जाकर आपको पैण्डेंसी में 10026 पर छोड़ा था। एफ.एस.एल. की जो जांचें बाकी थीं, हमने 18 हजार ली और पिछली बार 10 हजार आपको दी। आपने 2009 से 2013 तक इसको बढ़ाकर 2013 में जब वापस हमको सुपुर्द किया तो 12900 हमको दी जो पैण्डेंसी थी। अब हमने भरसक प्रयास करके आज की तारीख में एफ.एस.एल. की जो जांच हमारे पास बाकी है, वह केवल 6412 जांच बाकी हैं। हमने सारे के सारे 2016 के जितने भी प्रकरण हैं उनमें एक भी केस पैण्डिंग नहीं छोड़ा और 2016 के साथ-साथ अब तो 2017 में भी कुछ डिवीजन में हमारी जो एफ.एस.एल. की जांच है, शून्य के आस-पास जा रही है अर्थात् हमारे पास कोई बाकी नहीं है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

फोरेंसिक ट्रैनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के बाद 517 फोरेंसिक और पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। पालीग्राफिक परीक्षण केन्द्र की स्थापना वर्ष 2017 में हमारे हुई। उस पालीग्राफ में अब तक 69 प्रकरणों का परीक्षण हुआ और 88 व्यक्तियों का उसमें निस्तारण हुआ। क्राइम सीन पर मोबाइल फोरेंसिक यूनिट पहुंचने में 1505 स्थानों पर हमारी फोरेंसिक यूनिट राजस्थान में पहुंची है।

बीकानेर, अजमेर में क्षेत्रीय विज्ञान प्रयोगशाला का भवन तैयार है। बाकी सब जगह है, पर केवल एक भरतपुर बच गया जहां हमारी फोरेंसिक लैब तैयार नहीं हुई। डी.एन.ए. परीक्षण के लिए जो शुल्क राजस्थान सरकार हमारे से ही लेती थी इसके कारण से हमारा डी.एन.ए. टैस्ट बहुत डिले होता था। सरकार से पिछली बार कहा और सरकार ने इसको माफ कर दिया। अब हम जो डी.एन.ए. टैस्ट कराएंगे उसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा और उसके कारण से हमारी काम करने की गति में काफी सुधार हुआ है।

नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के प्रकरणों में एफ.एस.एल. के प्रभावी परीक्षण के कारण न्यायालयों में सज़ा दिलाने में सफलता मिली है। राजसमन्द में 8 वर्षीय मन्दबुद्धि बालिका के अपराधी को सज़ा दिला पाये और आज ही कोटा का जो रूद्राक्ष का केस जिस ढंग से फंसा था इसमें भी एफ.एस.एल. टीम ने उस घर के अन्दर जो भी इक्विपमेंट वहां थे यानी जो कम्प्यूटर वहां पड़ा था, बाकी चीजें वहां पड़ी थीं तो वॉइस के आधार पर मिलाकर आज उसको फांसी की सज़ा दिलाने में बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम किया है। इसके अलावा और भी कई केसेज जिनमें हमने निकाला है।

अब एफ.एस.एल. की दृष्टि से सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जोधपुर में एक नया डी.एन.ए. डिवीजन प्रारम्भ किया है ताकि जोधपुर की सारी जांच वहां हो सके। जयपुर में एडवांस सेंटर फोर साइबर फोरेंसिक प्रारम्भ किया जाएगा जिसके लिए निर्भया साइबर फोरेंसिक यूनिट चालू करने के लिए केन्द्र सरकार से हमको 3 करोड़ 94 लाख रुपये मिले हैं तो हम इसको स्थापित करेंगे।

पोलोग्राफिक सेंटर का विस्तार कर, इसमें नार्को एनेलेसिस जैसी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सुविधाएं भी प्रारम्भ करने के लिए इस साल हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तरह से फोरेंसिक यूनिट को भी हम अधिक सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

अभियोजन भी अपनी दृष्टि से एक क्योंकि यह सारे डिपार्टमेंट मिलकर के ही पुलिस को मदद करेंगे तो अपराध को हम रोक सकेंगे।

विभाग में सहायक अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति: 2013 से मैं 2013 तक कह रहा हूं, जब से विभाग बना, तब से लेकर 2013 तक यह जो वन फोर्थ पोस्टें भरी हुई थीं, जिनको पहले एपीपी-सैकिण्ड कहते थे, 89 पद भरे हुए थे, हमने अभी प्रयत्न करके 388 लोगों को नये, आरपीएससी से सलैक्ट करके भरा है। अब केवल हमारे कोर्ट्स में 40 पद खाली हैं। हमने इनको भरने का प्रयास किया है। अब तक 47 कनिष्ठ सहायक, 25 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी हैं।

अभियोजन भवन की दृष्टि से भी मैंने जैसा आपको कहा कि केवल एक भरतपुर का अभी हमारा बाकी है, बाकी सब हैं।

गत चार वर्षों में लघु प्रकृति के मुकदमे हैं, उनमें हमने 41,291 केस वापस लिये हैं और जो सरकार के द्वारा मुकदमे वापस लिये हैं, जो विभिन्न राजनैतिक दलों के हैं, समाज के हैं या पब्लिक के हैं, जो किसी एजीटेशन के कारण से हुआ है, हमारे पास 1,026 प्रकरण आये थे। हमने 429 मुकदमे तो वापस लिये हैं और 144 आवेदन हमने निरस्त किये हैं और 312 अभी भी हमारे पास विचाराधीन हैं, तो एक तरह से सरकार ने विभिन्न लोगों के ऊपर जो मुकदमे थे, उनको भी खतम किया।

होमगार्ड के बारे में, मैं सोचता हूं कि राजस्थान में होमगार्ड्स के बारे में वैसे मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि वह उनके मेहनताने को बढ़ा रहे हैं। अब उसमें कितना बढ़ाना, कितना नहीं बढ़ाना, इसका निर्णय तो वे बाद में करेंगी लेकिन निश्चित रूप से बढ़ेगा।

राजस्थान में गृह रक्षा स्वयंसेवकों की कुल संख्या है, लगभग 29,737 स्वीकृत हैं। इनमें से अभी हम जो काम दे पा रहे हैं, वह लगभग कोई 9,000 को दे रहे हैं, अभी 2,500 हमको और मिले हैं तो 11,500 लोगों को काम देंगे। पिछली बार इनसे जो समझौता हुआ था हमारा, वह यह था कि जब तक

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

70 परसेंट लोगों को जाब नहीं मिल जाए साल भर में, हमारी जो उपस्थिति है, तब तक नयी भर्ती नहीं करें तो उसकी हम पालना निश्चित कर रहे हैं।

होमगार्ड को पहले 75 रुपये मिलता था 2004 में, अभी हम दे रहे हैं 325 रुपये और अभी एप्रोप्रिएशन बिल पर मुख्य मंत्रीजी और आगे कितना बढ़ाएंगे, उसके बारे में आएगा।

बॉर्डर होमगार्ड्स की भी जो यूनिट हैं, हम कई राज्यों में भेज तो देते हैं लेकिन वहां से पैसा नहीं मिलता है। हमने उन सबसे वापस पैसा मंगाकर हमारी बोर्डर होमगार्ड्स जो हैं, वह सभी जगह लगे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी, अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ पूछना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, होमगार्ड के जवान आज छह दिन से, सात दिन से धरने पर हैं, तो उनकी नियमित करने की मांग और बराबर उनको 12 महीने काम मिले, इस मांग के बारे में भी आप प्रकाश डालें तो ठीक रहेगा।

एक माननीय सदस्य: पूरा ही प्रकाश डाल देंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): नहीं, ये जो संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है। ये कोई सरकारी नौकर नहीं है। ये हमारी सद्भावना है कि वह सड़क पर बैठे हैं, बाकी कानून से एक दिन भी नहीं बैठ सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो उनको एक दिन में ही नौकरी से बर्खास्त करके फेंक सकता हूं, लेकिन फिर भी मैंने मानवीय दृष्टिकोण रखकर उनको जो-जो मदद मैं कर सकता हूं, मैंने स्वयं ने अपने स्तर पर उनसे एक बार नहीं, दो-दो बार बात की और उनके हर विषय को समझने का प्रयास किया है और यही सारे प्रयत्न से उनका जो बढ़ रहा है, वह इसी कारण से पैसा बढ़ेगा।

यह जो धरने पर बैठे हैं, मैंने सबकी फोटोग्राफी करवाई है। वह मैं आपको लाकर बताऊंगा। इनमें से अधिकांश वे लोग बैठे हैं, जो कभी होमगार्ड में रहे थे और जिनके कोई अच्छे काम के कारण से निकाल दिया था, वही लोग यह करके इसको एक हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान) मैं सोचता हूं, ऐसा है कि मैं हर चीज को मानने को तैयार हूं पर डिसीप्लीन तोड़कर, कोई दबाव की भाषा से ही यह चाहे कि मुझसे काम करवा ले, तो वह इतना आसान नहीं है कि जिसके कारण से वह अपना काम करा ले।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्री महोदय, मंत्री महोदय। एक

(श्री हनुमान बेनीवाल)

मिनट मेरी बात भी सुन लें। मंत्री महोदय, मेरा भाषण पर भी नम्बर नहीं आया है। मैं एक-दो बात आपसे पूछना चाहता था। एक तो पिछली साल मैंने एक मामला उठाया था साहब यहां पर कि आर्मी के अन्दर बोर्डर पर लड़ते हुए... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक मिनट। अगर आर्मी में बॉर्डर पर लड़ते हुए कोई जवान वीरगति को प्राप्त होता है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है और हमने कहा कि पुलिसकर्मी नागौर के अन्दर शहीद हो गये थे मुठभेड़ के अन्दर। पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी अगर दुर्दान्त अपराधियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं, एक तो उनको शहीद का दर्जा मिले और आपने कहा कि हम दिल्ली मामला भेजेंगे, यह दिल्ली का मामला है।

और दूसरा, जो हमारे ग्रामीण पुलिस कांस्टेबल है, इनके वेतन को लेकर बहुत लम्बे टाइम से ही यह मांग पहले भी कई माननीय सदस्यों ने उठायी थी, तो आज यह घोषणा तो आप करो कि यह जो वेतन में कटौती 2011 के बाद पुलिसकर्मियों की की है, इसकी घोषणा तो आज साहब कर ही दो। आप होमगार्ड को तो छोड़ो, यह काम आज करा दो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा है, मैं वही करूंगा जो मेरे अधिकार में है। (व्यवधान) मैं वह नहीं करूंगा जो आप मुझसे कराना चाहते हो।

जिस परिपत्र के बारे में लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यह करामात हमारी नहीं है। यह आपकी करामात है, 1971 नियम (7) के तहत निकला हुआ आदेश है। इस आदेश की कापी चाहो तो मैं सारी पढ़ दूं। आपके समय में निकला हुआ है कि समय-समय पर राज्य कर्मचारी केवल पुलिस के ही नहीं, सारे राज्य कर्मचारी जो सेवा में है, उनके लिए कुछ रैस्ट्रिक्शन इसमें लगाये हैं। आप चाहो तो इसकी भाषा पढ़ देता हूं ताकि आपके दिमाग में यह गलतफहमी और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हो कि हमने निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यह आपके द्वारा निकला हुआ आदेश है और उनको रैस्ट्रिक्ट किया है कि वह ऐसी गतिविधि में भाग न लें। जिस गतिविधि से उनके परिवार के लोगों को नहीं किया, परिवार के लोगों को भी इसमें हिदायत दी है। (व्यवधान) घोषणा का कागज कहां है।

वैसे पुलिस को हमेशा इस बजट भाषण और रिप्लाई के समय कुछ बातों के लिए, क्या हम दे सकते हैं, उसकी घोषणा के बारे में, मैं कुछ घोषणाएं कर रहा हूं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पुलिस खेल कोष, वर्ष 2017-18 में 40 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे, उसको बढ़ाकर वर्ष 2018-19 में एक करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूं।

राज्य पुलिस हितकारी निधि में राज्य सरकार का अंशदान जो वर्ष 2017-18 में एक करोड़ रुपये था, उसको बढ़ाकर वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार का अंशदान तीन करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूं।

पुलिस कर्मचारी कल्याण निधि: वर्ष 2017-18 में स्वीकृत राशि 50 लाख रुपये थी, वर्ष 2018-19 में बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूं।

उत्सव फण्ड: उत्सव फण्ड में वर्ष 2017-18 में 35 लाख रुपये स्वीकृत किये थे, उसे बढ़ाकर 2018-19 में 50 लाख रुपये करने की घोषणा करता हूं।

बंदी कल्याण कोष कारागार: राज्य सरकार द्वारा अंशदान 25 लाख रुपये से बढ़ाकर इसमें भी 1.5 करोड़ रुपये की घोषणा करता हूं।

कारागार विभाग तथा बंदी कल्याण कोष में उपलब्ध 7.5 करोड़ रुपया यह राशि वहां उपलब्ध है, इस वर्ष आबंटित की जा रही राशि का उपयोग जेल में निरुद्ध बंदियों के कल्याण हेतु करने के लिए वर्तमान में निर्धारित गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा एवं बंदी कल्याण की नई गतिविधियां भी कोष की राशि की उपयोगिता हेतु किया जाएगा और विशेषकर जेल में काम करने वाले प्रहरियों के बच्चों की एजुकेशन के लिए जो कुछ भी हम स्कालरशिप दे सकें, वह इसमें से ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करेंगे।

कर्मचारी कल्याण कोष: वर्ष 2018-19 में 25 लाख रुपया स्वीकृत कर रहे हैं।

जेल के अधीनस्थ सेवा के अधिकारी-कर्मचारियों को भी मैस भत्ता वही है, जो हमने पुलिस के लिए किया है 2,000 रुपये, वैसा उनके लिए भी 2,000 रुपये, उनको भी यह भत्ता मिलेगा।

कांस्टेबल सेवा अवधि 9, 18 एवं 27 वर्ष, इसमें 9 वर्ष से अधिक है तो 19,672 रुपये, 18 वर्ष से अधिक जिनकी नौकरी हो गयी लेकिन अभी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

प्रमोशन का चांस नहीं मिला है, वह है 15,590 रुपये और 27 वर्ष का, जिनका सेवाकाल हो गया, ऐसे 5,530 लोग हैं।

पुलिस विभाग के कांस्टेबल की पहली पदोन्नति वर्षों से नहीं हो रही है। 27 वर्ष से अधिक सेवा के 5530 तथा 18 वर्ष की सेवा से 15590 कांस्टेबल हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार कि उन्होंने इस बजट में 6000 हैड कांस्टेबल के नये पद स्वीकृत किये हैं। इससे पदोन्नति के अधिकाधिक अवसर इन्हीं लोगों को, ये जो 9, 18, 27 में हैं, इन्हीं में से स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर के इन्हीं लोगों को इस पदोन्नति का लाभ मिले। ताकि, इन सब लोगों को भी पदोन्नति के अवसर मिलें।

पदोन्नति प्रक्रिया में कांस्टेबल से लेकर ए.एस.आई. तक, अब नई व्यवस्था के हिसाब से जो सीनियोरिटी से 50 परसेंट और 50 परसेंट परीक्षा देकर के, जो टैलेंटेड बच्चे हमारे पास बी.ए., एम.एससी वाले आ रहे हैं, इन बच्चों को भी तुरन्त आगे बढ़ने का मौका मिले। इसलिए 50 परसेंट परीक्षा लेकर के, जो टैलेन्टेड बच्चे हैं, वे हैड कांस्टेबल, ए.एस.आई. तक भी अपनी पदोन्नति अपनी मैरिट के आधार पर प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।

आपसे निवेदन है कि मांग 16 और 17 पारित की जाए।

मांग संख्या 16 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16-पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 61,39,95,54,000/- (इकसठ अरब उनतालीस करोड़ पचानवे लाख चौवन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 17 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17-कारागार के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री उपाध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को रुपये 2,03,53,03,000/- (दो अरब तीन करोड़ तिरेपन लाख तीन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2018 के प्रात: 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20:32 बजे बुधवार, 28 फरवरी 2018 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालय का निर्माण

281. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालयों का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो किस योजना/अभियान के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कितने शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया तथा उनमें से कितने शौचालयों का निर्माण किया गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालयों का निर्माण कब तक करा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि भारत सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग द्वारा जिला परिषदों के माध्यम से प्रदेश में आंगनबाडी केन्द्रों पर शौचालय निर्माण करवाये गये हैं, यह निर्माण मिशनमोड, स्वच्छ भारत अभियान, महानरेगा योजना, निर्मल भारत अभियान जैसी अन्य योजनाओं के तहत करवाये गये हैं।

(2) प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों पर शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया, फिर भी भारत सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग द्वारा जिला परिषदों के माध्यम से प्रदेश में आंगनबाडी केन्द्रों पर शौचालय निर्माण करवाये गये हैं, यह निर्माण मिशनमोड, स्वच्छ भारत अभियान, महानरेगा योजना, निर्मल भारत अभियान जैसी अन्य योजनाओं के तहत समस्त जिलों में कुल 16134 शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में आंगनबाडी केन्द्रों पर निर्माण से शेष बचे शौचालयों के निर्माण वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर करवाये जाएंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना पर व्यय राशि

282. श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना

(श्री नाना लाल अहारी)

की शुरुआत की गयी है? यदि हां, तो कबसे व इसके क्या उद्देश्य हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत विगत चार वर्षों में कितने व्यक्तियों को किन-किन तीर्थ स्थलों की कब-कब यात्रा करायी गयी और उसमें सरकार द्वारा कितनी धनराशि का व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा वर्तमान में उक्त योजना में परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो क्यों व अब इस हेतु आवेदन लेना कब से प्रारम्भ किया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत 2013 में की गयी है। योजना का उद्देश्य बिन्दु संख्या 2 पर अंकित है। जो परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना के तहत विगत चार वर्षों में कितने व्यक्तियों को किन-किन तीर्थ स्थलों की कब-कब यात्रा करायी गयी एवं कितनी धनराशि व्यय की गयी का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में उक्त योजना में परिवर्तन नहीं किया गया है। वर्ष 2013 की योजना में वर्ष 2014 में परिवर्तन किया गया जो परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

इसमें मुख्यत: सेवानिवृत्त राजकीय कार्मिकों को अपात्र कर दिया गया है, जिससे सामान्य वरिष्ठ नागरिकों को अधिकाधिक लाभ मिल सके। वर्ष 2016-17 में उक्त योजना में हवाई यात्रा को भी सम्मिलित किया गया है। जो परिशिष्ट-4 संलग्न है।

आगामी वर्ष 2018-19 के लिये अभी योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर जिले में लाइम स्टोन ब्लाकों की नीलामी

283. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नागौर जिले में लाइम स्टोन के भण्डार के सम्बन्ध में भू-वैज्ञानिकों द्वारा सरकार को क्या रिपोर्ट दी गयी है तथा उक्त जिले में लाइम स्टोन ब्लॉक कहां-कहां पर चिन्हित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा लाइम स्टोन खनन के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है व अब तक कितने लाइम स्टोन ब्लॉक की नीलामी की गयी है तथा

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)
किन-किन कम्पनियों को खनन हेतु लाइम स्टोन ब्लॉक आबंटित कर दिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में तहसील जायल व खींवसर में खनिज लाइम स्टोन के भण्डारों की जांच हेतु विभाग द्वारा पूर्वेक्षण का कार्य किया गया है। नागौर जिले में ब्लॉक नम्बर-3 निकट ग्राह डेह, तहसील जायल में 302 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में तथा ब्लॉक नम्बर-4 निकट ग्राम टाड़ास, तहसील खींवसर में 476.25 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में खनिज लाइम स्टोन हेतु पूर्वेक्षण कार्य किया गया। उपरोक्त दोनों ब्लाकों में खनिज पूर्वेक्षण एवं गन्वेषण कार्य कर भण्डारों का आकलन किया गया, जो निम्नानुसार है:-

ब्लॉक नम्बर-3

क्र.सं.	सब ब्लॉक का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में	खनिज भण्डार मिलियन टन में
1	गगवाना (3A)	14	42.00
2	डेह सरसनी (3B 1a)	2.67	126.95
3	डेह सरसनी (3B 1b)	2.47	168.84
4	डेह सरसनी (3B 2)	4.70	199.154
5	डेह हरिमा (3C 1)	3.007	188.45
6	डेह हरिमा (3C 2)	3.860	156.764
7	डेह पीथासर (3D 1)	3.57	199.154
8	डेह पीथासर (3D 2)	4.34	154.553
	योग	**38.617**	**1235.865**

ब्लॉक नम्बर-4

क्र.सं.	सब ब्लॉक का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में	खनिज भण्डार मिलियन टन में
1	माडपुरा (4A)	51.60	9.00
2	टांकला (4B-I)	8.07	191.28
3	टांकला (4B-II)	9.64	198.967
4	डेहरू (4D)	17.64	196.52
5	माणकपुर (4F)	12.50	266.71
6	टाड़ास (4G-Ia)	4.40	180.797
7	टाड़ास (4G-IIa)	6.10	217.782

(राज्य मंत्री, खान)

क्र.सं.	सब ब्लॉक का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में	खनिज भण्डार मिलियन टन में
8	घींगसरा (4H)	7.60	99.00
9	भेर (4I)	3.07	18.75
10	बैरावास (4J)	5.22	6.00
11	भाकरोड (4K)	23.87	मेसेनरी स्टोन हेतु रिक्त किया गया।
	योग	**149.71**	**1384.806**

(2) राज्य सरकार द्वारा खनिज लाइम स्टोन के ब्लॉक स्वीकृत करने हेतु विज्ञप्ति जारी कर ई-आक्शन द्वारा नीलामी की कार्यवाही की जा रही है। अब तक 5 ब्लॉक की ई-नीलामी की जा चुकी है, जिनमें से तीन ब्लाक्स में मंशा पत्र जारी किये जा चुके हैं तथा दो ब्लॉक में माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार आगामी कार्यवाही की जा सकेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम व जिला	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.	सफल निविदादाता कम्पनी का नाम	विशेष विवरण
1	डेह सरसनी (3B 1a) नागौर	2.67	सर्वश्री ईमामी सीमेन्ट लि. कोलकत्ता	दिनांक 13.4.17 को मंशा पत्र जारी किया जा चुका है।
2	डेह सरसनी (3B 1b) नागौर	2.47	सर्वश्री ईमामी सीमेन्ट लि. कोलकत्ता	दिनांक 2.11.-16 को मंशा पत्र जारी किया जा चुका है।
3	डेह पीथासर (3D 1) नागौर	3.57	सर्वश्री अम्बुजा सीमेन्ट लि.	इस ब्लॉक का आवंटन न्यायालय के निर्णय के अध्ययधीन होगा ।
4	डेह सरसनी (3B 2) नागौर	4.70	सर्वश्री जे.एस. डब्ल्यू	इस ब्लॉक का आवंटन न्यायालय के निर्णय के अध्ययधीन होगा ।
5	सिन्दवाडी रामाखेड़ा, सतखण्डा ब्लॉक B, चित्तौडगढ	4.74	ड़ालमिया सीमेन्ट (भारत) लिमिटेड़	दिनांक 29.8.17 को मंशा पत्र जारी किया जा चुका है।

प्रदेश में कथौडी़ जाति के समान खैरवा जाति को सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना

284. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री ललित कुमार)

(1) क्या यह सही है कि बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में निवास करने वाली खैरवा जाति एवं उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में रहने वाली कथौड़ी जाति दोनों एक ही जाति के लोग तो सरकार द्वारा किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में निवास करने वाली खैरवा जाति को उदयपुर की कोटडा तहसील में निवास करने वाली कथौड़ी जाति के समान सुविधाएं नहीं देने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या दोनों एक ही जाति के लोग होने के उपरान्त भी उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में निवास करने वाली कथौड़ी जाति को सहरिया अनुसूचित जनजाति के समान प्रति माह 30 किलो गेहूं, 2 किलो दाल, 2 लीटर तेल, 1 लीटर देशी घी नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है एवं किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में निवास करने वाली खैरवा जाति को ओबीसी की श्रेणी में रखकर उक्त सभी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उदयपुर की कोटडा़ तहसील में निवास करने वाली कथौडी़ जाति के समान किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में निवास करने वाली खैरवा जाति को भी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में निवास करने वाली खैरवा जाति को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना अनुसार राजस्थान के पिछडे वर्गों की अधिकृत सूची में खैरवा जाति क्रम संख्या 65 पर दर्ज है, जबकि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 के अनुसार क्रम संख्या 6 पर कथौडी़ जाति अनुसूचित जनजाति में दर्ज है। (प्रतियां संलग्न)

माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु प्रस्तुत बजट में जनजाति उप योजना क्षेत्र में जो विशेष सुविधाएं सहरिया एवं कथौडी़ जाति के परिवारों को उपलब्ध हैं, वही सुविधाऐ अब खैरवा जाति के परिवारों को भी उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा की गयी है।

(2) जी नहीं। निवेदन है कि दोनों जातियां अलग-अलग हैं। उदयपुर जिले की कोटडा़ तहसील में निवास करने वाली कथौडी़ जाति को अनुसूचित जनजाति एवं किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में निवास करने वाली खैरवा जाति को ओबीसी की क्षेणी में रखा गया है। इसलिए किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में निवास

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

करने वाले सहरिया जाति को उपलब्ध सुविधाएं वर्तमान में खैरवा जाति को उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु प्रस्तुत बजट में जनजाति उप योजना क्षेत्र में जो विशेष सुविधाएं सहरिया एवं कथौडी जाति के परिवारों को उपलब्ध हैं, वही सुविधाएं अब खैरवा जाति के परिवारों को भी उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा की है।

(3) माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु प्रस्तुत बजट में जनजाति उप योजना क्षेत्र में जो विशेष सुविधाएं सहरिया एवं कथौडी जाति के परिवारों को उपलब्ध हैं, वही सुविधाएं अब खैरवा जाति के परिवारों को भी उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा की गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटपूतली शहर से गांवों में रोडवेज बसों का संचालन

285. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली शहर से विभिन्न गांवों में रोडवेज बसों के संचालन हेतु समिति द्वारा मार्गों का चयन किया गया था? यदि हां, तो किन-किन मार्गों का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त समिति द्वारा चयनित मार्गों पर निगम की बसें चालू कर दी गयी हैं? यदि हां, तो किन-किन मार्गों पर व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटपूतली शहर से विभिन्न गांवों में रोडवेज बसों का संचालन करने के लिए आगारीय कमेटी द्वारा मार्गों का चयन किया गया था। निगम बसों के संचालन करने हेतु चयन किये गये मार्गों का विवरण निम्नानुसार है:-

1	कोटपूतली से जयपुर वाया दांतिल, पावटा (नारेडा, खडव, पुरूषोतमपुरा, फार्म, सुन्दरपुरा, द्वारिकापुरा, दांतिल, पावटा)
2	कोटपूतली से जयपुर वाया देवता (चोटिया, पवाला, चुरीबास, बनेठी, पानेडा, बनार, देवता)
3	कोटपूतली से दिल्ली वाया पवाना (चौलाई, कांसली, मोहनपुरा, कुजोता, पवाना)

(परिवहन मंत्री)

(2) जी हां। आगारीय कमेटी द्वारा खण्ड "1" के उत्तर में वर्णित चयनित मार्गों पर निगम वाहनों का मार्गवार संचालन निम्नानुसार चालू कर दिया गया है:-

क्र.सं.	मार्ग का नाम	संचालन प्रारम्भ करने की दिनांक
1	कोटपूतली से जयपुर वाया दांतिल	01.10.2017
2	कोटपूतली से जयपुर वाया देवता	01.02.2018
3	कोटपूतली से दिल्ली वाया कांसली	01.02.2018

प्रदेश के किसानों के बकाया कर्ज माफ करने की योजना

286. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के किसान लम्बे समय से कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों का कर्जा माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसे कर्ज व कब तक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्ष 2014 से जनवरी 2018 तक के किसानों के बकाया कर्जे माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। किसानों की कर्ज माफी से संबंधित मांग पर विचारण/ विश्लेषण के आधार पर माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा अपने बजट भाषण में दिनांक 12.02.2018 को निम्न घोषणाएं की गयी हैं-

1- लघु एवं सीमान्त कृषकों के सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसली ऋण खातों में 30 सितम्बर, 2017 को ओवरड्यू ऋण में समस्त शास्तियां एवं ब्याज माफी।

2- सहकारी बैंकों के लघु एवं सीमान्त कृषकों के 30 सितम्बर, 2017 तक आउटस्टैण्डिंग अल्पकालीन फसली ऋण में से रुपये 50 हजार तक के कर्जे की एकबारीय माफी।

(सहकारिता मंत्री)

उक्त के अतिरिक्त राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के गठन की घोषणा की गयी है। कृषक इस आयोग के सामने अपना पक्ष रखकर मैरिट के आधार पर राहत प्राप्त कर सकेंगे।

(2) उत्तर बिन्दु संख्या-1 में समाहित है।

दौसा जिले हेतु ईसरदा पेयजल परियोजना के लिये स्वीकृत राशि

287. श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दौसा जिले को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृत की गई ईसरदा पेयजल परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पेयजल परियोजना की कुल वित्तीय स्वीकृति कितनी है व अब तक इस हेतु कितनी राशि विभाग को प्राप्त हो चुकी है एवं कितनी राशि का व्यय कर क्या-क्या कार्य करवाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजना को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समयावधि में दौसा जिले को पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ईसरदा बांध का निर्माण दो चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रथम चरण की योजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 199वीं बैठक दिनांक 28.06.2017 द्वारा राशि रुपये 1038.65 करोड़ की जारी की गयी है।

जल संसाधन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार ईसरदा बांध निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 653.60 करोड़ की निविदा आमंत्रित की जाकर तकनीकी बिड का मूल्याकंन कर दिनांक 08.01.2018 को वित्तीय बिड खोली जा चुकी है तथा अग्रिम कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। निविदा स्वीकृति उपरांत बांध का निर्माण कार्य तीन वर्षों में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) प्रथम चरण की उक्त योजना की वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 1038.65 करोड़ की है। इस परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रुपये 50.50 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा हस्तान्तरित राशि रुपये 499.90 लाख के विरुद्ध जल संसाधन विभाग द्वारा निष्पादित कराये गये कार्यों पर रुपये 226.41 लाख की राशि व्यय की गयी है। कराये गये कार्यों के संबंध में वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। जल संसाधन विभाग द्वारा उक्त बांध का निर्माण कार्यादेश उपरान्त आगामी तीन वर्षों में पूर्ण करना अपेक्षित है।

ईसरदा बांध से पेयजल आपूर्ति हेतु बांध निर्माण एवं भण्डारण क्षमता की गणना संबंधी संभाव्यता रिपोर्ट, बांध से जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु विकसित किये जाने वाले पेयजल तंत्र की संभाव्यता एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के प्रपत्र बनाने का कार्य मैसर्स वेपकोस लिमिटेड, गुड़गांव (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा किया जा रहा है तथा यह कार्य दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण करना अपेक्षित है।

वेपकोस की रिपोर्ट के अनुसार दौसा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजनाओं की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन के संबंध में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान आकलन के अनुसार बांध निर्माण के उपरांत आगामी तीन वर्षों में दौसा जिले के 5 शहर क्रमश: दौसा, बांदीकुई, बसवा, महुवा एवं लालसोट तथा वर्ष 2001 की जनगणनानुसार समस्त 1079 ग्रामों को उक्त बांध से पेयजल उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

एम.ओ.डी. नहर (पीलीबंगा) के काश्तकारों को पानी दिलाने के लिए समिति का गठन

288. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि एम.ओ.डी. नहर की आर.डी. 116.0 हैड से डी.बी.एन माइनर निकलने से एम.ओ.डी. नहर के काश्तकारों के हिस्से के पानी की मात्रा कम हो जाती है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने अंतिम छोर के काश्तकारों को पूरा पानी देने के लिये डिवाइड वाल का प्रस्ताव तैयार करवाया था? यदि हां, तो इस हेतु किन-

(श्रीमती द्रोपती)

किन अधिकारियों की समिति बनाई गई एवं कितने समय में रिपोर्ट तैयार की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त प्रकरण में पुन: समिति बनाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो समिति का गठन कब तक कर दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। एम.ओ.डी. नहर की आर.डी. 116.00 पर डी.बी.एन माइनर हैड से, एम.ओ.डी. के काश्तकारों को निर्धारित मात्रा में पानी उपलब्ध होता है।

(2) डिवाइड वाल के प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु अधिकारियों की समिति नहीं बनाई गई थी। जन सुनवाई के दौरान/जल उपयोक्ता संगम से प्राप्त मांग पर खण्डीय कार्यालय द्वारा प्रस्ताव तैयार किये गये थे।

(3) जी नहीं। इस संबंध में पूर्व में तैयार किये गये डिवाइड वाल के प्रस्ताव का परीक्षण के दौरान तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं पाये जाने से समिति गठित किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बानसूर में देवनारायण योजना के तहत कराये गए कार्य

289. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में देवनारायण योजना में कितने छात्र-छात्राओं को एस.बी.सी. में कितनी-कितनी छात्रवृत्ति वितरित की गयी एवं देवनारायण छात्रावासों में कितनी छात्राओं का नामांकन है तथा छात्रावास कहां-कहां पर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अलवर जिले के बानसूर में उक्त योजना के अन्तर्गत गत चार वर्षों में कितनी राशि का व्यय किस-किस कार्य के लिए किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बानसूर में देवनारायण योजना के अन्तर्गत सरकारी आवासीय विद्यालय एवं नारायणपुर में बालिका विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में देवनारायण योजना में वर्ष 2016-17 में 466 छात्र-छात्राओ को राशि रुपये 64.81 लाख छात्रवृत्ति मद में वितरित की गयी है एवं देवनारायण कालेज स्तरीय कन्या छात्रावास अलवर में 17 छात्राओं तथा देवनारायण बालिका विद्यालय स्तरीय छात्रावास अलवर में 40 छात्राओं का नामांकन है।

देवनारायण योजनान्तर्गत अलवर जिले में निम्न स्थानों पर छात्रावास संचालित हैं-

1. देवनारायण कालेज स्तरीय कन्या छात्रावास अलवर।
2. देवनारायण बालिका विद्यालय स्तरीय छात्रावास अलवर।
3. देवनारायण बालक छात्रावास थानागाजी।
4. देवनारायण बालक छात्रावास राजगढ़।
5. देवनारायण बालक छात्रावास बानसूर।

(2) देवनारायण योजनान्तर्गत विशेष पैकेज में ही कार्य स्वीकृत होने के कारण गत चार वर्षों में अलवर जिले के बानसूर में कोई नया कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है, परन्तु देवनारायण योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत किये गये कार्यों एवं व्यय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	व्यय राशि लाखों में	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5
1	छात्रावास बानसूर	2008-09	96.00	पूर्ण एवं संचालित
2	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बानसूर	2008-09	178.73	पूर्ण एवं संचालित
3	सैनिक विश्राम गृह बानसूर	2008-09	30.00	पूर्ण
4	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण 1. उप स्वास्थ्य केन्द्र लोयती	2008-09	70.66	पूर्ण

(समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

1	2	3	4	5
	2. उप स्वास्थ्य केन्द्र कोथल 3. उप स्वास्थ्य केन्द्र कटारिया का बास। 4. उप स्वास्थ्य केन्द्र टोड़िया का बास। 5. उप स्वास्थ्य केन्द्र माजरा टाकोड़ा। 6. उप स्वास्थ्य केन्द्र खिवाहेड़ी 7. उप स्वास्थ्य केन्द्र नाथूसर 8. उप स्वास्थ्य केन्द्र ढाकला			
	योग		**375.39**	

(3) क्षेत्र की आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता के अनुसार आवासीय विद्यालय खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

निवाई शहर के लिए सीवरेज परियोजना की स्वीकृति

290. श्री हीरालाल (निवाई): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के किन-किन शहरों में गत 5 वर्षों में सीवरेज परियोजना स्वीकृत की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई शहर में सीवरेज परियोजना नहीं होने के कारण आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के निवाई शहर में सीवरेज परियोजना स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान शहरी, पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत परियोजना निगम (रूडसीको) के अन्तर्गत गत पांच वर्षों में स्वीकृत सीवरेज परियोजना का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) के अन्तर्गत गत पांच वर्षों में स्वीकृत सीवरेज परियोजना का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) राज्य के जिन शहरों में सीवरेज व्यवस्था नहीं है, वहां फिकल स्लज एवं सैप्टेज मैनेजमेन्ट (Faecal Sludge & Septage Management) व्यवस्था लागू किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें निवाई भी शामिल है। जिसके तहत राज्य के 100 शहरों में फिकल स्लज एवं सैप्टेज मैनेजमेन्ट हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिये भारत सरकार की संस्था राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, नई दिल्ली तथा सीडीडी सोसाइटी, बैंगलोर के साथ अनुबन्ध किया गया है। नगरपालिका, निवाई द्वारा उक्त प्लान्ट के लिये 0.75 हैक्टेयर भूमि पर प्लान्ट स्थापित करने की दिनांक 12.02.2017 को अनापत्ति जारी की गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बच्चों को छात्रवृत्ति की योजना

291. डा. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बच्चों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है? यदि हां, तो इसके क्या नियम हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत चार वर्षों में उक्त कार्यकर्ताओं के कितने बच्चों को छात्रवृत्ति दी गयी, यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार छात्रवृत्ति वितरण नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के बच्चों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

सहाड़ा की ग्राम पंचायतों में आबंटित खनन पट्टे

292. डा. बालू राम चौधरी (सहाड़ा): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की सहाड़ा, रायपुर, हमीरगढ़ व भीलवाड़ा

(डा. बालू राम चौधरी)

तहसीलों के अन्तर्गत आने वाली किस-किस ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा खनन पट्टे दिये गये हैं? ग्राम पंचायत व तहसीलवार खनन पट्टेधारियों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त खनन पट्टेधारियों द्वारा पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो नियमों का उल्लंघन करने वाले खनन पट्टाधारकों के विरुद्ध गत चार वर्षों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के अन्तर्गत आने वाली तहसील सहाड़ा, रायपुर व भीलवाड़ा में विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये खनन पट्टों का ग्राम पंचायतवार व तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के अन्तर्गत आने वाली तहसील हमीरगढ़ में कोई भी खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है।

(2) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा खनन इकाइयों को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत स्थापना एवं संचालन सम्मति जारी की जाती है एवं सम्मति की शर्तों की अनुपालना जांचने एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के सत्यापन हेतु इकाइयों का मण्डल के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर दोषी इकाइयों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। पिछले चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के अन्तर्गत आने वाली तहसील सहाड़ा, रायपुर, हमीरगढ़ एवं भीलवाड़ा में स्वीकृत खनन पट्टों के निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा दोषी इकाइयों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हिण्डौन में माडा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

293. श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में गत चार वर्षों में माडा योजना के तहत कौन-कौनसे कार्य स्वीकृत किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में करौली जिले में कितने कार्य कितनी राशि के स्वीकृत किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में माडा योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में निम्नानुसार 2 कार्य के लिये राशि 7.50 लाख रु. स्वीकृत किये गये।

1. वर्ष 2014-15 में सम्पर्क सड़क निर्माण "लपावली रोड भूचामीना के घर और ग्राम चक सिकन्दपुरा" ग्राम पंचायत अलीपुरा में राशि 3.50 लाख रु. की स्वीकृति जारी की गई एवं कार्य पूर्ण।
2. वर्ष 2014-15 में सम्पर्क सड़क निर्माण "राजा के घर से उप स्वास्थ्य केन्द्र तक" ग्राम पंचायत अलीपुरा में राशि 3.50 लाख रु. की स्वीकृति जारी की गयी एवं कार्य पूर्ण।

(2) करौली जिले में कुल 12 कार्यों की स्वीकृति जारी की गयी है। जिसमें माडा क्षेत्र अन्तर्गत 8 कार्यों हेतु राशि 29.00 लाख रुपये की स्वीकृति एवं बिखरी क्षेत्र अन्तर्गत 4 कार्यों हेतु राशि 13.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मनोहरथाना के गांवों को माडा योजना में सम्मिलित करने की कार्यवाही

320. श्री कंवर लाल (मनोहरथाना): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में माडा योजना में गांवों को सम्मिलित करने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में किन-किन गांवों में अनुसूचित जनजाति की आबादी 50 प्रतिशत होने के उपरान्त भी उक्त गांवों को माडा योजना में शामिल नहीं किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माडा योजना में गांवों को सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार के निर्धारित मानदण्ड निम्नानुसार हैं:-

1- प्रत्येक लघु खण्ड में 10,000 से कम आबादी नही होनी चाहिये।

2- सम्मिलित ग्रामों की कुल आबादी का 50 प्रतिशत जनजाति की आबादी होनी चाहिये।

3- लघु खण्ड की सीमाएं एक ही जिले में होना आवश्यक है।

4- ग्रामों की सीमाओं में निरन्तरता होना आवश्यक है।

5- लघु खण्ड के ग्रामों के बीच के सभी ग्रामों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

6- लघु खण्ड के ग्रामों की जनसंख्या एवं सीमाएं सैन्सस 2011 के अनुसार होना आवश्यक है।

7- ग्रामों में निरन्तरता बनाये रखने के लिये एक या दो ग्राम जिनमें 50 प्रतिशत से कम जनजाति के व्यक्ति निवास करते हैं, को सम्मिलित किये जा सकते हैं, परन्तु इससे अधिक नहीं।

8- लघु खण्ड की सीमा पर स्थित प्रत्येक ग्राम की जनजाति की आबादी का 50 प्रतिशत होना आवश्यक है !

(2) विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के अनुसूचित जनजाति की 50 प्रतिशत आबादी से अधिक मनोहरथाना पंचायत समिति के 3 गांव, अकलेरा पंचायत समिति के 11 गांव व झालरापाटन पंचायत समिति के 1 गांव आते

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

हैं। इन गांवो की जनजाति की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है परन्तु गठन संबंधी मानदण्डों की पूर्ति नहीं करने के कारण उक्त ग्रामों को माडा योजना में शामिल नहीं किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में जिनकी अनुसूचित जनजाति की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक तथा माडा में चयनित एवं अचयनित गांवों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। अनुसूचित क्षेत्र के प्रस्तावों के अनुमोदन के पश्चात् माडा क्षेत्र के गठन/विस्तार के प्रस्ताव तैयार किये जाने प्रस्तावित हैं। विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में आने वाले गांव यदि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करते हैं तो माडा क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज देने की योजना

321. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जनजाति क्षेत्रों के लिए आबंटित बजट में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोई विशेष पैकेज देने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में किस-किस योजना में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आबंटित की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। आयोजना विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्र दिनांक 15.02.2000 तथा संशोधित दिनांक 30.09.2010 एवं पुन: संशोधित दिनांक 06.02.2012 के अनुसार राशि का प्रावधान रखा जाता है।

(2) जी नहीं। जनजाति क्षेत्रों में ढांचागत विकास एवं सामाजिक

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

आर्थिक विकास योजनाओं हेतु प्रत्यके विभाग के जनजाति उपयोजना मद में आवश्यकतानुसार प्रावधान रखा गया है।

(3) राज्य सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रों में जनजाति प्रवाह के रूप में प्रत्येक विभाग के बजट उपशीर्ष 796 मांग संख्या 30 में राशि आबंटित करती है। वर्ष 2017-18 में कुल राज्य प्रावधान 8115797.38 लाख रुपये में से 1117698.04 लाख रुपये जनजाति प्रवाह के रूप मे आबंटित किये गये हैं जो राज्य योजना का 13.77 प्रतिशत है। विवरण परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोंक को अजमेर से सीधे सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना

322. श्री अजीत सिंह (टोंक): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टोंक के अन्तर्गत टोंक से लहन, पालड़ा, चूली व टोडारायसिंह से केकड़ी की सड़क को राज्य मार्ग में शामिल कर टोंक जिला मुख्यालय को अजमेर संभाग मुख्यालय से सीधा जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौनसी एम.डी.आर., स्टेट हाईवे, पी.एम.जी.एस.वाई. एवं ग्रामीण सम्पर्क सड़कों को ओवरलोड बजरी के वाहनों ने तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत व दुरुस्तीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टोंक से लहन, पालड़ा, चूली, टोडारायसिंह होकर केकड़ी तक सड़क की कुल लम्बाई 78.00 किमी. है, जिसमें से 57.00 किमी. जिला टोंक में आती है एवं 21.00 किमी. जिला अजमेर में आती है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

क्र. सं.	**सड़क का नाम**	**चैनेज**	**सड़क का प्रकार**	**कुल लम्बाई (किमी.)**
1	टोंक से चूली	0/0 से 14/0	ग्रामीण सड़क	14.00
2	चूली से लाम्बाकलां	14/0 से 26/0	ग्रामीण सड़क	12.00
3	लाम्बा कलां से रतवाई चौराहा	26/0 से 37/0	मुख्य जिला सड़क	11.00
4	रतवाई चौराहा से टोडारायसिंह	37/0 से 41/0	राज्य मार्ग	4.00
5	टोडारायसिंह से दाम्बरदुम्बा जिला सीमा टोंक	41/0 से 57/0	मुख्य जिला सड़क	16.00
6	जिला अजमेर केकड़ी तक	57/0 से 78/0	मुख्य जिला सड़क	21.00
			योग	**78.00**

उक्त सड़क को राज्य मार्ग में शामिल करना सड़क की महत्वता एवं यातायात घनत्व पर निर्भर करेगा।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र टोंक में 24 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिनकी कुल लम्बाई 83.07 किमी. है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत व दुरुस्तीकरण किया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सुजानगढ़-जयपुर के टोल बूथों द्वारा टोल कलेक्शन

323. श्री खेमाराम (सुजानगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सुजानगढ़-जयपुर रोड पर स्थित टोल बूथों का टोल कलेक्शन करने का कब तक का समय निर्धारित है? टोलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रोड पर स्थित टोल बूथों द्वारा शुरू होने से अब तक कितने रुपये का कलेक्शन कर लिया गया है? टोलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सुजानगढ़ से जयपुर तक पहुंचने के कुल 3 मार्ग आमजन द्वारा उपयोग में लिये जा रहे हैं:-

(1) सुजानगढ़-सालासर-लक्ष्मणगढ़-सीकर-रींगस-जयपुर

(2) सुजानगढ़-लाडनूं-डीडवाना-सीकर-रींगस-जयपुर

(3) सुजानगढ़-लाडनूं-डीडवाना-नावां-जोबनेर-जयपुर

उक्त तीनों मार्गों एवं उन पर अवस्थित टोल बूथों की स्थिति मानचित्र में परिशिष्ट-1 पर दर्शाई गयी है। इन तीनों में से सीकर-रींगस-जयपुर मार्ग (एन.एच.-52) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) द्वारा विकसित किया गया है जिस पर कुल दो टोल प्लाजा टाटियावास एवं अखेपुरा पर संचालित हैं। सीकर से लक्ष्मणगढ़ (एन.एच.-52) का भाग सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है जिस पर रशीदपुरा में टोल प्लाजा संचालित है। तीनों टोल प्लाजा की स्थिति टोल वसूली प्रारम्भ तिथि एवं टोल समापन तिथि का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

सुजानगढ़ से जयपुर सड़क मार्ग सुजानगढ़-डीडवाना-कुचामन-जोबनेर-जयपुर पर आर.एस.आर.डी.सी. जयपुर के अन्तर्गत जयपुर-जोबनेर-कुचामन सड़क भाग (एस.एच.-90) पर दो टोल टैक्स केन्द्र क्रमश: किमी. 26/835 ग्राम बस्सी नांगा एवं किमी. 73/430 ग्राम गोविन्दी पर दिनांक 30.11.2014 से स्थापित है। इन पर टोल टैक्स दिनांक 01.12.2014 से प्रारम्भ किया गया है एवं दिनांक 30.05.2030 तक वसूला जाना प्रस्तावित है।

रिडकोर द्वारा संचालित मेगा हाईवे परियोजना के अन्तर्गत सुजानगढ़ से जयपुर रोड पर एक टोल प्लाजा अवस्थित है जो कि छापरी कलां किमी. 102 पर है जिसकी टोल प्रारम्भ दिनांक 28.02.2008 एवं टोल समापन तिथि 17.01.2038 है।

(2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) एवं मोर्थ द्वारा विकसित 3 टोल प्लाजा टाटियावास, अखेपुरा एवं रशीदपुरा पर अब तक कुल राशि 225.95 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है, जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

सुजानगढ़ से जयपुर सड़क मार्ग सुजानगढ़-डीडवाना-कुचामन-जोबनेर-जयपुर पर आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा संचालित टोल प्लाजाओं पर दिनांक

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

01.12.2014 से 31.01.2018 तक कुल राशि रु. 31,93,81,096.00 का कलैक्शन कर लिया गया है। वर्षवार एवं टोल वार विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

सुजानगढ़ से जयपुर रोड के मध्य स्थित छापरी कलां (चैनेज किमी. 102) टोल प्लाजा, रिडकोर द्वारा निर्मित हनुमानगढ़ से किशनगढ़ मार्ग पर अवस्थित है। छापरी कलां टोल प्लाजा, हनुमागढ़-किशनगढ़ मेगा हाईवे पर अवस्थित 6 टोल प्लाजाओं में एक टोल प्लाजा है एवं सभी 6 टोल प्लाजाओं की निविदा एक साथ निकाली जाती है।

हनुमानगढ़ से किशनगढ़ सड़क मार्ग के 6 टोल प्लाजाओं पर दिनांक 31.12.2017 तक राशि संग्रहण एवं खर्चों का विवरण निम्न अनुसार है:-

कुल परियोजना लागत, ब्याज एवं पुनर्भरण राशि- 1486.74 करोड़

रख-रखाव एवं संचालन राशि- 79.53 करोड़ रुपये

उपयोक्ता शुल्क संग्रहण राशि- 833.70 करोड़ रुपये।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

माधोराजपुरा से खेड़ा श्री हनुमान जी तक सड़क का नवीनीकरण

324. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि माधोराजपुरा (फागी) से खेड़ा श्री हनुमान जी तक 03 किलोमीटर सड़क अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है? यदि हां, तो उक्त सड़क का नवीनीकरण कब करवाया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सड़क का नवीनीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में सड़क की स्थिति संतोषजनक है। इसका नवीनीकरण वर्ष 2010 में करवाया गया था।

(2) जी नहीं। इस सड़क का नवीनीकरण करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

केन्द्रीय बस स्टैंड, बाड़मेर का उचित रखरखाव

325. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय बाड़मेर पर वृद्धिचंद जैन केन्द्रीय बस स्टैण्ड संचालित है? यदि हां, तो उक्त बस स्टैण्ड से रोजाना कितनी बसें कहां-कहां के लिए संचालित होती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2015, 2016 तथा 2018 में रोडवेज आगार बाड़मेर को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई? वर्षवार प्राप्त राजस्व राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि करोड़ों की लागत से बने उक्त केन्द्रीय बस स्टैण्ड, बाड़मेर का रख-रखाव एवं सार-संभाल नहीं होने के कारण जर्जर होता जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त बस स्टैण्ड के उचित सार-संभाल एवं रख-रखाव हेतु क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला मुख्यालय बाड़मेर पर दिनांक 01.07.2015 से वृद्धिचन्द जैन केन्द्रीय बस स्टैण्ड संचालित है। उक्त बस स्टैण्ड से राजस्थान परिवहन निगम के विभिन्न आगारों द्वारा संचालित बसों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) बाड़मेर आगार को वर्षवार निम्नानुसार राजस्व प्राप्त हुआ:-

वित्तीय वर्ष	प्राप्त राजस्व (लाख रु. में)
2015-16	3037.12
2016-17	3299.90
2017-18 (दिसम्बर 2017 तक)	2766.05

(3) उक्त बस स्टैण्ड का निर्माण बाड़मेर शहर सौन्दर्यकरण योजना के अन्तर्गत नगर परिषद, बाड़मेर द्वारा कराया गया है। 1. राजस्थान परिवहन निगम, 2. नगर परिषद, बाड़मेर तथा 3. कृषि उपज मण्डी समिति, बाड़मेर के मध्य दिनांक 17.07.2014 को सम्पन्न MOU के अनुसार 15 वर्ष उपरान्त

(परिवहन मंत्री)

उक्त बस स्टैण्ड का स्वामित्व राजस्थान परिवहन निगम में निहित होगा तब तक बस स्टैण्ड के रख-रखाव का दायित्व राजस्थान परिवहन निगम का न होकर नगर परिषद् बाड़मेर का है।

नगर परिषद् बाड़मेर के अनुसार उक्त भवन जर्जर अवस्था में नहीं है, परन्तु भवन के मरम्मत की आवश्यकता है जिसको नगर परिषद् बाड़मेर की आगामी सभा की बैठक में रखकर निर्णय लिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रायसिंहनगर में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण

326. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर स्थित श्यामगढ-सरदारपुरा बीका के टी-पाइंट से 7 एल.जेड.पी. ढाणियों की तरफ, 40 एन.जी. से 42 एन.जी., श्यामगढ़ से बगीचा, ततारसर (50.51 एन.सी.) से बगीचा, 22 पी.एस. से 10 टीके, बिलोचिया से 8 बी.एल.एम, 40 टी.के. से 7 एम के, 22 एफ.एफ. से 5 एफ.डी., 28 एफ. एफ. से अराईयावाली, 15 टी.के. से 16 टी.के., 19 एन.जी. से मालसर, 2 एफडी से 4 एफ.एफ., तथा ग्राम पंचायत 12 एन.आर.डी. से 4 बी.पी.एम. मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेंज पर रखें।

उत्तर

प्रश्न में वर्णित कुल 13 सड़कों में से 8 सड़कें मिसिंग लिंक श्रेणी की हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। 4 सड़कें जिनकी आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 250 से कम होने के कारण सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित नहीं है। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है एवं 1 सड़क बिलोचिया से 8 बी एल एम के दोनों गांव आपस में डामर सड़क से जुड़े हुए हैं। मिसिंग लिंक एवं नये गांवों को सड़कों से जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के केशव विद्यापीठ के पास की कॉलोनियों में बीसलपुर योजना से पेयजल की आपूर्ति

327. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आगरा रोड केशव विद्यापीठ के पास बसी आवासीय कॉलोनियों में बीसलपुर योजना से पीने का पानी उपलब्ध करवाने की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो किस-किस आवासीय कॉलोनियों में? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कॉलोनियों को पानी उपलब्ध कराने के लिए सर्वे करवाया जा चुका है? यदि हां, तो कब? सर्वे रिपोर्ट व कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बीसलपुर परियोजना से जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तरी भाग में जयपुर नगर की सीमा में आ रहे वार्ड संख्या 63 की जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा अनुमोदित 5 आवासीय कॉलोनियों क्रमशः गणेशपुरी, मनु विहार, शताब्दी नगर, ग्रीनपार्क व दुर्गा विहार सहित अन्य गैर-अनुमोदित आवासीय कालोनियों, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सुमेल योजना तथा जयपुर नगर सीमा के बाहर स्थित ग्राम विजयपुरा, सुमेल, बगराना एवं बल्लूपुरा को लाभान्वित करने हेतु तैयार की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) की विभाग की तकनीकी समिति की 650वीं बैठक दिनांक 09.03.2017 द्वारा राशि रुपये 72.44 करोड़ की तकनीकी क्लियरेंस जारी की चुकी है।

उक्त परियोजना के प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति हेतु वित्त विभाग में वर्तमान में प्रक्रियाधीन हैं।

(2) जी हां। उक्त परियोजना की सर्वे एवं डी.पी.आर. तैयार करने हेतु सलाहकार फर्म मैसर्स पीडीकोर, जयपुर को दिनांक 16.06.2016 को नियुक्त किया गया तथा फर्म द्वारा दिनांक 23.12.2016 को रिपोर्ट विभाग में प्रस्तुत की गयी।

उक्त रिपोर्ट का कार्यकारी सारांश मय लागत संबंधी विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रानी एवं बाली तहसीलों के गांवों को जवाई बांध से पेयजल की आपूर्ति

328. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील रानी एवं बाली जवाई बांध के नजदीक होने के उपरान्त भी उक्त तहसीलों को जवाई बांध से पेयजल की आपूर्ति नहीं करने के क्या कारण हैं?

(2) क्या सरकार उक्त तहसीलों के गांवों को भी जवाई पेयजल योजना से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) पाली जिले की तहसील रानी व बाली में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार क्रमश: 76 एवं 111 ग्राम सम्मिलित हैं। इनमें से बाली तहसील के 9 ग्रामों को सतही जल स्रोत जवाई बांध आधारित जवाई पाइप लाइन परियोजना के क्लस्टर परियोजना प्रथम से पूर्ण रूप से लाभान्वित किया जा चुका है। रानी तहसील के 2 ग्राम प्रथम चरण की परियोजना से पूर्व से ही लाभान्वित हैं तथा 6 ग्रामों को प्रगतिरत जवाई क्लस्टर परियोजना द्वितीय से आंशिक रूप से लाभान्वित किया जा चुका है।

जवाई बांध से जवाई पाइप लाइन परियोजना की माह अक्टूबर, 2007 में राशि रुपये 634.79 करोड़ की स्वीकृत परियोजना में पाली जिले के 561 ग्राम एवं 9 नगरों की पेयजल मांग को सम्मिलित किया गया था। पाली जिले की रानी, बाली एवं देसूरी तहसीलों के गांव पूर्व में तुलनात्मक रूप से अधिक समस्याग्रस्त नहीं होने के कारण तत्समय उक्त स्वीकृत परियोजना में इन्हें सम्मिलित नहीं किया गया था।

(2) जी हां। रानी तहसील के शेष 68 ग्राम, बाली तहसील के शेष 102 ग्रामों में से 78 ग्राम (पहाड़ी क्षेत्र के 24 ग्रामों को जवाई बांध से जोड़ा जाना तकनीकी रूप से फिजिबल नहीं है) एवं देसूरी तहसील के 78 गांव, इस प्रकार कुल 224 गांवों में जवाई बांध से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राशि रुपये 476.49 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार कर ली गयी है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट हाल ही में सक्षम स्तर पर प्राप्त हुई है जो तकनीकी परीक्षण में है। तकनीकी परीक्षण उपरान्त परियोजना की तकनीकी क्लियरेंस एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

कठूमर में संचालित पेयजल योजनाएं

329. श्री मंगल राम (कठूमर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में पेयजल की आपूर्ति की कौन -कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत चार वर्षों में उक्त योजनाओं पर किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में वर्तमान में कौन-कौनसी पेयजल योजनाएं संचालित की जा रही हैं व उक्त योजनाओं से कितने गांवों/ढाणियों को लाभान्वित किया जा रहा है तथा उक्त योजनाओं पर गत तीन वर्षों में कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के समस्त 222 शहर/कस्बों में पाइप्ड जल योजनाएं तथा ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यत: पाइप्ड जल योजना, पम्प एवं टैंक जल योजना, क्षेत्रीय जल योजना एवं हैण्डपम्प योजना तथा इन जल योजनाओं के अतिरिक्त टी.एस.एस., डिग्गी एवं अन्य जल योजनाएं भी वर्तमान में संचालित हैं।

पाइप्ड, पम्प एवं टैंक, क्षेत्रीय, हैण्डपम्प, टी.एस.एस., डिग्गी एवं अन्य जल योजनाओं से क्रमश: 2842, 5858, 13531, 18158, 1671 तथा 931, इस प्रकार कुल 42,991 ग्रामों को माह दिसम्बर, 2017 तक लाभान्वित किया जा चुका है। इन 42,991 ग्रामों में से 32,891 ग्राम भू-जल एवं 10,100 ग्राम सतही जल स्रोत आधारित योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं।

(2) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त जल योजनाओं से पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 की अवधि में राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना मद में व्यय की गयी राशि का योजनावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल सम्मिलित 201 ग्रामों में से 12 ग्राम पाइप्ड जल योजना (2 ग्राम जनता जल योजना पैटर्न पर लाभान्वित), 40 ग्राम क्षेत्रीय जल योजना, 35 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजना तथा 114 ग्राम हैण्डपम्प योजनाओं से वर्तमान में जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्र की चिन्हित 259 ढाणियां हैण्डपम्प योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं।

कठूमर क्षेत्र के उक्त जल योजनाओं से लाभान्वित ग्राम एवं ढाणियों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 की अवधि में विभिन्न मदों में व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बस्सी में नवीन एनिकटों का निर्माण

330. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा जनवरी, 2011 से जनवरी, 2018 तक विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कौन-कौन से व कितने बांधों/एनिकटों के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गयी? ग्रामवार, पंचायतवार व राशिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से एनिकटों के निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं तथा उक्त प्रस्ताव किस-किस के माध्यम से प्राप्त हुए? सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों पर स्वीकृति कब तक जारी कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जनवरी, 2011 से जनवरी, 2018 तक नवीन बांधों/एनिकटों के निर्माण संबंधित कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई। इस अवधि के दौरान विभिन्न मदो में बांधों/एनिकटों पर करवाये गये मरम्मत कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में बस्सी विधान सभा क्षेत्र में एनीकट निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है तथा न ही इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा बैराज बांध के गेटों व पुलिया की मरम्मत

331. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा बैराज बांध का निर्माण कब हुआ था? उक्त बांध की भराव क्षमता कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बांध की मरम्मत के लिए गत 10 वर्षों में विभाग द्वारा कितनी राशि के प्रस्ताव सरकार को भेजे गये तथा उसमें से कितनी राशि सरकार ने कब-कब स्वीकृत की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त बांध के गेट, लोहे के रस्सों, तार व पुलिया की काफी समय से मरम्मत नहीं हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बांध की सुरक्षा की दृष्टि से इनकी मरम्मत हेतु बजट स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा बैराज का निर्माण वर्ष 1953 में प्रारम्भ कर 1960 में पूर्ण किया गया। बैराज की भराव क्षमता 3961 मिलियन घन फीट (112.06 MCUM) है।

(2) कोटा बैराज की मरम्मत हेतु विगत 10 वर्षों में बजट की मांग एवं आबंटित राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) बांध के गेटों, लोहे के रस्से, तार आदि की आवश्यक मरम्मत समय-समय पर संसाधन उपलब्धतानुसार प्राथमिकता के आधार पर करवाई गयी है तथा वर्तमान में सभी गेट कार्यशील हैं।

बैराज की विशेष मरम्मत एवं पुलिया की मरम्मत हेतु प्रस्ताव राशि रुपये 12.02 करोड के केन्द्र सरकार की बांध पुनरूद्वार एवं सुधार परियोजना (DRIP) अन्तर्गत तैयार किये गये हैं, स्वीकृति उपरांत कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा में यूरिया का भण्डारण

332. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में सरकार द्वारा कोटा में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

राजफेड में अग्रिम भण्डारण के लिए यूरिया गोदाम में रखा गया था? यदि हां, तो कितनी राशि का एवं कितना भण्डारण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भण्डारित उक्त यूरिया खराब होने पर किसानों ने खरीद करने से इंकार कर दिया? यदि हां, तो सरकार को इससे कितनी राशि का नुकसान हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले में राज्य सरकार की अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत कृषि विभाग के निर्देशानुसार राजफेड द्वारा आरएसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी के सरकारी गोदामों में वर्ष 2015-16 में 11641.75 मै. टन यूरिया राशि 638.16 लाख रु. का भण्डारण किया गया था।

वर्ष 2016-17 में कोटा जिले के गोदामों में 5489.25 मै. टन यूरिया राशि 317.91 लाख रु. का भण्डारण किया गया।

(2) किसानों द्वारा खाद लेने से इंकार करने की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत भण्डारित यूरिया की कोई मात्रा खराब नही हुई है एवं किसी भी प्रकार का नुकसान सरकार को नहीं हुआ है।

चूरू जिले में संचालित सहकारी समितियां

333. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चूरू जिले में वर्तमान में कुल कितनी सहकारी समितियां संचालित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्राम पंचायत स्तर पर सहकारी समितियां खोलने के मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो अब तक ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं, जहां ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं खोली गयी हैं? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान में नवसृजित ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री मनोज कुमार)

(4) सहकारी समितियों द्वारा क्या-क्या कार्य संपादित किये जाते हैं? गत 1 वर्ष में विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में संचालित सहकारी समितियों द्वारा किये गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू जिले में वर्तमान में कुल 964 सहकारी समितियां संचालित हैं। विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन हेतु निर्धारित मानदण्ड (परिशिष्ट-2) पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स/लैम्पस) का गठन किया जाता है।

निर्धारित मानदंडों की पूर्ति नहीं होने के कारण/प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण 3533 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं।

(3) जी हां। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन हेतु निर्धारित मानदण्ड (परिशिष्ट-2) पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स/लैम्पस) का गठन किया जाता है।

(4) सहकारी समितियों द्वारा अपने उपनियमों में अंकित उद्देश्यानुसार ऋण वितरण, खाद, बीज, पेस्टीसाइड, दवाइयां एवं उचित दर पर रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुए उपलब्ध करवाना इत्यादि कार्य किये जाते हैं।

विगत 1 वर्ष में विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में संचालित सहकारी समितियों द्वारा अपने उप नियमानुसार उक्तानुसार कार्य किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के लाभार्थी

334. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत गत दो वर्षों में कितने बच्चों को लाभान्वित किया गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के तहत आवेदन करने वाले तीन से चार प्रतिशत बच्चों को ही छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है?

(श्री अभिषेक मटोरिया)

यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौनसे अधिकारी दोषी हैं तथा सरकार द्वारा गत दो वर्षों में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत गत तीन वर्षों में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि आबंटित की गयी तथा उसके विरुद्ध कितनी राशि का वितरण कर व्यय किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) अन्तर्गत 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दी गयी छात्रवृत्ति का गत दो वर्षों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नही। इस योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों में से सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया जा रहा है।

(3) पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) अन्तर्गत गत तीन वर्षों में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आबंटित राशि एवं मृत्यु/दुर्घटना से मृत्यु/स्थायी शारिरिक अपंगता/आंशिक शारीरिक अपंगता होने पर दी गई सहायता राशि एवं छात्रवृत्ति भुगतान का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के मानदण्ड

335. डा. मंजू बाघमार (जायल): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल में मुख्य मंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजनान्तर्गत कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल में मुख्य मंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजनान्तर्गत गत पांच वर्षों में लाभान्वित हुए विशेष योग्यजनों का पंचायत समितिवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) विशेष योग्यजन, जिनकी स्वयं की एवं परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये तक है, स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिये 5.00 लाख रुपये तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है, जिस पर 50 प्रतिशत (अधिकतम 50 हजार तक) राशि सब्सिडी के रूप में दी जा रही है। मानदण्डों की प्रति संलग्न परिशिष्ट- ब पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के मेहनत नगर में पट्टे जारी करने की योजना

336. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981 में मेहनत नगर हटवाड़ा रोड़ जयपुर का सर्वे कराया गया था? यदि हां, तो कितने मकानों का सर्वे किया गया? नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सभी सर्वेधारियों को आबंटन पत्र जारी कर दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस नाम से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2012 व 2017 में प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे जारी करने के लिए अभियान चलाया गया था? यदि हां, तो उक्त अभियान में कितने लोगों ने आवेदन किया तथा कितनों को पट्टे जारी किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1981 में मेहनत नगर हटवाड़ा रोड, जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराये गये सर्वे की सूची (नाम व पते सहित) परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मेहनत नगर हटवाड़ा रोड के समस्त स्वीकृत सर्वेधारियों को आबटन पत्र जारी किये गये हैं। नामवार सूची परिशिष्ट "अ" में वर्णित है।

(3) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2012 में प्रशासन शहरों के संग अभियान में कुल 67194 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कुल 38274 पट्टे जारी किये गये तथा नगर निगम, जयपुर द्वारा वर्ष 2012 में

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

प्रशासन शहरों के संग अभियान में कुल 20258 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुल 8241 पट्टे जारी किये गये।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2017 में मुख्य मंत्री शहरी जन कल्याण योजना के अन्तर्गत कुल 9512 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कुल 8770 पट्टे जारी किये गये तथा नगर निगम, जयपुर द्वारा वर्ष 2017 में मुख्य मंत्री शहरी जन कल्याण योजना के शिविर में कुल 16844 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कुल 2803 पट्टे जारी किये गये।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश की आवासीय कॉलोनियों में वाणिज्यिक गतिविधियों पर रोक

337. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में आवासीय कॉलोनियों में वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन निषेध है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) आवासीय कॉलोनियों में संचालित वाणिज्यिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर क्या कार्यवाही की जाती है? गत दो वर्षों में जयपुर शहर में मुरलीपुरा क्षेत्र में किन-किन आवासीय कॉलोनियों में ऐसी कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर शहर में आवासीय कॉलोनियों में संचालित कैटरिंग व्यापारियों के गोदाम, गैस सिलेण्डर के गोदाम एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों की वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण हुए गैस रिसाव एवं गैस सिलेण्डर फटने की घटनाओं के घटित होने के उपरान्त उनकी रोकथाम हेतु सरकार द्वारा गत दो वर्षों में क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जयपुर की ऋषि कॉलोनी, देव नगर व मुरलीपुरा, आवासीय कॉलोनियों में अवैध रूप से केटरिंग का व्यापार संचालित है? यदि हां, तो उक्त गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आवासीय कॉलोनी में मास्टर विकास योजना 2025 के

(स्वायत्त शासन मंत्री)

वॉल्यूम 04 Development Control Regulation में अनुज्ञेय की गयी व्यावसायिक गतिविधि स्वीकृति पश्चात् ही की जा सकती है, इसके अतिरिक्त समस्त गतिविधियां एवं अनुज्ञेय में भी बिना स्वीकृति की गयी व्यावसायिक गतिविधि का संचालन किया जाना निषेध है। इस संबंध में निहित विधियां एवं नियमों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। राजस्थान टाउनशिप पालिसी 2010 के प्रावधानानुसार आवासीय योजना के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 6 प्रतिशित क्षेत्र व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु उपयोग किये जाने का प्रावधान है, जिसमें फुटकर व्यवसाय हेतु कियोस्क/दुकानें भी सम्मिलित हैं। जिसकी प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन के संबंध में नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प-5(3)नविवि/99 पार्ट दिनांक 11.01.2002 में नियमन हेतु सामान्य पैरामीटर्स अन्तर्गत यह प्रावधान है कि "आवासीय कॉलोनियों में आवासीय क्षेत्रफल 60 प्रतिशत एवं सुविधा क्षेत्र (सड़क सहित) 40 प्रतिशत होगा। आवासीय क्षेत्र में से अधिकतम 10 प्रतिशत (60 प्रतिशत का 10 प्रतिशत) व्यावसायिक प्रयोजनार्थ नियमित किया जा सकेगा"। आवासीय कॉलोनियों में आवासीय भूखण्डों पर वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन बन्द करने के लिए नोटिस दिया जाकर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाती है। यूनिफाइड भवन निर्माण 2017 के अनुसार भवन निर्माण एवं मानदण्ड का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

उपरोक्त के अलावा माननीय न्यायालय द्वारा भी समय-समय पर स्वीकृत भू-उपयोग के अनुसार ही आवासीय कॉलोनियों में भूखण्डों के उपयोग के संबंध में न्यायिक निर्णय दिये गये हैं। नगर निगम, जयपुर के क्षेत्राधिकार में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 182 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना आवासीय योजनाओं में वाणिज्यिक गतिविधियों को रोकने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा-31 के अनुक्रम में धारा 32, 33 व 34 (क) के अन्तर्गत नियमानुसार नोटिस जारी कर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने, सील करने व माननीय न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही की जाती है, जो एक सतत प्रक्रिया है। इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही हेतु आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 25.01.2017 की छायाप्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है। विगत दो वर्षों में मुरलीपुरा क्षेत्र की आवासीय

(स्वायत्त शासन मंत्री)

योजनाओं में वाणिज्यिक गतिविधियों के अवैध रूप से संचालन किये जाने के चिन्हित प्रकरण व उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "य" पर संलग्न है।

(3) ग्राम चतरपुरा, तहसील सांगानेर में कृषि भूमि पर अवैध रूप से गैस गोदाम का निर्माण किये जाने पर नियमानुसार धारा 32, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर अधिनियम का नोटिस दिनांक 04.03.2016 को जारी किया जाकर न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही की गयी। नोटिस की प्रति परिशिष्ट "र" पर संलग्न है। इसके अलावा जयपुर शहर में आवासीय कॉलोनियों में संचालित कैटरिंग व्यापारियों के गोदाम, गैस सिलेण्डर के गोदाम एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों की वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण हुए गैस रिसाव एवं गैस सिलेण्डर फटने की घटनाओं के घटित होने के प्रकरण ध्यान में नहीं आये हैं। जब भी ऐसे प्रकरण ध्यान में आते हैं, तो जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। जो कि एक सतत प्रक्रिया है।

(4) जी हां। देव नगर व मुरलीपुरा आवासीय कालोनियों में अवैध रूप से कैटरिंग का व्यापार संचालित होने की प्राधिकरण में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जब भी ऐसे प्रकरण जयपुर विकास प्राधिकरण में प्राप्त होते है, तब प्राथमिकता से ऐसे प्रकरणों में जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है। कृषि कॉलोनी में जयपुर नगर निगम द्वारा कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण अभी तक उक्त व्यापार को रोकने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के मुक्ति मार्ग से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही

338. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या नगर निगम, जयपुर के मोती डूंगरी जोन में आने वाले मुक्ति मार्ग पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

(2) क्या उक्त मुक्ति मार्ग पर सड़क एवं फुटपाथ पर अतिक्रमण कर दुकानें बना ली गयी हैं? यदि हां, तो निगम द्वारा अतिक्रमियों के विरुद्ध कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब उक्त अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के तहत मुक्ति मार्ग सरकारी रोड पर किये गये अतिक्रमणों यथा सार्वजनिक पार्क की भूमि से व सरकारी रोड पर खडे वाहनों को हटाया गया है। शेष रहे अतिक्रमणों के संबंध में जोन द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किये गये थे, जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है, जिन्हें हटाने की कार्यवाही जैरकार है, जिसे शीघ्र ही हटा दिया जाएगा।

(2) मुक्ति मार्ग पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में जोन द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किये गये थे, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है। दुकानों के आगे का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जैरकार है, जिसे शीघ्र ही हटा दिया जाएगा।

(3) इस भाग का उत्तर भाग संख्या-02 के उत्तर में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सोजत शहर में डा. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की योजना

339. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा स्कूलों, सरकारी सम्पत्ति, चौराहों व संस्थानों पर महापुरुषों, समाजसेवी व शहीदों की प्रतिमा लगाकर नाम रखे जाते हैं? यदि हां, तो सोजत शहर में ऐसे कितने सर्किल व स्थान हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सोजत शहर के चांदपोल गैट चौराहा पर संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका सोजत क्षेत्र में 02 सर्कल स्थापित है:-

1. महावीर सर्कल, उपखण्ड कार्यालय के पास।

2. मीठालाल काका सर्कल, बस स्टैण्ड के पास।

(2) नगरपालिका सोजत क्षेत्र में चांदपोल गेट चौराहा पर संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर का नाम चिन्हित कर सर्कल का निर्माण व प्रतिमा लगवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। प्रकरण आगामी मण्डल की बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है, मण्डल निर्णयानुसार कार्यवाही की जाएगी।

नागौर शहर को सीवरेज सिस्टम से जोड़ने की योजना

340. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नागौर शहर को सीवरेज सिस्टम से जोड़ने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है व घरों को कब तक सीवेरज सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नागौर जिले की नगरीय इकाइयों में कांजी हाउस व वेस्ट डिस्पोजल साइट/कचरा प्रबंधन के लिये वर्तमान में क्या व्यवस्थाएं हैं एवं भविष्य के लिए क्या कार्य योजना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले की समस्त नगरपालिकाओं में स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पद तथा उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार की कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद् नागौर क्षेत्र में प्रथम चरण में राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) द्वारा सीवरेज लाइन बिछायी गयी है, जिसमें अब तक 1312 घरेलू सीवरेज कनेक्शन करवाये जा चुके हैं एवं शेष घरेलू सीवरेज कनेक्शन का कार्य प्रगतिरत है। द्वितीय चरण के अन्तर्गत अमृत सिटी योजना के तहत रुपये 58.990 करोड़ रुपये का टैण्डर स्वीकृत हुआ है। जिसके अनुसार मैसर्स वाई.एफ.सी., जेड.टी.ए. जोइन्ट वेंचर गुड़गांव हरियाणा के द्वारा दिनांक 17.04.2017 को सीवरेज लाइन का कार्य शुरू करवाया है, जिसमें अब तक 16.19 किलोमीटर सीवर लाइन बिछायी जा चुकी

(स्वायत्त शासन मंत्री)

है एवं 550 सीवर चैम्बर व 200 घरेलू सीवरेज कनेक्शन करवाये गये हैं। सीवरेज लाइन कार्य प्रगति पर है एवं कार्य अप्रैल, 2019 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।

(2) नागौर जिले की नगरीय इकाइयों में कांजी हाउस व वेस्ट डिस्पोजल साइट/कचरा प्रबन्धन के लिये वर्तमान में जारी व्यवस्थाओं एवं भविष्य के लिये बनायी जा रही कार्य योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) नागौर जिले की नगरीय निकायों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। कार्मिकों की उपलब्धता एवं स्थानान्तरण के माध्यम से शीघ्र ही रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मावली की बाईजी राज की बावड़ियों का संरक्षण

341. श्री दलीचन्द डांगी (मावली): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मावली में बाईजी राज की प्राचीन ऐतिहासिक बावड़ियां स्थित हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ऐतिहासिक सम्पदा का मूल स्वरूप नष्ट हो रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इनके रख-रखाव के लिए क्या प्रावधान किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त ऐतिहासिक स्थलों को अपने संरक्षण में लेकर जीर्णोद्धार एवं पुनःनिर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) देवस्थान विभाग के खातेदारी में वहां कुल 231-07 बीघा भूमि है जिसमें भूमि आराजी नं. 649 रकबा 0.18 बिस्वा में बाईजी राज की एक ऐतिहासिक बावडी जो सूखी हुई तथा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। ऐसी ऐतिहासिक सम्पदाओं का नीतिगत निर्णय लिया जाकर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार रखरखाव किया जाता है।

(3) जी हां। बिन्दु संख्या-2 के अनुसार।

अन्य राज्यों में प्रदेश के विश्राम भवन/धर्मशालाओं की स्थापना

342. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बजट 2017-18 में धार्मिक स्थान तिरूपति बालाजी एवं बद्रीनाथ में धर्मशालाओं की व्यवस्था करवाने की घोषणा की गयी? यदि हां, तो उक्त घोषणा की अनुपालना में कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) देश के किस-किस राज्य की राजधानियों व अन्य स्थानों पर प्रदेश के विश्राम भवन/धर्मशालाएं कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिन राज्यों में राज्य का विश्राम भवन संचालित नहीं है, उन राज्यों में विश्राम भवन/धर्मशालाएं संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा सं. 74 के अन्तर्गत तिरूपति बालाजी एवं बद्रीनाथ में धर्मशालाओं की व्यवस्था की घोषणा की गयी है। उक्त घोषणा की अनुपालना में दिनांक 31.05.2017 को जिला कलक्टर, चमोली राज्य उत्तराखण्ड को श्री बद्रीनाथ एवं जिला कलक्टर तिरूमाला चित्तूर आन्ध्र प्रदेश को श्री तिरूपति बालाजी में धर्मशालाएं निर्माण हेतु 2500 -2500 वर्ग मीटर भूमि देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार को आबंटित करने हेतु निवेदन किया गया। किन्तु भूमि की उपलब्धता के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त धर्मस्थलों में राजस्थान राज्य के श्रद्धालुओं को धर्मशाला/विश्राम गृहों में ठहरने/आवास व्यवस्था के लिये वैकल्पिक योजना के रूप में श्रद्धालुओं द्वारा किये गये व्यय का निर्धारित अनुपात में पुनर्भरण योजना दिनांक 1.11.2017 को अनुमोदित की गयी। जिसके तहत उक्त धर्मस्थलों में राजस्थान राज्य के तीर्थ यात्रियों द्वारा की गयी यात्रा के दौरान धर्मशाला में आवास व्यवस्था के पुनर्भरण हेतु उक्त धर्मस्थल की धर्मशाला/होटल/ट्रैवल जेन्सी से ऑनलाइन बुकिंग के अभिरूचि के प्रस्ताव (EXPRESSION OF INTEREST) मंगवाने हेतु माह जनवरी 2018 में विज्ञप्ति जारी की गई है। मंदिर ट्रस्ट, बोर्ड तिरूमाला तिरूपति देवस्थानम् (आन्ध्र प्रदेश) से तीर्थ यात्रियों

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

के आवास की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव भी मांगे गये हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजस्थान राज्य एवं राज्य के बाहर देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित मंदिरों एवं सस्थानों में निम्नांकित स्थानों पर धर्मशालाएं/विश्राम गृह निर्मित हैं:-

क्र.सं.	नाम संस्था
1	होटल देव दर्शन (देवस्थान विश्रान्ति गृह, उदयपुर
2	सराय फतह मेमोरियल, उदयपुर
3	मांजी की सराय, पुराना रोड, उदयपुर
4	धर्मशाला ऋषभदेव, धुलेब तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
5	धर्मशाला मंदिर श्री चारभुजा जी,गढबोर, जिला राजसमन्द
6	जसवन्त सराय, स्टेशन रोड, जोधपुर
7	विश्राम गृह मंदिर श्री राधा माधव जी, (जयपुर मंदिर) वृन्दावन (उ.प्र.)
8	विश्राम गृह मंदिर श्री कुशल बिहारी जी, बरसाना, जिला मथुरा (उ.प्र.)
9	धर्मशाला मंदिर श्री गंगाजी, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
10	धर्मशाला मंदिर श्री एकादश रूद्र जी, उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)
11	धर्मशाला, जोधपुर (नवनिर्मित)
12	धर्मशाला, बीकानेर (नवनिर्मित)
13	धर्मशाला, गोगामेडी (नवनिर्मित)
14	धर्मशाला, जयपुर (नवनिर्मित)
15	धर्मशाला, धराली, उत्तराखण्ड (नवनिर्मित)
16	धर्मशाला, द्वारका, गुजरात (नवनिर्मित)

(3) जी नहीं। जिन राज्यों में देवस्थान विभाग के विश्राम भवन संचालित नहीं हैं उन राज्यों में विश्राम भवन/धर्मशालाएं सचालित करना एक नीतिगत निर्णय है, जो उपलब्ध संसाधनों के आधार पर लिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हनुमानगढ़ जिले में आंगनबाडी सुपरवाइजरों के रिक्त पद

343. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती द्रोपती)

(1) क्या सरकार हनुमानगढ़ जिले के आंगनबाडी़ सुपरवाइजरों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आंगनबाडी़ सुपरवाइजरों को वाहन उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पदों को भरे जाने एवं रिक्त होने की एक सतत प्रक्रिया है, जो स्थानान्तरण द्वारा एवं नवीन नियुक्ति/पदस्थापन द्वारा होती है। वर्तमान में स्थानान्तरण पर राज्य सरकार का प्रतिबंध है एवं नियुक्ति के संबंध में भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पोकरण में भवन विहीन आंगनबाडी़ केन्द्र

344. श्री शैतानसिंह (पोकरण): क्या महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पोकरण के सभी आंगनबाडी़ केन्द्रों के भवन निर्मित नहीं हैं? यदि हां, तो भवनविहीन केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वर्तमान में संचालित विभिन्न योजनाओं के अतिरिक्त और भी योजनाएं संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पोकरण के अन्तर्गत परियोजना पोकरण संचालित है। जिसमें कुल 283 आंगनबाडी़ केन्द्र स्वीकृत हैं, जिसमें से 273 आंगनबाडी़ केन्द्र संचालित हैं। 186 आंगनबाडी़ केन्द्रों के विभागीय भवन बने हुए हैं एवं 87 आंगनबाडी़ केन्द्र अन्य नि:शुल्क भवनों में संचालित किये जा रहे हैं। अन्य नि:शुल्क भवनों में संचालित केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

(2) जी हां। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र पोकरण में कोई भी आंगनबाडी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित नहीं है। अत: आंगनबाडी केन्द्रों के भवन निर्माण का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। भविष्य में भूमि आबंटन/पट्टा/अनापत्ति सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर निर्माण कराये जा सकेंगे।

(3) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश की खानों में अवैध ब्लास्टिंग पर रोक की कार्यवाही

345. श्री रमेश (सपोटरा): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने खनन ब्लॉक संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नियमानुसार किसी तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा ही खनन एवं ब्लास्टिंग का कार्य किया जा सकता है?

(3) क्या यह भी सही है कि नियमानुसार प्रत्येक खान पर सर्टिफाइड ब्लास्टर, माइंस मेट एवं जेई रखना अनिवार्य है? यदि हां, तो प्रदेश में कितनी खानों में सर्टिफाइड ब्लास्टर, माइंस मेट और जेई नियुक्त हैं व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार द्वारा गत चार वर्षों में इस संबंध में जांच कराई गयी है? यदि हां, तो कब-कब व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार द्वारा उक्त नियमों की पालना हेतु कोई कदम उठाये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्तमान में 15241 खनन पट्टे एवं 17899 क्वारी लाइसेन्स स्वीकृत हैं।

(2) खानों में खनन कार्य कुशल एवं अकुशल श्रमिकों द्वारा किया जाता है तथा ब्लास्टिंग का कार्य सर्टिफाइड ब्लास्टर अथवा सर्टिफाइड मेट या उससे उपर तकनीकी व्यक्तियों के मार्ग-दर्शन में कराया जा सकता है।

(3) खान में प्रयुक्त मशीनरी एवं श्रमिकों की संख्या के अनुसार तकनीकी कर्मचारी के मार्गदर्शन में खनन कार्य कराये जाने का नियमों में

(राज्य मंत्री, खान)

प्रावधान है। ब्लास्टिंग का कार्य आवश्यकतानुसार संविदा पर सर्टिफाइड ब्लास्टर अथवा तकनीकी कर्मचारी को बुलाया जाकर सम्पन्न कराया जा सकता है। राजस्थान राज्य में वर्तमान में कुल 1392 खनन पट्टों एवं क्वारी लाइसेंस क्षेत्रों में तकनीकी कर्मचारी कार्यरत हैं।

(4) जी नहीं। इस संबंध में पृथक से कोई जांच नहीं कराई गयी है, अपितु विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण के दौरान खान पर तकनीकी कर्मचारी नियुक्त नहीं पाये जाने पर खानधारकों को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(5) सरकार द्वारा उक्त नियमों की पालना हेतु खानधारकों को नोटिस जारी किये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 346

(स्थगित)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल

महोदय,

उपरोक्त विषयक निवेदन है कि राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्यों की सबसे छोटी एवं महत्वपूर्ण कड़ी है पटवारी, वर्तमान में राज्य में पटवारियों के 8500 पद रिक्त चल रहे हैं और इस वर्ष की पटवार भर्ती में 4400 पदों हेतु परीक्षा में भी राज्य सरकार ने 3200 सफल परीक्षार्थियों को पटवार प्रशिक्षण हेतु भेजा। आज भी 1200 सफल परीक्षार्थियों को पटवार प्रशिक्षण के लिये नहीं भेजा जा रहा है जबकि 3200 परीक्षार्थियों में से 400 प्रशिक्षु पटवारी, पटवारी की सेवा को छोड़कर अन्य सेवाओं में जा चुके हैं। आज 2800 प्रशिक्षु पटवारी ही पटवार ट्रेनिंग स्कूलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

राज्य में 15.01.2018 से पटवारियों ने अपनी ग्रेड पे-6000 रुपये करने व दिनांक 22.06.17 को सरकार व राजस्व सेवा परिषद् के मध्य हुए समझौते को अक्षरशः लागू करने की मांग को लेकर अपने अतिरिक्त पटवार मण्डलों के बस्ते तहसील कार्यालयों में जमा करवा रखे हैं जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र, नामांतरण व सीमा ज्ञान संबंधी कार्यों सहित सभी तरह के आवश्यक कार्य नहीं हो रहे हैं और सरकार आमजन की परेशानी कम करने की बजाय बढ़ा रही है। सरकार ने आप्रशिक्षित 2800 पटवारियों को 6500 अतिरिक्त पटवार मण्डलों का कार्यभार देकर आमजन की परेशानी बढा़ रही है। जबकि राजस्व प्रशिक्षण अनुसंधान केन्द्र ने अप्रशिक्षित पटवारियों को तहसील प्रशिक्षण देने के आदेश दिये पर राज्य की तहसीलों में पदस्थापित तहसीलदारों ने इनके अप्रशिक्षित पटवारियों को अतिरिक्त पटवार मण्डलों का कार्यभार दे दिया और अप्रशिक्षित पटवारियों से कार्य करवाया जा रहा है जिससे राजस्व अभिलेख में अशुद्धियां बढ़ेंगी।

अतः अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि राज्य में पटवारियों की लंबे समय से चली आ रही ग्रेड पे-3600 व राजस्व परिषद् के साथ हुए समझौतों को तुरन्त लागू किया जाए व 1200 सफल

परीक्षार्थियों को पटवार प्रशिक्षण दिलवाया जाए ताकि आमजन व किसानों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।

भंवरसिंह भाटी

(कोलायत)

बाड़मेर की नगर परिषद् सीमा का विस्तार

मैं आपका ध्यान अत्यन्त ही जनहित के मुददे पर आकृष्ट करना चाहता हूं कि बाड़मेर शहर जहां पर पिछले कुछ वर्षो से तेल एवं लिग्नाइट क्षेत्र में बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों से शहर का विस्तार तेजी से हो रहा है। बाड़मेर शहर के इर्द-गिर्द कई घनी आवासीय कालोनीयों बस गयी हैं जो कि शहर से बिल्कुल सटी हुई हैं लेकिन अभी तक नगर परिषद् सीमा में नहीं लेने से इनको बिजली, पानी, सड़क की सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है अतः आबादी क्षेत्र दानजी की हौदी, श्री यादें कॉलोनी, मसूरिया कॉलोनी तिलक नगर, सूरजनगर, बलदेव नगर, रामनगर, गंगानगर, राजीवनगर मेगवालों का टांका, रामदेवनगर विष्णु कॉलोनी, शिवनगर, गोगाजी की खेजड़ी, महाबार रोड, रोहिडा पाडा, अरिहन्त नगर, गेहूं, रोड़ आबादी बस्तियां जो कि बाड़मेर शहर के इर्द-गिर्द बसी हुई हैं, को नगर परिषद् में लेते हुए इनकी सीमा विस्तार के आदेश सरकार कराए ताकि इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को नगर परिषद् से सड़क, पानी, लाइट जैसी सुविधाओं का विकास हो सके।

अत: माननीय आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि अत्यन्त जनहित की मांग पर गौर फर्माकर बाड़मेर नगर परिषद् की सीमाओं का विस्तार कराने का श्रम कराएं।

मेवाराम जैन

(बाड़मेर)

मंदिर माफी की कृषि भूमि के खातेदारों को अन्य किसानों के समान अधिकार

महोदय,

1. निवेदन है कि प्रदेश में मन्दिरों की कृषि भूमियों के खातेदार पुजारियों का राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज किया जाए।
2. डोली एवं मन्दिर की कृषि भूमि पर काश्त करने वाले पुजारी परिवारों को के सी सी या दूसरे प्रकार के लोन लेने का अधिकार प्राप्त हो।

3. ऐसी जमीनों पर काश्त करने वाले काश्तकार पुजारियों को बिजली कनेक्शन लेने का अधिकार हो। इसी तरह कृषि उपकरण बीज आदि पर अन्य किसानों की भांति सब्सिडी का लाभ मिलना चाहिए। मन्दिरों की भूमि काश्त करने वाले पुजारियों को भी अन्य किसानों की भांति अपने नाम से कृषि उपज को समर्थन मूल्य पर बेचने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।
4. फसल खराबे के समय सामान्य किसान की भांति डोली व मन्दिरों की भूमियों का मुआवजा पुजारियों को मिलना चाहिए।
5. ऐसे काश्तकार पुजारियों को वाद का अधिकार भी मिलना चाहिए।
6. ऐसी कृषि भूमि पर पुजारियों की समस्याओं के निदान और उनके कल्याण के लिए प्रदेश में पुजारी बोर्ड का गठन हो।
7. चूंकि मंदिरों की मूर्तियों को नाबालिग माना जाता है एवं उनका पालन-पोषण हेतु पुजारियों को अधिकार दिया जाना चाहिए।

अतः इस सम्बन्ध में सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही कर पुजारियों के साथ हो रहे अन्याय से उन्हें बचाया जाए।

किशनाराम

(डूंगरगढ़)

बाड़ी चिकित्सालय का क्रमोन्नयन

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में एकमात्र राजकीय सामान्य चिकित्सालय संचालित है। जबकि बाड़ी शहर की आबादी करीब 80 हजार के आस-पास है। तथा उससे लगने वाले गांवों की आबादी करीब एक लाख बीस हजार है। इस तरह से दो लाख की आबादी पर एक मात्र सामान्य चिकित्सालय संचालित है। इसके अलावा उपखण्ड बसेड़ी एवं उपखण्ड सरमथुरा के मरीज भी वहां से रैफर होकर सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में अपना इलाज करवाते हैं। कुल मिलाकर चार लाख लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक मात्र चिकित्सालय यही है।

मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बाड़ी शहर से एनएच 11 भी एवं बाड़ी बयाना छोकरवाड़ा मेगा हाइवे भी गुजरता है, जिससे आये

दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मैं आपका इस और भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने बाड़ी सामान्य चिकित्सालय को 100 बैड का किया था, परन्तु 100 बैड का बजट स्वीकृत सरकार द्वारा आज तक जारी नहीं किया गया है। इस विसंगति को दूर किया जाए एवं बाड़ी में ब्लड बैंक नहीं होने से दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु एवं प्रसूताओं के लिए ब्लड बैंक अत्यन्त आवश्यक है। अतः मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बाड़ी सामान्य चिकित्सालय को 150 बैड का करने एवं ब्लड बैंक स्थापित कर एवं 100 बैड के बजट की विसंगतियों को दूर करने की माननीय मंत्री महोदय से कृपा कराएं।

इसी आशा एवं विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

गिर्राज सिंह

(बाड़ी)

जैसलमेर में मंदिर के पास की भूमि का ओरण भूमि के रूप में विकास

महोदय,

जैसलमेर जिला रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण वृक्षों को बचाने के लिए यहां के स्थानीय निवासियों ने मंदिरों का संरक्षण कर मंदिरों के आस-पास की भूमि को ओरण के रूप में विकसित किया है तथा उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पेड़ काटने को प्रतिबंधित कर उसे देवी-देवताओं की आस्था से जोड़ दिया जाता है। सरकारी नियमों के अभाव में कई गांवों में हजारों बीघा मौके पर विद्यमान ऐसे ओरण क्षेत्र को रिकार्ड में ओरण दर्ज नहीं किया गया। वर्तमान में औद्योगीकरण के अन्धानुकरण व आर्थिक युग के कारण उक्त भूमि को वाणिज्यिक उद्देश्यों एवं अन्य कारणों से आबंटित होने से मौके पर मौजूद ओरण भूमि को अन्य उपयोग में लिया जाकर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर स्थानीय निवासियों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है।

जैसलमेर जिले में ग्राम पंचायत मूलाना (ग्राम भीमसर) में स्थित देगराय मंदिर की ओरण, ग्राम पंचायत पूनमनगर में स्थित जगतजी एवं आलाजी के मंदिर की ओरण, ग्राम कनोई सलखा में स्थित आलाजी के मंदिर की ओरण, देवीकोट में स्थित आशापुरा मंदिर की ओरण, ग्राम पंचायत सांगड में स्थित श्रीपाबूजी एवं डूंगरेचियाराय की ओरण, ग्रा.प. में पाबूजी की ओरण तथा अन्य कई ग्रामों में स्थित अन्य मंदिरों के आस-पास के ओरण क्षेत्र को

संरक्षित एवं रिकार्ड में दर्ज करने के लिए कई बार राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन से मांग की गई परन्तु आज तक रिकार्ड में दर्ज नहीं हो पाई है। जिला कलक्टर, जैसलमेर द्वारा पत्रांक/6819 दिनांक 23.11.15 से शासन उप सचिव राजस्व विभाग से मार्ग दर्शन मांगा गया था। जिला प्रशासन के पास आज भी सभी मामले लम्बित पड़े हैं। प्रशासन व सरकार के कारिंदे लिखा-पढ़ी एवं नियम कानूनों को तोड़-मरोड़ कर पेश करते हुए कार्य न करने के बहाने ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। रिकार्ड में दर्ज करने के प्रकरण विगत 8-9 वर्षों से मेरे सामने लम्बित हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे मामलों को निश्चित समय में जिले की हजारों बीघा ओरण भूमि को राजस्व भूमि में दर्ज कर जनता के साथ न्याय करें।

छोटू सिंह

(जैसलमेर)

सीकर नगर परिषद् का नया भवन निर्माण

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं एक अत्यन्त ही लोक महत्व के विषय की ओर सरकार एवं स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित हुए निवेदन करना चाहता हूं कि सीकर नगर परिषद् का वर्तमान भवन भीड़-भाड़ वाले स्थान पर संचालित है। जहां पर आने-जाने एवं पार्किंग आदि में आम जन को बहुत कठिनाई होती है। इसलिए नगर परिषद् का नया भवन बनाने हेतु लगभग दस करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी हो गयी। परन्तु जिस एजेन्सी को यह निर्माण कार्य करना था उसकी लापरवाही एवं उदासीनता के कारण आज तक नगर परिषद् का नया भवन पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हो पाया और आम जन आज भी हैरान-परेशान हो रहे हैं।

मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सीकर नगर परिषद् का नया भवन किस संस्था को, किस तिथि तक पूर्ण निर्मित करना था और उसने आज तक पूर्ण क्यों नहीं किया, इसकी उच्चस्तरीय जांच करवाकर दोषी संस्था को ब्लैकलिस्ट करें एवं संबंधित दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के साथ ही नगर परिषद् का नया भवन तीन महीने में पूर्णतः निर्मित हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए। ताकि इसी सरकार के

कार्यकाल में नगर परिषद् का कार्यालय नये भवन में शिफ्ट हो सके और आम जन को राहत मिल सके।

धन्यवाद, जय हिन्द।

रतन लाल जलधारी

(सीकर)

जयपुर के दुग्ध उत्पादकों की समस्या का समाधान

महोदय,

निवेदन है कि जयपुर जिले के निवासियों की आजीविका कृषि व पशुपालन पर ही निर्भर है। किसान रात-दिन अपने खेत व पशुपालन में मेहनत व परिश्रम करने के बाद भी कई बार जयपुर डेयरी के प्रशासनिक निर्णयों के कारण उनको कई प्रकार की गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार डेयरी के प्रबन्ध निदेशक द्वारा इस प्रकार का फरमान जारी कर दिया जाता है। जिसमें कहा जाता है कि जिस दुग्ध समिति पर जिस क्षमता की बीएमसी लगी हुई है, उतना ही दुग्ध समिति द्वारा संकलन किया जाए। इस फरमान से दुग्ध पालकों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है, जब ग्राम में स्थित डेयरी द्वारा उस पशुपालक का दुग्ध लेने से इन्कार कर दिया जाता है। अत: ऐसी स्थिति में उस मेहनत व परिश्रम करने वाले पशुपालक को गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार जयपुर डेयरी के द्वारा पशुपालकों को 2 रुपये प्रति लीटर दुग्ध के बोनस के रूप में दिया जाता था। लेकिन कुछ महीनों से पशुपालकों को 2 रुपये प्रति लीटर बोनस भी बंद कर दिया।

अतः आपसे निवेदन है कि पशुपालकों को 2 रुपये प्रति लीटर बोनस के रूप में दिलाने का आदेश जारी करावें। जिससे ग्रामीण व निर्धन पशुपालकों के जीवन स्तर में सुधार हो सके तथा उनके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो सके।

सादर।

रामलाल शर्मा

(चौमूं)

रामगंजमण्डी में आरएसआरडीसी के निर्माण कार्यों की जांच

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में आरएसआरडीसी द्वारा विभिन्न सड़कें एवं आरओबी का निर्माण कार्य कराया गया है। क्षेत्रवासियों द्वारा निरन्तर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। आरएसआरडीसी द्वारा निर्माण कार्य समय पर पूर्ण नहीं कराये जाते हैं। मोड़क पुलिया सहित अनेक निर्माण कार्यों में देरी होने के कारण स्थानीय जनता को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे क्षेत्रवासियों में काफी रोष व्याप्त है।

अतः मेरा विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि रामगंजमण्डी में आरएसआरडीसी द्वारा किये गये निर्माण कार्यों की जांच, अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण एवं बचत राशि का उपयोग करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

चन्द्रकान्ता मेघवाल

(रामगंजमण्डी)

ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि के भू उपयोग परिवर्तन के नियम

महोदय,

निवेदन है कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि का भू उपयोग परिवर्तन करने के नियम नहीं बनाये गये हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि के भू उपयोग परिवर्तन के नियम नहीं होने के कारण कोई भी व्यक्ति स्वयं की आबादी की जमीन का भू उपयोग परिवर्तन नहीं करवा पा रहे हैं।

शहरी क्षेत्रों में भू उपयोग परिवर्तन के नियम बने हुए हैं।

अतः मेरा पंचायती राज मंत्रीजी से निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि के उपयोग परिवर्तन के नियम बनाकर राहत प्रदान करने की कृपा कराएं।

सादर।

अर्जुन लाल जीनगर

(कपासन)

झाड़ोल में आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र झाडौ़ल(फ) जो कि वन बहुल आदिवासी क्षेत्र है, इसकी अधिकांश आबादी वन क्षेत्र में निवास करती है। लम्बे समय से मांग किए जाने के बावजूद अभी तक इन गरीब आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे से वंचित किया जा रहा है। इस क्षेत्र में कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इस हेतु मैं सदन के माध्यम से आशा करता हूं कि उक्त क्षेत्र में इस समस्या का समाधान अतिशीघ्र किया जाए।

इस मांग की माननीय मंत्री महोदय द्वारा सदन में घोषणा कराई जाने की कृपा करें।

धन्यवाद।

हीरा लाल दरांगी

(झाडौ़ल)

अलवर के राजर्षि महविद्यालय में एन.सी.सी यूनिट का पुन: संचालन

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजर्षि महाविद्यालय में सन 2005 से एन.सी.सी. की भर्ती प्रक्रिया बंद है। इस महाविद्यालय में एन.सी.सी. यूनिट संचालन हेतु बार-बार निवेदन किया जाता रहा है। एन.सी.सी. यूनिट संचालन हेतु कार्यालय प्राचार्य राजर्षि महाविद्यालय अलवर से एन.सी.सी. निदेशालय पर अनेंको बार पत्र प्रेषित किए जा चुके हैं लेकिन हर बार निदेशालय से एक ही जवाब मिलता है कि आपके महाविद्यालय का नाम प्रतिक्षा सूची में है। राजर्षि महाविद्यालय में लगभग 7500 छात्रों की संख्या के बावजूद इस महाविद्यालय में एन.सी.सी. यूनिट का संचालन नहीं है। छात्रों दवारा लगातार एन.सी.सी प्रारम्भ हेतु मांग की जा रही है। छात्रों दवारा कमान अधिकारी 3 राज आर्मड स्क्वाड्रन एन.सी.सी. अलवर तथा प्राचार्य को भी अनेकों बार ज्ञापन सौंपा जा चुका है परन्तु इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस कारण हर वर्ष सैकड़ों छात्र-छात्राओं को एन.सी.सी. का लाभ नहीं मिल पा रहा है। खासतौर पर ग्रामीण विद्यार्थियों को जो भारतीय सेनाओं में जाकर

देश सेवा करना चाहते हैं। एन.सी.सी. प्रमाण पत्र के द्वारा सेना में कुछ पद अधिकारी स्तर पर सीटें आरक्षित होती हैं। जिनका लाभ छात्रों को नहीं मिल पा रहा है। दस साल हो चुके हैं और कब तक राजर्षि महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को एन.सी.सी. भर्ती प्रक्रिया का इंतजार करना पड़ेगा।

अतः छात्र हितों को मध्यनजर रखते हुए यथाशीघ्र इस महाविद्यालय में एन.सी.सी. यूनिट संचालन हेतु रक्षा मंत्री को पत्र भेजकर आगे की कार्यवाही करने का श्रम करें। इस समस्या पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो आन्दोलन के लिए तत्पर हैं। जिससे राजकार्य में कोई बाधा उत्पन्न होगी तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ राजस्थान सरकार होगी। मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि तुरन्त प्रभाव से राजर्षि कालेज में एन.सी.सी. यूनिट संचालन के निर्देश देवें।

शकुन्तला रावत

(बानसूर)

जोधपुर के वार्ड 48 स्थित बाबा रामदेव मंदिर का जीर्णोद्धार

जोधपुर के वार्ड नं 48 में श्री अघरशिला बाबा रामदेव मंदिर जहां पर प्रत्येक वर्ष भादवा के माह में विशाल संख्या में बाबा रामदेव का मेला लगता है। भादवे के माह में यहां की समिति द्वारा कई धार्मिक कार्यक्रम करवाये जाते हैं। वह मंदिर विशाल पहाड़ी के ऊपर स्थित होने के कारण यहां कई पर्यटक आते हैं। जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र का यह एक विशाल एवं बहुत ही पुराना मंदिर है जहां हर वर्ष हजारों की संख्या में जातरू एवं देश व विदेशी पर्यटक आते हैं।

पूर्व में इस मंदिर में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा सामुदायिक भवन का कार्य किया गया था। परन्तु इस भवन का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। वर्तमान में यह भवन काफी क्षतिग्रस्त अवस्था में है तथा इस सामुदायिक भवन की दीवारें व छतों की मरम्मत की आवश्यकता है साथ ही यदि इस मंदिर को हैरिटेज लुक दिया जाए तो यहां पर आने वाले देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी।

अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि यहां पर स्थित इस पुरानी धरोहर के जीर्णोद्धार हेतु अलग से बजट आबंटित करवाने का श्रम कराएं।

कैलाश भंसाली

(जोधपुर)

परिशिष्ट 2

मांग संख्या 16-पुलिस पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-16 मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर):

1. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के ग्राम लूणदा, सिहाड़ एवं पाणून्द में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

2. जोधपुर जिले की ग्राम पंचायत समाराउ में अपराधियों के आपसी झगड़े में हुई एक युवक की हत्या के उपरान्त उपद्रवियों द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र में तनाव व दहशत का माहौल पैदा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
3. जोधपुर जिले में पुलिस थानों का सीमांकन विधान सभा क्षेत्रवार करने के संबंध में चर्चा के लिये।
4. जोधपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-125 पर प्रतिदिन हो रही राहगीरों से लूट को रोकने हेतु हाइवे फ्लाईग पुलिस की गश्त बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति मुख्यालय सेखाला पर नवीन पुलिस थाना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के पुलिस थाना बालेसर में पुलिस निरीक्षक का नवीन पद सर्जित करने की आश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

7. पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के अधीन बढ़ रहे साइबर क्राइम व अन्य अपराधों को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।
8. पुलिस कमिश्नरेट जयपुर एवं जोधपुर में कार्यरत पुलिस अधिकारियों व कार्मिकों का व्यवहार जनता व फरियादियों के प्रति सुसंस्कारित कराने के संबंध में चर्चा के लिये।
9. पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के क्षेत्राधिकार में स्थित पुलिस थानों एवं

मोबाइल पुलिस द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अवैध वसूली करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र लूणी में पुलिस चौकी धवा, गुडा विश्नाईयान एवं कैरू में स्वीकृत पदों पर स्टाफ लगाने, वाहन उपलब्ध करवाने एवं नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. पुलिस आयुक्त, जोधपुर के क्षेत्राधिकार में नेशनल हाइवे पर स्थित ग्राम कांकाणी, बम्बोर दर्जियान बेरू व दुन्दाड़ा में नवीन पुलिस चौकियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):

12. राज्य में बढ़ते साइबर क्राइम पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य में साइबर पुलिस की पृथक से योग्यतानुसार भर्ती करने के संबंध में चर्चा के लिये।

13. राज्य के पुलिस थानों में कम्प्यूटरीकरण को सुदृढ़ करने के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षित युवाओं की भर्ती कर राज्य में बेहतर पुलिस प्रणाली विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

14. राज्य में पुलिस कान्सटेबल भर्ती हेतु जारी कुल 5500 रिक्तियों की संख्या को बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

15. राज्य में दहेज के मामलों में पुलिस द्वारा बरामद किये जाने वाले घरेलू सामान की उचित रख-रखाव नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. राज्य में युवाओं को पुलिस भर्ती के माध्यम से राजकीय सेवा में लिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन):

17. विधान सभा क्षेत्र चौहटन की तहसील धनाऊ में पुलिस थाना एवं पुलिस चौकी बाछड़ाऊ को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर):

18. गांव सेरावाडा (बोखला) पुलिस थाना बिछीवाड़ा जिला डूंगरपुर में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण):

19. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के मालाखेड़ा-अलवर में पुलिस वृत्त अधिकारी कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में चूहड़सिंह बाबा के स्थान, अलवर में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. अकबर पुल अलवर पुलिस चौकी को पुलिस थाना बनवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अजीत सिंह (टोंक):

22. जिला मुख्यालय टोंक में यातायात व्यवस्था/ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहनों की जांच के संबंध में चर्चा के लिये।

23. जिला मुख्यालय टोंक में यातायात व्यवस्था के लिए स्थान चिन्हित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

24. जिला मुख्यालय पर स्थित पुलिस लाइन टोंक में पुलिसकर्मियों के आवासों के संबंध में चर्चा के लिये।

25. टोंक जिला मुख्यालय पर अपराधिक गतिविधियों को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

26. टोंक जिला मुख्यालय पर नफरी की पुख्ता व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये।

मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा):

27. विधान सभा क्षेत्र तिजारा (अलवर) के भिवाड़ी में पुलिस अधीक्षक एवं तिजारा में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र तिजारा (अलवर) की शेखपुर पुलिस चौकी एवं खिजुरीवास-मटीला को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र तिजारा (अलवर) के गोठड़ा, पॅाटन कलां, मौनी बाबा गौशाला के पास तिजारा और भिवाड़ी बाइपास सोसाइटियों के पास गौरक्षा पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

30. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के थाना ततारपुर एवं पुलिस थाना हरसौरा

की सीमा ज्ञान कर/हरसौरा थाना से मुण्डावर क्षेत्र की पंचायत हटाकर पुलिस थाना ततारपुर करने के संबंध में चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावार के शाहजहांपुर एवं नीमराना थाना को नई गाड़ियां देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

32. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण ग्राम कायाया, बारापाल, रीको एरिया, कलड वास, घार ग्राम पंचायत एवं नला फला चणावदा में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

33. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में प्रत्येक थानों पर नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

34. राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना):

35. सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर थाना सिणधरी सिवाना एवं समदड़ी को मिलाकर नया पुलिस उपनिरीक्षक कार्यालय C.O. सर्कल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नई पुलिस चौकी अजीत, होडु तथा सिवाना मुख्यालय के पुराने थाने परिसर में नई पुलिस चौकी स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. प्रदेश के पुलिस थानों के सीमांकन हेतु बनी समिति के प्रतिवेदन के आधार पर विधान सभा क्षेत्रवार थानों का सीमांकन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. प्रदेश में बढ़ रहे साइबर क्राइम्स एवं बाल अपराधों की रोकथाम हेतु नवीन सैल स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. सिवाना क्षेत्र के कस्बों सिवाना, समदड़ी एवं सिणधरी में यातायात व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़):

40. प्रदेश में पुलिस में हो रहे अत्याचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी):

41. बून्दी जिले के उपखण्ड मुख्यालय तालेड़ा में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर):

42. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के गींगला चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पुलिस थाना सेमारी के भवन हेतु राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सभी थानों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू):

45. बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए सवाऊ पदमसिंह (गिड़ा) और परेऊ (गिड़ा) जिला बाड़मेर में पुलिस चौकी स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. प्रदेश में पुलिस कार्मिकों का मैस भत्ता प्रतिदिन 100/- रुपये करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. पंचायत समिति मुख्यालय पाटोदी में पुलिस थाना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. बायतू के बाटाडू कस्बे में पुलिस थाना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. उपखण्ड मुख्यालय बायतू पर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर):

50. विधान सभा क्षेत्र सांचौर के चितवाना उपखण्ड के ग्राम वेदिया में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज):

51. किशनगंज में नया उप अधीक्षक आफिस खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़-अलवर):

52. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) की ग्राम पंचायत सैदमपुर के ग्राम

न्याणा में पुलिस चौकी (गौरक्षा) स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में गौ तस्करी, अवैध खनन व बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु प्रत्येक थाने में 25 कार्मिकों की नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):

54. विधना सभा क्षेत्र सूरसागर के पुलिस थानों में रिक्त पदों को भरने एवं नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के नये खुले पुलिस थाना देवनगर के लिए समस्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. प्रदेश में घातक मादक पदार्थों के बढ़ते चलन और इसके कारण बढ़ रहे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. प्रदेश में वाहन एवं मोबाइल चोरी के प्रकरणों पर प्राथमिकी के स्थान पर गुमशुदगी दर्ज करने की प्रवृत्ति रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. पुलिस थाना सूरसागर, जोधपुर के अधीन नवीन पुलिस चौकियों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

59. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में ग्राम मोटाई में पुलिस चौकी की स्थापना किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में पुलिस नफरी में बढ़ोतरी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

61. फलौदी उपखण्ड मुख्यालय पर ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं नफरी में बढ़ोतरी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

62. पुलिस थाना बाड़मेर ग्रामीण के भवन निर्माण की स्वीकृति देने के संबंध में चर्चा के लिये।

63. पुलिस चौकी चवा (बाड़मेर) को पुलिस थाना बायतू से निकालकर पुलिस थाना सदर बाड़मेर में करने के संबंध में चर्चा के लिये।

64. बाड़मेर जिले में एससी/एसटी मामलों में पीड़ित को दी जाने वाली बकाया हर्जाना राशि का भुगतान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

65. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बढ़ते यातायात के कारण यातायात पुलिस थाना स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा):

66. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में माही पुल पर स्थाई पुलिस चौकी स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा ओबरी गांव में स्थाई पुलिस चौकी स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के ग्राम पंचायत गरियता को कुंआ थाने से चितरी थाने में मिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. सागवाड़ा शहर में कोतवाली थाना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा में पुलिस चौकी स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोड़ाभीम):

71. विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम के विभिन्न थानों में अपर्याप्त पुलिस प्रशासन होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. प्रदेश में बढ़ते अपराधों की रोकथाम करने हेतु पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल):

73. चन्द्रशेखर जी की बगीची नाहरी का नाका वार्ड-80 जयपुर में विधायक कोष से उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग करते हुये पुलिस चौकी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. दिल्ली रोड़ स्थित खोले के हनुमान जी, जयपुर के मुख्य द्वार के पास पुलिस चौकी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. गुर्जर घाटी वार्ड नं. 88 इन्द्रा नगर जयपुर में पुलिस चौकी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. शास्त्रीनगर सेक्टर 5 एवं भट्टा बस्ती जयपुर के मध्य नई पुलिस चौकी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

77. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के बाड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. बाड़ी धौलपुर रोड पर बिजौली तिराहे पर पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में बाड़ी व बसेडी रोड पर वामनी नदी के पास रोड लूट की घटना को देखते हुए वटेश्वर कलां के पास पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के डांग एवं दस्यु प्रभावित डांग क्षेत्र में सोने का गुर्जा में नया थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. बाड़ी शहर में गश्त के लिए थाना बाड़ी में पी.सी.आर. वेन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

82. ब्यावर शहर में साकेतनगर पुलिस चौकी को थाना बनाने एवं ब्यावर शहर में यातायात पुलिसकर्मियों की संख्या 100 करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

83. बारां जिले के पाली व सारपल में नवीन थाने खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. प्रदेश में ए.सी.बी. में दर्ज मुकदमों को निपटाने में या चालान पेश करने में जान-बूझकर देर करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (दूदू):

85. डी.सी.पी. चाकसू का कार्यालय भवन चाकसू में बनाने हेतु बजट स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र चाकसू के अन्तर्गत पुलिस थानों व चौकियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

87. प्रदेश में पुलिस थानों के मालखाने में पड़े जब्त माल को जल्दी से जल्दी डिस्पोज करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र कपासन में नव क्रमोन्नत थाना भोपालसागर के लिए बजट उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. थाना राशमी, कपासन, आकोला एवं भादसौड़ा के भवनों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद):

90. उपखण्ड मुख्यालय दीगोद में स्थित पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. सांगोद उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित अति संवेदनशील पुलिस थाना सांगोद में उप निरीक्षक के स्थान पर निरीक्षक पुलिस का पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के पुलिस थानों में जाप्ता एवं नफरी की संख्या बढ़ाई जाने एवं ग्राम राजगढ़, थाना सांगोद में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. उपखण्ड मुख्यालय दीगोद में वृत्ताधिकारी/उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर):

94. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में पुलिस थाना राजगढ़ जिला चुरू में नफरी बढ़ाने एवं अत्याधुनिक हथियार व पुलिस वाहन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर से लगती हरियाणा सीमा पर सुरक्षा/चौकसी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में सदर थाना खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

97. प्रदेश में पुलिस कान्सटेबलों के लिए स्थाई आवासों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मान सिंह (गंगापुर):

98. गंगापुर सिटी राजकीय चिकित्सालय में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए यातायात पुलिस की नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. गंगापुर सिटी की पुलिस चौकी उदंई मोड को थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा):

101. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में पुलिस चौकी कापरड़ा को थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में पुलिस थाना डांगियावास बिलाड़ा, पीपाड शहर एवं बोरूंदा में नफरी की कमी को देखते हुए रात्रि गश्त एवं यातायात व्यवस्था हेतु होमगार्ड उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. पुलिस थाना बोरूंदा के भवन हेतु आबंटित भूमि पर नवीन भवन हेतु राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय बिलाड़ा में आबंटित भूमि पर भवन हेतु राशि आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के अन्तर्गत आने वाले पुलिस थानों में स्वीकृत पदों के अनुरूप रिक्तियों को शीघ्र नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):

106. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में प्रभावी नागरिक सुरक्षा एवं आपराधिक गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण हेतु एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर का कार्यालय और सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़ (अजमेर) पर नवीन महिला पुलिस थाना स्थापित करने की विभागीय स्वीकृति की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में नवीन पुलिस चौकियां खोलने एवं चौकियों को थानों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. वृत्त किशनगढ़ (अजमेर) के अन्तर्गत आने वाले पुलिस थाने पर पर्याप्त नफरी लगाने एवं शहरी क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में बढ़ती शहरी आबादी को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त नागरिक सुरक्षा हेतु चार नवीन पुलिस चौकियों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के शहरी मुख्यालय पर बढ़ती

आपराधिक गतिविधियों को रोकने हेतु विशेष कार्य योजना की क्रियान्विति कराने की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंगलराम (कठूमर):

111. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में उप तहसील भनोकर में पुलिस चौकी स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

112. थाना कठूमर तथा खेड़ली में पुलिस को पर्याप्त नवीन संसाधन उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

113. भीम उप अधीक्षक कार्यालय को अतिरिक्त अधीक्षक कार्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र भीम में बार, बल्ली जस्साखेड़ा पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र भीम के देवगढ़ पुलिस स्टेशन को सी.आई. सर्कल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):

116. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में नवीन पुलिस चौकियों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में पुलिस थाना रायसिंहनगर में मैस की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के पुलिस थानों में स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली):

119. विधान सभा क्षेत्र मावली के प्रत्येक पुलिस थाने पर वाहन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र मावली की ग्राम पंचायत जावद में नवीन पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र मावली में पुलिस थानों को भवन हेतु बजट आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र मावली के उपखण्ड मुख्यालय मावली पर पुलिस उप अधीक्षक का नवीन पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बडी सादडी):

123. प्रदेश में बढ़ते डकैती और लूट जैसे अपराध को रोकने के लिए पुलिस विभाग में भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में नया पुलिस थाना एवं आसावरा पंचायत समिति भदेसर में पुलिस चौकी स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):

125. राजस्थान पुलिस में जनसंख्या के अनुपात में पुलिसकर्मियों की भर्ती की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. राजस्थान में बजरी बन्द होने के बावजूद पुलिस विभाग के अधिकारियों व स्टाफ द्वारा अवैध रूप से बजरी सप्लाई करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

127. प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों को अन्य प्रदेशों की भांति साप्ताहिक अवकाश देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. प्रदेश में पुलिस अधिकारियों एवं स्टाफ की मिलीभगत से पुलिस के विभिन्न खर्चों हेतु अवैध रूप से चलाये जाने वाले सट्टे को बन्द कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. राजस्थान पुलिस द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा):

130. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की ग्राम पंचायत मोर तहसील टोडारायसिंह में पुलिस थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर):

131. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के सीमावर्ती पंचायत मुख्यालय म्याजलार में पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. जैसलमेर शहर के क्षेत्र में बढ़ते अपराध एवं व्हीकल की चोरियों की रोकथाम हेतु निगरानी के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के ग्राम पंचायत वीदा की अर्द्ध स्थाई पुलिस चौकी को स्थाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. प्रदेश में गृह स्वयं सेवकों को नियमित ड्यूटी एवं राज्य सेवा में नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर की पंचायत समिति जैसलमेर के चान्दण गांव एवं पंचायत मुख्यालय पर नवीन पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़):

136. पुलिस उप अधीक्षक अनूपगढ़ के लिए कार्यालय भवन एवं आवास उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

137. पुलिस थाना रावला, घड़साना एवं अनूपगढ़ में सार्वजनिक स्थानों व मुख्य मार्गो पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के रोजड़ी में स्थायी पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

139. पुलिस थाना घड़साना, अनूपगढ़ एवं रावला में पुलिस अधिकारियों एवं स्टाफ के लिए आवासों के संबंध में चर्चा के लिये।

140. पुलिस थाना घड़साना, रावला एवं अनूपगढ़ में गश्त एवं निगरानी के लिए पर्याप्त वाहन-साधन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत):

141. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के अन्तर्गत आने वाले पुलिस थानों में कार्मिकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. पुलिस थाना कोलायत में लूट एवं चोरी की घटनाओं से आमजन में उत्पन्न भय व दहशत को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में नवीन पुलिस थाना एवं पुलिस चौकियां खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में बढ़ती चोरी, लूट व अवैध खनन की घटनाओं व गतिविधियों को रोकने में स्थानीय पुलिस की असफलता से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

145. बीकानेर जिले में अन्य राज्यों से शस्त्र लाइसेंस बनाकर सरेआम

घूमने एवं आम जन में दहशत फैलाने से उक्त अवैध हथियारों को जब्त कर कानूनी कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर):

146. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के पुलिस थाना आबूरोड़ सदर एवं आबूरोड सिटी में कोर्ट में चालान पेशी के लम्बित प्रकरणों, जांच के नाम पर लम्बित प्रकरणों, धारा 151 के दुरुपयोग, झूठे परिवादों के आधार पर एफ.आई.आर. से नाम हटाने के नाम पर अवैध वसूली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

147. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में चैक पोस्ट छापरी पर अवैध वसूली, शराब माफियाओं को खुली छूट सदर क्षेत्र में रात्रि 8 बजे के बाद शराब बिक्री, अपराधियों को संरक्षण एवं बिगड़ी कानून व्यवस्था के जिम्मेदार सी.आई. थाना आबूरोड सदर के कार्य व्यवहार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में पुलिस थाना आबूरोड़ सिटी के सी.आई. व कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा चोर-लुटेरों, अपराधियों, सट्टेबाजों, शराब माफियाओं, अनैतिक कार्य में लिप्त होटल्स एवं बे-समय शराब बेचने वाले दुकानदारों से अवैध वसूली कर संरक्षण दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में पुलिस थाना आबूरोड सदर एवं आबूरोड सिटी में पुलिस के कार्य व्यवहार पर निगरानी रखने हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाकर आनलाइन रिकार्डिंग पुलिस अधीक्षक, आई.जी. एवं डी.आई.जी. कार्यालय तक जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर):

150. विधान सभा क्षेत्र आहार में आहार उपखण्ड मुख्यालय पर सी.ओ. सर्कल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. विधान सभा क्षेत्र आहार में भाद्राजून चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):

152. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में अमरगढ़ व सवाईपुर चौकी को क्रमोन्नत की जाकर अमरगढ़, खजूरी या सवाईपुर में पुलिस थाना स्थापित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

153. प्रदेश में पुलिसकर्मियों के वेतन कटौती प्रस्ताव वापस लेने एवं साप्ताहिक अवकाश देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई):

154. विधान सभा क्षेत्र निवाई में एनएच 12 पर सदर थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र निवाई में तहसील पीपलू की ग्राम झिराना में पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र निवाई में तहसील निवाई के गांव गुन्सी राहोली, वनस्थली मोड, सिरस तहसील पीपलू के गांव झिराना, बनवाड़ा, सोहेला की चौकियों में स्टाफ की पूर्ति करने व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र निवाई में तहसील निवाई के गांव झिलाय में स्थाई पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. विधान सभा क्षेत्र निवाई में तहसील निवाई के गांव करेड़ा बुर्जग, नोहरा मोड़ व तहसील पीपलू के गांव बगड़ी, गहलोद में नई चौकियां खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी):

159. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में हत्या के विगत चार वर्षों में दर्ज मुकदमों में अब तक खुलासा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के अरथूना आईओसी पैट्रोल पम्प पर टैंकर चालक के साथ मारपीट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में चोरियों का माल बरामद नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में विगत चार वर्षो में वाहन चोरियों का खुलासा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में छेड़छाड़, बलात्कार, लज्जा भंग की घटी घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामपाल (बारां-अटरू):

164. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में पुराना थाना भवन अटरू, सकतपुर

ग्राम पंचायत मुख्यालय, लंका कॉलोनी बारां में चौकी खोले जाने एवं महिला पुलिस थाना अटरू खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली):

165. बीकानेर जिले के पुलिस थाना बज्जू, पुलिस थाना नया शहर व पुलिस थाना कोलायत सहित अन्य थानों के क्षेत्रों में नागालैण्ड व अन्य राज्यों से शस्त्र लाइसेंस बनाकर क्षेत्र में फैली दहशत को रोकने व हथियारों को जब्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दर्शन सिंह (करौली):

166. पुलिस थाना कोलायत में हुई लूट, चोरी व हत्या के दर्ज प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

167. पुलिस थाना कोलायत व गजनेर तथा बज्जू क्षेत्र में ओवरलोड खनिज वाहनों के संचालन से हो रही दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

168. पुलिस थाना गजनेर, कोलायत व बज्जू में हो रहे जिप्सम व बजरी के अवैध खनन को स्थानीय पुलिस द्वारा दिये गए संरक्षण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

169. बीकानेर जिले के जिप्सम माफियाओं के द्वारा नागालैण्ड व अन्य राज्यों से शस्त्र लाइसेंस बनाकर पुलिस थाना क्षेत्र नयाशहर, कोलायत व बज्जू में दहशत फैलाने व आमजन में व्याप्त भय व असुरक्षा के वातावरण के संबंध में चर्चा के लिये।

170. पुलिस थाना बज्जू में सीएलजी सदस्य के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा-उत्तर):

171. प्रदेश में पुलिसकर्मियों को मानसिक तनाव से मुक्ति हेतु अन्य विभागों की तरह सप्ताह में एक दिन अवकाश देने के संबंध में चर्चा के लिये।

172. प्रदेश में पुलिसकर्मियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमों में कोर्ट से बरी होने के बाद भी विभागीय स्तर पर कार्यवाही में इन्हें दोषी मानने से उत्पन्न स्थिति पर में चर्चा के लिये।

173. प्रदेश में पुलिसकर्मियों का वेतन IIIrd grade टीचर के बराबर करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा):

174. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में पुलिस थाना खैरवाड़ा जो एनएच 8 पर स्थित है, को मुख्यालय के आधार पर निरीक्षक थाने के रूप में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

175. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में पुलिस थाना पहाड़ा, बावलवाड़ा एवं सेमारी में पुलिस कर्मचारियों के रिक्त पद एवं जनजाति बहुल क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

176. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में जनजाति उप योजना क्षेत्र में बिखरी, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में नवीन पुलिस चौकी भाणदा, राजकीय कालेज खैरवाड़ा, कानपुर सागवाड़ा, टोकर, गोदावरी में खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

177. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर, छावनी खैरवाड़ा में विशेष वर्ग के तहत अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/सामान्य/ अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को प्रतिवर्ष क्षेत्र अनुपात में भर्ती करने के संबंध में चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल खैरवाड़ा का मुख्यालय यथावत खैरवाड़ा में रखकर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण (नसीराबाद):

179. बीकानेर जिले में खनिज वाहनों के ओवरलोड संचालन से हो रही दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

180. बीकानेर जिले में अन्य राज्यों से फर्जी हथियार लाइसेंस बनाकर आने वाले सैकड़ों लोगों के विरुद्ध स्थानीय पुलिस को जानकारी के बावजूद भी कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

181. बीकानेर जिले में बजरी व जिप्सम के अवैध खनन में पुलिस की मिली भगत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादडी):

182. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में रात्रि गश्त हेतु होमगार्ड की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. बालू राम चौधरी (सहाड़ा):

183. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के थाना गंगापुर, रायपुर, कारोही व हमीरगढ़ में जब्त किये गये वाहनों को जल्द से जल्द बेचने के संबंध में चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में थाना रायपुर की चौकी कोट का नवीन भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में थाना रायपुर, गंगापुर व कारोही, हमीरगढ़ में पर्याप्त संख्या में पुलिस कान्स्टेबल लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

186. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में गंगापुर स्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए नगरपालिका द्वारा आबंटित भूमि पर नवीन भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

187. प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों की समयबद्ध पदोन्नति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में हस्तेड़ा पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर):

189. प्रदेश में पुलिसकर्मियों की कमी के संबंध में चर्चा के लिये।

190. सीकर जिले में पुलिस स्टाफ के क्वार्टर की कमी दूर करने के संबंध में चर्चा के लिये।

191. प्रदेश में पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध पैंडिग अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

192. प्रदेश में साइबर क्राइम रोकने के लिए अधिकारियों को आधुनिक संसाधन उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

193. प्रदेश में आधुनिक संसाधनों से थानों को लैस करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण (नसीराबाद):

194. विधना सभा क्षेत्र नसीराबाद के थाना के मालखानों से माल गायब होने एवं सट्टा-जुआ कारोबार में पुलिस की मिलीभगत होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

195. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के थानों में हो रही अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र (डग):

196. विधान सभा क्षेत्र डग के भीलवाड़ी में थाना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

197. प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों में विशेष कार्य योजना बनाकर कमी लाने के संबंध में चर्चा के लिये।

198. प्रदेश में एससी/एसटी अपराधों में हो रही बढोतरी के संबंध में चर्चा के लिये।

199. सुप्रीम कोर्ट व राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा पुलिस सुधार के संबंध में दिये गये निर्णयों को लागू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भजनलाल जाटव (वैर):

200. विधान सभा क्षेत्र वैर में बढ़ते हुये अपराधों को ध्यान में रखते हुये वैर, भुसावर व हलेना के चौराहों व बाजारों में सीसीटीवी कैमरा लगाकर अपराधों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

201. विधान सभा क्षेत्र वैर में लम्बे समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

202. विधान सभा क्षेत्र वैर के थानों में बढ़ते अपराधों को ध्यान में रखते हुये पुलिस की नफरी बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास):

203. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में मोठूका चौक, जौड़िया में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

204. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में पुलिस चौकी हरसौली को क्रमोन्नत कर पुलिस थाना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

205. जिला अलवर मे हो रहे अपराधों को रोकने हेतु पुलिस नफरी बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

206. प्रदेश में पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार का पुन: सीमांकन कर सुव्यवस्थित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर):

207. पुलिस कर्मियों के वेतन कटौती से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

208. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में बागावास अहिरान में पुलिस थाना न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

209. पुलिस विभाग में पदौन्नती में वरिष्ठता का लाभ न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

210. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के अलवर तिराहे पर यातायात पुलिस कर्मी के न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़):

211. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नवीन पुलिस चौकियों की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

212. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के थानों में रिक्त चल रहे पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

213. प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर रोकथाम लगाने के उपायों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

214. प्रदेश में पुलिसकर्मियों के भत्ते बढाने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. प्रेम चन्द बैरवा (दूदू):

215. विधान सभा क्षेत्र दूदू में थानों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. विधान सभा क्षेत्र दूदू के पंचायत समिति जयसिंहपुरा के गांव नन्दलालपुरा में पुलिस चौकी खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

217. कोटा जिले में लगातार बढ़ते जा रहे अपराधों पर अंकुश लगाने एवं आदतन अपराधियों व हिस्ट्रीशीटरों द्वारा कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

218. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के पुलिस थानों में रिक्त पदों को भरने एवं चार वर्ष से एक ही थाने व चौकी पर कार्यरत कार्मिकों के स्थानान्तरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

219. प्रदेश में पुलिसकर्मियों का हार्ड ड्यूटी अलाउन्स 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

220. प्रदेश में पुलिस थानों में महिला डेस्क पर महिला कांस्टेबल की ड्यूटी लगाये जाने एवं प्रत्येक थाने में पृथक से महिला बैरक बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा):

221. विधान सभा क्षेत्र दौसा में बनियाना मोड़, किलासागर एवं सैथल मोड़ पर स्थाई चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली):

222. कोटपूतली से लगती अलवर जिले की सीमा बानसूर रोड़ पर पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

223. कोटपूतली नगरपालिका का क्षेत्र बड़ा होने के कारण रात्रि गश्त के लिए पर्याप्त पुलिस जाप्ता हेतु थाने में पद बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

224. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की हरियाणा राज्य से लगती सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. कोटपूतली नगरपालिका क्षेत्र में एक सदर थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

226. रानीवाड़ा पुलिस थाने का नया भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

227. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में सांकड़ ग्राम पंचायत में पुलिस थाना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

228. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में बड़गांव अस्थाई पुलिस चौकी को स्थाई चौकी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर):

229. प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति, बढ़ते महिला अपराध एवं भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

230. विधान सभा क्षेत्र आमेर के ग्राम जालसू में पुलिस थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी):

231. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम शिमला में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

232. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के बबाई चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

233. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के कांकरीया गांव में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

234. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के जसरापुर गांव में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

235. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के मेहाड़ा चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर):

236. थानों की सीएलजी में जन प्रतिनिधियों से सलाह न लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

237. सांभर साल्ट लिमिटेड के क्षेत्र में ब्राइन (लवणीय पानी) की चोरी करने के संबंध में नावां सिटी में दर्ज एफआईआर नं. 197/15, 198/15, 199/15, 229/15, 230/15, 2793/15, 1278/16, 2312/16, 2317/16, 3244/16, 570/16 व 594/16 में मुल्जिमान का चालान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

238. राजस्थान में जनता द्वारा किये गए शराबबंदी के खिलाफ छोटे आंदोलन व कर्ज माफी के खिलाफ किसानों द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2018 को किये गये आंदोलन के प्रति पुलिस द्वारा अपनाये रवैये से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

239. एफआईआर नम्बर 253/17 थाना कोटगेट, बीकानेर में दर्ज करायी गई एफ.आई.आर. में शहादत मुकम्मिल होते हुए भी सीओ सिटी कोतवाली, बीकानेर द्वारा की जा रही है चालान पेश न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी):

240. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के गुढा गौड़जी में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

241. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की ग्राम पंचायत मण्कसास में नवीन पुलिस थाना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

242. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के बड़ागांव में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

243. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की ग्राम पंचायत छापोली में नवीन पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा):

244. प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस थाना मसूदा, भिनाय एवं विजयनगर हेतु नवीन उप अधीक्षक कार्यालय विजयनगर में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

245. पुलिस थाना ब्यावर सदर में कार्य की अधिकता के कारण अंधेरी देवरी एवं खरवा में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

246. पुलिस थाना मसूदा में कार्य की अधिकता के कारण रामगढ़ में पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

247. पुलिस थाना मसूदा, भिनाय, विजयनगर एवं पुलिस चौकी बादनवाड़ा में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

248. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नये पुलिस थाने एवं चौकियां स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

249. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न थानों को निरीक्षक स्तर के थानों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

250. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न थानों में नये वाहन उपलब्ध कराने तथा स्टाफ की पूर्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

251. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में फुलेरा थाने के नये भवन के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ौल):

252. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल में नये थाने व पुलिस चौकियां स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

253. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के विभिन्न थानों व चौकियों में रिक्त पद भरने व नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

254. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के विभिन्न थानों व चौकियों में आवश्यक आधारभूत संसाधन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

255. प्रदेश में पुलिसकर्मियों के वेतन-भत्ते व अन्य सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):

256. उपखण्ड मुख्यालय कोटड़ी पर उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

257. प्रदेश में होमगार्ड जवानों को नियमित रोजगार व समय पर वेतन भुगतान हेतु सेवानिवृत्त कार्मिकों की भांति वेतन हेड से प्रतिमाह भुगतान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

258. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की ग्राम पंचायत रौपां व बामुदार का पुलिस थाना क्षेत्र पारोली, तहसील कोटड़ी के स्थान पर पूर्ववत थाना पण्डेर में किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़):

259. भीलवाड़ा जिले में कार्यरत ए.एस.आई. व एस.आई. कार्मिकों की पदोन्नतियों के संबंध में चर्चा के लिये।

260. प्रदेश में पुलिस भर्ती में स्थानीय पुलिस कर्मचारी नहीं होने के कारण अपराधियों की पहचान में होने वाली देरी के कारण पुलिस विभाग में जिलेवार भर्ती निकालने के संबंध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट 3

मांग संख्या 17-कारागार पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-17 मुख्य शीर्षक कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

1. जोधपुर केन्द्रीय कारागार में जैमर लगे होने के बावजूद भी कैदियों द्वारा मोबाइल फोन से व्हाट्सअप व फेसबुक चलाने के प्रकरण प्रकाश में आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
2. प्रदेश के जेलों में बंद अपराधियों द्वारा जेल के बाहर अपराधिक कार्य करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
3. प्रदेश के कारागृहों में जेलकर्मियों की मिली-भगत से कैदियों द्वारा मोबाइल, सिम, घातक हथियार, अवैध वस्तुएं एवं अन्य आपत्ति जनक वस्तुओं के उपयोग को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के उप खण्ड बालेसर में नया उप कारागृह खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
5. प्रदेश के कारागारों में रिक्त पदों को भरने और नव पद सृजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

6. प्रदेश के विभिन्न कारागारों में सजायाफता अपराधियों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु प्रशिक्षण दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।
7. जेल से फरार अपराधियों की पुन: गिरफ्तारी की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. प्रदेश के कारागारों में विचाराधीन युवा व महिला बंदियों, मानसिक रोगी व्यक्तियों में सुधार व परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
9. केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर में आदतन, खूंखार अपराधियों व भू-माफियों द्वारा कारागृह से संचालित की जा रही आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. केन्द्रीय कारागाह, जोधपुर में खूंखार एवं अन्य आदतन अपराधियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):

11. राज्य के कारागारों में कैदियों द्वारा जेल में मोबाइल उपयोग किये जाने की प्राप्त शिकायतों व खूंखार अपराधियों द्वारा जेलों से गतिविधियां संचालित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण):

12. मालाखेड़ा अलवर में कारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अजीत सिंह (टोंक):

13. जिला कारागार टोंक में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

14. जिला कारागार टोंक में नफरी की पुख्ता व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

15. प्रदेश की जेलों में प्रतिबंधित सामान पहुंचने एवं मारपीट की घटनाओं की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना):

16. प्रदेश के विभिन्न कारागारों में बन्दी कैदियों की जीवन शैली में परिवर्तन हेतु प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. केन्द्रीय कारागारों में प्रभावी जैमर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. बालोतरा उप कारागार पर कैदियों से मिलने आने वाले परिजनों के बैठने के लिए विश्राम गृह की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. प्रदेश की सभी कारागारों में क्षमता से अधिक अपराधी (कैदी) रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

20. जेल प्रहरियों के वेतनमान भी पुलिस एवं आर.ए.सी. के जवानों के समान बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर):

21. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नगरपालिका सलूम्बर कारागार को शहर के बाहर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नगरपालिका सलूम्बर कारागार का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के कारागार में सुरक्षा प्रहरियों की संख्या बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कारागार का कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

25. **श्री कैलाश चौधरी** (बायतू):

प्रदेश के सभी कारागारों में कैदियों को सुधारात्मक ढ़ंग से मार्ग दर्शन देकर अपराधी प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. प्रदेश के कारागारों में हो रहे अपराधों की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):

27. प्रदेश के कारागारों में कैदियों तक मोबाइल आदि उपकरण पहुचने की प्रवृत्तियों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. प्रदेश के कारागारों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. प्रदेश के कारागारों में सी.सी.टी.वी. तंत्र की स्थापना को विशेष प्राथमिकता से करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. प्रदेश के कारागारों में कैदियों को नियमित योग एवं शास्त्रीय संगीत वाले रचनात्मक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31. प्रदेश के कारागारों में कैदियों की विडियो कान्फ्रेंसिंग से पेशियां कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

32. उप कारागार, फलौदी में सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

33. केन्द्रीय कारागार बाड़मेर की खाली भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. प्रदेश में स्थित विभिन्न कारागारों में आए दिन मोबाइल मिलने जैसी घटनाओं को रोकने के संबंध में चर्चा के लिए।

35. केन्द्रीय कारागार बाड़मेर में नफरी बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

36. उपखण्ड मुख्यालय बाड़ी में उप कारागार खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

37. प्रदेश में कारागार से कैदियों के भाग जाने की घटनाओं में सुधार करने एवं बन्द कैदियों के भोजन की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. **श्री कैलाश भंसाली** (जोधपुर):

जोधपुर सेन्ट्रल जेल को नये स्थान पर स्थानान्तरित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

39. प्रदेश के जेल भवनों में तैनात पुलिसकर्मियों के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

40. प्रदेश में जेल भवनों के विस्तार के संबंध में चर्चा के लिए।

41. राज्य की जेलों में अवैध मोबाइल मिलने से अपराधों में हो रही बढ़ोतरी के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद):

42. कोटा सेन्ट्रल जेल सहित अन्य जेलों में मोबाइल फोन पर पाबन्दी लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. प्रदेश की जेलों में नई तकनीक के जैमर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. जेलों में बन्द कैदियों को रोजगार से जोड़ने के लिये अल्पकालीन रोजगारोन्मुखी ट्रेनिंग करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर):

45. प्रदेश के कारागारों में बंदियों के खाने का स्तर सुधारने के संबंध में चर्चा के लिए।

46. प्रदेश के कारागारों में कर्मचारियों को अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

47. राजस्थान के कारागारों में अन्य प्रदेश के अपराधियों को उनके प्रदेशों में भेजने के संबंध में चर्चा के लिए।

48. कारागारों में अवैध सामान एवं मोबाइल जैसी सुविधाएं पहुंचाने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिए।

49. कारागारों से चल रही गैंगों पर प्रभावी अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा):

50. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के बिलाड़ा स्थित पिचियाक उप कारागार में स्वीकृत नफरी के अनुरूप कार्मिकों को नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):

51. प्रदेश की विभिन्न जेलों एवं कारागृहों में आये दिन होने वाले विभिन्न आपराधिक गतिविधियों को समाप्त करने एवं उक्त अपराधों में सम्मिलित पुलिस/जेल विभाग के स्थानीय कार्मिकों के खिलाफ ठोस विभागीय कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अज.) उप खण्ड मुख्यालय पर नवीन उप कारागृह की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

53. भीम उप खण्ड के उप कारागृह को पुन: प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली):

54. विधान सभा क्षेत्र मावली में उप कारागृह मावली को ग्राम पंचायत मावली की राजकीय कार्यालय हेतु आरक्षित भूमि पर स्थानान्तरित करने की विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):

55. रायसिंहनगर की जेल को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी):

56. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के उप खण्ड मुख्यालय पर कारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. प्रदेश में जेलों में स्टाफ की कमी को पूर्ण करवाने हेतु भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):

58. प्रदेश में स्थित कारागारों में अवैध रूप से मोबाइलों के संचालन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59. प्रदेश के कारागारों में आवश्यकता अनुसार पुलिस स्टाफ की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. प्रदेश के कारागारों में बन्द बन्दियों से अवैध कार्य कराने एवं उनकी सुविधाओं के संबंध में चर्चा के लिए।

61. प्रदेश के कारागारों को बन्दियों की क्षमता के अनुसार विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर):

62. जैसलमेर शहर के कारागार में महिला बंदियों हेतु अलग पुख्ता प्रबंधन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. राज्य के विभिन्न कारागारों में सजा भोग रहे अपराधियों को रोजगार उपलब्ध करवाने एवं जेलों में प्रशिक्षण देकर उनके जीवन को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. जैसलमेर शहर के कारागृह की जेल में कैदियों से मिलने आने वाले लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. प्रदेश के कारागार में बैठकर अपराधियों द्वारा गैंग चलाये जाने पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. जैसलमेर कारागार से कैदियों को लाने ले जाने के लिए स्ट्रोंग पुलिस को लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़):

67. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में पुलिस कारागार के लिए विशेष वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

68. पुलिस कारागार अनूपगढ़ में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत):

69. राज्य की जेलों में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. प्रदेश की जेलों मे प्रहरियों व अन्य जेल कार्मिकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. प्रदेश की जेलों में कैदियों को सुविधा व रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. कोलायत में उप कारागार खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

73. विधान सभा क्षेत्र कोलायत की जेलों में कैदियों के परिजनों को कैदियों से मिलने की अच्छी व्यवस्था करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर):

74. अजमेर सेन्ट्रल जेल में हार्डकोर अपराधियों की वी.सी. के माध्यम से कोर्ट में हाजरी के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):

75. उप खण्ड मुख्यालय जहाजपुर स्थित उप कारागृह का विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

76. प्रदेश में जेल कर्मियों को बेहतर सुविधाएं तथा उनकी बकाया मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके वेतन, भत्ते व सेवा लाभों का भुगतान कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामपाल (बारां-अटरू):

77. अटरू उप जिला कारागार को सड़क से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा)**:**

78. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में उप कारागार खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. उदयपुर एवं डूंगरपुर जिला मुख्यालयों के कारागारों में कैदियों को खान-पान, रहन-सहन एवं मूलभूत आदर्शवाद के आधार पर मानवीय गुणों को विकसित करने की नैतिक शिक्षा पर विशेष बल देने के संबंध में चर्चा के लिए।

80. प्रदेश में कारागार विभाग के तहत कैदियों को सुरक्षित रखने के लिए केन्द्रीय कारागृह, जिला कारागृह एवं उप कारागृहों में होने वाले राज्य निधि व्यय मद का तुलनात्मक विश्लेषण के संबंध में चर्चा के लिए।

81. प्रदेश के किशोर बंदी सुधार गृह उदयपुर में संभाग मुख्यालय पर स्थापित कर नैतिकता के नये आयामों के आधार पर किशोरों को नवीन सुधारात्मक पहल कर आमूलचूल परिवर्ततन के लिए योजना का क्रियान्वयन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

डा. बालू राम चौधरी (सहाड़ा):

82. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के गंगापुर थाना अन्तर्गत स्थित कारागार के विस्तार के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

83. प्रदेश की जेलों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

84. प्रदेश की जेलों में अवैध सामग्री की सप्लाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर):

85. प्रदेश की जेलों में मोबाइल के इस्तेमाल पर प्रभावी रोक लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

86. प्रदेश की जेलों से चल रही अपराधिक गतिविधियों को रोकने के संबंध में चर्चा के लिए।

87. प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक बंदी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

88. प्रदेश की जेलों में जेल प्रहरियों की कमी को दूर करने के संबंध में चर्चा के लिए।

89. प्रदेश की जेलों में सुविधाएं बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामचन्द्र (डग):

90. विधान सभा क्षेत्र डग में भवानी मण्डी उप कारागृह की दयनीय स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

91. प्रदेश की जेलों में मोबाइल सहित दूरभाष के साधनों को रोकने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़):

92. भीलवाड़ा जिला कारागृह के तीनों ओर फ्लाईओवर होने से सुरक्षा के मद्देनजर नवीन भवन के संबंध में चर्चा के लिए।

डा. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर):

93. प्रदेश के कारागारों में मोबाइल, नशीली दवाइयां एवं सिगरेट मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

94. जयपुर जिले के बाल गृह से बाल अपराधियों के भाग जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

95. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर (शाहपुरा) में कारागृह न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

96. प्रदेश में जेल प्रहरियों को कम वेतन देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

डा. प्रेम चन्द बैरवा (दूदू):

97. प्रदेश की जेलों में जेल प्रहरियों की कमी को दूर करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

98. प्रदेश के कारागृहों में बंदियों के लिये बाहर से आने वाली डेली यूज की सामग्री पर रोक लगाई जाकर कारागृह में कैन्टीन के माध्यम से सामग्री उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. प्रदेश के कारागृहों में नियुक्त जेल प्रहरियों एवं अन्य कार्मिकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. प्रदेश के कारागृहों में नशे व धूम्रपान की रोकथाम के लिये जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा औचक निरीक्षण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. प्रदेश के कारागृहों में मोबाइल से हो रही अवैध गतिविधियों को रोकने के लिये जैमर लगाये जाने एवं कारागृह में कार्मिकों के मोबाइल पर प्रतिबन्ध लगाकर वायरलैस सैट दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के उप खण्ड इटावा में उप कारागार स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली):

103. राज्य की जेलों में मिल रहे मोबाइलों की विशेष जांच करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104. कोटपूतली कारागार में सुरक्षा प्रहरियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी):

105. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के कारागार में साफ-सफाई के संबंध में चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के कारागार में पुराने कैदियों द्वारा नये कैदियों को धमकी देना व परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के कारागार में कैदियों के पास मोबाइल आदि पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):

108. अलवर के केन्द्रीय कारागार को शहर से बाहर स्थानान्तरित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

109. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न कारागारों में आगंतुकों के बैठने हेतु व्यवस्थाएं कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ौल):

110. विधान सभा क्षेत्र झाडौ़ल के उप कारागृह की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र झाडौ़ल के उप कारागृह झाडौ़ल में विभिन्न रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):

112. उप खण्ड मुख्यालय कोटड़ी पर उप कारागार की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।